

# रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer- Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942

Impact Factor 5.125 (IIFS)

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©

ProQuest, U.S.A. Title Id: 715205

अंक 38

हिन्दी संस्करण

वर्ष - 19

जनवरी - जून 2023



2023

[www.researchjournal.in](http://www.researchjournal.in)

आई. एस. एस. एन. 0973-3914

## रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइन्सेस

Peer-Reviewed Research Journal

UGC Journal No. (Old) 40942

Impact Factor 5.125 (IIFS)

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest

U.S.A. Title Id : 715205

अंक-38

हिन्दी संस्करण

वर्ष-19

जनवरी- जून 2023

### डॉ. अखिलेश शुक्ल

ऑनरेरी सम्पादक

प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रतिष्ठित भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड तथा पं. गोविन्द वल्लभ पंत एवार्ड से सम्मानित

[akhileshtrscollge@gmail.com](mailto:akhileshtrscollge@gmail.com)

### डॉ. संध्या शुक्ल

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक 'ए' ग्रेड

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

[drsandhyatrs@gmail.com](mailto:drsandhyatrs@gmail.com)

### डॉ. गायत्री शुक्ल

अतिरिक्त निदेशक, सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

[shuklagayatri@gmail.com](mailto:shuklagayatri@gmail.com)

### डॉ. आर. एन. शर्मा

सेवानिवृत्त आचार्य, उच्च शिक्षा, रीवा

[rnsarmanehru@gmail.com](mailto:rnsarmanehru@gmail.com)



## सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, रीवा

की मुख्य शोध पत्रिका

म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत

पंजीयन क्रमांक 1802, सन् 1997

## विषय विशेषज्ञ/परामर्श मण्डल

1. डॉ. अरविंद जोशी, सेवानिवृत्त आचार्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी  
arvindvns@outlook.com
2. डॉ. रामशंकर, कुलपति, पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल  
rs\_dubey@yahoo.com
3. डॉ. डी. एस. राजपूत, आचार्य, डॉक्टर हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर  
drdiwakarrajeut@rediffmail.com
4. डॉ. बी. के. सिंह, आचार्य, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी  
imdrbrajesh.kv@gmail.com
5. डॉ. अंजली श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय  
रीवा  
anjali\_apsu@rediffmail.com
6. डॉ. बी. पी. बडोला, सेवानिवृत्त आचार्य, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश  
bpbadola@gmail.com
7. डॉ. आभा सक्सेना, सह प्राध्यापक, अग्रसेन कन्या स्वशासी महाविद्यालय वाराणसी  
drabhasaxena7@gmail.com
8. डॉ. प्रज्ञा मिश्रा, आचार्य, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट  
pragyamishramgcgv@gmail.com
9. डॉ. आशीष सक्सेना, आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।  
ashish.ju@gmail.com
10. डॉ. ज्योति उपाध्याय, आचार्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश  
drjyotiupadhyay11@gmail.com
11. डॉ. प्रमिला पुनिया, सह प्राध्यापक, इतिहास, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर  
राजस्थान  
pramilapoonia@rediffmail.com
12. डॉ. मृदुल जोशी, आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार  
dr\_mriduljoshi@yahoo.com
13. डॉ. शैलजा दुबे, प्राध्यापक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर  
स्वशासी महाविद्यालय भोपाल  
shailjadubey70@yahoo.in
14. डॉ. प्रमिला श्रीवास्तव, आचार्य, शासकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान  
dr21pramila@gmail.com
15. डॉ. जयशंकर शाही, आचार्य, अलवर राजस्थान  
jayshankarshahi@gmail.com
16. डॉ. एन. पी. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आचार्य, रीवा मध्य प्रदेश
17. डॉ. राजेश भट्ट, एच. एन. बी. केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड  
rajeshbhatt11@gmail.com

## Guide Lines

- **General:** English and Hindi Editions of Research Journal are published separately. Hence Research Papers can be sent in Hindi or English.
- **Manuscript of research paper:** It must be original and typed in double space on the one side of paper (A-4) and have a sufficient margin. Script should be checked before submission as there is no provision of sending proof. It must include Abstract, Keywords, Introduction, Methods, Analysis, Results and References. Hindi manuscripts must be in Devlys 010 or Kruti Dev 010 font, font size 14 and in double spacing. All the manuscripts should be in two copies and in Email also. Manuscripts should be in Microsoft word program. Authors are solely responsible for the factual accuracy of their contribution.
- **References :** References must be listed cited inside the paper and alphabetically in the order- Surname, Name, Year in bracket, Title, Name of book, Publisher, Place and Page number in the end of research paper as under- Shukla Akhilesh (2018) Criminology, Gayatri Publications, Rewa : Page 12.
- **Review System:** Every research paper will be reviewed by two members of peer review committee. The criteria used for acceptance of research papers are contemporary relevance, contribution to knowledge, clear and logical analysis, fairly good English or Hindi and sound methodology of research papers. The Editor reserves the right to reject any manuscript as unsuitable in topic, style or form without requesting external review.

### **लेखकों से निवेदन-**

- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेज (ISSN-0973-3914) सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज की मुख्य शोध पत्रिका है, जो मानव संसाधन मंत्रालय तथा पंजीयक समाचार पत्र एवं पत्रिका, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत है।
- शोध पत्रिका उलरिच इन्टरनेशनल पीरियाडिकल्स डाइरेक्ट्री प्रोक्वेस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका से इंडेक्सड और लिस्टेड है।
- शोध पत्रिका का अंग्रेजी एवं हिन्दी संस्करण अलग-अलग प्रकाशित होता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस का प्रकाशन प्रतिवर्ष जून एवं दिसंबर में किया जाता है।
- रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस को इम्पैक्ट फैक्टर एवं आई.एस.एस.एन प्राप्त है। शोध पत्रिका Peer-Reviewed है।
- शोध पत्रिका के नवीनतम अंक में प्रकाशित शोध पत्रों को हमारी वेबसाइट [www.researchjournal.in](http://www.researchjournal.in) (Current Issue) में देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
- शोध पत्रिका का प्रिंट एडीशन सदस्यों को अलग से डाक द्वारा भेजा जाता है।
- शोध पत्र में शीर्षक, नाम, पद, पदस्थापना का विवरण, पत्र व्यवहार का पता तथा दूरभाष क्रमांक,
- मोबाइल नं., ई-मेल एड्रेस अवश्य दिया जाये।
- शोध पत्र के प्रारम्भ में कम से कम 50-100 शब्दों का सारांश दिया जाये।
- मुख्य शब्द सारांश के नीचे टाइप कराया जाये।

- शोध पत्र में शोध पद्धति तथा शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध पत्र में निष्कर्ष और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाये। संदर्भ ग्रंथों का विवरण पूरा दिया जाये। लेखक का नाम, वर्ष, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का विवरण, प्रकाशक का स्थान और पृष्ठ संख्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
- शोध पत्र माईक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में टाइप किया हुआ होना चाहिए। (नोट- पेज मेकर की फाइल, पी.डी.एफ. फाइल, स्कैन मैटर आदि में कदापि शोध पत्र न भेजें) शोध पत्र हिन्दी लिपि में कृतिदेव या देवलिंस फॉन्ट 010(फॉन्ट साइज 14, स्पेस डबल, मार्जिन ए-4 साईज के कागज में चारो तरफ 1 इंच) में भेजा जाना चाहिए।
- शोध पत्र के साथ यह घोषणा अवश्य संलग्न करें कि शोध पत्र मौलिक है तथा इसे कहीं अन्यत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम शोध पत्र ई-मेल द्वारा भेजें-

**researchjournal97@gmail.com,**  
**researchjournal.journal@gmail.com**

शोध पत्र की स्वीकृति की सूचना सम्पादकीय कार्यालय द्वारा लेखक को ई-मेल एवं दूरभाष द्वारा प्रदान की जाती है।

© सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज

एक अंक रुपये 500.00

-सदस्यता शुल्क -		
अवधि	व्यक्तिगत सदस्यता	संस्थागत सदस्यता
वर्ष एक	2000-00	2500-00
वर्ष दो	2500-00	4000-00

सदस्यता शुल्क की राशि गायत्री पब्लिकेशन्स के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच-रीवा सिटी (आईएफएस कोड 0004667 MICR Code 486002003) के खाता क्रमांक 30016445112 में जमा की जाय।

प्रकाशक: गायत्री पब्लिकेशन्स  
रीवा- 486001 (म.प्र.)

मुद्रक: ग्लोरी ऑफसेट  
नागपुर

### संपादकीय कार्यालय

186/1, विन्ध्य विहार कॉलोनी  
लिटिल बैम्बिनोज स्कूल कैम्पस  
रीवा- 486001 (म.प्र.)

दूरभाष- 7974781746

E-mail- researchjournal97@gmail.com, researchjournal.journal@gmail.com

[www.researchjournal.in](http://www.researchjournal.in)

रिसर्च जरनल में प्रस्तुत किये गये विचार और तथ्य लेखकों के हैं, जिनके विषय में सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। रिसर्च जरनल के सम्पादन एवं प्रकाशन में पूर्ण सावधानी रखी गई है, किन्तु किसी त्रुटि के लिए सेन्टर फॉर रिसर्च स्टडीज, सम्पादक मण्डल, प्रकाशक तथा मुद्रक उत्तरदायी नहीं हैं। सम्पादन का कार्य अब्यावसायिक और ऑनरेरी है। सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र, रीवा जिला रीवा (म.प्र.) रहेगा।

## सम्पादकीय

समाज की मूलभूत और सबसे महत्वपूर्ण इकाई प्रारंभ से परिवार ही रहा है। देश के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए सबसे पहले परिवार जैसी बुनियादी संस्थाओं के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। समाज के विकास के लिए परिवार का संतुलित विकास अति महत्वपूर्ण है। अतः हमें यदि देश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास करना है तो हमें परिवार नामक बुनियादी संस्था पर सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार में पुत्र और पुत्री के बीच कोई भी भेदभाव ना करें और यह हम अपने पुत्रों को आवश्यक रूप से समझाएं और उनके क्रियाकलापों में शामिल भी करवाएं। आज भी पुरानी मान्यता के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि औरत को कोई आजादी नहीं मिल सकती, वह अकेले कहीं नहीं जा सकती है, वह अकेले कहीं घूम-फिर नहीं सकती है, लेकिन इन मूल्यों को आज का युवा मानने से इनकार करता है।


कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मकान में जो महत्वपूर्ण स्थान दीवालों का होता है, समाज में वही महत्व लड़कों की शिक्षा का है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर के आधार में कौन हैं? घर के आधार में हमारी पुत्रियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, अर्थात् उनका संबंध जड़ से है। समाज में अगर हमारी जड़ ही कमजोर हो गई तो हमारा घर या मकान बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकता है। इस सामाजिक संदर्भ को यथार्थ में समझने की आवश्यकता है।

पक्षपात की हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कार्यों में हमें भेदभाव दिखता है। कुछ लोगों ख्याल है कि लड़की पराया धन होती है, उसे कौन सी नौकरी करनी है। इसलिए कुछ मां-बाप लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और यह भेदभाव हमारे व्यवहार में खिलाने-पिलाने में पहनाने-उढ़ाने में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यह सरासर अन्याय है। ईश्वर ने लड़के और लड़कियों को एक जैसा मस्तिष्क दिया है और आज लड़कियां बेहतर परिणाम लाकर यह सिद्ध भी कर रही है।

लड़कियां तो मां-बाप के घर कुछ ही दिन रहती हैं, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण पर गहराई से ध्यान दें, तभी हम एक सशक्त समाज की संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें हमारे बच्चों का ट्रस्टी बनाया है इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे न्याय के साथ सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करें क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसी शक्ति है, एक ही आत्मा है। अतः हमें उन्हें विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का मूलभूत उद्देश्य महिलाओं का विकास और उनमें आत्मविश्वास का संचार करना है। महिला सशक्तिकरण समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रघटना है, क्योंकि वे रचनाकार होती हैं। अगर आप उन्हें सशक्त करें, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, प्रोत्साहित करें, यह समाज के लिए बेहतर है। महिला और पुरुष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं

जिनसे जीवन-यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती है। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही है। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरुषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल-जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर है। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती है। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी है कि जहाँ महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहाँ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है। सृष्टि की रचना, बच्चों की शिक्षा, परिवार की परवरिश के रूप में महिला की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती है। अतः स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक भारत का संबंध है “यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता” अर्थात् जहाँ महिलाओं की पूजा होती है। वहाँ देवताओं का वास होता है। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती है। विद्या का आदर्श सरस्वती में, धन का आदर्श लक्ष्मी में, पराक्रम का आदर्श दुर्गा में, पवित्रता का आदर्श गंगा में, यहाँ तक कि सृष्टि सृजन का आदर्श जगद् जननी के रूप में हमें केवल भारत में ही देखने को मिलता है।



डॉ. अखिलेश शुक्ल  
प्रधान सम्पादक

## अनुक्रमणिका

01	1857 के आन्दोलन में ठाकुर रणमत सिंह और उनके प्रमुख सहयोगियों का योगदान <b>अखिलेश शुक्ल</b>	09
02	डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार <b>राम बिहारी राम</b>	19
03	बच्चों के विकास में लैंगिक असमानताओं के पारिवारिक कारकों की भूमिका का अध्ययन <b>श्वेतम् कुमारी</b>	25
04	बच्चों में उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन <b>ज्योति बाला चौबे</b>	32
05	रूपम अजीत यादव भारत में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक परिवर्तन की स्थिति का अध्ययन <b>पाकीजा खातून</b>	36
06	घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न: आगरा नगर के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन <b>राजकुमारी, राजेश अग्रवाल</b>	40
07	स्त्री महान है : गांधीजी <b>सत्य नारायण</b>	44
08	कोविड-19 महामारी का शिक्षा पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सागर शहर के विशेष संदर्भ में) <b>प्रियंका यादव</b>	49
09	<b>दिवाकर सिंह राजपूत</b> ग्रामीण महिला सशक्तीकरण एवं मनरेगा एक समाजशास्त्री विश्लेषण (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) <b>भूरी सिंह, अतुल कुमार</b>	59
10	ग्रामीण महिला उद्यमियों की समस्याओं व चुनौतियों का एक अध्ययन : हरियाणा राज्य के संदर्भ में <b>मन्दीप कुमार, संजय कुमार</b>	64
11	छपरा नगर के आधारभूत सेवाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन <b>शैलेन्द्र मालाकार</b>	72
12	आत्मनिर्भर भारत में कृषि क्षेत्र की भूमिका <b>मधुलिका श्रीवास्तव, उमेश सिंह</b>	78
13	मानव विकास सूचक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में <b>निशी मिश्रा</b>	86
14	पर्यावरण प्रदूषण का ताजमहल पर बढ़ता खतरा <b>संजय कुमार</b>	91
15	मानवाधिकारों के प्रति अंतः विषयी दृष्टिकोण (वैदिक साहित्य के विशेष संदर्भ में) <b>अलका रानी</b>	98

16	महिलाओं का संवैधानिक अधिकार एवं महिला सशक्तीकरण (आगरा शहर में मलिन बस्तियों के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) <b>आकांक्षा, मधु त्यागी</b>	108
17	राजनीति में फंसा महिला आरक्षण बिल और सशक्तीकरण का सवाल <b>मनीता कुमारी यादव</b>	112
18	ऊपरी गंगा घाटी में मृदभाण्ड कला के विकास का ऐतिहासिक अध्ययन <b>ब्रजेश कुमार तेजस्वी</b>	120
19	डिजिटल युग में इंटरनेट का शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन <b>राजनिधि सिंह</b>	126
20	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में स्थानीय प्रतिनिधियों की सहभागिता का अध्ययन : हरियाणा के चयनित जिलों का अध्ययन <b>प्रीति जगबीर नरवाल</b>	134
21	बी.ए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्तिका तुलनात्मक अध्ययन <b>किरण गुप्ता</b>	142
22	डिजिटल पुस्तकालयों की महत्ता व वर्तमान समय में उपयोगिता <b>अनिल कुमार धीमान</b>	146
23	प्राथमिक विद्यालयों में संविदा एवं नियमित शिक्षकों द्वारा शिक्षण की गुणात्मक पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन <b>किरण गुप्ता</b>	156
24	गांधी जी का ब्रह्मचर्य-विचार <b>सत्य नारायण</b>	161
25	छत्तीसगढ़ी भाषा : छत्तीसगढ़ की पहचान <b>सविता मिश्रा, सोनू कुमार मिश्रा</b>	166
26	डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा के सुबह की तलाश में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का स्वरूप <b>चंचल बाला, सविता मिश्रा</b>	171
27	हिन्दी नाट्य परम्परा का विकास क्रम <b>डी. एस. भण्डारी</b>	178
28	हेराक्लाइटस : डार्क फिलॉसॉफर <b>सत्य नारायण</b>	182
29	खेल और सामाजिक मूल्य <b>ममता</b>	187
30	अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास में स्व-सहायता समूह का योगदान <b>प्रीति रजक, एस. एम. मिश्रा</b>	192
30	वेदों में राम - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन <b>मधु</b>	198
31	पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मातृ वंदना योजना का योगदान <b>कृष्ण कुमार पटेल एस. एम. मिश्रा</b>	203
32.	बस्तर संभाग में पर्यटन सम्भावना: एक अध्ययन <b>प्रशांत कुमार गौरहा</b>	209

## 1857 के आन्दोलन में ठाकुर रणमत सिंह और उनके प्रमुख सहयोगियों का योगदान

• अखिलेश शुक्ल

सारांश- बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी अनेक प्रयासों के बावजूद संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ रूप से सामने नहीं आ सकी है। इस दिशा में खंड-खंड रूप में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन विहंगम दृष्टि से अभी भी बहुत कुछ आंकलन शेष है। वर्तमान समय में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस समय का उपयोग संपूर्ण और निष्पक्ष घटनाक्रम सामने लाने में किया जा सके तो बहुत उपयुक्त होगा। देश की आजादी के लिए विंध्य में हुए आंदोलनों का जिक्र हो और ठाकुर रणमत सिंह का नाम न आए, तो समझो चर्चा अभी अधूरी है। सतना जिले के मनकहरी ग्राम निवासी ठाकुर रणमत सिंह ने आजादी की पहली लड़ाई 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लंबे अंतराल तक अंग्रेजों से युद्ध करने के बाद अंत में अंग्रेजी सेना ने उन्हें छल से रीवा के समीप उपरहटी के जालपा देवी मंदिर के तहखाने से गिरफ्तार कर लिया था। आंदोलन दो वर्ष बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आगरा जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। आजादी के लिए शुरू हुए 1857 के आंदोलन में एक ओर जहां बिहार के बाबू कुंवर सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया था। वहीं विंध्य में ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी। ये शक्तियां मिलती तो आंदोलन का कुछ और ही रूप होता, लेकिन बघेलखंड में अंग्रेज इन शक्तियों को नहीं मिलने देने के लिए एड़ीचोटी का जोर लगाए बैठे थे।

**मुख्य शब्द - स्वतंत्रता संग्राम, आंदोलन, आवाज, राष्ट्रीय चेतना**

1857 के विद्रोह के बाद बीसवीं सदी के आरम्भ तक इस क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय चेतना दृष्टिगोचर नहीं होती है। कांग्रेस की स्थापना और तिलक के नेतृत्व में उग्रवादी आन्दोलन का भी इस क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कारण यह था कि यहां राजाओं का शासन था और यहां की जनता ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष सम्पर्क में नहीं थी। जनता की समझ में यहां विदेशियों का शासन था ही नहीं। दूसरा कारण यह था कि, यहां शिक्षा की बड़ी कमी थी। इस क्षेत्र में पहला हाई स्कूल सन् 1886 में स्थापित किया गया था। अस्तु यहां वे कारण पूर्णतया अनुपस्थित थे, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन को

• प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, नैक द्वारा ए ग्रेड, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा, मध्य प्रदेश

जन्म दिया। जहां तक राजा के विरुद्ध किसी आन्दोलन का प्रश्न है, शिक्षा की कमी के कारण उसका भी कोई प्रश्न नहीं उठता था। लोग राजा को ईश्वर मानते थे और अपनी स्थिति के लिये अपने भाग्य को दोषी समझते थे। इसके अतिरिक्त, यहां के राजाओं का शासन भी अत्याचारपूर्ण न था। इलाकेदारी या पवाईदारी प्रथा के कारण अधिकांश लोगों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध अपने इलाकेदारों या पवाईदारों से रहता था। उन्हें भी राजा की तरह पारलौकिक समझा जाता था। सामंती व्यवस्था के अन्तर्गत वास्तव में इलाकेदारों और पवाईदारों का वर्ग ही सम्पन्न था। किन्तु उनमें भी शिक्षा की कमी थी। वे भी राजा के प्रति भक्तिभावना रखते थे। उनके विशेषाधिकार सुरक्षित थे। ऐसी स्थिति में यहां राजनैतिक चेतना का न होना स्वाभाविक था।

अतीत वर्तमान की जड़ है यदि जड़ सर गल जाए तब वृक्ष की हरियाली की कल्पना नहीं की जा सकती अतः आजादी की नींव में कुर्बान शहीदों की शहादत का स्मरण वर्तमान पीढ़ी का धर्म है। रीवा रेवा संस्कृति का हृदय विंध्यांचल का गौरव आजादी के आंदोलन की दूरी 400 वर्षों के ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनैतिक परिवर्तन का साक्षी एक ऐसा प्राचीन नगर है जो राजतंत्र राजतंत्र कुलीन तंत्र और लोकतंत्र सभ्यता को अपने अंक में समेटे हुए भारत के मध्य में स्थित है धर्मनिरपेक्षता विंध्यांचल के लिए कोई नवीन बात ना होकर यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर रही है तभी तो ठाकुर रणमत सिंह के साथ सभी साथियों और सभी धर्म के लोग कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। एक लंबी यात्रा एक नन्हे से कदम से शुरू होती है और फिर मंजिल का इतिहास बन जाती है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है अथक श्रम त्याग संयम और समर्पण। इसी त्याग संयम और समर्पण के जीवंत प्रतीक थे ठाकुर रणमत सिंह।



**(1) अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह-** आजादी की पहली लड़ाई 1857 में कोठी रियासत (वर्तमान जिला सतना) के मनकहरी ग्राम के निवासी ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये थे। लम्बे अंतराल तक अंग्रेजों से युद्ध करने के पश्चात अंत में छल से उन्हें रीवा के समीप उपरहटी के जालपा देवी मंदिर के तहखाने में, जब वे विश्राम कर रहे थे, सेना द्वारा घेर लिया गया था। यह घटना सन् 1859 की है। उसी वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा आगरा जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। ठाकुर रणमत सिंह का जन्म 1825 में हुआ था और उनका सही नाम रणमत सिंह था। वे श्री महीपत

सिंह के पुत्र थे। श्री महीपत सिंह रीवा में तत्कालीन महाराज विश्वनाथ सिंह के विश्वासी मित्र और सरदार थे। ठाकुर रणमत सिंह विश्वनाथ सिंह के पुत्र महाराज रघुराज सिंह के समकालीन थे। महाराजा उन्हें 'काकू' कहा करते थे। उन्हें रीवा की सेना में सरदार का स्थान मिला था। उनके शौर्य एवं बाहुबल का सम्मान महाराजा करते थे। रणमत सिंह का विवाह सरगुजा के खजूर गांव में हुआ था। उनकी एक लड़की थी। उनके छोटे भाई जबर

सिंह को संतान हुई और उनके वंशज आज भी हैं। 1857 में बिहार के बाबू कुँवर सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया था। लेकिन दोनो शक्तियाँ मिल नहीं पाई, क्योंकि बघेलखण्ड में अंग्रेज दोनों शक्तियों को नहीं मिलने देने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक कर रहे थे। महाराज रघुराज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही थी। ठाकुर रणमत सिंह रीवा और पन्ना के बीच का क्षेत्र बुन्देलों से मुक्त कराने में उभरकर सामने आये। महाराजा रीवा उन्हें आंतरिक सहायता कर रहे थे। पोलिटिकल एजेण्ट आसवार्न की गतिविधियों से क्षुब्ध होकर ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध झण्डा उठाया। आसवार्न के बंगले पर कुछ भीड़ ने हमला कर दिया और वह चालाकी से बच गया। ठाकुर रणमत सिंह तथा उनके साथी लाल धीर सिंह, लाल पंजाब सिंह, लाल श्यामशाह, लाल लोचन सिंह, श्री पहलवान सिंह आदि को चित्रकूट के जंगल में शरण लेनी पड़ी। अपने सैन्य संगठन का कार्य उन्होंने जंगल में ही किया। ठाकुर रणमत सिंह ने नागौद की अंग्रेजी रेजीडेन्सी पर हमला कर दिया, वहाँ के रेजीडेन्ट भाग खड़े हुये और अजयगढ़ के बुन्देलों के पास शरण ली। रणमत सिंह ने उसका पीछा किया। भेलसांय के मैदान में केशरी सिंह बुन्देला के नेतृत्व में युद्ध प्रारम्भ हो गया। ठाकुर रणमत सिंह ने डटकर उनका मुकाबला किया। इस युद्ध का वर्णन 'भेलसांय का नाटक' नामक ग्रन्थ में अजयगढ़ के राजकवि ने किया है। ठाकुर रणमत सिंह के रणचातुर्य और बहादुरी का वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है। ठाकुर रणमत सिंह ने केशरी सिंह बुन्देला को युद्ध क्षेत्र में ही दो टुकड़े कर दिये थे। ठाकुर रणमत सिंह ने कुछ दिन विश्राम करने के बाद नौगाँव छावनी पर भी धावा बोल दिया। ठाकुर रणमत सिंह तात्याटोपे से सम्बन्ध कायम करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की घेराबन्दी को ठाकुर रणमत सिंह पार न कर सके और वापिस आ गये। बरौधा में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी से उनका मुकाबला हुआ और उन्होंने उसका सफाया कर डाला। 1857 की क्रांति समाप्त हो चुकी थी। महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो चुकी थी। सेना का रुख पूरब की तरफ कर दिया गया था। 1858 में बांदा से एक सैन्य दल ठाकुर रणमत सिंह का पीछा करने लगा। ठाकुर रणमत सिंह पर 2000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। ठाकुर रणमत सिंह ने डभौरा के जर्मीदार रनजीत राय दीक्षित की गद्दी में डेरा डाला। वहाँ भी अंग्रेजी शासन ने हमला बोल दिया। ठाकुर रणमत सिंह विवश होकर सोहागपुर गये। वहाँ भी अंग्रेजों ने पीछा नहीं छोड़ा। जब ठाकुर रणमत सिंह क्योटी की गद्दी में थे, तब अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। सेना का नेतृत्व कर रहे करचुली ठाकुर दलथम्हन सिंह ने ठाकुर रणमत सिंह की मदद की और वहाँ से निकलने में वे सफल हो गये। अंग्रेजों ने ठाकुर रणमत सिंह को पकड़ने के लिए अंतिम चाल चली। रीवा महाराज के दीवान दीनबन्धु ने एक पत्र लिखकर ठाकुर रणमत सिंह को बुलवाया। इस पर वे रीवा आये और गुप्त मार्ग से राजमहल में प्रविष्ट हुये और महाराजा से भेंट की। महाराजा से भेंट होने पर उन्होंने आत्म-समर्पण का विकल्प रखा। इसके बाद ठाकुर रणमत सिंह ने अंतिम निर्णय कर अपनी पूज्य माता जी से अनुमति ली और उन्होंने राज्य की रक्षा हेतु आत्म समर्पण की अनुमति प्रदान कर अपनी वीरांगना होने का परिचय दिया। उस वीरांगना ने कर्तव्य पर मातृत्व को न्यौछावर कर दिया। जब रणमत सिंह अपने मित्र

विजय शंकर नागर के घर जालपा देवी मन्दिर के तहखाने में विश्राम कर रहे थे, तब महाराज के दीवान दीनबन्धु के संकेत पर पोलिटिकल एजेन्ट को यह सूचना दी गयी। सूचना प्राप्त होते ही ठाकुर रणमत सिंह गिरफ्तार कर लिये गये तथा आगरा जेल में अनन्त चतुर्दशी 1859 के दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठाकुर रणमत सिंह के परिवार से प्राप्त, उनके बारे में एक जानकारी के अनुसार, सन् 1857 के गदर में अंग्रेजी फौज के मेरठ छावनी के करीब 5000 हजार जवान चित्रकूट में आकर श्रीमान महाराज रघुराज सिंह जू देव से मिले और उनसे बगावत करने के लिए कहा। तब महाराजा रघुराज सिंह स्वतः तो नहीं तैयार हुये, लेकिन अपनी ओर से ठाकुर रणमत सिंह को आज्ञा दी की तुम इस काम के योग्य हो। देश के लिए तुम इस आन्दोलन में शामिल होकर कार्य करो। उनके आदेश से ये अपने साथियों से परामर्श करके तथा अपने घर से राय लेकर उसमें शरीक होने को कहकर रीवा वापस आये। रीवा आकर अपने साथियों को इकट्ठा किया, जिसमें सर्व श्री श्यामशाह, ठाकुर साहब खम्हरिया, विशेषर सिंह देवरी, गुलाब सिंह कृपालपुर तथा सहामत खाँ रीवा प्रमुख थे। करीब 5-6 सौ आदमियों का सशस्त्र दल इनके साथ चित्रकूट के लिये रवाना हुआ और चित्रकूट में जाकर अंग्रेजी बागी फौज को भी अपने साथ लेकर कार्य शुरू किया था। इनका सम्बन्ध नाना फड़नवीस तथा बिहार के कुँवर सिंह, जो जगदीशपुर के जागीरदार थे, से भी रहा। उसके बाद ये कई लड़ाइयाँ अंग्रेजी फौज से लड़े। इलाहाबाद, कटनी, जबलपुर व नागपुर तक इनका धावा हुआ था और जहाँ-जहाँ इनका सशस्त्र दल गया, हमेशा विजयी रहा। रीवा रियासत के अन्तर्गत शहडोल जिला के आमिल नाला के पास अंग्रेजी फौज से लड़ाई हुई। उसके बाद मानिकपुर के पास लड़ाई हुई और अंत में क्योटी के पास बड़ी विकट लड़ाई अंग्रेजों से हुई। इधर आन्दोलन पूरे देश में समाप्त हो चुका था और अंग्रेजी सल्तनत करीब-करीब स्थापित हो चुकी थी तथा सभी आन्दोलनकारी या तो मारे गये या पकड़े जा चुके थे। तब ठाकुर रणमत सिंह चाँद भखार के जंगलों में चले गये थे। इनका पीछा अंग्रेजी फौज करती ही रही। मगर जहाँ कहीं भी युद्ध हुआ, ये हमेशा अंग्रेजी फौज को मात देते रहे और पकड़े नहीं गये। ठाकुर रणमत सिंह ने अपनी माताश्री की आज्ञा से रीवा राजघराने को अंग्रेजों की कहर से बचाने हेतु आत्म समर्पण कर दिया था। ठाकुर रणमत सिंह को फांसी की सजा तथा उनके साथी सहामत खाँ को काले पानी की सजा दी गई थी।

ठाकुर रणमत सिंह की वीरता के संबंध में बघेली में कई लोकगीत लिखे गए। कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। बघेली के जाने-माने कवि गोमती प्रसाद ने बघेली भाषा में ठाकुर रणमत सिंह और स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर खंड काव्य लिखा है। उनकी कुछ पंक्तियां यहां उल्लेखित हैं-

जहिया भई रणमत का फांसी, ओह दिन-रात न निकरा चंदा।

हाथ कपै तई जल्लादन केर, रोहिस तय फाँसी केर फंदा।।

माटी केर धन माँटी होईगा, माटी लड़ के मूठी मा।

चमकदार हीरा कस होईगा, जड़िगा नई अंगूठी मां।।

(2) **लाल श्याम शाह-** कसौटा का राजघराना रीवा के मूल पुरुष व्याघ्रदेव के दूसरे पुत्र कन्धरदेव से है। इसी कसौटा की एक शाखा से कोठी का राजवंश है। इसी कोठी राजघराने

के दो प्रसिद्ध वीर तखत सिंह और बख्तावर सिंह, जो कि सगे भाई थे, रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह (सन् 1833-1884) के यहाँ चले गये। महाराज विश्वनाथ सिंह ने इन्हें सुमेदा, बाबूपुर और पुरैनी गाँव देकर अपने यहाँ टिका लिया। इन लोगों ने सुमेदा में अपना निवास स्थान बनाया। बाद में इन्हें एक गाँव खम्हरिया भी मिला। तखत सिंह अपुत्र स्वर्गवासी हुए। बख्तावर सिंह के पुत्र सीवा सिंह के पुत्र श्यामशाह हुए। इनका जन्म सन् 1822-23 में हुआ। श्यामशाह बचपन से ही बड़े होनहार और साहसी थे। इनकी शिक्षा घर पर ही संस्कृत भाषा में हुई। संस्कृत भाषा के श्यामशाह बड़े विद्वान थे। घोड़े की सवारी करना और अखाड़ा लोटना इनका नित्य का काम था। इनका शरीर लम्बा और बलिष्ठ था। सीवा सिंह महाराज विश्वनाथ सिंह के सरदारों में से एक थे। इन्होंने उपरहटी में नृसिंह भगवान के एक मन्दिर का निर्माण कराया था। सीवा सिंह भी अखाड़ची और बलिष्ठ थे। श्यामशाह की बन्दूक, गैड़े की ढाल, भाला इनके वंशजों के पास थे, जो स्वर्गीय श्री लाल बद्री सिंह के पुत्र श्री लाल राम सिंह द्वारा शासकीय अजायबघर के लिये दे दिये गये हैं। आजकल यह चीजें छतरपुर के धुवेला संग्रहालय में सुरक्षित हैं। श्यामशाह गीता का पारायण नित्य किया करते थे। श्यामशाह की पत्नी भी एक साहसी छत्राणी थी। इनका स्वर्गवास 100 वर्ष की अवस्था में सन् 1924 में हुआ। सन् 1857 में जिस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश हुआ, श्यामशाह ने अपनी शक्ति और धन के बल पर भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। इन्होंने अपने जीवन पर्यन्त इस प्रण को पूरा करने का प्रयास किया। महानदी के किनारे चँदिया के पास इनकी अंग्रेजों के साथ पहिली मुठभेड़ हुई। यह स्थान जुझार घाट अब भी कहा जाता है। इस स्थान में कई अंग्रेज श्यामशाह के हाथ मारे गये थे। इस युद्ध में ठाकुर रणमत सिंह भी शामिल थे। दूसरी मुठभेड़ इनकी कटनी के बाजार में हुई। अंग्रेज लोग कटनी के महाजनों को लूट रहे थे। इसका समाचार पाते ही श्यामशाह ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, जिसमें एक अंग्रेज और कई सैनिक मारे गये। लूटमार छोड़कर अंग्रेज भाग गये। कटनी के आगे वह विजवराघवगढ़ के राजा की मदद के लिये जाना चाहते थे, पर अंग्रेजों की सुदृढ़ शक्ति के आगे वह नहीं जा सके और जंगलों से होते हुए वापस लौटे। कोठी के जंगल खखरा में इनकी भेंट ठाकुर रणमत सिंह से हुई। रणमत सिंह की संयुक्त शक्ति के साथ इन्होंने डभौरा, इलाहाबाद आदि स्थानों में अंग्रेजों से लोहा लिया। वापस लौटकर जिस समय यह लोग क्योटी की गढ़ी में थे, अंग्रेजी सेना द्वारा घेर लिये गये। ठाकुर रणमत सिंह व लाल श्यामशाह ने अपने अन्य साथियों के साथ क्योटी में बड़ी वीरता का परिचय दिया। अंग्रेजी कर्नल रणमत सिंह के हाथों मारा गया। अंग्रेजी सेना छिन्न-भिन्न कर दी गई। यहीं से रणमत सिंह और श्यामशाह का साथ छूटा। रणमत सिंह बहुती की ओर और श्यामशाह अपने सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर चले गये।

श्यामशाह बड़े धनी थे। इनका सारा धन लड़ाई में खर्च हुआ। इनके पास फौजी सैनिकों के अलावा 300 मद्रासी सेना के भी सैनिक थे। जिस समय यह सैनिक जबलपुर में थे, श्यामशाह को पता लगने पर उनको बुलाने के लिए खम्हरिया का कालू कोटवार एक पत्र के साथ भेजा गया था, जो बीच में ही अंग्रेजों द्वारा पकड़कर कारागार में डाल दिया गया था। दुबारा फिर एक आदमी इन सैनिकों को बुलाने के लिए भेजा गया था।

मद्रासी सैनिक श्यामशाह के बुलाने पर उनके सैनिकों में शामिल हो गये। भोला बारी श्यामशाह का विश्वस्त और स्वामिभक्त सैनिक था, जिसके वंशज अब भी खम्हरिया में हैं। भोला बारी श्यामशाह के साथ उनके पूरे जीवन तक रहा। इसकी मृत्यु सन् 1914 में हुई। इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने श्यामशाह को पकड़ने या मार डालने के उपलक्ष में पुरस्कृत करने का आदेश प्रसारित किया। लाल श्यामशाह सन् 1857 के ऐसे वीर क्रान्तिकारी थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार जीवित नहीं पकड़ सकी, वे इस क्रान्ति में शहीद हुए। जिस समय श्यामशाह का शव रीवा महाराज रघुराज सिंह के सामने लाया गया, महाराज रघुराज सिंह बहुत दुखी हुए। वह इन विद्रोही वीरों के पोषक थे, साथ ही विद्रोह को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ भी था। श्यामशाह का शव खम्हरिया भेजा गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्यामशाह के शहीद हो जाने पर अंग्रेजी सरकार ने उनके घर वालों के ऊपर एक से बढ़कर एक अत्याचार किये। उनकी सारी सम्पत्ति लूट ली गई। बहुत दिनों तक वह लोग मारे-मारे फिरते रहे। रीवा दरबार की दी हुई पवाई भी समाप्त कर दी गई। खम्हरिया गाँव जो किसी के यहाँ गहन था, बच गया था, जो बाद में इनके वंशजों ने ऋण भुगतान कर अपने अधिकार में कर लिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्यामशाह सन् 1857 के विद्रोहियों में अग्रगण्य थे। इनकी असाधारण वीरता एवं संगठन शक्ति का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। यह बड़े चरित्रवान और उदार व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी लाखों की सम्पत्ति सैन्य संगठन और परोपकार में व्यय कर दी थी। जिस समय वह स्वर्गवासी हुए, इनकी अवस्था 32-33 वर्ष की थी। इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने जो साहस का कार्य किया, शायद ही कोई कर सकता है। रीवा नगर में मेडिकल कालेज की स्थापना लाल श्यामशाह के नाम पर की गई है।

**(3) श्री धीर सिंह, पंजाब सिंह तथा ठाकुर रणमत सिंह के अन्य साथी-** ठाकुर रणमत सिंह का विद्रोह रीवा और पन्ना के बीच की सीमा को, जिसे पन्ना के बुन्देलों ने हथिया लिया था, मुक्त कराने के कार्य से प्रारम्भ होता है। इस कार्य में महाराज रघुराज सिंह ने गुप्त रीति से ठाकुर रणमत सिंह की पूरी मदद की और पन्ना वालों से सीमा प्रदेश छीन लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसी बीच प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का दबाव बुन्देलखण्ड की ओर से लगातार बढ़ रहा था और बघेलखण्ड की ओर से रणमत सिंह और उनके साथी किसी न किसी प्रकार से तात्या टोपे के साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। संयोग से रीवा में इसी बीच एक घटना घटी, जिसने उन्हें सीधे अंग्रेजी सेनाओं के साथ टक्कर लेने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ जुटा दी। पोलिटिकल एजेन्ट आसवार्न के आदेश से एक तैलंग ब्राम्हण को जेल में जासूसी के अभियोग में बन्द कर दिया गया था। ठाकुर रणमत सिंह और उनके साथियों को इसके कारण पोलिटिकल एजेन्ट के विरुद्ध एक अच्छा धार्मिक बहाना मिल गया। 'जय ब्राम्हण' की रक्षा का नारा देकर ठाकुर रणमत सिंह ने इस कार्यवाई का कड़ा विरोध किया और जनता की धार्मिक भावनाओं को इतना उभाड़ दिया कि क्रुद्ध भीड़ ने पोलिटिकल एजेन्ट के बंगले को घेर लिया। आसवार्न ने बड़ी चतुरता से आत्मरक्षा की और ठाकुर रणमत सिंह को उनके साथियों सहित नौकरी से निकलवाकर राज्य से बाहर कर दिया। इनके साथियों में प्रमुख लाल धीर सिंह थे, जो महाराज के बचपन के साथी थे। ये पंजाब

के राजा रणधीर सिंह की सेना की ओर से पहले अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध कर चुके थे और पंजाब की सन्धि के बाद रीवा वापस बुला लिये गये थे, उस समय वे रीवा प्रशासन में एक न्यायाधिकारी थे। दूसरे लाल पंजाब सिंह थे, जिन्होंने ठाकुर रणमत सिंह और तात्या टोपे के बीच सन्देशवाहक का कार्य किया था। लाल श्यामशाह इनके घनिष्ठ साथी थे, जिनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है। लाल लोचन सिंह, श्री पहलवान सिंह चन्देल तथा अन्य कई साथियों सहित ठाकुर रणमत सिंह ने रीवा राज्य की सीमा के बाहर चित्रकूट के जंगलों में अपना सैन्य संगठन प्रारम्भ किया था। ठाकुर रणमत सिंह ने बांदा अंचल में क्रान्ति की बागडोर संभाल ली और धर्म की रक्षा के नाम पर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध इंकलाब का नारा बुलन्द किया था।

**(4) विजयराघवगढ़ के ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह-** सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी विजयराघवगढ़ के तरुण जागीरदार ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह थे। इन्होंने अपने आस-पास के जमींदारों को संगठित किया और तीन हजार सिपाहियों की सेना खड़ी की। उन्होंने तहसीलदार को अपनी रियासत से निकाल दिया। विजयराघवगढ़ की इस नव संगठित सेना ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतिनिधि अधिकारी को तो हटा ही दिया, मिर्जापुर जाने वाले मार्ग पर भी पूरा अधिकार कर लिया। अंग्रेज उच्चाधिकारी के पास जब यह समाचार पहुंचा कि विजयराघवगढ़ के ठाकुर ने मिर्जापुर सड़क पर अधिकार कर लिया है और डाक के घोड़े रोक लिये हैं, तो उन्होंने तत्काल अपनी सेना को भेजने का निर्णय लिया। सन् 1857 में सरयू प्रसाद सिंह केवल 17 वर्ष के किशोर थे। पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र ने लिखा है, जबलपुर जिले के विद्रोह आन्दोलन के एक उल्लेखनीय नेता विजयराघवगढ़ के युवक ठाकुर सरयू प्रसाद थे। विजयराघवगढ़ कभी मैहर राज्य का अंग था। मैहर का राज्य दो भाइयों में विभक्त हुआ। एक भाई को विजयराघवगढ़ और दूसरे को मैहर का राज्य मिला था। सन् 1845 में जब सरयू सिंह के पिता प्रयागदास सिंह की मृत्यु हुई, तब सरयू सिंह केवल 5 वर्ष के थे। मैहर रियासत कोर्ट आफ वार्ड्स हो गई और वहां एक तहसीलदार रख दिया गया था। मैहर और विजयराघवगढ़ दोनों में विद्रोह ने उग्र रूप धारण कर लिया। जबलपुर-मिरजापुर रोड पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। वे अंग्रेजी फौजों पर हमला करने लगे। सेनापति टोटसहम को एक सिपाही ने गोली मारी, परन्तु वे बच गए और घायल हो गये। विद्रोहियों को दबाने के लिये जबलपुर और रीवा दोनों स्थानों से फौज भेजी गयी, तब कहीं विद्रोह का दमन हो सका। सरयू प्रसाद सिंह को सन् 1865 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड मिला, परन्तु उन्होंने मार्ग में ही आत्मघात कर लिया। सरयू प्रसाद के अधिकार में जो भू-भाग था, उसका कुछ भाग रीवा और शेष नागौद को प्राप्त हुआ।

**(5) बरौधा के श्री दलगंजन सिंह-** 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बरौधा सक्रिय केन्द्र रहा। बताया जाता है कि रणमत सिंह के समक्ष ग्राम पड़रा के एक बाग में दो ब्रिटिश अफसरों का वध कर दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा राज्य से विकट बदला लिया गया और वहाँ से अपार सम्पत्ति ले जायी गई। बरौधा में दलगंजन सिंह की समाधि है, जिसमें ब्रिटिश सेना द्वारा की गई गोलाबारी के चिन्ह मौजूद हैं।

**(6) सोहागपुर के ठाकुर गरूड़ सिंह एवं भरत सिंह-** सन् 1808 में रघुजी भोंसला के समय में सोहागपुर की जागीर, जिस पर उस समय महाराज वीरभान बघेला के छोटे भाई जमुनी भान के एक उत्तराधिकारी का आधिपत्य था, मराठों के हाथ में आ गई थी। सन् 1826 में भोंसला सरदार द्वारा अधिकृत अन्य भू-भाग के साथ यह भी ब्रिटिश राज्य के अधिकार में आ गयी। सन् 1857 में सोहागपुर के ठाकुर गरूड़ सिंह और उनके भाई भरत सिंह ने अपनी स्वाधीनता घोषित की। रीवा के महाराज रघुराज सिंह और सोहागपुर के तत्कालीन शासन के बीच बघेली के कुछ पत्र सोहागपुर के विद्रोह में रघुराज सिंह की दिलचस्पी का पर्याप्त वर्णन करते हैं। सोहागपुर के विद्रोह को रघुराज सिंह की सहायता नहीं, तो उनका परामर्श अवश्य प्राप्त था।

**(7) हारौल हरचन्द राय-** हारौल हरचन्द राय के पिता का नाम श्री ईश्वरजीत सिंह था, जिन्हें बैकुण्ठपुर का इलाका मिला था और उन्हीं को पहले हारौल की उपाधि भी रीवा दरबार से मिली थी। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री हरचन्द राय को भी हारौल की उपाधि मिली। महाराज विश्वनाथ सिंह जू देव और महाराजा रघुराज सिंह जू देव के समय में इस ठिकाने के ठाकुरों का बहुत बड़ा सम्मान था। श्री हरचन्द राय महाराज रघुराज सिंह के प्रमुख विश्वासपात्रों में थे। ये बहुत दिनों तक राज्य के दीवान भी रहे थे। इनके समय राज्य का बहुत विकास हुआ। बाबू कुँवर सिंह अगस्त 1857 में माड़ा विजयपुर के रियासतों से होते हुये सिंगरौली पहुंचे और वहां से चलते हुए टमस पार कर शिवराजपुर आये। यह गांव इलाहाबाद से 30 मील दक्षिण पश्चिम में है। यहां से चलकर रायपुर सोनौरी में बेनवंशी ठाकुर बाबू जगमोहन सिंह से मिले। यहीं पर रनजीत राय दीक्षित और ठाकुर रणमत सिंह मिले और क्रान्ति की सारी व्यूह रचना की। यहीं उन्होंने रात्रि व दूसरे दिन का भोजन भी किया। बाबू कुँवर सिंह दो- हजार सवारों के साथ रीवा की ओर बढ़े। इनका रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह से दूर का रिश्ता था। जब बाबू कुँवर सिंह रीवा से 8 मील दूर थे, तब इन्होंने महाराज रीवा से नगर में प्रवेश की इजाजत चाही। रात्रि में रीवा नगर में इन्होंने प्रवेश किया और लक्ष्मीशंकर नागर, उपरहटी रीवा के घर पहुंचे। वही जालपा देवी के मंदिर में एक गुप्त बैठक हुई। इसमें हारौल हरचन्द राय, हसमत अली, ठाकुर रणमत सिंह, श्याम लालशाह, जगमोहन सिंह, रनजीत राय दीक्षित आदि क्रान्तिकारियों ने भाग लिया। कहा जाता है कि, महाराज रघुराज सिंह ने भी इस गुप्त बैठक में भाग लिया। उन्होंने ठाकुर रणमत सिंह को 1000 सिपाही रखकर क्रान्ति को आगे बढ़ाने का परामर्श दिया और उनके खर्च के लिए यथेष्ट धन और पर्याप्त स्वर्ण मुद्रायें दी। इसके पश्चात वे तीर्थ यात्रा पर निकल गये।

**(8) अमर शहीद ठाकुर जगमोहन सिंह-** श्री जगमोहन सिंह सोनौरी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा के निवासी थे। 1857 में बाबू कुँवर सिंह शिवराजपुर आये और वहाँ के ठाकुर साहब जगमोहन सिंह की गढ़ी में बैठक की। ठाकुर रणमत सिंह और लाल श्यामशाह भी इस बैठक में शामिल हुये थे। कुँवर सिंह ने दोपहर का भोजन यहीं किया और अंग्रेजों को भगाने की गुप्त मंत्रणा की। कर्नल बेरिंग क्यौटी के गढ़ी को तोड़कर शंकरपुर की तरफ बढ़ा। ठाकुर रणमत सिंह आदि मिलकर ठाकुर जगमोहन सिंह ने एक हजार पैदल सवारों के साथ कर्नल बेरिंग से टक्कर ली और इस लड़ाई में आहत हुए। कर्नल बेरिंग ने उनकी

गढ़ी ध्वस्त कर दी और रायपुर में 8 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मार डाला। ठाकुर जगमोहन सिंह ने घुमन में भी अंग्रेजी सेना से युद्ध किया था। इसी युद्ध में अंग्रेजों ने भुमन की गढ़ी को भी ध्वस्त कर दिया था और वहाँ के ठाकुर इस युद्ध में शहीद हुए थे।

**(9) रनजीत राय दीक्षित-** डभौरा के रनजीत राय दीक्षित का सम्पर्क हनुमान प्रसाद भुमिहार के साथ क्रान्तिकारियों से हुआ था, इन्होंने डभौरा में कर्नल बेरिंग की सेना से टक्कर ली थी। कर्नल बेरिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने डभौरा पर चढ़ाई की थी। अंग्रेजी सेना के साथ तोपखाना भी था। डभौरा में जमकर युद्ध हुआ और रनजीत राय की एक भुजा कट गई। रनजीत राय का छोटा नाती जिसकी उम्र 18 वर्ष की थी, इस युद्ध में शहीद हुआ। गढ़ी तोपों से ढहा दी गई और बचे-कुचे साथियों के साथ क्रान्तिकारी, जिनका नेतृत्व ठाकुर रणमत सिंह कर रहे थे, इलाहाबाद की तरफ चले गये। ठाकुर रणमत सिंह की सेना, जिसमें घायलावस्था में डभौरा के रनजीत राय दीक्षित भी थे, इलाहाबाद में बहुत से अंग्रेजों का सफाया किया। इसके पश्चात ठाकुर रणमत सिंह, रनजीत राय दीक्षित व उनकी सेना रीवा की ओर चल पड़ी। रास्ते में त्योंथर तहसील के मनिका ग्राम में इनका पड़ाव पड़ा। कर्नल बेरिंग की फौज जो घुमन की गढ़ी तोड़ चुकी थी, को इनका पता चल गया। घुमन के घमासान युद्ध में वहाँ के ठाकुर मारे जा चुके थे। मनिका ग्राम में पुनः अंग्रेजी सेना से इन क्रान्तिकारियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें बहुत से अंग्रेज मारे गए। इसके पश्चात क्रान्तिकारी क्योटी की गढ़ी में चले आये। रनजीत राय दीक्षित भी इनके साथ क्योटी आ गये।

**(10) प्रेरणा स्रोत बाबू कुँवर सिंह-** जगदीशपुर, बिहार के बाबू कुँवर सिंह 1857 के स्वाधीनता संग्राम के एक महान क्रान्तिकारी और देशभक्त योद्धा थे। 1857 में बाबू कुँवर सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारी संघर्ष किया था, लेकिन दोनों शक्तियाँ मिल नहीं पाई, क्योंकि बघेलखण्ड में अंग्रेज दोनों शक्तियों को नहीं मिलने देने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे थे। लालगंज के थानेदार की एक रिपोर्ट दिनांक 7 सितम्बर 1857 के अनुसार बाबू कुँवर सिंह माण्डा के 6 मील दक्षिण कुन्दूर पहुंचे। उसके बाद वे अपने सहयोगियों के साथ सिगरौली गये। इसी रास्ते से वे बढ़ते हुए कुछ दिनों में टमस पार करके इलाहाबाद के 30 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित शिवराजपुर पहुंचकर 27 अगस्त 1857 को उसे अपने कब्जे में कर लिया। इ.ए. सैमुयल के दिनांक 2 सितम्बर 1857 के एक पत्र के अनुसार कुँवर सिंह अपनी फौज के साथ रीवा राज्य की ओर बढ़े। महाराज रीवा उनके दूर के रिश्तेदार थे, किन्तु जब वे रीवा से करीब 8 मील दूर थे, तत्कालीन महाराज रघुराज सिंह ने उन्हें रीवा में प्रवेश न करने हेतु सन्देश भेजा, किन्तु रीवा के अन्य सरदारों ने जिनमें हसमत अली और हरचन्द्रराय के नाम उल्लेखनीय हैं, कुँवर सिंह को रीवा में प्रवेश करने में सहायता पहुँचाई। इसके पश्चात कुँवर सिंह रीवा से बांदा के लिए रवाना हो गये। इस तरह बाबू कुँवर सिंह ने बघेलखण्ड में आन्दोलन को गति प्रदान की। वे इस भू-भाग के स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रेरणा स्रोत थे।

---

---

**संदर्भ ग्रन्थ सूची-**

1. अख्तर हुसैन निजामी, बुदेलखण्ड, बघेलखण्ड में 1857 का महान विद्रोह, शताब्दी समारोह समिति रीवा द्वारा प्रकाशित शोधपत्र, आलोक प्रेस, रीवा
2. हरिमोहन लाल श्रीवास्तव, प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में विन्ध्य प्रदेश का सहयोग, सूचना एवं प्रचार विभाग, विन्ध्य प्रदेश
3. प्रो. ब्रजगोपाल तथा डॉ. एस. अखिलेश, समाजवादी आन्दोलन, गायत्री पब्लिकेशन्स, 2002
4. प्रो. ब्रजगोपाल तथा डॉ. एस. अखिलेश, स्वतंत्रता आन्दोलन ( भारत सरकार द्वारा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवार्ड से सम्मानित ) गायत्री पब्लिकेशन्स, 2003
5. जीतन सिंह, रीवा राज्य दर्पण, 260-262.
6. प्रकाश, समाचार पत्र, रीवा, देशी ग्रन्थ माला-1, 1931
7. नर्मदा प्रसाद सिंह, रीवा राज्य का पवाई रूल्स, नामी काला कानून, प्रयाग

## डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार

• राम बिहारी राम

सारांश- प्रस्तुत शोध आलेख डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय से संबंधित है। इस आलेख के माध्यम से सामाजिक न्याय के प्रति डॉ. अम्बेडकर के चिंतन को दर्शाने का प्रयास किया गया है। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि यदि सभी मनुष्य एक समान हैं, तो उनके बीच किसी भी आधार पर असमानता नहीं होने चाहिए। सामाजिक न्याय की परिकल्पना को जाति, धर्म एवं रंग-भेद के आधार को नजरअंदाज करके ही प्रमाणित किया जा सकता है। डॉ. अम्बेडकर का यह भी विचारधारा सुसंगत प्रतीत होता है कि, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में समाज के सभी स्तर के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

मुख्य शब्द - अम्बेडकर, सामाजिक, न्याय, विचार

भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किये गये संघर्ष का इतिहास डॉ. भीमराव अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख किये बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। अम्बेडकर एक संघर्षशील व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। जिन्होंने सबको राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया।

आधुनिक युग में न्यायपूर्ण समाज की रचना के लिए देश में जिन सुधारकों ने कार्य किया उनमें से अधिकांश को इस कार्य के लिए प्रेरणा परानुभूतिवश मिली। केवल डॉ. अम्बेडकर ही ऐसी व्यक्ति थे, जिन्हें यह स्वानुभूतिवश मिली। अछूत परिवार में जन्म लेने के कारण सामाजिक भेदभाव और तिरस्कार की जो पीड़ा अम्बेडकर ने झेली थी वह किसी अन्य ने नहीं। इसलिए सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष विशेष रूप से दलित के उद्धार के लिए संघर्ष का उन्होंने अपने जीवन का ध्येय निरूपित किया। बहुत स्पष्ट शब्दों में अम्बेडकर ने कहा कि जिस दलित जाति में मैं पैदा हुआ उसे मुक्ति दिलाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यदि मैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता तो गोली मारकर अपना जीवन समाप्त कर दूँगा। यह स्वीकारोक्ति सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के प्रति अम्बेडकर की प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाती है।

डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना का काम सन्तों के वश में नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सन्तों ने कभी जाति प्रथा

या अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान नहीं छोड़ा।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार न्याय सामान्यतः स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का ही दूसरा नाम है। जाहिर है कि उनकी दृष्टि में जिस समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता होगा, वही समाज न्यायपूर्ण होगा। वे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता को एक-दूसरे से अपृथक मानते थे। उनका कहना है न्याय का सिद्धान्त सारगर्भित है और अधिकांशतः उन सभी सिद्धान्तों को भी अपने में सम्मिलित करता है, जो एक नैतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। न्याय ने सदैव समानता और क्षतिपूर्ति के समानुपाति के विचार को जागृत किया है। यदि सभी व्यक्ति समान है तो सभी मनुष्य एक ही सारतत्व के हैं और वह समान सार-तत्व उन्हें समान मौलिक अधिकारों एवं समान स्वतंत्रता के लिए अधिकारी बनाता है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार मानव विकास के लिए सामाजिक स्वतंत्रता आवश्यक है इसमें मुख्यतः दो बातें आती हैं-एक, एक ही समुदाय में रहनेवालों की स्वतंत्रता और दो, अन्य समुदायों से एक समुदाय की स्वतंत्रता। किसी समुदाय में रहनेवाले मानव के उपर अनेक दबाव पड़ते हैं, तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनके उद्देश्यों का निर्धारण वह स्वयं नहीं कर पाता है अन्य मानव ही करते हैं। जब उसे सामुदायिक नियंत्रण एवं अत्याचार से मुक्ति मिल जाती है और वह अपने ध्येय के अनुसार जीवनयापन करने लगता है, तो वह स्वतंत्र माना जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि समाज में सभी मानवों के लिए समान नियम, कर्तव्य एवं अधिकार होने चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर समान सुविधाओं, समान अवसरों तथा समान प्राथमिकताओं पर बल देते थे। वह प्रत्येक मानव को कानून धर्म एवं सामाजिक दृष्टि में समान समझते थे और जहाँ तक मानव की कुछ सामान्य विशेषताओं का प्रश्न है वहाँ पर समानता का सिद्धान्त स्वीकार करते थे। उनकी दृष्टि में सभी मानवों को सैद्धांतिक दृष्टि से समान समझना लोकतंत्र का मौलिक आधार है। वर्ण, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग एवं राष्ट्र से परे सब मानवों में एक सामान्य विशेषता है और वह यह है कि सब मानवों में बुद्धि है। क्योंकि मानव सामाजिक के साथ-साथ बौद्धिक प्राणी भी है। इसलिए उसे अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थाओं को इस प्रकार बनाना चाहिए कि वे उन संबंधों को बढ़ाएँ, जो समानता को दृढ़ करें और उन अनावश्यक भिन्नताओं को कम करे जो समानता के भाव को दुर्बल बनाती हैं। यह सब कुछ मानव संगठन की दूरदर्शिता पर निर्भर है कि सभी मानव मिलकर कहाँ तक समानता का राज्य बनाने में सफल होते हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जहाँ अन्याय एवं अत्याचार का जोर रहता है वहाँ पर सामाजिक उपद्रव होते रहते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने भी कहा है कि यदि आर्थिक समानता नहीं लाई जाय, तो जनतांत्रिक व्यवस्था भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। जो लोग असमानता से पीड़ित होंगे वे राजनैतिक जनतंत्र को उखाड़ फेंकेंगे। अतः सामंजस्य एवं शांति बनाए रखने के लिए समान अधिकारों का होना आवश्यक है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार बंधुता का अर्थ सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरूपता तथा भावात्मक एकता से है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, बंधुता का अर्थ सभी

भारतीयों के बीच एक सामान्य भाईचारे की भावना है कि सभी भारतीय एक जनगण है। यही वह आदर्श है, जो सामाजिक जीवन को एकता एवं सदृढ़ता प्रदान करता है। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्र भावना के जागरण से ही बंधुता की भावना निर्मित हुआ करती है और बिना बंधुता भाव के समता और स्वतंत्रता की बातें कोरी बकवास बनकर रह जाती है। वास्तव में बंधुता के कारण ही कोई व्यक्ति अपने हितों का सार्वजनिक हितों में बलिदान कर देता है। एक बार जब कोई मानव बंधुता से ओतप्रोत हो जाता है तो वह स्वतः सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में भागीदारी बन जाता है और उसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी बनाने के लिए अपना सहयोग एवं सद्भाव प्रदान करता है।

डॉ. अम्बेडकर का कहना है कि बंधुता सर्वोच्च मानव मूल्य है, जो मानव को दूसरे की भलाई करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा मानव समाज सेवा के लिए लालायित रहता है और दूसरे का जानबूझकर अहित नहीं करता। वह मानव जो बंधुता से अभिभूत है किसी कानून की बाध्यता के बिना इस प्रकार प्रबुद्ध बन जाता है कि वह स्वतः सामाजिक न्याय के मार्ग का अनुसरण करता है। वह मानव मूल्यों में निष्ठा रखते हुए सामाजिक असमानता, अन्याय एवं शोषण से दूर रहता है। बंधुता मानव को मानव, समूह को समूह, समुदाय को समुदाय और राष्ट्र को राष्ट्र के साथ बाँधती है। उनके बीच पारंपरिक संबंध, सहयोग और सामाजिक सद्भाव स्थापित करती है। समानता पारस्परिक दायित्वों की चेतना और अधिकारों की पहचान को संभव बनाती है, जिससे किसी समाज के सदस्य, देश के सभी नागरिक, बंधुता की भावना में बँधते हैं। बंधुता वह आदर्श है जो स्वतंत्रता और समानता के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करता है जहाँ मानव उसके व्यवहार से लाभान्वित हो सके। वास्तव में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता ये तीनों आदर्श एक-दूसरे से अपृथक हैं। सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में ये एक-दूसरे को संपूर्ण बनने की दिशा में सहयोग देते हैं।

प्राचीन भारतीय समाज वर्ण-व्यवस्था पर आधारित था जिसके अंतर्गत समाज को चार वर्णों (वर्गों) यथा ब्राह्मण (पुरोहित या बुद्धिजीवी वर्ग) क्षत्रिय (शासक या सैनिक वर्ग) वैश्य (व्यापारी या कृषक वर्ग) और शूद्र (दास या सेवक वर्ग) इस व्यवस्था के अंतर्गत एक सामान्य मान्यता थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इस तीन वर्ण के लोगों को ही शिक्षा (ज्ञान) दी जानी चाहिए और चौथे वर्ण शूद्र को शिक्षा की पहुँच से दूर रखना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के इस भेदभावपूर्ण विधान का अन्य महापुरुषों के अलावा गौतम बुद्ध ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने शिक्षा को सभी लोगों के लिए जरूरी बताया और लोगों को अपने दीपक स्वयं बनो का संदेश दिया। गौतम बुद्ध का यही संदेश डॉ० अम्बेडकर के जीवन-दर्शन का उत्सर्जक एवं उत्कर्षक बना। डॉ. अम्बेडकर ने अनेकों मुश्किलों का सामना करते हुए स्वयं उच्चतम शिक्षा प्राप्त की और जीवन भर शिक्षित बनो, संगठित रहो एवं संघर्ष करो का आचरण एवं उपदेश करते रहे।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, सामाजिक न्याय की स्थापना में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका विश्वास था शिक्षित बनाना मनुष्य के चहुँमुखी विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का निर्वहन एवं संरक्षण नहीं कर सकता है। सामाजिक न्याय शिक्षा के बिना मिथक मात्र बनकर रह जाती है।

डॉ. अम्बेडकर स्त्री-शिक्षा के प्रबल हिमायती थे और इसे भावी पीढ़ी की उन्नति के संदर्भ में भी आवश्यक मानते थे। इस बाबत अप्रैल 1927 में स्त्रियों की एक सभा में उन्होंने कहा बहिर्नो हर समाज में स्त्री का अपना अलग ही महत्व होता है। जिस घर की स्त्री शिक्षित एवं सुसंस्कृत होती है, उसके बच्चे भी सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। स्त्रियों से ही घर बनता और बिगड़ता है। आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए और इन्हें इस देश का शासक बनाइए।

डॉ. अम्बेडकर ने स्त्रियों को भी पुरुषों की बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने स्त्रियों को विवाह-विच्छेद करने एवं उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार देने की भी वकालत की। वे कानून बनाकर स्त्रियों पर धर्म एवं परंपरा आदि के नाम पर लादी गई सभी वर्जनाओं एवं नियोग्यताओं को हटाना चाहते थे।

डॉ. अम्बेडकर के द्वारा हिन्दू कोड बिल का निर्माण स्त्री-अधिकारिता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इसमें हिन्दू स्त्रियों के लिए उन सभी लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रावधान था, जिससे वे मनुस्मृति एवं अन्य हिन्दू विधि शास्त्रों द्वारा वंचित कर दी गई थी।

मगर रूढ़िवादी हिन्दुओं ने हिन्दू कोड बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शंकराचार्य स्वामी करपात्री, पंडित मदन मोहन मालवीय एवं संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी हिन्दू कोड बिल का विरोध किया। सांसद गोपालास्वामी आयंगर ने तो नेहरू को यहाँ तक कहा कि यदि वे हिन्दू कोड बिल को लागू करने हेतु ज्यादा जिद करेंगे, तो उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। समाजवादी विचारक मधु लिमये के अनुसार हिन्दू कोड बिल पर 6 फरवरी 1951 को अंतरिम संसद में डॉ. अम्बेडकर ने जो भाषण दिया वह आज भी मार्गदर्शक है। मधु लिमये के शब्दों में अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल के लिए हिन्दू शब्द की व्यापक व्याख्या की थी। हिन्दू शब्द की कानून के अनुसार व्याख्या करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने जो युक्तियाँ प्रस्तुत की थी वे अकाट्य हैं। अज्ञान में डूबे आज के शासक पक्ष तथा विपक्ष को इसका मनन करना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर ने संसद में हिन्दू कोड बिल के पारित नहीं होने पर नेहरू मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस संबंध में उन्होंने कहा चार वर्ष बीत जाने के बाद बिल की हत्या कर दी गई। जब इसकी चार धाराएँ पारित की गई तो यह मर गया और किसी ने भी उस पर शोक नहीं मनाया। हिन्दू कोड बिल इस देश की संसद में समाज सुधार का महानतम कदम था। बाद में हिन्दू कोड बिल चार टुकड़ों में पारित हुआ, जिनके नाम हैं-हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लेकिन इन अधिनियमों में वह क्रांतिकारी सुधार नहीं था जो हिन्दू कोड बिल में डा० अम्बेडकर ने किया था।

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय में श्रमिकों की विशिष्ट भूमिका है। यह 1942 में भारत सरकार के श्रम मंत्री के रूप में आकाशवाणी बंबई (मुम्बई) में दिये गए उनके भाषण से स्पष्ट हो जाता है। इस भाषण में डॉ. अम्बेडकर ने कहा श्रमिकों का यह

बात ज्ञात है कि यदि यह युद्ध (द्वितीय विश्व युद्ध) नई नाजी व्यवस्था दोनों के विरुद्ध श्रमिक इस बात से अवगत है कि इस युद्ध की क्षतिपूर्ति तभी होगी, जब ऐसी नई व्यवस्था स्थापित की जाए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता मात्र सैद्धांतिक रूप में न रहे, बल्कि जीवन की सच्चाई बन जाए।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार युद्ध से यह कहकर नहीं बचा जा सकता है कि हमला होने पर भी हम लड़ाई नहीं करेंगे। हिंसक शक्तियों के समक्ष घुटना टेक कर प्राप्त की गई शांति को शांति नहीं कहा जा सकता। यह एक प्रकार की आत्महत्या है जिसके लिए कोई औचित्य खोजना कठिन है। यह तो मानव जीवन के मूल्यों का बर्बर शक्तियों के समक्ष समर्पण है। इसलिए श्रमिकों का युद्ध को समाप्त करने का मार्ग समर्पण नहीं है। श्रमिकों की दृष्टि में केवल दो ही बातों में युद्ध समाप्त हो सकता है। एक युद्ध को जीतना और दूसरा न्यायोचित शांति की स्थापना।

डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के नेतृत्व को लेकर भी गंभीर चिंतन किया है और इसके लिए श्रमिक वर्ग को सबसे उपयुक्त बताया है। उन्होंने कहा मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि मजदूर वर्ग ही देश को वह नेतृत्व देने में सक्षम है जो उसे चाहिए। उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि संसदीय लोकतंत्र की कमियों को दूर करने के लिए सरकार पर कब्जा करें। उन्होंने कहा यदि हमारे वर्ग (श्रमिक वर्ग) को संसदीय लोकतंत्र में रहना है तो उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। उसे सरकार पर न केवल अपना दबाव बनाना होगा, बल्कि सरकार पर कब्जा भी करना होगा। इस तरह डॉ. अम्बेडकर ने श्रमिक के कल्याण हेतु अथक प्रयास किए, जिससे श्रमिकों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। डॉ. अम्बेडकर राजनैतिक जनतंत्र से अधिक आर्थिक एवं सामाजिक जनतंत्र या सामाजिक न्याय के लिए चिंतित थे। वह हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति सजग रहे। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि शोषितों एवं वंचितों को विशेष सुविधाएँ प्राप्त करने का हक है, ताकि वे सदियों की दासता से मुक्त होकर समाज की मुख्यधारा में आएँ। इसलिए, स्वतंत्रता के पूर्व आरक्षण आन्दोलन का समर्थन करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा जब मेहनतकश जातियाँ आरक्षण की मांग करती हैं तो वह कोई नई बात या अजूबा नहीं है। यह कोई अनुचित मांग नहीं है और न ही यह पाप है। अन्त में समाजवादी विचारक किशन पटनायक के कथन उल्लेखनीय है। आरक्षण एक ऐतिहासिक अनिवार्यता बन चुका है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे भारतीय समाज के स्वतः विकास में बाधक है। आरक्षण का चक्र तब पूरा होगा, जब इसकी जरूरत नहीं रहेगी, और इसको पूरा होने में विलंब नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय सिद्धांत काफी व्यापक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसे दो पक्षों में बाँटकर देखा जा सकता है। यथा इसका नकारात्मक पक्ष, ब्राह्मणवाद एवं पूँजीवाद का अन्त है जबकि सकारात्मक पक्ष है-सामाजिक जनतंत्र एवं राज्य-समाजवाद की स्थापना।

**निष्कर्ष-** डॉ. अम्बेडकर के अनुसार सामान्य जीवन में न्याय का तात्पर्य होता है निष्पक्षता, उचित या जो नैतिक रूप में उचित हो। निस्संदेह न्याय एक मूल्यपरक अवधारणा है जो नैतिक रूप से अच्छा है वही न्यायपूर्ण है और अन्यायपूर्ण है उसकी इस

रूप में निन्दा की जाती है कि वह अनैतिक है। डॉ. अम्बेडकर के दर्शन में सामाजिक न्याय अपने संपूर्ण-समग्र अर्थ-संदर्भों में उपस्थित है, जिसमें सबों के लिए न्याय, सब प्रकार से न्याय और सबों के द्वारा न्याय को शुभ संभावना अंतर्निहित है। यहाँ सबों के लिए न्याय का आशय है-सभी मनुष्यों एवं संपूर्ण चराचर जगत के लिए न्याय। सब प्रकार से न्याय का तात्पर्य है-सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, विधिक न्याय, धार्मिक न्याय आदि की भी गारंटी। सबों के द्वारा न्याय का अर्थ है न्याय प्रक्रिया में सबों की सक्रिय भागीदारी।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. राजकुमार शर्मा, संपादकीय, भारतीय चिंतन-सृजन का प्रगतिकामी मानवीय पक्ष (संपादित) उद्भावना प्रकाशन, दिल्ली, 2009
2. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर : संपूर्ण वांगमय, संपादक-उमराव सिंह, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-2003
3. राम गोपाल सिंह, डॉ. अम्बेडकर : सामाजिक न्याय और परिवर्तन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर (राजस्थान), 2006
4. डॉ. रमाशंकर आर्य सामाजिक बहिष्करण एवं प्रतिरोध : एक अवधारणात्मक विश्लेषण, दलित अस्मिता, संपादक-विमल थोराट, नई दिल्ली-2011
5. डॉ. खगेन्द्र ठाकुर : आज का वैचारिक संघर्ष और मार्क्सवाद, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली-2005
6. डॉ. धर्मकीर्ति : जाति विध्वंसक भगवान बुद्ध सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली-2005
7. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा : संपादक- डॉ. एल.जी. मेश्राम विमलकीर्ति, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली-2008
8. डॉ. डी. आर. जाटव : डॉ. अम्बेडकर का मानववादी चिंतन, समता साहित्य सदन, जयपुर (राजस्थान)-1993
9. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर- डॉ. अम्बेडकर ने कहा, संपादक-अनीता कुमारी, गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, संस्करण-2010
10. डॉ. सुकन पासवान प्रज्ञाचक्षु : केवल दलितों के मसीहा नहीं है अम्बेडकर, राजमहल प्रकाशन प्रा.लि. नई दिल्ली-2011

## बच्चों के विकास में लैंगिक असमानताओं के पारिवारिक कारकों की भूमिका का अध्ययन

• श्वेतम् कुमारी

सारांश- प्रस्तुत शोध का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास पर लैंगिक असमानताओं के पारिवारिक कारकों की भूमिका का अध्ययन करना था। इसके लिए समस्तीपुर जिला क्षेत्र से कुल 180 बच्चों एवं उसके अभिभावकों को उत्तरदाता के रूप में उद्देश्यात्मक चयन पद्धति के आधार पर चयनित किया गया। स्वयं शोधार्थी द्वारा विकसित अनुसूचियों (लैंगिक अवधारणा आधारित अनुसूची, पारिवारिक कारक अनुसूची एवं व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र) के माध्यम से संगत सूचनाएँ एकत्रित की गईं। संग्रहित सूचनाओं को विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर विश्लेषित करते हुए समसामयिक संदर्भ में परिणाम तैयार किया गया। प्राप्त परिणाम में पाया गया कि परिवार की शिक्षा संबंधी कारक से अभिभावकों में लैंगिक अवधारणा प्रभावित होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा लैंगिक अवधारणा अधिक पाई जाती है, अभिभावकों के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की आर्थिक स्थिति का अंशतः प्रभाव पड़ता है, एवं लैंगिक अवधारणा वाले अभिभावकों के बच्चों के विकास का स्तर लैंगिक अवधारणा नहीं रखने वाले अभिभावकों के बच्चों के विकास के स्तर की अपेक्षा निम्न होता है।

मुख्य शब्द - विकास, लैंगिक, असमानता, पारिवारिक, कारक, भूमिका, अध्ययन

परिचय- वर्तमान समय में हमारा भारतीय समाज 21वीं सदी के तकनीकी एवं वैश्विक युग में विकासशील है। हमारे समाज में नवीन तकनीकी एवं वैश्विक स्रोत के माध्यम में मानवीय संसाधनों का उपयोग हो रहा है। भारतीय समाज की इस विकासात्मक स्थिति के बावजूद हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादी विचारधारा प्रचलित है, जो अनेक प्रकार की समस्या को उत्पन्न करती है। लैंगिक असमानता भी विभिन्न रूढ़िवादी विचारधाराओं में एक मुख्य रूढ़िवादी अवधारणा है।

लैंगिक असमानता का अर्थ वैसी अवधारणा से होता है, जो लैंगिक कारक से संबंधित होता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव की मनोवृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा होती है कि, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का महत्त्व काफी अधिक है, क्योंकि एक तरफ जहाँ लड़कियाँ पैदा होती हैं, वहीं लड़कों को वृद्धावस्था का सहारा माना जाता है। यदि हम

अपने प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा पर ध्यान देते हैं, तो पाते हैं कि प्राचीन भारतीय कानून निर्माता मनु ने स्पष्ट किया है कि, औरत जीवनपर्यन्त परतंत्र ही रहती है। अर्थात् औरत बचपनावस्था में माता-पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन एवं वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होती है। अर्थात् वे कभी भी स्वतंत्र नहीं होती है।

लैंगिक असमानता के क्षेत्र में विशेषज्ञों की अवधारणा है कि, हमारा भारतीय समाज पितृ सत्तात्मक समाज है जहाँ समाज एवं परिवार का संचालन पुरुषों के नाम से होता है। इसके अलावे महिलाओं का स्थान द्वितीयक होता है, जो परिवार के कार्य-संबंधी जवाबदेही का निर्वहन करती है।

वर्तमान भारतीय समाज में अनेक कारकों की पहचान की गई है, जो लैंगिक अवधारणा को कायम रखने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करती है। जैसे-शैक्षिक कारक, पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ इत्यादि।

हमारे भारतीय समाज में अनेक प्रकार की प्रगति के बावजूद लैंगिक अवधारणा कायम है। विश्व आर्थिक फोरम, जेनेवा के एक सर्वेक्षण के अनुसार कुल 136 देशों में भारत का स्थान लैंगिक अवधारणा के मामले में 114वें स्थान पर है।

पारिवारिक कारक का अर्थ वैसे कारक से होता है, जो परिवार से संबंधित होता है। परिवार का प्रकार, परिवार की आवासीय स्थिति, परिवार के सदस्यों का शैक्षिक इतिहास, परिवार में सदस्यों की संख्या, लिंग आधारित मनोवृत्ति, परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, माता-पिता एवं अभिभावकों का आपसी एवं बच्चों के साथ संबंध, परिवार के अभिभावकों एवं सदस्यों की व्यवसायिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, इत्यादि कारक पारिवारिक कारक के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। विभिन्न शोधों का निष्कर्ष है कि पारिवारिक कारक लोगों में लैंगिक अवधारणा को प्रभावित करती है।

प्रस्तुत शोध को सही दिशा में सम्पादित करने के लिए शोधार्थी द्वारा कुछ पूर्व के अध्ययनों का अवलोकन भी किया गया है।

ओसमानी एवं सेन (2003) ने लैंगिक असमानता के अदृश्यात्मक प्रभाव का अध्ययन किया है और परिणाम में पाया है कि शिशुओं के पोषण-संबंधी स्थिति में लिंग आधारित अवधारणा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती है।

अरोरा (2012) ने लैंगिक असमानता, आर्थिक विकास और वैश्वीकरण आधारित शोध कार्य के आधार पर परामर्शित किया है कि, परिवार की आमदनी संबंधी कारक लैंगिक असमानता में न्यूनता लाती है। इसके अलावे उन्होंने कुछ राज्यों में आमदनी के बावजूद लैंगिक अवधारणा बहुत अधिक पाया है।

झा एवं नागर (2015) ने भारत में लैंगिक असमानता का अध्ययन किया है और परिणाम में पाया है कि लैंगिक असमानता भारतीय समाज में एक जटिल अवधारणा है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों जैसे-शिक्षा, रोजगार का अवसर, आमदनी, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा एवं आर्थिक मुद्दा इत्यादि को प्रभावित करती है।

खेरा (2016) ने भारत में लैंगिक असमानता एवं संप्रेषणात्मक कारक का अध्ययन किया है और पाया है कि, लैंगिक असमानता संप्रेषणात्मक माध्यम से अधिक

तेजी से भारतीय समाज में फैलती है।

सिन्हा इत्यादि (2017) ने लैंगिक अवधारणा और जीवन की अच्छाई का शोधात्मक अध्ययन किया है और परिणाम में पाया है कि, लैंगिक असमानता मानवीय स्वास्थ्य एवं अच्छाई को प्रभावित करती है। साथ ही, उन्होंने लड़कियों एवं महिलाओं में लैंगिक असमानता के प्रभाव को अधिक पाया है।

हर्बर्ट एवं बंसल (2020) ने युवा महिलाओं में लैंगिक असमानता आधारित अनुभव का अध्ययन किया है और पाया है कि, लैंगिक असमानता, व्यक्तियों के शिक्षा, आर्थिक सहभागिता, गरीबी, समानता का सामाजिक सूचक, लिंग आधारित हिंसा इत्यादि की अवधारणा को प्रभावित करती है। साथ ही, उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य पर लैंगिक असमानता के नकारात्मक प्रभाव को भी पाया है।

**शोध का उद्देश्य-** प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य बच्चों के विकास पर लैंगिक असमानता आधारित पारिवारिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करना था।

**परिकल्पनाएँ-** इस शोध में मानक स्तर एवं सूक्ष्म तरीके से शोध कार्य करने के लिए निम्नांकित परिकल्पनाएँ बनाई गईं-

1. उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की शिक्षा संबंधी कारक का सार्थक प्रभाव होगा।
2. उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर ग्रामीण-शहरी अधिवास संबंधी कारक का सार्थक प्रभाव होगा।
3. उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट प्रभाव होगा एवं
4. बच्चों के सर्वांगीण विकास पर लैंगिक अवधारणा का स्पष्ट प्रभाव होगा।

**प्रविधि-**

- **प्रतिदर्श-** प्रस्तुत शोध में समस्तीपुर जिला (शहरी एवं ग्रामीण दोनों) क्षेत्र से कुल 180 बच्चों एवं उसके अभिभावकों को उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया। बच्चों को उसके शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास की जानकारी एवं उसके अभिभावकों को लैंगिक अवधारणा आधारित जानकारी के निमित्त उत्तरदाता के रूप में चुना गया।
- **प्रतिदर्श चयन की विधि-** प्रस्तुत शोध में प्रतिदर्शों के चयन में उद्देश्यात्मक चयन पद्धति का अवलोकन किया गया।
- **अनुसूचियाँ-** अनुसूची-I (लैंगिक अवधारणा आधारित पारिवारिक कारक अनुसूची) उत्तरदाताओं के संबंध में लैंगिक अवधारणा के कारक की प्रभावशीलता जानने के उद्देश्य से स्वयं शोधार्थी द्वारा विकसित लैंगिक अवधारणा आधारित पारिवारिक कारक अनुसूची का प्रयोग किया गया।
- **अनुसूची-II (व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र अनुसूची)-** उत्तरदाताओं के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी के लिए स्वयं शोधार्थी द्वारा विकसित व्यक्तिगत सूचना-प्रपत्र का प्रयोग किया गया।
- **प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया-** उत्तरदाताओं से संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए

सबसे पहले शोधार्थी द्वारा नियोजित तरीके से कार्यक्रम बनाया गया। तत्पश्चात् अनुसूचियों के सेट के साथ अध्ययन क्षेत्र का भ्रमण किया गया और उत्तरदाताओं को उनसे मिलने का प्रयोजन बताते हुए उसके साथ आत्मीयता का संबंध बनाया गया। तदुपरान्त अल्प समूह बनाकर उत्तरदाताओं से संगत सूचनाएँ एकत्रित की गईं। उत्तरदाताओं को उनके आवश्यक सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया।

**प्रदत्तों का विश्लेषण-** संग्रहित किए गए प्रदत्तों का विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर परिणाम तैयार किया गया।

**परिणाम-**

**(1) उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की शिक्षा संबंधी कारक के प्रभाव का अध्ययन संबंधी परिणाम-** उत्तरदाताओं में लैंगिक अवधारणा पर परिवार की शिक्षा संबंधी कारक के प्रभाव का अध्ययन जानने के उद्देश्य से संग्रहित सूचनाओं के विश्लेषणोपरान्त जो परिणाम प्राप्त किया गया उसे निम्नांकित सारणी संख्या (i) में वर्णित किया गया है।

**सारणी संख्या 01**

**उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की शिक्षा संबंधी कारक का प्रभाव संबंधी परिणाम**

समूह	संख्या	लैंगिक असमानता के प्रति उत्तरदाताओं की अनुक्रियाएँ	
		हाँ	नहीं
शिक्षित उत्तरदाताएँ	90	23 (39.13%)	67 (60.87%)
अशिक्षित उत्तरदाताएँ	90	71 (78.88%)	19 (21.12%)

उपरोक्त सारणी में प्रस्तुत किए गए परिणाम के अवलोकन से स्पष्ट है कि, शिक्षित परिवार के कुल 90 उत्तरदाताओं में लैंगिक अवधारणा के प्रति 23 अर्थात् 39.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' में एवं 67 अर्थात् 60.87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'नहीं' में अनुक्रिया दी है, जबकि कुल 90 अशिक्षित परिवार में से 71 अर्थात् 78.88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' में एवं मात्र 19 (21.12%) उत्तरदाताओं ने 'नहीं' में अनुक्रिया दी है। इस तरह के परिणाम के आधार पर कहा जा सकता है कि, परिवार में शिक्षा संबंधी कारक से लैंगिक अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रभावित होती है। अतः इस संदर्भ में पूर्व में बनाई गई परिकल्पना संख्या (1) कि "उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की शिक्षा संबंधी कारक का सार्थक प्रभाव होगा" प्रमाणित होती है।

**(2) उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर ग्रामीण-शहरी अधिवास संबंधी प्रभाव का अध्ययन संबंधी परिणाम-** उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर ग्रामीण-शहरी अधिवास संबंधी कारक के प्रभाव संबंधी अध्ययन के आधार पर जो भी परिणाम प्राप्त किया गया उसे निम्नांकित सारणी संख्या 02 में प्रदर्शित किया गया है।

**सारणी संख्या- 02**  
**उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की ग्रामीण-शहरी**  
**अधिवास संबंधी कारक के प्रभाव का अध्ययन संबंधी परिणाम**

समूह	संख्या	लैंगिक असमानता के प्रति उत्तरदाताओं की अनुक्रियाएँ	
		हाँ	नहीं
ग्रामीण उत्तरदाताएँ	90	69 (76.66%)	21 (23.34%)
शहरी उत्तरदाताएँ	90	32 (35.55%)	58 (64.45%)

उपरोक्त सारणी के प्रस्तुत किए गए परिणाम के अवलोकन से स्पष्ट है कि, कुल 90 ग्रामीण उत्तरदाताओं में जहाँ 69 अर्थात् 76.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लैंगिक अवधारणा के प्रति अपनी अनुक्रिया 'हाँ' के रूप में दी है, वहीं कुल 90 शहरी उत्तरदाताओं में मात्र 32 अर्थात् 35.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' में अपनी अनुक्रिया दी है। इसी तरह, कुल 90 ग्रामीण उत्तरदाताओं का 21 अर्थात् 23.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं एवं कुल 90 शहरी उत्तरदाताओं का 58 अर्थात् 64.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'नहीं' में अपनी अनुक्रिया दी है। इस तरह के परिणाम के संबंध में कहा जा सकता है कि, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा व्यक्तियों में लैंगिक अवधारणा व्याप्त है, जिसका प्रभाव बच्चों के विकास के स्तर पर पड़ता है। अतः इस परिपेक्ष्य में पूर्व में बनाई गई परिकल्पना संख्या 02 कि "उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर ग्रामीण-शहरी आवास संबंधी कारक का प्रभाव होगा" प्रमाणित होती है।

**(3) उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की आर्थिक स्थिति संबंधी कारक के प्रभाव संबंधी अध्ययन का परिणाम-** उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की आर्थिक स्थिति संबंधी कारक के प्रभाव संबंधी अध्ययन के आधार पर तैयार किए गए परिणाम को निम्नांकित सारणी संख्या 03 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी संख्या- 03**  
**उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की**  
**आर्थिक स्थिति से संबंधी कारक के प्रभाव का अध्ययन संबंधी परिणाम**

समूह	संख्या	लैंगिक असमानता के प्रति उत्तरदाताओं की अनुक्रियाएँ	
		हाँ	नहीं
उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवार की उत्तरदाताएँ	80	19 (23.75%)	61 (76.25%)
निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार की उत्तरदाताएँ	100	27 (27%)	73 (73%)

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 80 उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवार की उत्तरदाताओं में जहाँ 19 अर्थात् 23.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लैंगिक अवधारणा के प्रति अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक रूप से प्रकट किया है, वहीं कुल 100 निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में कुल 27 अर्थात् 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी मनोवृत्ति को लैंगिक अवधारणा के प्रति अपनी सकारात्मक मनोवृत्ति को प्रकट

किया है। इस परिणाम के आधार पर कहा जा सकता है कि, दोनों कोटि (उच्च आर्थिक-स्थिति एवं निम्न आर्थिक स्थिति) वाले परिवार के उत्तरदाताओं में कोई विशेष अंतर नहीं मान सकते हैं, जिससे लैंगिक अवधारणा में परिवार की आर्थिक स्थिति संबंधी कारक को महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि, यह परिणाम पूर्व में बनाई गई परिकल्पना संख्या 03 कि, “उत्तरदाताओं के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की आर्थिक स्थिति संबंधी कारक का प्रभाव होगा” अंशतः प्रमाणित होती है।

**(4) बच्चों के विकास पर माता-पिता के लैंगिक अवधारणा संबंधी कारक के प्रभाव का अध्ययन-** शोध कार्य के क्रम में बच्चों के विकास (शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक) पर माता-पिता की लैंगिक अवधारणा संबंधी कारक के प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में जो भी परिणाम प्राप्त किया गया उसे निम्नांकित सारणी संख्या-04 में प्रस्तुत किया गया है।

#### सारणी संख्या 04

#### बच्चों के विकास (शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक) पर माता-पिता के लैंगिक अवधारणा का अध्ययन संबंधी

समूह	संख्या	बच्चों के विकास का स्तर	
		उच्च	निम्न
लैंगिक अवधारणा रखनेवाले उत्तरदाताएँ	95	28 (29.47%)	67 (70.53%)
लैंगिक अवधारणा नहीं रखनेवाले उत्तरदाताएँ	85	63 (74.12%)	22 (25.88%)

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, बच्चों के सर्वांगीण विकास के स्तर पर माता-पिता के लैंगिक अवधारणा का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सारणी में प्रदर्शित परिणाम के अवलोकन से स्पष्ट है कि, लैंगिक अवधारणा रखनेवाले कुल 95 उत्तरदाताओं में जहाँ 28 अर्थात् 29.47 प्रतिशत बच्चों के विकास का स्तर उच्च एवं 67 अर्थात् 70.53 प्रतिशत बच्चों के विकास का स्तर निम्न पाया गया, वहीं लैंगिक अवधारणा नहीं रखनेवाले कुल 85 उत्तरदाताओं में मात्र 22 अर्थात् 25.88 प्रतिशत बच्चों के विकास का स्तर निम्न पाया गया। इस तरह के परिणाम के सम्बन्ध में कह सकते हैं कि, बच्चों में विकास का स्तर उसके माता-पिता में लैंगिक अवधारणा सम्बन्धी मनोवृत्ति से प्रभावित होता है। अतः यह परिणाम पूर्व में बनाई गई परिकल्पना संख्या-04 कि, “बच्चों के सर्वांगीण विकास का स्तर उसके माता-पिता के लैंगिक अवधारणा संबंधी कारक से प्रभावित होगा” सिद्ध होती है।

**निष्कर्ष-** प्रस्तुत शोध में प्राप्त परिणामों के आधार पर स्पष्ट है कि,

- परिवार की शिक्षा संबंधी कारक से अभिभावकों में लैंगिक अवधारणा प्रभावित होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा लैंगिक अवधारणा अधिक पाई जाती है।
- अभिभावकों के लैंगिक अवधारणा पर परिवार की आर्थिक स्थिति का

अंशतः प्रभाव पड़ता है, एवं

- लैंगिक अवधारणा वाले अभिभावकों के बच्चों के विकास का स्तर लैंगिक अवधारणा नहीं रखनेवाले अभिभावकों के बच्चों के विकास के स्तर की अपेक्षा निम्न होती है।

**परामर्शन-** प्रस्तुत शोध में परामर्शन के रूप में कहा जा सकता है कि, लैंगिक अवधारणा हमारे समाज में एक नकारात्मक अवधारणा है, जिससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास अवरूद्ध होने लगता है। अतः अभिभावक वर्ग में बच्चों के विकास के प्रति लैंगिक अवधारणा में तटस्थता लाकर ही बच्चों के सम्पूर्ण विकास को संभव बनाया जा सकता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. अरोरा, आर., यू., 2012, लैंगिक असमानता, आर्थिक विकास और वैश्वीकरण : भारत में राज्यस्तरीय विश्लेषणात्मक अध्ययन, विकासशील क्षेत्र आधारित शोध पत्रिका, वॉल्यूम-46(1)
2. ओसमानी, एस. एवं सेन, ए., 2003, लैंगिक असमानता के अदृश्यात्मक प्रभाव का अध्ययन, बालकों के स्वास्थ्य आधारित पत्रिका, आर्थिक एवं मानवीय जीव विज्ञान, 1(1), 105-121
3. खेरा, पी. (2016) भारत में लैंगिक असमानता और संप्रेषणात्मक कारक के प्रभाव का अध्ययन, आई.एम.एफ. कार्यात्मक शोध पत्र
4. झा, प्रीति एवं नागर, नीति (2015): भारत में लैंगिक असमानता का अध्ययन, भारतीय मनोविज्ञान आधारित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, वॉल्यूम-2(3)
5. विश्व स्वास्थ्य संगठन (2013) : असंचारित रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु वैश्विक कार्यात्मक योजना।
6. सिन्हा, ए.एम. राय, आर.जी., बर्कमैन, बी. एवं सदरलैण्ड, एम. (2017) : बच्चों के पोषण पर लैंगिक असमानता के प्रभाव का परीक्षण, बाल एवं युवा आधारित पत्रिका, 76, 203-212
7. हर्बर्ट, एल. ई. एवं बंसल, सु. (2020) : लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में महिलाओं के लैंगिक असमानता आधारित अनुभव की समाज का अध्ययन, किशोर एवं युवा आधारित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका, वॉल्यूम-25(1)

## बच्चों में उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

• ज्योति बाला चौबे  
•• रूपम अजीत यादव

सारांश- बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं एवं मानवाधिकार युक्त व्यक्ति हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक विस्तृत कार्ययोजना विकसित की गई है जिसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, उनका संरक्षण और उनकी शिक्षा व पोषण पर पर्याप्त ध्यान देना है ताकि उन्हें विकास के अधिकतम अवसर प्राप्त हो सकें यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड द्वारा 1989 में बाल अधिकारों के विभिन्न अधिकार क्षेत्र बताये गये हैं जिनमें उनके अस्तित्व की रक्षा, अभिभावकों से स्नेह की प्राप्ति का अधिकार, शिक्षा, स्वतंत्रता एवं पीड़ा व प्रताड़ना से मुक्ति का अधिकार प्रमुख है। बाल संरक्षण एवं विकास के लिये बनाये गये बाल अधिकारों की सार्थकता तभी होगी जब देश के सभी बच्चों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता होगी यही इस शोध का उद्देश्य है।

मुख्य शब्द - यू.एन.आर.सी., आई.सी.पी.एस., डी.डब्ल्यू.सी.डी.

बच्चे ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अनमोल उपहार हैं एवं राष्ट्र की धरोहर भी। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाल्यावस्था जैसी नाजुक एवं संवेदनशील आयु में उन्हें उपेक्षा, प्रताड़ना एवं पीड़ा का शिकार होना पड़ता है जबकि उन्हें पर्याप्त देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इन स्थितियों से निपटने के लिये एवं उबरने के लिये औसोलो 2008 के अनुसार बच्चों में उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता अवश्य होनी चाहिये।

प्रस्तुत शोध आलेख में सर्वप्रथम यह समझना होगा कि बच्चे किन्हें कहते हैं ? बाल-अधिकार क्या हैं ? इसके पश्चात् विदेशों में इस हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ? भारत में कानूनी व्यवस्थायें क्या कहती हैं ? केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा बाल-अधिकार संरक्षण हेतु किस प्रकार के कार्यक्रम या प्रावधान रखे गये हैं तत्पश्चात् बच्चों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने हेतु उपयोग में लायी गई विधि तथा बच्चों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का अलग-अलग विश्लेषण एवं परिणामों सहित सझावों पर चर्चा करेंगे।

- सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान मानव विकास, महिला महाविद्यालय से. 9 भिलाई  
•• सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान आधार व पोषण महिला महाविद्यालय से.9, भिलाई

अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार बच्चे से आशय उस व्यक्ति से है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। यह विश्व स्तर की परिभाषा है, जिसे बाल-अधिकार, पर संयुक्त राष्ट्र संघ संयोजन (UNRC – United nations children's right convention) द्वारा स्वीकार्य किया गया है। भारत में हमेशा से 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिये अलग से कानूनी व्यवस्थाएँ की हैं, इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है एवं ये सुविधायें वे राज्य से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस आयु में उन्हें समर्थन, सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के द्वारा 1989 में United nation's convention on the right the child, बाल-अधिकार क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी दी गई है जो इस प्रकार है-

1. बच्चों को अपना अस्तित्व बनाये रखने का अधिकार।
2. स्वस्थ रहने का अधिकार।
3. शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
5. अभिभावकों से स्नेह एवं सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार।
6. प्रताड़ना, पीड़ा व शोषण से मुक्ति का अधिकार।
7. सहभागिता का अधिकार।
8. विकास का अधिकार।

यूनीसेफ ऑस्ट्रेलिया एवं यूनीसेफ नीदरलैंड द्वारा बच्चों के अधिकारों का अनुवाद करके एवं उन्हें अद्यतीकृत करते हुए 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिये वर्क बुक बनाई गई है, इसमें टीचर की गाइड लाइन्स के साथ साथ यह बताया गया है कि प्रतिदिन के जीवन में बच्चे इन अधिकारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यूनीसेफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक अन्य कार्ड गेम बाल-अधिकारों की जागरूकता हेतु बनाया गया है, यूनीसेफ पुर्तगाल द्वारा भी एक कार्ड गेम बनाया गया है। ये कार्डगेम्स स्कूलों में बच्चों के लिये उपलब्ध हैं।

हमारे देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिये जो कानून बनाये गये हैं उनमें बाल-विवाह निषेध अधिनियम 1929, बाल श्रम निरोधन व नियमन अधिनियम 1986, किशोर न्याय देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2000, अनैतिक तस्करी अधिनियम, प्रसव पूर्व जांच नियंत्रण व दुरुपयोग निरोधक अधिनियम 1994 आदि हैं। उपरोक्त सभी कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के अधिकार सही तरीके से सुरक्षित रहें।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 में पहली बार एक नये कार्यक्रम आई.सी.पी.एस. (I.C.P.S. Integrated child protection scheme) या समन्वित बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई थी जो कि कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा की सुनिश्चितता हेतु बनाई गई थी ताकि उन्हें शोषण, दासता, उपेक्षा व दुर्व्यवहार से बचाया जा सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of human resource development MHRD) के महिला एवं बाल विकास (DWCD-Department of woman and child development) द्वारा गलियों में घूमने वाले बच्चों के लिये, बंधुआ श्रम से बच्चों को मुक्त कराने एवं बच्चों पर यौन आक्रमण से

संरक्षण हेतु सरकार एवं समाज के बीच सहयोग एवं समन्वय पर आधारित केन्द्र की योजना है। सामयिक तौर पर सन् 2005 में महिला एवं बाल विकास द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना (National action plan for children 2005) विकसित की गई है जो कि बच्चों को राष्ट्र की संपत्ति एवं मानवाधिकार युक्त व्यक्ति मानती है और इसीलिये उनके संरक्षण के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण एवं विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

इस शोध कार्य में मेरे द्वारा 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चे लिये गये हैं। कुल 90 बच्चों पर जिनमें लड़के, लड़किया जो स्कूलों में अध्ययनरत हैं एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं उन्हें सम्मिलित किया गया है। बाल-अधिकारों संबंधी जागरूकता का अध्ययन करने हेतु संरचित प्रश्नावली का निर्माण किया गया जिसमें प्रतिबंधित एवं स्वतंत्र प्रश्न दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को रखा गया था। बच्चों के द्वारा बाल-अधिकारों की जागरूकता के अंतर्गत उनके शिक्षा संबंधी अधिकारों, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों, निर्णय लेने के अधिकारों, सुरक्षा के अधिकारों एवं गुड टच तथा बैड टच संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(A) के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है अर्थात् इस आयु के बच्चों को बगैर फीस दिये शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है प्रस्तुत अध्ययन में केवल 30 प्रतिशत बच्चों में ही शिक्षा के इस अधिकार के प्रति जागरूकता पायी गई। बच्चे संक्रमणों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं जब तक उनके जीवन को इन जोखिमों से बचाया नहीं जायेगा ना तो वे एक स्वस्थ वयस्क बन पायेंगे और न समाज के लिये एक प्रगतिशील नागरिक।


सरकारी प्रयासों द्वारा स्वच्छ पेयजल, टीकाकरण, स्कूलों में मध्याह्न भोजन, आदि की व्यवस्थाओं का लाभ निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को मिल रहा है। अध्ययन द्वारा प्राप्त परिणाम में 80 प्रतिशत बच्चों में अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिकार संबंधी जागरूकता पायी गई। हमारे परिवारों में बच्चों के बारे में निर्णय अधिकांशतः बड़े ही लेते हैं। विदेशों की तरह बच्चों को हम इतनी स्वतंत्रता ही नहीं देते कि वे कोई निर्णय ले सकें चाहे वो छोटा निर्णय ही क्यों ना हो। वयस्क होने के बावजूद स्वनिर्णय लेने में आत्मविश्वास की कमी इसका ही परिणाम है। अध्ययन में 70: बच्चों ने बताया कि उन्हें छोटे छोटे निर्णय लेने के अधिकार हैं। सुरक्षित शैशव, बाल्य एवं किशोरावस्था प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, इसीलिये पक्षपात, अन्याय, शोषण के खिलाफ उन्हें अपने माता-पिता, शिक्षक एवं पुलिस से शिकायत करने का एवं स्वयं की सुरक्षा का अधिकार है। इस अध्ययन में 75: बच्चों में, सुरक्षा के इस अधिकार के प्रति जागरूकता पाई गई।

यदि बच्चे स्वयं जागरूकता नहीं रहेंगे तो उनमें सही स्पर्श एवं गलत स्पर्श के (गुड टच एवं बैड टच) के प्रति समझ नहीं रहेगी एवं इसकी सूचना वे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों को नहीं दे पायेंगे अध्ययन में 96 बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के प्रति जानकारी पायी गई। प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं की रक्षा के लिये प्रत्येक बच्चे को चाइल्ड हेल्प लाइन नं. 1098 की जानकारी होनी चाहिये। उपरोक्त विश्लेषण से प्राप्त परिणाम ये संकेत देते हैं कि भले ही बच्चे ये कहते हैं कि वे अपने अधिकारों के प्रति

जागरूक हैं किंतु अध्ययन द्वारा प्राप्त विश्लेषण में बच्चों में अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी पाई गई है। इसलिये सकारात्मक चर्चा करना नितांत आवश्यक होगा। जहां तक आर टी ई (राइट टू एजुकेशन) संबंधी जागरूकता की बात करें तो जब तक बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में नहीं बताया जायेगा, शिक्षा केवल पहुँच आधारित शिक्षा ही रही आयेगी इसलिये प्रोत्साहन आधारित शिक्षा की आवश्यकता है जो बच्चों के अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रेरित करे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अपनी सेवायें दे चुकी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विनीता डी मॉंटी का कहना है कि 9 वर्ष की आयु से ही बच्चों को छोटे-छोटे निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी चाहिये। बाल मनोविज्ञानियों की राय भी यह कहती है कि 8-9 वर्ष की आयु के बच्चों को छोटे-छोटे उत्तरदायित्व देकर उन पर भरोसा करना चाहिये ताकि वे स्वनिर्णय आत्म वि'वास के साथ ले सकें। अधिकारों के प्रति जागरूकता का परिचय देने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाना चाहिये, शालेय स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर ताकि अन्य बच्चे भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें। बच्चों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतिशत कम हो या अधिक बेशक उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर एवं उस परिवेश पर निर्भर करता है जिसमें वे रहते हैं किंतु फिर भी सही या गलत की पहचान के लिये, उचित अनुचित में फर्क समझने के लिये उनमें स्व-अधिकारों के प्रति जागरूकता लानी ही होगी और इसके लिये अभिभावकों, शिक्षकों एवं कानून के रक्षकों को एक दूसरे के साथ सहयोग व समन्वय रखना होगा।

अंत में इस अध्ययन के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण के अंतर्गत बनाये गये अधिनियम, कार्यक्रम एवं प्रावधानों की सार्थकता को प्रभावी हम तब तक नहीं बना सकते जब तक देश का प्रत्येक बच्चा स्व-अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा।



### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- [http : www.layersclubindia.com](http://www.layersclubindia.com)
- [http // www.unicef.org](http://www.unicef.org)> child right
- [http :// www.livehindustantime.com](http://www.livehindustantime.com)
- [punjabkesri.in.com](http://punjabkesri.in.com)
- [upsciaspcs.in](http://upsciaspcs.in)
- [humanium.org](http://humanium.org)
- [yagran.com](http://yagran.com)
- [vikas.pedia.](http://vikas.pedia)
- [momsfunction.com](http://momsfunction.com)
- [hindinews18.com](http://hindinews18.com)

## भारत में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक परिवर्तन की स्थिति का अध्ययन

• पाकीजा खातून

सारांश- प्रस्तुत शोध में भारतीय मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक जीवन में परिवर्तन का अध्ययन किया गया है। मुस्लिम महिलाओं ने पढना लिखना प्रारंभ कर दिया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं, वैसे शिक्षा की गति अभी बहुत धीमी है, कुछ महिलाएँ शिक्षित हो कर सरकारी गैर सरकारी, व्यवसाय, संबैधानिक निकाय, राजनीतिक क्षेत्र, साहित्य, कला, खेल, चिकित्सा, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बना रही हैं। वस्तुतः भारत में मुस्लिम महिलाओं को राष्ट्र के विकास में मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। वर्तमान समय में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और वे अपने विकास के पथ पर अग्रसर हो रही हैं।

मुख्य शब्द - जागरूकता, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन।

भारत के साथ-साथ दुनिया के लगभग सभी देशों में देखें तो मानव समाज पुरुष प्रधान है। सामाजिक निर्णय हो या घर- परिवार के बारे में निर्णय लेना हो तो पुरुष सक्रिय हो कर करता है, महिलाओं को निष्क्रिय समझ कर या घर में रहने वाली चीज समझ कर उनसे किसी भी निर्णय के बारे में बात नहीं की जाती है। मुस्लिम समाज की बात करें तो भारत में भी यही स्थिति देखने को मिलती है उन्हें घर की चार दीवारी में ही पुरुष रखना चाहता है। मुस्लिम समाज में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि मूलभूत अधिकारों से बंचित किया जाता रहा है। पुरुष महिलाओं को केवल वासनापूर्ति का एक साधन मात्र समझता है। कुरान के एक हदीस में वर्णन है, “शोहर अपने घरवालों की देखरेख करने वाला है और उसकी बीबी अपने शौहर के घर और उसकी संतानों की उनमें से एक से उन लोगों के बारे में पूछताछ होगी जो उसकी देखरेख में दिये हैं।” यदि इस्लाम के अनुसार देखे तो महिला एवं पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। समाज में दोनों महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किन्तु दोनों के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखे जो मुस्लिम समाज की महिलाओं को उनके सामाजिक विकास के लिए समाज बाधक है। आधुनिक युग की बात करें तो भारत जैसे विकासशील देश में मुस्लिम समाज की महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ हम मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक परिवर्तन एवं उनकी आर्थिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे-

**सामाजिक परिवर्तन-** प्राचीनकाल से ही हमारे देश में महिलाओं को दोगुना दर्जा का समझा जाता रहा है। इस्लाम में पहले से ही महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय रही है। मुस्लिम सामाजिक बंधनों या नियमों की वजह से महिलाओं को आगे आने से रोका गया। पर्दा प्रथा, अशिक्षा, कम उम्र में विवाह, गरीबी, रूढ़िगत धारणाएँ, अंधविश्वास आदि कारणों से महिलाओं का विकास नहीं हो पाया है। 2006 में राजेन्द्र सच्चर समिति की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौपी गई थी, इस समिति के प्रतिवेदन में कहा गया कि विकास मानकों की दृष्टि से देश में मुस्लिम समुदाय अन्य समुदाय की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर है, इसका मुख्य कारण उनकी अशिक्षा है। मुस्लिम परिवारों में स्त्री शिक्षा एवं उनके विकास के प्रति चेतना नहीं है। अधिकांश घर की लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा तक पढ़ाने को लेकर ही सचेत है। वे उनको उच्च शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र एवं राजनीति के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। मुस्लिम पुरुष अधिकांशतः इस्लाम की दुहाई देकर अपने घर की महिलाओं को दबाते हैं।

आधुनिक युग में जब सभी जगह और सभी समाजों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसका प्रभाव मुस्लिम समाज में भी देखने को मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में जागरूकता आ रही है, वे तेजी से शिक्षित हो रही हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी वे आगे आ रही हैं, साथ ही सरकारी, गैर सरकारी, संवैधानिक, निकाय, राजनीति, आदि क्षेत्रों में भी कार्य कर रही हैं।

अतः मुस्लिम महिलाओं में पारिवारिक, कौमी, सामाजिक संस्थागत परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं ने पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दिया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएँ आगे आ रही हैं। वस्तुतः आज के विकासशील समाज में मुस्लिम स्त्रियाँ साहित्य, राजनीतिक, कविता कला, चिकित्सा शिक्षा, विज्ञान कंप्यूटर आदि सभी क्षेत्रों में अपना स्थान बना रही हैं। दूसरी ओर कुछ कट्टरपंथी मौलवियों ने स्त्री के लिए धार्मिक शिक्षा को ही उचित ठहराया है। क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को नीचे नहीं देख सकते इसलिए उसने अपना दबदबा स्त्रियों पर रखने के लिए धर्म का सहारा लिया है। इन बातों का विरोध करते हुए जोया हसन लिखती हैं कि, “मुस्लिम समाज में धर्म का सहारा लेकर महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को छीना जाता है। मुस्लिम औरत का हिन्दुस्तान में आगे न बढ़ने का तथा शिक्षा प्राप्त न करने का मूल कारण गरीबी है, उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक स्थिति का निम्न होना है। धर्म और पर्दा उतना बड़ा कारण नहीं। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को नजर अंदाज कर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को ठीक के नहीं समझा जा सकता।”

मुस्लिम महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए शाहिबा लतीफ अपनी पुस्तक मुस्लिम वीमेन इन इण्डिया पोलिटिक्स एंड रियलिटी में 20वीं शताब्दी के आये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की भूमिका के रूप में देखती हैं। पर्दा और महिलाओं को घर की चार दीवारी में बंद रखने का रिवाज दक्षिण की तुलना में उतर भारत में अधिक था। इसी प्रकार बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा इस वर्गों एवं क्षेत्रों में अधिक प्रचलित थी। लेकिन कुछ भूमिकायें पूरे समाज में केवल स्त्रियाँ ही निभाती थी, एक परिभाषित रोल मॉडल जिस पर हर स्त्री को खरा उतरना होता था। हालांकि

सैद्धान्तिक रूप से उन्हें सम्पत्ति, तलाक, पुनर्विवाह, तलाक के समय मेहर का अधिकार था, परन्तु व्यवहार में इन नियमों को लागू नहीं किया था, फिर भी तो जहाँ तक मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है सैद्धान्तिक रूप से उन्हें ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो स्वतंत्रता के पहले तक हिन्दू स्त्रियों को भी प्राप्त नहीं थे। विवाह के लिए लड़की की स्वतंत्र सहमति, मेहर की राशि का निर्धारण, तथा मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले संपत्ति का अधिकार आदि, इस दिशा को स्पष्ट करते हैं।

आज के समय की बात करें तो मुस्लिम महिलाएँ जागरूक हो रही हैं तथा जागरूकता के कारण वे अपने अधिकारों को समझ रही हैं। परिणाम स्वरूप अपने अधिकारों की मांग भी करने लगी हैं, उन्होंने शिक्षा के महत्व को भी समझना शुरू कर दिया है। शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। शिक्षा ग्रहणता एवं जागरूकता के परिणाम स्वरूप मुस्लिम परिवारों में पर्दा प्रथा धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। क्योंकि लड़कियाँ पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर कार्य कर रही हैं। वे घर से बाहर जाने लगी हैं, जिसने पर्दा-प्रथा को कम कर दिया है। अतः जैसे-जैसे भारत में मुस्लिम महिलाएँ विकासगत होगी एवं शिक्षित होकर कामकाजी बनेगी वैसे-वैसे पर्दा प्रथा स्वतः समाप्त हो जायेगी। यहाँ तक कि यह परिवार की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक भी है।

मुस्लिम समाज में लिंग भेद का अध्ययन करने वाली एक अध्येता का मानना है कि मुस्लिम महिलाएँ घरों में लगी बंदिशों को लांघ रही हैं। फलस्वरूप सार्वजनिक अवसरों पर भी समान अधिकारों की मांग कर रही हैं। हाँ यह बात जरूर है कि महिलाओं को अपने अधिकारों को पाने के लिए कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना एवं विरोध झेलना पड़ रहा जो समाज में उनके लिए प्रतिबंध है।

जैसे-जैसे मुस्लिम महिलाएँ शिक्षित एवं जागरूक हो रही हैं वैसे वैसे महिलाओं में अपने अधिकारों को पाने की चाह बढ़ रही है। वे अपने अधिकारों को जान रही हैं कि उन्हें कौन कौन-से अधिकार प्राप्त हैं और उसे कैसे पाया जा सकता है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो उन्हें शिक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विवाह का अधिकार, मेहर का अधिकार, तलाक का अधिकार, समाज सेवा का अधिकार, राजनीति में आने का अधिकार, समाज एवं प्रतिष्ठा का अधिकार आदि मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएँ भी पुरुषों के समानान्तर वैधानिक तौर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि समस्त क्षेत्रों में उनके परिवार, समाज एवं राष्ट्र की पृष्ठभूमि में अपने अधिकारों के अनुरूप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हैं। इस कसौटी पर मुस्लिम महिलाएँ शत-प्रतिशत भले ही न हो फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन अवश्य आया है।

यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत की मुस्लिम महिला पूर्वकालीन मुस्लिम महिलाओं से काफी अलग दिखाई देती हैं। मुस्लिम महिलाएँ जान गई हैं कि उनके पास भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं स्वावलंबी बनने के अवसर हैं। वे पुरुषों से कंधे से कंधा मिला कर भारत की आर्थिक गतिविधियों में एवं घर परिवार समाज आदि सभी क्षेत्रों

में अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर सकती है और कर भी रही है। दूसरे शब्दों में कहे तो शिक्षा, स्वास्थ्य उद्यमिता, सरकारी एवं निजी नौकरी सामाजिक सरोकारों आदि सभी जगह महिलाएँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भारत देश में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में प्रगतिशील है। किन्तु अभी मुस्लिम महिलाएँ लक्ष्य से दूर हैं, इन्हें मीलों चलना है। अवसर एवं कानून तो बहुत हैं किन्तु वास्तविक धरातल पर उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, या तो वे जागरूक नहीं हैं या उन्हें जागरूक नहीं बनाया जा रहा है। अतः मुस्लिम समाज में महिलाओं के जीवन स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया रूढ़िवादी बनी हुई है। जिसके कारण मुस्लिम समाज की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की गति बहुत धीमी है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित किया जाय एवं उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाय, पुरुष की मानसिकता में बदलाव हो वे स्त्रियों को आगे आने में मददगार हो। सामाजिक और धार्मिक कट्टरता में परिवर्तन हो, तभी वास्तविक रूप से सभी मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार संभव होगा।

### **संदर्भ ग्रन्थ सूची-**

1. हदीस-सहीह मुस्लिम
2. जोया हसन- हंस, भारतीय मुसलमान अगस्त 2013
3. शाहिदा लतिक- मुस्लिम वुमैन इन इण्डिया पॉलिटिकल एण्ड प्रायवेट रियलिटी नई दिल्ली
4. शोधार्थी के निजी अनुभव से
5. एम.ए. सिद्दीकी- वुमैन इन इस्लाम अदय पब्लिकेशन दिल्ली 1982
6. डॉ गोया जोनी- भारत में स्त्री असमानता : एक विमर्श, हिन्दी माध्यय कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली वि.वि. दिल्ली- 110007

## घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न: आगरा नगर के विशेष सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

• राजकुमारी  
•• राजेश अग्रवाल

सारांश- इस शोध पत्र के द्वारा आगरा नगर के विशेष संदर्भ में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न विषय पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा विस्तृत शोध सर्वेक्षण हेतु आगरा नगर की 100 महिलाओं को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया है। प्रदत्तों के संकलन हेतु शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों के संकलन, सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या के उपरांत निष्कर्ष स्वरूप यह तथ्योद्घाटन होता है, कि शोध क्षेत्र आगरा नगर की अधिकांश महिलाओं का यह मानना है, कि उन्हें घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून एवं अधिकारों की जानकारी न के बराबर है या जानकारी है जी नहीं, जिसके कारण उनका उत्पीड़न होता है, और वह उसका विरोध भी नहीं कर पाती है। आगरा नगर में आज भी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। समाज में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकने के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही होगा।

मुख्य शब्द - घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, प्रताड़ना, शोषण

1. प्रस्तावना- घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न एक या कुछ महिलाओं का उत्पीड़न नहीं है, अपितु यह सदियों से पीड़ित, शोषित और अपमानित उस वर्ग से सम्बन्धित है, जिसे सामाजिक व्यवस्था में अनिवार्य होने के बावजूद भी लैंगिक आधार पर दोयम दर्जे का माना जाता है। यही नहीं निरंतर नियोग्यताओं, प्रताड़ना और शोषण को सहन करते रहने के कारण वे सभी स्थितियाँ महिलाओं के प्रति समाज सम्मत व वैध ठहराई गयी हैं। परिणामस्वरूप अनेक स्थितियाँ, व्यवहार और क्रियाएँ जो कि उत्पीड़न को परिभाषित कर सकती थीं महिलाओं के संदर्भ में वे व्यावहारिक, नैतिक अथवा प्राकृतिक मान ली गयी हैं। सवाल यह उठता है, कि हिंसा के कौन-कौन से प्रकार हैं, जो एक महिला के मन

- 
- शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, के.आर. (पी.जी.) कॉलेज, मथुरा, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
  - एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, के.आर. (पी.जी.) कॉलेज, मथुरा डॉ. भीमराव विश्वविद्यालय, आगरा

और अन्तर्मन को आहत करते हैं। भारत में घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विगत कुछ वर्षों में घरेलू हिंसा एवं महिलाओं की खिलाफ अपराधों की संख्या में 12 प्रतिशत से भी अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसमें, अपहरण, दहेज हत्या, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे अपराध शामिल हैं।

विभिन्न समाज सुधारकों एवं विचारकों ने यह स्पष्ट किया है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न के पीछे आर्थिक कारणों का उतना ही अधिक योगदान है, जितना कि सामाजिक एवं पारस्परिक कारणों का। महिलाओं पर सदियों से हो रहे अत्याचारों के मूल में एवं महिलाओं को बंधक बनाने वाले कारणों में से सबसे प्रमुख कारण उनकी आर्थिक पराधीनता ही रही है। उन्हें सदियों से घर की चाहरदीवारी के अन्दर शिक्षा, विचार, व्यवहार, भ्रमण और रूढ़ियों से काटकर पारिवारिकजनों के सेवार्थ बंदी बनाकर रखा गया है, परिणामस्वरूप वह पूरी तरह से पुरुषों पर आश्रित हो गयी है।

घरेलू हिंसा रोकने के लिए घर में रहने वाली महिलाओं एवं पुरुषों की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। जिसकी शुरुआत शिक्षा एवं जनचेतना के माध्यम से ही की जा सकती है अर्थात् घरों में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक संगठन, बौद्धिक वर्ग, पुलिस, प्रशासन एवं न्यायपालिका आदि सभी को सामने आना होगा तथा सभी को कन्धे से कन्धा मिलाकर प्रयास करना होगा, तभी घर की चाहरदीवारी के अंदर घटित हिंसा एवं महिला उत्पीड़न पर काबू पाया जा सकता है।

देश में पिछले ढाई दशक से महिला आंदोलनों ने इसी दिशा में छुटपुट प्रयास किये गये हैं। जिसके कारण महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक महौल बना है। इन्हीं महिला आन्दोलनों का परिणाम है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कई कानूनों में सकारात्मक बदलाव हुआ है, कई संस्थाएँ बनीं और कुछ पुरानी नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

घरेलू हिंसा को लेकर भारतीय दण्ड संहिता में 498ए एवं 304बी जैसी महत्वपूर्ण धाराएँ जुड़ी दहेज निषेध अधिनियम में परिवर्तन आए, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए मजबूत दीवानी कानून भी विचाराधीन है। नई संस्थाएँ जैसे - परिवार परामर्श केन्द्र, महिला थाने, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, जिला स्तर पर महिला सहायता समितियाँ, अल्पावास गृह एवं परिवार परामर्श केन्द्र भी अस्तित्व में आये हैं। कुछ नीतियाँ भी बनी हैं, जैसे - महिला नीति, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान आदि, जिससे महिला सशक्तीकरण बढ़े और घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न को रोका जा सके।

## 2. शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. शोध क्षेत्र में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना।
2. शोध क्षेत्र में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न जैसी सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु इस शोध अध्ययन के माध्यम से सुझाव देना।
3. शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व- वर्तमान समय में घरेलू हिंसा एवं

महिला उत्पीड़न एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। किन्तु विडम्बना इस बात की है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं को आज भी कोई सामाजिक महत्व नहीं दिया जाता है। शोधार्थी समाजशास्त्र विषय की विद्यार्थी होने के साथ-ही-साथ महिला भी है, अतः उसने इस विषय पर शोध अध्ययन करने का निश्चय किया। शोधार्थी के इस शोध अध्ययन से न केवल आगरा नगर अपितु सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सकेगा तथा इस शोध अध्ययन के पश्चात् ऐसे सुझाव दिये जा सकेंगे जो इस समस्या के समाधान हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे।

**4. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण-** किसी भी शोध अध्ययन को उद्देश्यपरक एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है, कि शोधार्थी शोध समस्या से सम्बन्धित पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों की भलीभाँति जानकारी प्राप्त कर ले। इसी को ध्यान में रखकर शोधार्थी द्वारा “घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न : आगरा नगर के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्री अध्ययन” से सम्बन्धित कुछ प्रमुख शोध अध्ययनों से विषय-वस्तु की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। जिनमें आशा कौशिक (2004), सुधारानी श्रीवास्तव (2009), अल्का सक्सेना एवं सुभाष चन्द्र गुप्ता (2011), आबिद रिजवी (2012), पूजा शर्मा (2012) एवं पूजा सिंह (2022) आदि के शोध पत्र महत्वपूर्ण हैं।

**5. शोध विधियाँ एवं शोध उपकरण-** आगरा नगर में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न विषय पर शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है तथा प्रदत्तों के संकलन हेतु स्व-निर्मित ‘साक्षात्कार अनुसूची’ का प्रयोग किया गया है तथा शोधार्थी द्वारा ‘दैव-निदर्शन’ विधि के द्वारा आगरा नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 100 महिलाओं को विस्तृत शोध सर्वेक्षण के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया है।

**6. प्रदत्तों का संग्रहण सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या-** आगरा नगर में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने हेतु शोधार्थी ने स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया एवं न्यादर्श में चयनित महिलाओं से साक्षात्कार के माध्यम से प्रदत्तों का संग्रहण किया। प्रदत्तों के संग्रहण व सारणीयन के पश्चात् उनका विश्लेषण एवं व्याख्या किया। जिसका विवरण निम्नानुसार है -

#### तालिका क्रमांक - 1

आगरा नगर के घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की वास्तविक स्थिति का अध्ययन  
(आधार-साक्षात्कार अनुसूची)

क्र.सं.	न्यादर्श में चयनित महिलाओं की संख्या	घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न					
		कभी-कभी होता है		हमेशा होता है		नहीं होता है	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	100	37	37.00	24	24.00	39	39.00

**विश्लेषण एवं व्याख्या-** उपरोक्त तालिका क्रमांक 01 में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से न्यादर्श हेतु चयनित आगरा नगर की महिलाओं से घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न सम्बन्धी जानकारी का संकलन किया गया है। उक्त तालिका क्रमांक 01 के

आँकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र आगरा नगर की न्यादर्श में चयनित कुल 100 महिलाओं में से 37 महिलाओं का यह मानना है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न कभी-कभी होता है तथा 24 महिलाओं का यह मानना है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न हमेशा होता है। जबकि 39 महिलाओं का यह मानना है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न नहीं होता है। इस प्रकार यह तथ्योद्घाटन होता है, कि शोध क्षेत्र आगरा नगर की 37.00 प्रतिशत महिलाओं का यह मानना है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न कभी-कभी होता है तथा शोध क्षेत्र की 24.00 प्रतिशत महिलाओं का यह मानना है, कि घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न हमेशा होता है। जबकि शोध क्षेत्र की 39.00 प्रतिशत महिलाओं का यह मानना है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न नहीं होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि, शोध क्षेत्र आगरा नगर की अधिकांश महिलाओं का यह मानना है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न किसी-न-किसी रूप में होता है।

**7. निष्कर्ष-** किसी भी शोध अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु शोध निष्कर्ष होता है। शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन के पश्चात् जो शोध निष्कर्ष प्राप्त किये उनके अनुसार शोध क्षेत्र आगरा नगर की कुल 61.00 प्रतिशत महिलाओं का यह मानना है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न होता है, जिसमें 37.00 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है, कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न कभी-कभी जबकि 24.00 प्रतिशत महिलाएँ यह मानती हैं कि घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न हमेशा होता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र आगरा नगर की अधिकांश महिलाएँ यह मानती हैं, कि समाज से आज भी घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न होता है।

### संदर्भग्रन्थ सूची-

- श्रीवास्तव, सुधारानी (2009), महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार, प्रकाशक अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली
- सक्सेना, अल्का एवं गुप्ता, सुभाषा चन्द्र (2011), पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएँ, प्रकाशक राधा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली
- रिवजी, आबिद (2012), महिला अधिकार कानून, तुलसी साहित्य पब्लिकेशन, मेरठ, उत्तर प्रदेश
- कौशिक, आशा (2004), नारी सशक्तीकरण विमर्श एवं यथार्थ, जयपुर, पोइन्टर
- शर्मा, पूजा (2012), महिलाएँ एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, पृ.-64-65

## स्त्री महान है : गांधीजी

• सत्य नारायण

सारांश- किसी भी देश अथवा राष्ट्र के विकास एवं संस्कृति का मूल्यांकन स्त्रियों की दशा और दिशा के अध्ययन से ही किया जा सकता है क्योंकि स्त्री की स्थिति ही उस देश की सभ्यता एवं संस्कृति का आधार मानी जाती है। गांधी जी स्त्रियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। वे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों मुलतः एक हैं, दोनों में एक ही आत्मा का वास है। स्त्री और पुरुष दोनों को ईश्वर ने एक समान पैदा किया है। फिर भी युगों से पुरुष स्त्री को अपने अधीन तथा अपने सुख का साधन मात्र समझता रहा है। परन्तु गांधी जी स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार के शोषण का पूरजोर विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों का स्वयं को प्ररूपों के अधीन या उससे हीन समझने का कोई कारण नहीं है। इस भावना से ऊपर उठने व उनके सर्वांगिक विकास के लिए स्त्री की शिक्षा पर जोर देते हैं और मानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा से ही स्त्री अपनी आत्महीनता से ऊपर उठ सकती है। अतः आत्महीनता की भावना से स्त्री को मुक्त होना आवश्यक मानते हुए। गांधी जी का ध्यान स्त्री के स्नेह, करुणा आदि सद्गुणों की ओर जाता है इन्हीं सद्गुणों के कारण गांधी जी कहते हैं- स्त्री महान है।

### मुख्य शब्द - स्त्री, राष्ट्र, विकास, संस्कृति, शोषण

गांधी जी स्त्री को महान का दर्जा देते हैं। उनके अनुसार स्त्री सभी कष्ट सहती हुई भी सभी के कल्याण के बारे में ही सोचती है। वास्तव में किसी भी देश या राष्ट्र के विकास एवं संस्कृति का मूल्यांकन स्त्रियों की दशा और दिशा के अध्ययन से ही किया जा सकता है। स्त्री की स्थिति किसी देश की सभ्यता एवं संस्कृति का आधार मानी जाती है। इसलिए गांधी जी स्त्रियों के लिए संवेदनशील रहे हैं। गांधी जी स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार के शोषण कर पुरजोर विरोध करते हैं। माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्री-पुरुष को समान माना जाता था। उस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। उन्हें धर्म, कर्मयज्ञ आदि सभी कार्यों में समान रूप से शामिल किया जाता था। फिर स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा शोषण कब प्रारम्भ हुआ और क्यों हुआ यह गम्भीर वाद-विवाद का विषय है। हम इस विषय में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि यह अन्तहीन है। स्त्रियों पर अत्याचार व अन्याय का कारण धर्मिक हो या प्राचीन काल से चली आ रही परम्पराएँ हों यह सब गलत है। ऐसी व्यवस्था को नकार देना चाहिए और उसका विरोध करना आवश्यक है। स्त्रियों के प्रति

अन्याय व असमानता का विरोध करते हुए गांधी जी कहते हैं कि “यदि मैं स्त्री के रूप में पैदा होता तो मैं पुरुषों द्वारा किये गए किसी भी अन्याय का जमकर विरोध करता।”<sup>1</sup>

वैदिक काल से ही स्त्री की दशा और दिशा अच्छी नहीं रही है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि नियम अथवा कानून बनाना सदा पुरुषों के हाथ में रहा है उन्होंने कानून हमेशा अपने ही पक्ष में बनाए और स्त्री की उपेक्षा की है। युगों से पुरुष स्त्री को अपने अधीन तथा अपने सुख का साधन मात्र समझता रहा है। भौतिक वस्तुओं की भांति स्त्री को भी उसने अपनी सम्पत्ति मान लिया जिसका वह अपने सुख के लिए इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। निर्मल कुमार बोस कहते हैं कि पुरुष के इसी स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेने के कारण स्वयं स्त्री में भी आत्महीनता की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को उसकी अपेक्षा हीन समझने लगी है।<sup>2</sup> यदि ध्यान से देखा जाए तो इसमें स्त्रियों की अपनी कमी भी रही है क्योंकि उन्होंने अपने को हीन समझा। स्त्री को चाहिए कि वह पुरुष के अधीन होने से इन्कार कर दे। गांधी जी इस अधीनता का कोई कारण न मानते हुए लिखते हैं कि “स्त्रियों का स्वयं को पुरुष के अधीन या उससे हीन समझने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न भाषाओं में स्त्री को पुरुष का अर्धांग कहा गया है और इसी तर्क से पुरुष स्त्री का अर्धांग हुआ। ये अलग सत्ताएँ नहीं हैं, बल्कि एक ही के दो भाग हैं। अंग्रेजी भाषा और भी आगे बढ़ते हुए स्त्री को पुरुष का बेहतर अर्धांग (बैटर हाफ) कहकर पुकारती है।<sup>3</sup> इसलिए आत्महीनता की इस भावना से स्त्री को मुक्त होना आवश्यक मानते हुए गांधी जी का ध्यान स्त्री के सद्गुण, स्नेह, करुणा, सहनशीलता, सहिष्णुता आदि की ओर जाता है। इन्हीं सद्गुणों के कारण गांधी जी कहते हैं- स्त्री महान है।<sup>4</sup>

गांधी जी स्त्री को महान मानते हुए कहते हैं कि स्त्री अहिंसा का अवतार है।<sup>5</sup> अहिंसा का अर्थ है असीम प्रेम और असीम प्रेम की शक्ति स्त्री में ही है। इसी असीम शक्ति के कारण वह करुणामयी माता है जो सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है। इसलिए स्त्री के स्नेहपूर्ण व्यवहार को उसकी कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। पुरुष और स्त्री को ईश्वर ने एक समान पैदा किया है। फिर स्त्री-पुरुष तथा व्यक्ति-व्यक्ति का समाज में भेद करना और उनमें ऊँच-नीच का भाव पैदा करना सर्वदा अनुचित है। आदर्श समाज स्थापित करने में स्त्री-पुरुष दोनों का समान योगदान होता है। गांधी जी स्त्री और पुरुष के पूर्णतः समान अधिकारों में विश्वास करते हैं। उनका विचार है कि स्त्री और पुरुष मूलतः एक हैं। अतः उनकी समस्या भी तत्त्वतः एक होनी चाहिए। दोनों में एक ही आत्मा का वास है। दोनों एक-सा जीवन जीते हैं, दोनों की भावनाएं एक जैसी होती हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। एक-दूसरे की सक्रिय सहायता के बिना इनमें से कोई भी जी नहीं सकता।<sup>6</sup> गांधी जी स्त्री-पुरुष दोनों को समान मानते हुए भी उनके कार्य के आधार पर उनमें समानता नहीं मानते। वे कहते हैं कि “स्त्री-पुरुष समानता का अर्थ यह नहीं है कि काम-धन्ये भी समान हों। यह सही है कि स्त्री के आखेट करने अथवा भाला लेकर चलने पर कोई कानूनी बंदिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो काम पुरुष का है, उसके करने से वह स्वभावतः झिझकती है। अतः जिस प्रकार उनके शरीर के आकार परिभाषित हैं उसी प्रकार उनके काम भी परिभाषित हैं।”<sup>7</sup>

स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के समान हैं। इसलिए उनके लिए एक आध्यात्मिक दिशा पकड़ कर विवाहित जीवन बिताना ही आदर्श है। यही आदर्श परिवार का और फिर पूरे समाज की उन्नति का प्रतीक है। विवाह दो आत्माओं का मिलन है। इसलिए आदर्श विवाह के सम्बन्ध में गांधी जी कहते हैं, “शरीर के द्वारा दो आत्माओं का मिलन ही विवाह का आदर्श है। इसमें जो मानव-प्रेम स्फुरित होता है उसी के माध्यम से हम विश्व-प्रेम तथा ईश्वर-प्रेम तक पहुँच सकते हैं।”<sup>8</sup> गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसी आदर्श का पालन किया। वे सचमुच ऐसा विश्वास करते थे कि जिस प्रकार वे एक साधारण व्यक्ति से ऊपर उठकर काम-वासना से मुक्त हुए दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं। वास्तव में उनके विचारों का अधिक महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने अपने सिद्धान्तों में आदर्शता के साथ-साथ उनका व्यावहारिक प्रयोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी किया। उनका मत है कि जब मैं इनको अपने व्यावहारिक जीवन में अपना सकता हूँ तो दूसरे सब भी अपना सकते हैं। परन्तु बहुत से लोग विवाह को केवल काम-वासना के साधन के अर्थ में ही लेते हैं और स्त्री को भोग-विलास की वस्तु मान लेते हैं। इसी कारण आज समाज में विषमताएं बढ़ रही हैं। जबकि स्त्री-पुरुष द्वारा विवाह का आदर्श रूप समाज को प्रत्यक्ष रूप से प्रगति के ओर ले जाता है। इसलिए विवाह एक पवित्र बन्धन है, जिसमें काम-वासना के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल स्नतानोत्पत्ति के लिए ही सहवास करना चाहिए। विवाह को स्वाभाविक मानते हुए गांधी जी कहते हैं कि “विवाह जीवन की एक स्वाभाविक चीज है और इसे किसी भी कार्य में अपकर्षकारी समझना बिल्कुल गलत है। आदर्श स्थिति यह है कि विवाह को एक पवित्र बन्धन माना जाए और विवाहित अवस्था में अत्मसंयम के साथ जीवन व्यतीत किया जाए।”<sup>9</sup> अतः यही आदर्श स्थिति उत्तम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। इसलिए विवाह का उद्देश्य स्त्री को अपनी सम्पत्ति मानना नहीं है बल्कि स्त्री को मित्र सहयोगी आदि मानना होना चाहिए। गांधी जी भी मानते हैं कि विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष के बीच घनिष्ठ मित्रता और सहचारिता स्थापित करना है। इसमें कामवासना की तुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है।<sup>10</sup> इस प्रकार की आदर्श व्यवस्था पर पहुँचने का एकमात्र मार्ग है- स्त्री और पुरुष दोनों का शिक्षित होना। इसमें स्त्री का शिक्षित होना तो अति आवश्यक है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि “यदि आप एक आदमी को पढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा। यदि आप एक स्त्री को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होगा।” गांधी जी शिक्षा का बहुत गहरा अर्थ लेते हैं। वे शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान अर्थात् पढ़ने-लिखने से ही नहीं लेते क्योंकि केवल किताबी ज्ञान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता।<sup>11</sup> व्यक्ति का सर्वाधिक विकास तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षा में ज्ञान के साथ कर्म और विचार में समन्वय हो।

वास्तव में गांधी जी का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण सुस्पष्ट एवं मूल्यवान है। उनकी हमारे शास्त्रों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। परन्तु स्त्री के लिए शास्त्र में जो अनुचित लिखा गया है उसके लिए गांधी जी कहते हैं कि “स्त्रियों के पुनरूद्धार का सबसे बड़ा यह काम है कि हम उन कलंकों को मिटा दें जिन्हें हमारे शास्त्रों ने स्त्रियों के अनिवार्य और स्वभावगत लक्षण बताया है।”<sup>12</sup> इस प्रकार गांधी जी के बहुत सारे अनमोल विचार हैं। परन्तु हम यहाँ

ऋचा कुलश्रेष्ठ द्वारा उद्धरित गांधी जी के दस अनमोल विचारों का उल्लेख करना आवश्यक मानते हैं। जो इस प्रकार हैं-

- मैं बेटे और बेटियों के साथ बिलकुल एक जैसा व्यवहार करना चाहूँगा।
- अहिंसा हमारे जीवन का धर्म है तो भविष्य स्त्री जाति के हाथ में है।
- जहां तक स्त्रियों के अधिकारों का सवाल है मैं कोई समझौता नहीं करूँगा।
- स्त्री पर ऐसा कोई भी कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए जो पुरुषों पर ना लगाया गया हो।
- स्त्री को अबला कहना उसकी मानहानि करना है।
- स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। आपसी सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व असम्भव है।
- स्त्री पुरुष की सहचारी है। उसकी मानसिक शक्तियां पुरुष से जरा भी कम नहीं हैं।
- यदि मैं स्त्री रूप में पैदा होता तो मैं पुरुषों द्वारा थोपे गए हर अन्याय का जमकर विरोध करता।
- दहेज को खत्म करना है तो लड़के-लड़कियों और माता-पिताओं को जाति बन्धन तोड़ने होंगे।
- युगों से चली आ रही बुराईयों को खोजना और उन्हें नष्ट करना जागरूक स्त्रियों का विशेषाधिकार होना चाहिए।

गांधी जी के विचार से स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वयं को स्वाधीन अनुभव करना चाहिए। अतः समाज में आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्त्रियों को समान अधिकार देना अति आवश्यक है। गांधी जी के अपने रचनात्मक कार्यों में स्त्रियों की उन्नति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यदि इसे उनके रचनात्मक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग कह दिया जाए तो अनुचित न होगा। गांधी जी यह बात अच्छी तरह समझते थे कि स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार किए बिना आदर्श समाज स्वप्न मात्र ही हो सकता है। हमारे देश की लगभग आधी अनसंख्या स्त्रियों की है। अतः उनकी सर्वांगीण उन्नति के बिना भारत के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि गांधी जी ने भारतीय स्त्रियों की ओर विशेष ध्यान दिया, उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर गहन विचार तथा इन समस्याओं के सन्तोषजनक समाधान के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. ऋचा कुलश्रेष्ठ, महात्मा गांधी के दस अनमोल विचार, इदीवा डॉट काम
2. निर्मल कुमार बोस, क्लेक्शनन फ्रॉम गांधी, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद, पृ. - 271
3. गांधी जी, हरिजन, 23.03.1947, गरलैण्ड पब्लिशिंग हाऊस, न्यूयॉर्क, लंदन, पृ.-478

4. निर्मल कुमार बोस, क्लेक्शनज फ्रॉम गांधी नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद, पृ-272,
5. वही, पृ.- 273.
6. गांधी, हरिजन, 24.02.19 गारलैण्ड पब्लिशिंग इन कारपोरेशन, न्यूयॉर्क, लंदन, पृ.-13,
7. वही, 02.12.1939, पृ.-359.
8. वही, 22.03.1942, पृ.-38.
9. वही,
10. वही, 07.07.1946, पृ.-214
11. वही, 02.03.1947, पृ.-46.
12. वही 5.1.1997, पृ.-478
13. श्रचा कुलश्रेष्ठ, महात्मा गांधी के दस धर्मको अनमोल विचार, इदीवा ड, ट क, म

## कोविड-19 महामारी का शिक्षा पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सागर शहर के विशेष संदर्भ में)

• प्रियंका यादव  
•• दिवाकर सिंह राजपूत

सारांश- कोविड-19 महामारी के इस दौर में जहाँ मानव अपने स्वास्थ्य संबंधी मूल्यों के प्रति सजग हुआ है, वहीं वह अपने सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन के मूल्यों के प्रति भी सजग हुआ है। इस महामारी न सिर्फ मानव क्षति की है, वरन् मानव जीवन के अस्तित्व को भी खतरे में डाला है, यही कारण है कि इस महामारी के वैश्विक स्तर पर फैलने से अत्यंत मानवीय क्षति हुई है। इस महामारी के दो पहलुओं को देखा जा सकता है- सकारात्मक एवं नकारात्मक। नकारात्मक इसलिए क्योंकि इसने मानव जीवन व मानवीय स्वास्थ्य को खतरे में डाला, लोगों के काम, नौकरी, व्यापार आदि बंद हो गये, इस महामारी से परिवार समाप्त हो गये आदि, ऐसे अनेको कारण है, जो इस महामारी के गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। वहीं इस महामारी के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं- यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में आये बदलाव को कोविड-19 महामारी के बाद आये सबसे बड़े बदलाव का उदाहरण माने तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऑनलाइन शिक्षा को हम दूरस्थ शिक्षा भी कह सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल आदि के बिना जीवन का सुचारू रूप से चल पाना अत्यंत ही कठिन है, और जिस प्रकार से कोविड-19 महामारी के दौरान इन उपकरणों का सही इस्तेमाल हुआ, वह भी पढाई के लिए, यह एक सकारात्मक रूप हमें प्रदान करता है। शिक्षा पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव पडा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व पढने वाले विद्यार्थियों को भी अपने अध्ययन हेतु कई समस्याओं का सामना करना पडा है। तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों पर कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षण संबंधी गतिविधियों का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पडा है।

मुख्य शब्द - कोविड-19, कोविड-19 महामारी, शिक्षा, वैश्वीकरण, आई.सी.टी.

प्रस्तावना- कोविड-19 महामारी ने हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को अस्त-व्यस्त किया है, और मनुष्य का स्वास्थ्य तो इसके कारण संकट में आया ही है, साथ ही साथ इसने

- शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर  
•• प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र को भी अत्याधिक प्रभावित किया है। कई वर्षों से विश्व के साथ भारत में कई चुनौतियां प्रत्यक्ष रही हैं, युवा वर्ग के सामने पहले से ही कई समस्याएं रही हैं, जैसे- बेरोजगारी, अशिक्षा अवसरों की अनुपलब्धता आदि, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण और वैश्वीकरण के इस दौर में हमारे युवाओं को आपदा में अवसर पाने का मौका भी मिला है, साथ ही कोविड-19 महामारी ने नौकरीपेशा लोगों की नौकरी को भी खतरे में डाला है। इस कोविड-19 महामारी के दौर को परिवर्तन का दौर भी कहा जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में आये ऑनलाइन परिवर्तन से वैश्वीकरण के ICT फैक्टर का उपयोग अत्याधिक सहयोगी साबित हो रहा है। विश्व का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसे कोविड-19 महामारी ने प्रभावित न किया हो, इन्हीं में से है, शिक्षा का क्षेत्र। सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र शिक्षा का है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सम्पूर्ण विश्व के साथ-साथ ही भारत ने भी लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना किया है, जिसके कारण लोगों का अपने-अपने घर से निकलना बंद हो गया और उन्हें इस महामारी के प्रभाव में आने से बचने के लिए अपने घरों पर रहना ज्यादा सुरक्षित हो, इस हेतु लॉकडाउन अर्थात् महामारी से बचने व बड़ा स्वास्थ्य संकट न हो, इस कारण से सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगने से विद्यार्थियों के स्कूल-कॉलेज बंद हो जाने से इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, एवं स्वास्थ्य संकट होने के साथ ही लोगों को मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों को लॉकडाउन में भी अपनी पढाई जारी रखना अतिआवश्यक था, इसलिए विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस लगाना आरंभ हुई, यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को उजागर करता है, कि किस प्रकार कोविड-19 महामारी के पहले ऑनलाइन क्लासेस का इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन इस महामारी के बाद ऑनलाइन क्लासेस अत्यंत ही उपयोगी साबित हुई। कोविड-19 महामारी के दौर में यह अत्यंत ही सकारात्मक पहलू रहा है, व इसी के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में ICT (Information, Communication, Technology) फैक्टर अत्याधिक उपयोगी साबित हुआ है, इस वैश्वीकरण के दौर में मानवीय जीवन का कोविड-19 महामारी के प्रभाव में आना, व लोगों का अपने घरों से बाहर न निकल पाना, और वर्क फ्राम होम जैसी नीति का पालन कर अपने-अपने आफिस का काम करना, यह सब वैश्वीकरण के प्रभाव व बदलाव के कारण संभव हो पाया है। यहां वैश्वीकरण के प्रभाव को कोविड-19 महामारी के दौर में सकारात्मक देखा गया है, चूंकि वैश्वीकरण के कई नकारात्मक पहलू भी हैं। इंटरनेट एवं मोबाइल के अत्याधिक उपयोग एवं गलत इस्तेमाल से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

विश्व ने अनेक बार इस प्रकार की महामारियों का सामना किया है, और इस प्रकार की मानवीय क्षति इन महामारियों द्वारा होती रही है, लेकिन कोविड-19 महामारी एक भयावह स्वरूप में विश्व भर को संकट में डालती है, आज का युग तकनीकी युग है, जो विश्व को एक बड़ी चुनौती प्रदान करता है, तकनीक के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व में अनेक तकनीकी प्रयोग होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी कोविड-19 महामारी जैसी चुनौती विश्वभर में उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम के कारण मानव

जाति का ह्रास होता है। तकनीक को केवल यहां नकारात्मक रूप में नहीं देखा गया है, जिस प्रकार कोविड-19 महामारी नये-नये प्रशिक्षणों का परिणाम है, ठीक उसी प्रकार तकनीकी व्यवस्था के कारण ही आज हम कोविड-19 महामारी से लड़ पाए हैं, सभी देशों के परस्पर सहयोग से वैक्सीन के निर्माण को जल्द ही पूर्ण कर लिया गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण मानव जाति का जो ह्रास हुआ है, उसे बदला नहीं जा सकता है, परंतु महामारी और अधिक मानव जाति का ह्रास न करे, इस हेतु महामारी से लड़ने

**कोरोना वायरस-** कोरोना वायरस कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग हल्के से मध्यम श्वसन रोग का अनुभव करेंगे और विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना ठीक हो जायेंगे। हालांकि, कुछ गंभीर रूप से बीमार हो जायेंगे और उन्हें चिकित्सकीय ध्यान देने की आवश्यकता होगी।<sup>1</sup>

**वैश्वीकरण-** वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यापक रूप से बढ़े हुए व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप दुनिया तेजी से परस्पर जुड़ी हुई है। वैश्वीकरण वर्षों से हो रहा है, लेकिन पिछली आधी सदी में यह बहुत तेजी से बढ़ा है।<sup>2</sup>

### साहित्य समीक्षा-

1. त्सोलौ ओलंपिया, थॉमस बावलिन, त्सोलिक कॉन्स्टेंटिना, रचनात्मक शिक्षा 12(03), 529, 2021 शिक्षा पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव सामाजिक बहिष्कार और स्कूल छोड़ना- वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप छात्रों के सामाजिक बहिष्कार और स्कूल छोड़ने की समस्या की जांच करना है, जिसने सामान्य रूप से स्कूली जीवन और शिक्षा को अचानक बाधित कर दिया।<sup>3</sup>
2. एलन जीन, रोवन लियानी, सिंह पारलो, शिक्षक शिक्षा के एशिया प्रशांत जर्नल 48 (3), 233-236, 2020, कोविड-19 के समय में शिक्षण और शिक्षा- इस अध्ययन में बताया गया है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा बचपन से लेकर तृतीयक क्षेत्र तक सीखने में व्यस्त रखने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी के तरीकों में तेजी से कदम ने कर्मचारियों के लिए काम का बोझ बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वे न केवल शिक्षण सामग्री और सामग्री को ऑनलाइन स्थान पर ले जाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अपेक्षित सॉफ्टवेयर को नेगेटिव करने में भी पर्याप्त रूप से कुशल हो जाते हैं।<sup>4</sup>
3. विरातोमो योगी, मुल्यत्ना फौजी, जर्नल ऑफ मैथमैटिकल पेडागॉजी जेओएमपी 1 (2), 2020, महामारी के दौरान सीखने के प्रयासों में शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग- इस अध्ययन का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया का वर्णन है, जो सीखने के मीडिया के रूप एक महामारी और सीखने के परिणाम के दौरान लागू होने के लिए उपयुक्त है, जो सामग्री प्राप्त करने में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रभावी, व्यावहारिक आसानी से प्राप्त, और आसानी से समझ में आता है।<sup>5</sup>

4. वेलेटियानोस जॉर्ज, शेंडेल होल्डन, पोस्ट डिजिटल साइंस एंड एजुकेशन 2 (3), 849-862, 2020 संकट के समय में शिक्षा के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में मौलिक लचीलापन और संबंधपरकता- इस अध्ययन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है, कि जैसे-जैसे शैक्षणिक संस्थान वर्तमान महामारी से उत्पन्न कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कई लोगों को आश्चर्य होने लगा है, कि शिक्षा का भविष्य कैसा दिख सकता है।<sup>6</sup>
5. जार्विस एडियन, मिश्रा कुमार प्रदीप, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन, 1-16, 2020 सीखने के लिए नेतृत्व महान लॉकडाउन से सबक- अध्ययन का उद्देश्य है कि किस प्रकार 2020 के महान लॉकडाउन ने दुनिया भर के शैक्षिक संगठनों को अभूतपूर्व चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया, न कि नेतृत्व के लिए।<sup>7</sup>

### अध्ययन के उद्देश्य-

1. कोविड-19 महामारी का शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. कोविड-19 महामारी के दौर में शिक्षा के नये आयामों का अध्ययन करना।
3. कोविड-19 महामारी के कारण परिवर्तित शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन करना।

**अध्ययन का क्षेत्र-** प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र के लिए सागर जिला मुख्यालय के सागर शहर को चयनित किया गया है। मध्यप्रदेश के उत्तर मध्य और देश के मध्य भाग में स्थित है, सागर जिला। सागर जिले के उत्तर में झाँसी, दक्षिण में नरसिंहपुर और रायसेन, पश्चिम में विदिशा तथा पूर्व में दमोह जिला की सीमाएँ लगती हैं। यह जिला बुंदेलखंड का प्रमुख गतिशील जिला है, औद्योगिक स्थिति, आधारभूत संरचना उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सागर जिला काफी सम्पन्न है। सागर जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है, सागर जिले में 12 तहसील हैं। सागर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर मध्य क्षेत्र में बसा है। यह 23' डिग्री 10' और 24' डिग्री 27' उत्तरी अक्षांश और 78' डिग्री और 79' डिग्री 21' पूर्वी देशांतर के बीच बसा हुआ है।<sup>8</sup>

**अध्ययन पद्धति एवं अध्ययन तकनीक-** प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार एवं संरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पुस्तकालय, संबंधित शोध, इंटरनेट, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ आदि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए 50 उत्तरदाताओं का चयन स्नोबॉल सैंपलिंग द्वारा किया गया है। इनमें से 20 उत्तरदाताओं को सागर जिले के सागर शहर में स्थित किड्स एकेडमी हायर सेकेण्डरी विद्यालय के कक्षा 12वीं के 70 छात्र-छात्राओं में से चुना गया है एवं सागर शहर में स्थित गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बी.ए. फर्स्ट सेमेस्टर की 100 उत्तरदाताओं में से 10 उत्तरदाताओं को चयनित किया गया है,। सागर शहर में स्थित डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय से एम.ए. एवं पीएचडी के 20 उत्तरदाताओं को चयनित किया गया है। तथ्यों के वर्गीकरण एवं सारणीयन हेतु विभिन्न सांख्यिकीय एवं शोध विधियों का प्रयोग किया गया।

**तालिका क्रमांक-1.01 लिंग**

क्रमांक	लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
01	छात्र	24	48
02	छात्राएं	26	52
	योग	50	100

प्राप्त ऑकड़ों से यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं में से 48 प्रतिशत छात्र एवं 52 प्रतिशत छात्राएं हैं। जो अध्ययन के लिए तालिका क्रमांक-1.01 की आवश्यकता की पूर्ति करता है।


**तालिका क्रमांक-1.02 आयु**

क्रमांक	आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
01	17.21	20	40
02	21.25	20	40
03	25.29	10	10
	योग	50	100

प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर उत्तरदाताओं में से 17-21 वर्ष के छात्र-छात्राओं का 40 प्रतिशत है, 21-25 वर्ष के छात्र-छात्राओं का 40 प्रतिशत है, जबकि सबसे कम 25-29 वर्ष के छात्र-छात्राओं का 10 प्रतिशत अध्ययन के आधार पर है।

**तालिका क्रमांक 1.03 शिक्षा**

क्रमांक	शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
01	12वीं कक्षा	20	40
02	स्नातक स्तर	10	20
03	स्नातकोत्तर स्तर	12	24
04	पीएचडी	08	16
	योग	50	100



प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि सर्वाधिक उत्तरदाता 40 प्रतिशत


कक्षा 12वीं से है, उसके बाद स्नातक के 20 प्रतिशत, स्नातकोत्तर के 24 प्रतिशत एवं पीएचडी के 16 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उत्तरदाता हैं।

#### तालिका क्रमांक-1.04 कोविड-19 महामारी का प्रभाव

क्रमांक	कोविड-19 महामारी का प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सकारात्मक	00	00
02	नकारात्मक	35	70
03	दोनों	15	30
04	कोई प्रभाव नहीं	00	00
	योग	50	100

प्रस्तुत आँकड़ों से कहा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव को 70 प्रतिशत उत्तरदाता एवं कोविड-19 महामारी के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभावों को 30 प्रतिशत उत्तरदाता अपने जीवन पर प्रभाव के रूप में देखते हैं। कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर, लोगों के कामों पर, मानसिक रूप से आदि कई रूपों में पड़ा है।


#### तालिका क्रमांक 1.05 ICT शिक्षा में सहयोगी



सभी 100 प्रतिशत उत्तरदाता ICT को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोगी मानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन को अस्त-व्यस्त किया, उस दौर में ICT के कारण सभी को अपने काम, शिक्षा अध्ययन आदि में अत्याधिक महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। जानकारी, संचार एवं तकनीक के विकास के कारण ही महामारी के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आयी है।


#### तालिका क्रमांक-2.01 वैश्वीकरण का आपके जीवन पर प्रभाव

क्रमांक	वैश्वीकरण का आपके जीवन पर प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सकारात्मक	18	36
02	नकारात्मक	12	24
03	दोनों	20	40
04	कोई प्रभाव नहीं	00	00
	योग	50	100:



प्राप्त आँकड़ों से ज्ञात होता है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों को 40 प्रतिशत उत्तरदाता अपने जीवन पर प्रभाव के रूप में देखते हैं, एवं 36 प्रतिशत उत्तरदाता सकारात्मक एवं 24 प्रतिशत नकारात्मक रूप में वैश्वीकरण के प्रभाव को देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में वैश्वीकरण की परिभाषा बदल गयी है। शिक्षा, तकनीकी, उद्योग आदि को महामारी के दौर में तकनीक के विकास ने संतुलित करके रखा है।


### तालिका क्रमांक 2.02 कोविड-19 के कारण शिक्षा में परिवर्तन



तालिका क्रमांक 2.02 से प्राप्त आँकड़ों से कहा जा सकता है, कि 90 प्रतिशत उत्तरदाता कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन को मानते हैं, एवं 10 प्रतिशत उत्तरदाता इस कारण से सहमत नहीं हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई है।

### तालिका क्रमांक 2.03 वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव

क्रमांक	वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
01	सकारात्मक	15	30
02	नकारात्मक	10	20
03	दोनों	25	50
04	कोई प्रभाव नहीं	00	00
	योग	50	100



प्राप्त आँकड़ों से यह कहा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं, उसके लिए सबसे बड़ा कारण वैश्वीकरण को माना जाता है। सभी उत्तरदाता वैश्वीकरण के शिक्षा पर प्रभाव को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप में देखते हैं। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत प्रभावशाली नेतृत्व निभाता है, विद्यार्थी के जीवन में। वैश्वीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हुआ है।

**निष्कर्ष-** प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है, कि कोविड-19 महामारी ने जिस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित किया है, यह भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर गंभीर तो बनाता ही है, साथ ही साथ वैश्वीकरण के इस दौर में और कोविड-19 महामारी जैसी कठिन परिस्थिति में रहकर आपदा में अवसर को तलाशने का मौका भी प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के दौर में वैश्वीकरण के ICT स्वरूप का वृहद रूप में उपयोग हुआ है, जो आम इंसान से लेकर बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाईयों के बीच सहयोगी बना है। इसी के साथ ही शिक्षा की स्थिति कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा में परिवर्तित हुई, लॉकडाउन जैसी स्थिति में रहकर विद्यार्थियों ने अपने घर पर ही ऑनलाइन अध्ययन किया, यह तभी संभव हो पाया, जब ICT (Information Communication Technology) का सही उपयोग हुआ। ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों और शिक्षकों के मध्य अत्याधिक उपयोगी रही है। अधिकांश विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपना अध्ययन पूरा कर पाये, तो वही यह अध्ययन विद्यार्थियों को अपने भविष्य को लेकर व शिक्षा के इस परिवर्तित रूप को लेकर गंभीर बनाता है। बच्चों पर कोविड-19 महामारी का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसी के साथ ICT शिक्षा में सहयोगी बना है एवं वैश्वीकरण का कोविड-19 महामारी के दौर में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन पर पड़ा है। वैश्वीकरण के इस दौर में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के उपयोग ने विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया है, एवं कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन जैसी स्थिति में यह अत्याधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों को अत्याधिक असुविधाओं का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि कक्षाएं ऑनलाइन हो जाने के कारण उन्हें आंखों से संबंधित स्वास्थ्य संकट भी हुआ है, जो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को भी दर्शाता है, एवं टेक्नोलॉजी के गलत उपयोग से भी समस्याएं होती हैं। कोविड-19 महामारी एवं वैश्वीकरण आज के समय की वह स्थितियां हैं, जो समस्या और समाधान दोनों को लेकर चल रही हैं। अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी ने मानव जीवन को जिस प्रकार से हानि पहुंचाई है, वह भविष्य के मानवीय मूल्यों व सामाजिक हित को चुनौती देता है।

अध्ययन से प्राप्त आँकड़ें यह दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा मानव को समाज में एक सभ्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार संकट के समय में मानव जीवन को नई दिशा प्रदान करने का काम शिक्षित सामाजिक प्राणी करता है। कोविड-19 महामारी के दौर में शिक्षा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक स्थिति है, परंतु इससे किस प्रकार से निपटना है, यह हमारे व्यवहार और सोच से पता चलता है। आँकड़ें

बताते हैं कि विद्यार्थियों के उपर कोविड-19 महामारी का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन को पूर्ण करने के लिए वैश्वीकरण के इस दौर में इसके ICT (Information, Communication, Technology) का भलीभाँति उपयोग किया है एवं अपने अध्ययन संबंधी समस्याओं को दूर किया है, लेकिन इंटरनेट एवं मोबाइल के ज्यादा उपयोग के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। वैश्वीकरण कहीं न कहीं कोविड-19 के दौर में सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से प्रभावी रहा है, क्योंकि इस भयंकर महामारी के समय में भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर सके, तो वहीं नौकरीपेशा लोग अपने नौकरी संबंधी कार्यों को पूरा कर सके, वैश्वीकरण के दौर में कम्प्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आदि नये-नये आयामों के आ जाने से लोगों की कई समस्याओं का समाधान हुआ है, व इसके परिणामस्वरूप ही शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन परिवर्तन आया है। नई-नई तकनीकों के विकसित होने के कारण आज हमें कई समस्याओं का समाधान प्राप्त हुआ है, और यहां पर वैश्वीकरण का स्वरूप समाधान प्रस्तुत करने वाला तो है, परंतु इसी के साथ ही इसके कारण कोविड-19 महामारी जैसी गंभीर और भयंकर आपदाएं भी आई हैं।

जिस प्रकार से मानव का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन इस महामारी ने प्रभावित किया है, वही शैक्षणिक जीवन भी प्रभावित हुआ है, जो विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चुनौती प्रदान करता है, एवं शिक्षा के प्रति गंभीर भी बनाता है। सभी विद्यार्थी उत्तरदाता शिक्षा के क्षेत्र में संचार साधन, तकनीकी सुविधाओं को अत्याधिक उपयोगी मानते हैं, परंतु इंटरनेट के अत्याधिक उपयोग से उन्हें अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए यह अध्ययन विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन के प्रति सजग एवं महामारी के प्रभाव में आने के बाद भी किस प्रकार संसाधनों के सही उपयोग से अपने अध्ययन कार्य को पूरा करना दर्शाता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- 1- <http://www.who.int>health-topics 10feb2022time7:30pm>
- 2- <https://www.bbc.co.uk>guides>re10feb2022time8:00pm>
- 3- त्सोलौ ओलंपिया, थॉमस बावलिन, त्सोलिक कॉन्स्टेंटिना, 2021 शिक्षा पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव सामाजिक बहिष्कार और स्कूल छोड़ना, रचनात्मक शिक्षा 12 (03), पृ. .529
- 4- एलन जीन, रोवन लियोनी, सिंह पारलो, 2020, कोविड-19 के समय में शिक्षण और शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के एशिया प्रशांत जर्नल 48 (3) पृ. 233-236
- 5- विरातोमो योगी, मुल्यत्ना फौजी, 2020, महामारी के दौरान सीखने के प्रयासों में शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग, जर्नल ऑफ मैथमैटिकल पेडागॉजी जेओएमपी 1(2)
- 6- वेलेटियानोस जॉर्ज, शेंडेल होल्डन, 2020, संकट के समय में शिक्षा के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में मौलिक लचीलापन और संबंधपरकता, पोस्टडिजिटल साइंस एंड एजुकेशन 2(3), पृ. 849-86
- 7- जर्विस एडियन, मिश्रा कुमार प्रदीप, 2020, सीखने के लिए नेतृत्व महाल लॉकडाउन से सबक, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन 1-16
- 8- <https://sagar.nic.in7feb.2022time 4:30pm>

## ग्रामीण महिला सशक्तीकरण एवं मनरेगा एक समाजशास्त्री विश्लेषण (आगरा जिले के पिनाहट विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

• भूरी सिंह  
•• अतुल कुमार

सारांश- किसी भी राष्ट्र के विकास में समाज के प्रत्येक व्यक्ति वर्ग, जाति, समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण मानी जाती है। विकास की इस अवधारणा में हम महिलाओं की सहभागिता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतिहास इसका साक्षी है, कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सहभागिता ने पूरे विश्व के सामने एक मानक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन विश्व के गिने-चुने विकसित देशों को छोड़ दें तो बाकी बचे देशों में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से भी कम है। आज भी बहुत से देशों में महिलाएं पुरातनवादी व्यवस्था में जी रही हैं। महिलाओं को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए एवं पुरातनवादी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया जाए। महिलाओं के लिए इस प्रयास के प्रक्रिया को ही महिला सशक्तीकरण कहते हैं। महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैधानिक एवं मानसिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतन्त्रता से है। भारत जैसे विकसशील देश में जहाँ महिलाओं की भूमिका एवं स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय थी आज भी सुधर नहीं पायी है, लेकिन समय-समय पर विद्वजनों एवं सरकारी प्रयासों द्वारा उनकी भलाई एवं सम्मान के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। मनरेगा उन्हीं सार्थक प्रयासों का एक सफल कदम है। महिला सशक्तीकरण मनरेगा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

**मुख्य शब्द -** ग्रामीण, रोजगार, मनरेगा, महिला सशक्तीकरण

**प्रस्तावना-** मनरेगा योजना विश्व की एक मात्र ऐसी योजना है, जिसके तहत रोजगार गारंटी की अभूतपूर्व व्यवस्था है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार के लिए पूरक अवसर

- शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
- एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

उपलब्ध कराना है। विकास में निरन्तरता रखने के लिए राष्ट्रीय संसाधनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से मनरेगा एक सहयोगात्मक संसाधन है। मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, भूमि विकास आदि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित काम हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार वर्ग को सिंचाई सुविधा बागवानी, वृक्षारोपण जैसी योजनाओं से सम्बन्धित कार्य सौंपे जाते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि इसके जरिये लोकतन्त्र के सबसे निचले स्तर तक लाभ पहुँचाया जा सके और सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 देश का एक ऐसा पहला अधिनियम है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराता है। इस योजना का शुभारम्भ 2 फरवरी 2006 को देश के 200 जिलों में किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को वर्ष में 100 दिनों का शारीरिक श्रम युक्त रोजगार पाने का अधिकार है। वर्ष 2007-2008 में इस योजना का विस्तार 330 जिलों में तथा इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अप्रैल 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलकर नरेगा से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना' कर दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1. ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य यदि अकुशल श्रम के तहत कार्य करने को इच्छुक है तो वह आवेदन कर सकता है।
2. ऐसे परिवारों को स्थानीय ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है।
3. जाँच पड़ताल के पश्चात् ग्राम पंचायत इच्छुक सभी सदस्यों का फोटो युक्त जाँच कार्ड जारी करता है।
4. रोजगार के लिए आवेदन के बाद 15 दिनों के अन्दर उसे काम दे दिया जाता है।
5. इस योजना के तहत कम से कम 1/3 भाग महिलाओं को काम दिये जाने की व्यवस्था है।
6. कार्य के दौरान कार्यस्थल पर कार्य कर रही महिलाओं के 6 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की जाती है।
7. घर से 5 किलोमीटर के आस-पास के क्षेत्रों में ही रोजगार दिया जाता है।
8. मजदूरी कम से कम 260 ₹0 प्रतिदिन हो सकती है जिसका भुगतान बैंक खातों के जरिए होता है।
9. योजना को बनाने एवं लागू करने में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

**मनरेगा एवं महिला सशक्तिकरण-** इस योजना में शेड्यूल II पैरा 6 मनरेगा के अन्तर्गत कहा गया है- कार्य के वितरण में महिलाओं को प्राथमिकता देनी होगी ताकि कम से कम एक प्रकार के लाभ प्राप्त करने वालों में एक तिहाई से अधिक हिस्सा महिलाओं का हो।

ऐसी व्यवस्था रखने का एक मात्र उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, उनका मनोबल ऊँचा उठाना है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है महिलाएँ जैसे ही आत्मनिर्भर हो जाती है पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है और ये स्वयं को सशक्त महसूस करती हैं, समाज में उनका सम्मान एवं उनकी नजरों में स्वयं का आत्मसम्मान बढ़ जाता है। मनरेगा जैसी योजनाएँ न केवल देश से बेरोजगारी हटाने का कार्य कर रही हैं, वरन् ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाकर उनके अन्दर सशक्तिकरण की भावना को भी बढ़ावा दे रही हैं।

महिलाओं की उच्च भागीदारी मनरेगा की प्रमुख प्राथमिकता है। राष्ट्र भर में योजना के तहत कुल श्रम दिवसों का 48 प्रतिशत काम महिलाओं ने किया जो कि दिशा-निर्देश के 33 प्रतिशत से काफी अधिक है। महिलाओं की सम्पूर्ण भारत में भागीदारी दर के साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि इस योजना में महिलाओं की भागीदारी अन्य सभी योजनाओं की तुलना में सबसे अधिक है। मनरेगा ने महिलाओं के लिए काम का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है जो रोजगार एवं उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2006-07 में महिला रोजगार एवं श्रम दिवस लगभग 40.64 प्रतिशत रहा वित्तीय वर्ष 2007-08 में 42.51 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2008-09 में यह बढ़ कर 47.87 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 48.91 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2010-11 में महिला रोजगार एवं श्रम दिवस 47.73 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2011-12 में यह बढ़कर 49.33 प्रतिशत हो गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 में महिला रोजगार एवं श्रम दिवस 51.30 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 52.82 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में महिलाओं भागीदारी 54.88 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में यह भागीदारी 55.26 रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 56.14 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में महिलाओं भागीदारी एवं श्रम दिवस 54.67 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 55.61 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 56.40 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 57.11 प्रतिशत रहा एवं वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 57.53 प्रतिशत रहा है।

भारत में मनरेगा की प्रगति यह बताती है कि महिलायें निश्चित रूप से लाभान्वित एवं सशक्त हुई हैं। आर्थिक स्वावलम्बन और प्रदत्त कार्य तक पहुँचकर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मनरेगा द्वारा महिलाओं का अपनी मजदूरी पर अधिक नियन्त्रण हो गया है और वे उन्हें अपने छोटे ऋणों को चुकाने, बच्चों के स्कूल फीस भरने व स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्चों पर इस्तेमाल करती हैं। मनरेगा, महिला प्रमुख वाले परिवारों के लिए एक उचित और स्थिर रोजगार का माध्यम है। एक सर्वेक्षण में विधवाओं ने मनरेगा को आय का महत्वपूर्ण स्रोत माना है। अधिकतर महिलाओं का कहना है कि मनरेगा ने उन्हें भूख से एवं बिमारी से बचाया है।

मनरेगा अधिनियम के अनुसार महिला एवं पुरुषों को एक समान दर से मजदूरी का प्रावधान है एवं यह भी अनिवार्यता है कि कार्यस्थल पर कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं का होना आवश्यक है। मनरेगा धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव के बिना

सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर प्रदान करने वाली योजना है। केरल एवं आन्ध्रप्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक महिला श्रमिकों की संख्या दर्ज है।

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ महिलाओं की भूमिका एवं स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय थी आज भी सुधर नहीं पायी है किन्तु फिर भी समय-समय पर सरकारी प्रयासों एवं विद्वत्जनों द्वारा उनकी भलाई एवं सम्मान के लिए सार्थक प्रयास किये गये हैं मनरेगा उन्हीं सार्थक प्रयासों एक सफल एवं साकारात्मक कदम है। मनरेगा ने बहुत ही कम समय में बहुत अधिक लोकप्रीयता हासिल कर ली है। काम करने की प्रति महिलाओं का रवैया बदला है, एक समान मजदूरी होने के कारण उनके अन्दर भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की सामर्थ्य आया है. एक रिपोर्ट के अनुसार 15 राज्यों में 33 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक मनरेगा के तहत कार्य कर रही हैं जो कि महिलाओं की जागरूकता एवं सशक्तिकरण को दर्शाता है।

इसी क्रम में आगे देखते हुए बात करें तो पता चलता है कि महिलाएँ, विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाएँ एक ही समय पर अनेक परेशानियों से जूझती हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अन्याय, बदहाली, और अनगिनत ऐसी परेशानियाँ हैं जिनसे उन्हें आए दिन दो चार होना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में वे स्वयं को लाचार महसूस करने लगती हैं और यदि ऐसी परिस्थितियों में सरकार के द्वारा उन्हें वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो वह अपने परिवार एवं पति के साथ मिलकर काफी हद तक स्वयं को आर्थिक, सामाजिक मानसिक रूप से संगठित एवं मजबूत महसूस करती हैं।

मनरेगा एक वास्तविक पहल है ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का महिलाओं को निजी तौर पर काम तो मिलता है किन्तु वह अनियमित होता है, उनका शोषण बहुत अधिक होता है. खतरों से भरपूर कभी-कभी जानलेवा भी होता है लोगों को प्रवजन के लिए भी प्रोत्साहित करता है ऐसी स्थिति में मनरेगा जो कि उन्हें अपने गांव एवं घर के आस-पास रोजगार उपलब्ध कराती है, मानकीकृत मजदूरी प्रदान करती है और रोजगार में नियमितता लाती है एवं प्रवजन को भी रोकती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अंचलों के लिए विशेषकर आगरा जिले के पिनाहट ब्लॉक के लिए मनरेगा एक सर्वाधिक कुशल योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक महिला निजी कार्य करते हुए मात्र 85-100 रुपये प्रति कार्य दिवस कमाती है वही मनरेगा के तहत वह औसत दर से कम से कम 190-309 रुपये प्रति कार्य दिवस कमाती है जो कि निजी कार्यों से कहीं अधिक है इसी कारण से इस योजना को सभी प्रदेशों में स्वीकार्यता मिल रही है।

मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्य स्थानीय सरकार के द्वारा ग्रामीण जनता को प्रदान किया जाता है एवं सरकारी कार्य होने की वजह से इसमें कार्य के घंटे भी तय हैं जो कि 7-8 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा के नहीं हो सकते हैं, साथ ही कार्य क्षेत्र में बच्चों के रख-रखाव की व्यवस्था भी की जाती है। जिसमें पांच से अधिक बच्चे जो कि 6 वर्ष से कम के हो, शामिल किये जाते हैं। सरकारी कार्य होने की वजह से यहाँ श्रमिकों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है जिसमें आर्थिक एवं मानसिक दोनो प्रकार की सुरक्षा शामिल है।

**निष्कर्ष-** इस प्रकार मनरेगा योजना द्वारा महिलाएँ जागरूक हो रही हैं एवं कही न कही

पुरुषों के साथ बराबरी का अहसास उनके अन्दर जन्म ले रहा है। महिलाएँ सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ आत्म सम्मान के प्रति सचेत हो रही हैं और स्वयं के लिए एवं अपने परिवार के भविष्य के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर रही हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं, शिक्षा के महत्व को पहचान रही हैं और नारी शक्ति को जान रही हैं। मनरेगा के माध्यम से महिलाएँ यदि अकेली हैं तो भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो रही हैं। मनरेगा द्वारा आर्थिक सहयोग मिलने से ये परिवार में निर्णय ले रही हैं एवं परिवार की अनेकों समस्याओं जैसे छोटे-मोटे ऋण चुकाना, स्वास्थ्य बच्चों की शिक्षा भोजन और उपभोग आदि से निजात दिला रही हैं। कुल मिलाकर सम्पूर्ण भारत में महिला सशक्तिकरण की एक लहर सी दौड़ गई है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के आकार प्रकार एवं सोच आदि में भी परिवर्तन आया है। मनरेगा द्वारा न केवल पिनाहट ब्लॉक का अपितु पूरे देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास हो रहा है और देश बेरोजगारी के अभिशाप से धीरे-धीरे मुक्त हो रहा है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. शर्मा, प्रेमनारायण एवं वाणी विनायक (2011), गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, लखनऊ पृ.सं-45
2. कुमावल, ललित (2004), पंचायती राज एवं वंचित महिला समूहों का उभरता नेतृत्व नई दिल्ली, पृ.सं.-24
3. महात्मा गांधी मनरेगा समीक्षा II, (2013-14), ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली पृ. सं.-85
4. भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट (2012-13), आई.डी.एफ.सी. रूरल डेवलपमेंट, नई दिल्ली, पृ.सं.-26
5. खेडा और नायक वूमेन वर्कर्स एण्ड परसेप्शन्स ऑफ द नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी, एक्ट पृ.सं.-43
6. सिंह यू.पी., एवं आर.के. गर्ग (2012), महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम, नई दिल्ली पृ.सं.-231
7. सदरशन रत्ना (2006), वूमेन एण्ड नरेगा, आई.एल.ओ. रिपोर्ट पृ.सं.-8
8. जंडू नवज्योति (2008) इम्प्लायमेंट गारंटी एण्ड वूमेन्स एम्पावरमेंट इन रूरल इण्डिया

## ग्रामीण महिला उद्यमियों की समस्याओं व चुनौतियों का एक अध्ययन : हरियाणा राज्य के संदर्भ में

• मन्दीप कुमार  
•• संजय कुमार

सारांश-आदिकाल से ही महिलाएं अनेक अत्याचारों के शिकार होती रही है। कुछ सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। यद्यपि लैंगिक समानता संबंधी आंदोलन विश्व के अधिकतर हिस्सों में गति पकड़ रहे हैं। किंतु लैंगिक समानता की यह लड़ाई कोई नई बात नहीं है। जब से महिलाओं के अधिकारों को लेकर आंदोलन शुरू हुई है तब से महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। और पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में योग्यता को साबित किया है। आजादी के आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा आजादी के बाद सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम का संचालन किया गया। जिसकी वजह से आज महिला शिक्षा, विज्ञान, कला व रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परंतु फिर भी कुछ सामाजिक और परिवारिक बाधाओं की वजह से महिला अपनी संपूर्ण क्षमता से भूमिका नहीं निभा पा रही है। हालांकि आज महिलाएं लिंग आधारित व अन्य संबंधित सामाजिक पूर्वाग्रहों की चुनौतियों का सामना कि बिना शायद ही कभी जीत हासिल कर पाये। इस संदर्भ में सामाजिक नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिका चलने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने में समाज, सरकार और स्वयं महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। उद्यमी के रूप में वह महिलाएं होती हैं जो व्यावसायिक विचारों को उत्पन्न करते हैं, सर्वोत्तम अवसर का चयन करती हैं, संसाधन जुटा आती हैं, उत्पादन के कारकों को जोड़ते हैं, जोखिम उठाते हैं और लाभ कमानेके लिये सबसे अधिक प्रभावशीलता से उद्यम संचालित करती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में हरियाणा राज्य की ग्रामीण महिला उद्यमियों की समस्याओं का अध्ययन किया गया है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, अनुसंधान, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं से अनुसूचित की सहायता से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है।

मुख्य शब्द - ग्रामीण, महिला, उद्यमी, प्रभावशीलता, चुनौतियां।

**भूमिका-** भारतवर्ष एक प्राचीन सभ्यता है। यहां पर ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास

- शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)
- असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक (हरियाणा)

करती है। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। यहां पर लगभग सभी कार्यों व सामाजिक नियम पुरुषों द्वारा बनाये गए हैं। महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों में ही सीमित कर दिया गया। सामाजिक रूप से स्वतंत्रता न होने के कारण आदिकाल से ही महिलाएं अनेक अत्याचारों के शिकार होती रही हैं। कुछ सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। यद्यपि लैंगिक समानता संबंधी आंदोलन विश्व के अधिकतर हिस्सों में गति पकड़ रहे हैं। किंतु लैंगिक समानता की यह लड़ाई कोई नई बात नहीं है। जब से महिलाओं के अधिकारों को लेकर आंदोलन शुरू हुई है तब से महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। और पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में योग्यता को साबित किया है। आजादी के आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा आजादी के बाद सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम का संचालन किया गया। जिसकी वजह से आज महिला शिक्षा, विज्ञान, कला व रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परंतु फिर भी कुछ सामाजिक और परिवारिक बाधाओं की वजह से महिला अपनी संपूर्ण क्षमता से भूमिका नहीं निभा पा रही हैं। हालांकि आज महिलाएं लिंग आधारित व अन्य संबंधित सामाजिक पूर्वाग्रहों की चुनौतियों का सामना कि बिना शायद ही कभी जीत हासिल कर पाये। इस संदर्भ में सामाजिक नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिका चलने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने में समाज, सरकार और स्वयं महिलाओं की प्रमुख भूमिका है।

उद्यमी के रूप में वह महिलाएं होती हैं जो व्यावसायिक विचारों को उत्पन्न करते हैं, सर्वोत्तम अवसर का चयन करती हैं, संसाधन जुटा आती हैं, उत्पादन के कारकों को जोड़ते हैं, जोखिम उठाते हैं और लाभ कमाने का लिये सबसे अधिक प्रभावशीलता से उधम संचालित करती हैं।

**उद्यमिता-** उद्यमिता से अभिप्राय, “व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार के जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितता का सामना करने की योग्यता एवं प्र—ति है।”

**उद्यमी** - जिन व्यक्तियों में जोखिम वहन करने की यह इच्छा या शक्ति होती है, वे उद्यमी कहलाते हैं।<sup>1</sup>

जे. ई. स्टेपनिक के शब्दों में, “उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता संगठन की योग्यता एवं विविधीकरण करने तथा नव-परिवर्तन को जन्म देने की इच्छा है।”<sup>12</sup>

महिला उद्यमी- महिला उद्यमियों को उन महिलाओं या महिलाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवसाय शुरू, व्यवस्थित और संचालित करती हैं।

### साहित्य समीक्षा-

1. गोयल, मीनू एवं प्रकाश, जय (2011), “भारत में महिला उद्यमिता - समस्याएं और संभावनाएं,” में महिला उद्यमियों की विकास दर के कम होने के कारणों का वर्णन किया है। इन कारणों का विश्लेषण करने के उपरांत उन्होंने विकास को गति प्रदान करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। शोध पत्र में महिला उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है।<sup>3</sup>

अंत में ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमिता विकास के लिए उद्यमिता जागरूकता तथा महिला

कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता को जरूरी माना है।

2. शर्मा, योगिता (2013) ने अपने शोध पत्र, “भारत में महिला उद्यमिता” में भारतीय महिला उद्यमियों की चुनौतियों का वर्णन किया है।<sup>4</sup> साथ ही इस शोध पत्र में उन तत्वों का विवरण किया गया है जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को आंशिक व पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। एवं सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का वर्णन किया गया है।

3. सवपना, के. (2017)<sup>5</sup> ने अपने शोध पत्र, “ महिला उद्यमियों पर सूक्ष्म वित्त का प्रभाव”, में बताया है कि महिलाओं द्वारा अर्थव्यवस्था विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। परंतु महिला उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म वित्त की प्राप्ति में मुख्य समस्याएं वित्त बाजार की कम जानकारी, खातों के उचित रखरखाव की कमी, ऋण पर ब्याज की उच्च दर का सामना किया जा रहा है। प्रस्तुत शोध में कुछ प्रमुख वाणिज्य बैंकों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई वित्तीय योजनाओं का वर्णन किया गया है।

**प्रतिदर्शन का चयन-** शोध के लिए हरियाणा राज्य की 50 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्य पूर्ण विधि द्वारा किया गया है।

क्रम संख्या	अध्ययन का क्षेत्र	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
1.	निजी क्षेत्र	30
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	20
2.		
कुल		50

**आंकड़ों के स्रोत-** आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्राथमिक व द्वितीय दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

**प्राथमिक आंकड़े-** प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण महिला उद्यमियों से साक्षात्कार व अनुसूची विधि द्वारा किया गया है।

**द्वितीय आंकड़े-** द्वितीय आंकड़ों का संग्रहण संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्ट, सर्वेक्षण व इंटरनेट आदि के माध्यम से किया गया है।

**आंकड़ों का संपादन, वर्गीकरण एवं सारणीयन-** शोध के अंतर्गत वर्गीकरण कार्य आवश्यक है। प्रस्तुत शोध में प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित, वर्गीकरण व उनके उपरांत सारणीयन किया गया है।

**आंकड़ों का विश्लेषण-** संपूर्ण कार्य के उपरांत विश्लेषण के लिए अनुपात (तंजपव) या प्रतिशत का प्रयोग किया गया है।

**ग्रामीण महिला उद्यमियों की समस्याएं एवं चुनौतियां-** हमारा समाज पुरुष प्रधान होने के कारण महिलाओं को अनेक सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा महसूस की जाने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं और चुनौतियां निम्नलिखित हैं :-

**1. पारिवारिक व सामाजिक सहयोग की कमी-** ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा महसूस की जाने वाली एक प्रमुख समस्या परिवार व सामाजिक सहयोग की कमी है। आज भी कुछ परिवारों में महिलाओं को घर के बाहर कार्य करने को अच्छा नहीं माना जाता।

- 2. शिक्षा का स्तर-** एक अन्य मुख्य समस्या जो महिला उद्यमियों द्वारा महसूस की जाती है वह शिक्षा का अभाव। यदि महिला कुछ शिक्षित होती भी है तो उसे अपने व्यवसाय या नौकरी प्राप्ति के लिए उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता।
- 3. वित्त की कमी-** ग्रामीण महिला उद्यमी द्वारा अपने व्यवसाय की स्थापना के लिए वित्त पोषण की कमी का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें मुख्यतः अपने निजी व पारिवारिक स्रोतों पर ही निर्भर होना पड़ता है। यदि उन्हें बाहरी स्रोतों जैसे बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना होता है तो लंबी कार्यवाही करनी पड़ती है। जो ऋण प्राप्ति में एक मुख्य समस्या है।
- 4. पारिवारिक व सामाजिक परंपराएं-** कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुरानी परंपराओं को सख्ती से लागू किया जाता है। जिसकी वजह से ग्रामीण महिला उद्यमी खुलकर अपने व्यवसाय व नौकरी नहीं कर पाती। जैसे समाज में पर्दाप्रथा आदि।
- 5. पारिवारिक जिम्मेदारी-** सामाजिक कार्य विभाजन में महिलाओं को मुख्य घरेलू जिम्मेदारी दी गई जैसे घर के रखरखाव साफ-सफाई बच्चों की देखभाल व खाना बनाना आदि। ग्रामीण महिला अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय/नौकरी पर नहीं दे पाती। हालांकि आज कुछ परिवारों में यह जिम्मेदारियां पुरुष साथियों द्वारा भी साझा की जा रही है परंतु यह प्रतिशत बहुत ही कम है।
- 6. पारिवारिक में कार्यस्थल में सामंजस्य-** ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने पारिवारिक व कार्यस्थल में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि वह अपना पूरा समय परिवार को देती है तो व्यवसाय व नौकरी में अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाती।
- 7. विश्वास की कमी-** ग्रामीण महिला उद्यमियों में एक समस्या विश्वास की कमी भी है। यदि महिला से कुछ करना चाहती है तो परिवार जोखिम लेने को तैयार नहीं होता।
- 8. उचित प्रशिक्षण की कमी-** ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा अपने व्यवसाय/नौकरी में उचित कौशल की कमी का भी सामना करना पड़ता है। उचित कौशल व मार्गदर्शन के अभाव में वह अपना व्यवसाय या नौकरी शुरू नहीं कर पाती।
- 9. बाजार सूचनाओं का अभाव-** एक सफल उद्यमी को बाजार की सूचनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। ग्रामीण महिला उद्यमियों को आवश्यक बाजार सूचनाओं का अभाव देखा गया है। उन्हें अपने लिए उचित कच्चे माल व तैयार माल के विक्रय के लिए बाजार की जानकारी न होना भी एक मुख्य समस्या है।
- 10. बाजार विश्लेषण तकनीकों के ज्ञान का अभाव-** ज्यादातर ग्रामीण महिला उद्यमियों को बाजार विश्लेषण की तकनीकों की जानकारी नहीं होती। इस वजह से वह बाजार की समस्याओं व भविष्य में हो सकने वाले अवसरों से अनभिज्ञ रह जाती है।

**परिणाम एवं निष्कर्ष-****सारणी 01**

क्रम संख्या	अध्ययन का क्षेत्र	निजी स्रोत	परिवार स्व सहायता समूह	बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान	उत्तर दाताओं की कुल संख्या एवं प्रतिशत
01.	निजी क्षेत्र	08 (26.67 प्रतिशत )	10 (33.33 प्रतिशत )	05 (23.33 प्रतिशत )	07(23.33 प्रतिशत )
02.	सार्वजनिक क्षेत्र	06 (30 प्रतिशत )	07 (35 प्रतिशत )	04 (20 प्रतिशत)	03 (15 प्रतिशत)
	कुल	14 (28 प्रतिशत )	17 (34 प्रतिशत )	09 (18 प्रतिशत)	10 (20 प्रतिशत)

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि महिला उद्यमियों को 34 प्रतिशत वित्तीय सहायता परिवार से, 28 प्रतिशत निजी स्रोत से, 20 प्रतिशत बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से तथा 18 प्रतिशत सहायता स्व सहायता समूह से प्राप्ति हुई है।

**सारणी 02**

क्रम संख्या	अध्ययन का क्षेत्र	क्या आपको स्वरोजगार/नौकरी के लिए परिवार व समाज का सहयोग मिलता है?		
		हां	नहीं	उत्तर दाताओं की कुल संख्या एवं प्रतिशत
01	निजी क्षेत्र	13 (43.33 प्रतिशत )	17 (56.67 प्रतिशत )	30 (100 प्रतिशत )
02	सार्वजनिक क्षेत्र	08(40 प्रतिशत )	12 (60 प्रतिशत )	20 (100 प्रतिशत )
	कुल	21 (42 प्रतिशत )	29 (58 प्रतिशत )	50 (100 प्रतिशत )

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 42 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों का मानना है कि उन्हें स्वरोजगार/नौकरी के लिए परिवार का सहयोग मिलता है जबकि 58 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों का मानना है कि उन्हें परिवार व समाज का सहयोग नहीं मिलता।

**सारणी 03**

क्रम संख्या	अध्ययन का क्षेत्र	क्या आपको आज भी पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है?				
		हां	नहीं	कभी-कभी	कभी नहीं	उत्तर दाताओं की कुल संख्या एवं प्रतिशत
01	निजी क्षेत्र	08(26.67 प्रतिशत )	05(16.67 प्रतिशत )	15(50 प्रतिशत )	02 (6.66 प्रतिशत )	30 (100 प्रतिशत )
02	सार्वजनिक क्षेत्र	05 (25 प्रतिशत )	03(15 प्रतिशत )	09(45 प्रतिशत )	03(15 प्रतिशत )	20 (100 प्रतिशत )
	कुल	13(26 प्रतिशत )	08(16 प्रतिशत )	24(48 प्रतिशत )	05(10 प्रतिशत )	50 (100 प्रतिशत )

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 48 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों को कभी-कभी, 13 प्रतिशत को हां, 16 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों को नहीं तथा 10 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों को पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता की वजह से समस्याओं का सामना कभी नहीं करना पड़ा।

**सारणी 04**

क्रम संख्या	अध्ययन का क्षेत्र	क्या आपको अपने व्यक्तिगत जीवन व व्यवसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव होता है?		
		हां	नहीं	उत्तर दाताओं की कुल संख्या एवं प्रतिशत
01	निजी क्षेत्र	23(76.67 प्रतिशत )	07(23.33 प्रतिशत )	30(100 प्रतिशत )
02	सार्वजनिक क्षेत्र	14(70 प्रतिशत )	06(30 प्रतिशत )	20(100 प्रतिशत )
	कुल	37(74 प्रतिशत )	13(26 प्रतिशत )	50(100 प्रतिशत )

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 74 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों ने माना है कि उन्हें अपने व्यक्तिगत व व्यवसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव होता है। जबकि केवल 26 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों का मानना है कि उन्हें अपने व्यक्तिगत व व्यवसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती।

**सारणी 05**

क्रम संख्या	अध्ययन का क्षेत्र	क्या आपको व्यक्तिगत जीवन व व्यवसायिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में परिवार समाज का सहयोग प्राप्त होता है?				उत्तर दाताओं की कुल संख्या एवं प्रतिशत
		हां	नहीं	कभी-कभी	कभी नहीं	
01	निजी क्षेत्र	10(33.33 प्रतिशत )	07(23.33 प्रतिशत )	05(16.67 प्रतिशत )	08(26.67 प्रतिशत )	30(100 प्रतिशत )
02	सार्वजनिक क्षेत्र	08(40 प्रतिशत )	05(25 प्रतिशत )	04(20 प्रतिशत )	03(15 प्रतिशत )	20(100 प्रतिशत )
	कुल	18(36 प्रतिशत )	12(24 प्रतिशत )	09(18 प्रतिशत )	11(22 प्रतिशत )	50(100 प्रतिशत )

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 36 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों का मानना है कि उन्हें सहयोग मिलता है। 24 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों का मानना है कि उन्हें सहयोग नहीं मिलता। 22 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों का मानना होने कभी भी सहयोग नहीं मिला। जबकि 18 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों का मानना है उन्हें कभी-कभी सहयोग मिलता है।

**सारणी 06**

क्रम संख्या	अध्ययन का क्षेत्र	क्या आपको आपको लगता है कि आपकी योग्यता अनुसार आप स्वरोजगार/नौकरी कर पा रहे हैं?		
		हाँ	नहीं	उत्तर दाताओं की कुल संख्या एवं प्रतिशत
01	निजी क्षेत्र	12(40 प्रतिशत )	18(60 प्रतिशत )	30(100 प्रतिशत )
02	सार्वजनिक क्षेत्र	05(25 प्रतिशत )	15(75 प्रतिशत )	20(100 प्रतिशत )
	कुल	17(34 प्रतिशत )	33(66 प्रतिशत )	50(100 प्रतिशत )

स्रोत : प्राथमिक आंकड़े

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 66 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों को लगता है कि उन्हें अपनी योग्यता अनुसार स्वरोजगार/नौकरी की प्राप्ति नहीं

हो पाई। जबकि केवल 34 प्रतिशत ग्रामीण महिला उद्यमियों को लगता है कि उन्हें अपनी योग्यता अनुसार स्वरोजगार नौकरी की प्राप्ति हुई है।

**सुझाव-** उपरोक्त सारणी के आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं से स्पष्ट होता ग्रामीण महिला उद्यमियों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें दूर करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित प्रकार से हैं-

**1. पारिवारिक व सामाजिक सहयोग-** ग्रामीण महिला उद्यमियों के विकास के लिए पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर महिलाओं को पूरा सहयोग देना चाहिए। ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकें।

**2. शिक्षा के स्तर में सुधार-** ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करें। सरकार के साथ-साथ निजी व गैर लाभकारी संस्थानों को भी इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए।

**3. वित्तीय सहायता-** ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों को अपने निजी वित्तीय स्रोतों के साथ-साथ संस्थागत वित्त की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए। सरकार व वित्तीय संस्थाओं को भी महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय प्राप्ति की कागजी कार्यवाही को आसान बनाना चाहिए। ताकि आसानी से वह कम ब्याज दर पर ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्त की प्राप्ति हो सके।

**4. पारिवारिक व सामाजिक रूढ़ियों से छुटकारा-** समाज को भी पुरानी व रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

**5. पारिवारिक भागीदारी-** परिवार को भी महिलाओं की पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करना चाहिए। परिवार के पुरुष सदस्यों को भी इन जिम्मेदारियों में हाथ बढ़ाना चाहिए। ताकि ग्रामीण महिला उद्यमी अपने कार्यस्थल व परिवार में आसानी से सामंजस्य स्थापित कर सकें।

**6. स्वयं पर विश्वास-** ग्रामीण महिला उद्यमियों को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। इसके लिए परिवार द्वारा उसे प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। आदमियों को भी अपने जोखिम लेने की क्षमता का विकास करना चाहिए।

**7. उचित प्रशिक्षण व्यवस्था-** ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए उचित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। जिससे कि ग्रामीण महिला उद्यमी अपनी क्षमता व रुचि अनुसार उद्यम स्थापित कर सकें। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) तथा वोकेशनल संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

**8. बाजार सूचनाओं की उपलब्धता-** ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए आवश्यक बाजार सूचना प्राप्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि वह बाजार में आवश्यक कच्चे माल का क्रय व तैयार माल के विक्रय कार्यों को सुचारु रूप से कर सकें।

**9. बाजार विशेषण तकनीकों का प्रशिक्षण-** ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए उचित बाजार विश्लेषण तकनीकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे कि वह उचित

ज्ञान प्राप्त कर के अवसरों का लाभ उठा सकें।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. [http://www.kailasheducation.com/2020/08/udyan kya -arth -paribhasha -visheshtaye.html](http://www.kailasheducation.com/2020/08/udyan%20kya%20arth%20paribhasha%20visheshtaye.html)
2. Retrieved on 11 AM 20 Sept 2022
3. [Http://www.a2zsubjects.com/answer/entrepreneurship- development/1.html](Http://www.a2zsubjects.com/answer/entrepreneurship-development/1.html)  
Retrieved on 10 am 19 Sept 2022
4. गोयल, मीनू एवं प्रकाश, जय (2011), “ भारत में महिला उद्यमिता - समस्याएं और संभावनाएं,” बहुविषयक अनुसंधान के अंतरराष्ट्रीय जर्नल, खंड- 1, अंक -5 , सितंबर 2011, ISSN - 2231578
5. शर्मा, योगिता (2013), “ भारत में महिला उद्यमिता” आई .ओ.एस.आर. जर्नल अ, फ बिजनेस ओर मैनेजमेंट (आई.ओ. आर - जे.बी.एम), खंड -15, अंक- 3, नवंबर-दिसंबर 2013, पृष्ठ संख्या 09 – 14
6. सवपना. के. (2017), “ महिला उद्यमिता पर सूक्ष्म वित्त का प्रभाव”, इंटरनेशनल जर्नल आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, खंड -7, अंक -1 (2017), ISSN -2278-3660

## छपरा नगर के आधारभूत सेवाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

• शैलेन्द्र मालाकार

सारांश- छपरा नगर में आधारभूत सेवाओं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा आदि विकसित अवस्था में नहीं है नगरीय जीवन में बिजली पानी का अभाव है। नगर में गर्मी के दिनों में बिजली के अभाव में घरों में रहना दुर्लभ होता है। पूरा शहर ऑफिस समय 10 बजे से 4 बजे शाम के बीच लगभग जाम रहता है। शहर में ट्रैफिक प्रणाली विकसित नहीं है। शिक्षा का स्तर निम्न है कुल मिलाकर जरूरत इस बात की है कि सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य ऊर्जा पेयजल, आदि के संदर्भ में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, इस संदर्भ में जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं को धरातल स्तर पर लागू की जाय।

**मुख्य शब्द - शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, नगरीय जीवन**

किसी भी नगर के विकास के लिए आधारभूत सेवाओं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है नगर के सेवाओं और सुविधाओं पर ही नगरीय जीवन की उत्कृष्टता आधारित होती है। छपरा नगरीय क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न, पिछड़ा तथा असमान विशेषता रखता है। यहाँ के नगरीय जीवन में बिजली, पानी का अभाव पाया जाता है, शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ सरकारी उदासीनता के कारण विकास की गति धीमी है।

**अध्ययन क्षेत्र-** बिहार राज्य के सारण जिला के अंतर्गत छपरा नगर मुख्यतः प्रशासनिक मुख्यालय, शिक्षण केन्द्र बिन्दु एवं वृहद बाजारों का मुख्यालय है जो 25°45' उत्तरी अक्षांश एवं 84°72' पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है।

**उद्देश्य-** छपरा नगर के आधारभूत सेवाओं का विश्लेषण कर, छपरा नगर के आधारभूत सेवाओं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, ऊर्जा आदि के संबंध में जो नगर के सामने समस्याएँ हैं उसको जनप्रतिनिधियों, शोधार्थियों, सरकारी एजेंसियों, नीति निर्माताओं के समाने लाना ताकि विकास की गति को बढ़ावा दिया जा सके।

**परिकल्पना-**

1. छपरा नगर के विकास में क्षेत्रीय विषमता विद्यमान है।
2. शहरी विकास से ग्रामीण जनसंख्या में प्रवासन हेतु आकर्षण पैदा होता है।

**अध्ययन विधि-** प्रस्तुत शोधपत्र छपरा नगर निगम से एकत्र किए गए द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है।

छपरा नगर के आधारभूत सेवाओं का विश्लेषण- नगर अपने नागरिकों के लिए स्वशासी इकाई के रूप में विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराते है तभी तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीण जीवन स्वालम्बी तथा नगरीय जीवन परावलम्बी होता है। नगरीय सेवाओं तथा सुविधाओं पर ही नगर के निवासी के जीवन की उत्कृष्टता आधारित होती है, फलस्वरूप उस नगर के निवासी अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर पाते हैं। कोई भी नगर अपना आकर्षण उस समय खोने लगता है जब उस नगर में सेवाओं और सुविधाओं की कमी होने लगती है क्योंकि नागरिक सुविधाओं का प्रत्यक्ष संबंध जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है।

**स्वच्छ पेयजल-** छपरा नगर में पेयजल का मुख्य स्रोत भू-जल है। नगर की अवस्थिति उच्च और मध्यम भू-जल के क्षेत्र में है। जहाँ भू-जल की गुणवत्ता आमतौर पर एक मानी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में जल वितरण प्रणाली का रख-रखाव पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जाता है। छपरा शहर में पानी आपूर्ति की कुल स्थापित क्षमता 12 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) है। कुल उत्पादित पानी का लगभग 15 प्रतिशत पानी संचरण के समय क्षय हो जाता है। अतः शहर में पानी की शृद्ध आपूर्ति लगभग 10 MLD है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छपरा शहर में 51 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।”<sup>1</sup>

### छपरा शहर में विभिन्न समूहों को पानी की आपूर्ति

समूह	मात्रा MLD
गैर मलिन	6.8
मलिन	0.85
औद्योगिक	0.25
व्यवसायिक प्रतिष्ठान	2.3
कुल	10

स्रोत: पी.एच.ई.डी. छपरा डिवीजन।

अध्ययन क्षेत्र पी.एच.-डी. छपरा डिवीजन में पानी आपूर्ति की अवधि बहुत खराब है यानी प्रतिदिन 3-4 घंटे और उसमें भी पानी रिसाव की मात्रा उच्च होती है। छपरा सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार “पानी आपूर्ति में कमी के कारण शहर के अधिकांश लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए घरों में नलकूप और हैंडपंप लगाना पंसद करते है।” अध्ययन क्षेत्र में 14 नलकूप है जिसके द्वारा छपरा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति होती है। वर्तमान समय में छपरा शहर में लगभग 5720 पानी का कनेक्शन है जो कुल पानी कनेक्शन के मात्र 14 प्रतिशत भाग को कवरेज करता है। यह तथ्य इस बात को इंगित करता है कि शहर के निवासियों को योजनाबद्ध तरीके से पानी का कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है।

**सुझाव-** रिमोट सेंसिंग के माध्यम से छपरा शहर के भू-जल स्रोतों का मैपिंग किया जाय

तथा वर्षा जल के संचयन और पुनर्भरण के लिए कार्य योजना तैयार किया जाय।

घाघरा नदी के सतही जल को शोधित कर जल से अवांछित, रसायन, जैविक, अशुद्धियों, घुले हुए ठोस और गैसे आदि को निकाल दी जाए तो छपरा शहर में पेयजल आपूर्ति का एक अन्य विकल्प हो सकता है लेकिन यह प्रक्रिया ज्यादा खर्चीला है।

**शिक्षा-** शिक्षा के अभाव में एक सम्य सम्राज की कल्पना नहीं किया जा सकता है मानव जीवन में ज्ञान एवं समृद्धि का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। डॉ. वी. रमन्ना और बी. के. थपलियाल के अनुसार “नवीन आर्थिक क्रियाओं में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही संभव है।”

2011 की जनगणना के अनुसार छपरा शहर की कुल साक्षरता 81.30 प्रतिशत जिसमें पुरुष साक्षरता 86.07 प्रतिशत और महिला साक्षरता 75.97 प्रतिशत है।<sup>12</sup>

जिला जनगणना पुस्तिका सारण 2011 के अनुसार “अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 201597 पर 15 प्री-प्राइमरी स्कूल, 77 प्राइमरी स्कूल, 43 मीडिल स्कूल, 14 सेकेण्डरी स्कूल, 2 सीनियर सेकेण्डरी स्कूल है।”<sup>13</sup>

जयप्रकाश विश्वविद्यालय की अवस्थितिकी छपरा नगर में है, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत छपरा, सिवान, गोपालगंज के कई कॉलेज है। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की अपनी शाखा जयप्रकाश विश्वविद्यालय में ही है। अध्ययन क्षेत्र में जगदम कॉलेज में नालंदा विश्वविद्यालय की भी अपनी शाखा है।

इसके अलावा अध्ययन क्षेत्र में कई निजी विद्यालय, प्रौद्योगिकी संस्थान चिकित्सकीय संस्थान आदि की भी अवस्थिति है।

**सुझाव-** अध्ययन क्षेत्र के स्कूलों कॉलेजों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना की जाय तथा व्याख्यानों का ऑनलाइन प्रसारण किया जाय। छपरा नगर में मांग आधारित कौशल, प्रशिक्षण, स्वरोजगार प्रशिक्षण तथा नियमित रूप से रोजगार मेले का आयोजन की जाय।

**स्वास्थ्य-** विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि स्वास्थ्य का अर्थ पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक चुस्त दुरस्त होने से है न कि सिर्फ रोगग्रस्त और शारीरिक दुर्बलता का अभाव होने से है।

अध्ययन क्षेत्र के निवासियों को सरकारी अस्पतालों तथा अनेक प्राइवेट अस्पतालों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। छपरा सदर हॉस्पिटल की अवस्थिति नगर के दारोगा राय चौक के पास है जहाँ ओपीडी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, आई.सी.यू., इमरजेंसी, ब्लड बैंक, टीकाकरण, नशा मुक्ति केन्द्र, डायलिसीस आदि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रोगियों को प्रदान की जाती है।

#### छपरा शहर में स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	चिकित्सीय स्तर	संख्या
1.	सदर हॉस्पिटल	1
2.	प्राइमरी हेल्थ सेंटर	2
3.	प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर	19
4.	मैटरनिटी एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर	2
5.	टी.बी. क्लीनिक	1
6.	वेटनरी हॉस्पिटल	3
7.	फैमिली वेलफेयर	2

स्रोत: जिला जनगणना पुस्तक, सारण, 2011

संसाधनों की कमी के कारण अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिसंरचना का निर्माण राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं हुआ है। यू.आर.डी.पी.एफ.आई. के दिशा निर्देशों के अनुसार 30000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1 लाख 25000 की आबादी के लिए एक अस्पताल अपेक्षित है।” छपरा नगर के 201597 की जनसंख्या पर मात्र 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल है।

**सुझाव-** अध्ययन क्षेत्र में पी.पी.पी. यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप के तहत जिला स्तर के सार्वजनिक अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को निजी संस्थानों के साथ संबद्ध किया जाय।

डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाय ताकि वे ड्यूटी से गायब न रहे। अध्ययन क्षेत्र के अस्पतालों में डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और विशेषज्ञों की जो कमी है। इनकी नियुक्ति नियमित रूप से की जाय। छपरा नगर के अस्पतालों के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया जाय, अनियमितता की निगरानी की जाय। आधारभूत संरचना का विकास तथा जेनेरिक दवाइयों का बढ़ावा दिया जाय।

**परिवहन सुविधा-** नगरीय जीवन में यातायात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बिना यातायात के नगरीय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नगरीय मार्गों को नगरीय जीवन की धमनी कहा जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के सेवा क्षेत्रों से नगर को जोड़ते हैं। अनेकों प्रकार के यातायात के साधनों से स्थापित संपर्क नगरीय जीवन में स्थानात्मक और कार्यात्मक परस्पर अंतर्क्रिया को बल प्रदान करते हैं जिससे कार्य को संपन्न करने में मदद मिलती है।<sup>14</sup>

छपरा शहर में यातायात के साधन निम्न हैं-

- सड़क मार्ग
- रेलमार्ग
- जलमार्ग
- वायुमार्ग

**सड़क मार्ग-** किसी भी क्षेत्र विशेष को विकसित होने में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छपरा शहर मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। यह शहर घाघरा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। अंग्रेजी काल से ही यह शहर सड़क मार्ग से अनेक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। “छपरा शहर में सड़क नेटवर्क लगभग 154 किलोमीटर है।”<sup>15</sup> अध्ययन क्षेत्र में सड़कों की रख-रखाव की जिम्मेवारी छपरा नगर निगम के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

#### छपरा शहर में सड़कों का वितरण

क्र.सं.	सड़कों के प्रकार	सड़क लंबाई (km)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	30
2.	प्रमुख जिला सड़क	18
3.	मुख्य सड़क	64
4.	छोटी सड़क	48
	कुल	160

स्रोत : नगर निगम, छपरा।

छपरा शहर देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अध्ययन क्षेत्र से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-09 गुजरती है तथा NH-28B, 85, 101, 102 छपरा नगर में आकर समाप्त हो जाता है। स्टेट हाइवे 45-46, और 53 भी छपरा शहर से होकर गुजरती है।

**रेलमार्ग-** रेलमार्ग सड़क मार्ग की अपेक्षा सस्ता सुलभ और सुरक्षित यातायात का साधन है। अध्ययन क्षेत्र में मुख्य रेलवे जंक्शन, छपरा जंक्शन ( भगवान बाजार ) और कचहरी स्टेशन है। “छपरा जंक्शन की ऊँचाई लगभग 58 मीटर ( लगभग 190 फीट ) है। तथा 22 पटरियाँ एवं 5 लाइन है जो पहलेजा, मशरख, बलिया, सिवान, सोनपुर से शाखाबद्ध है, छपरा जंक्शन से लगभग 172 ट्रेनों का संचालन किया जाता है जो यहाँ से खुलती है या छपरा जंक्शन से होकर गुजरती है।”<sup>16</sup>

**वायुमार्ग-** अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार की यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छपरा शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 से लगभग 200 मीटर उत्तर-पूर्व के तरफ एक छोटी हवाई पट्टी है जिसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जा रहा है।

#### **सुझाव-**

- छपरा शहर में जो डबल डेकर का निर्माण हो रहा है उसके निर्माण की गति बहुत धीमी है। निर्माण में तेजी लाया जाय।
- अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- राजकोषीय और नियंत्रित उपायों द्वारा निजी मोटर वाहनों को हतोत्साहित किया जाय।
- छपरा शहर के बीचों-बीच बस स्टैंड है इसको शहर से बाहर किसी दूसरे जगह स्थापित किया जाय।

**ऊर्जा आपूर्ति-** ऊर्जा आज मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते है। दूसरे शब्दों में “ऊर्जा और विकास में चोली-दामन का रिश्ता है, ऊर्जा विकास की आधारभूत ईकाई है चाहे आर्थिक विकास हो या सामाजिक या मानवीय विकास, इसके बगैर आधुनिक जीवन का कल्याण असंभव है।” बिहार सरकार द्वारा संचालित नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा छपरा नगर में बिजली की आपूर्ति की जाती है। छपरा नगर के 22731 घरों में विद्युत कनेक्शन है जो कुल नगरीय घरों का 71.19 प्रतिशत है। छपरा नगर में ऊर्जा आपूर्ति की मांग की तुलना में ऊर्जा आपूर्ति कम है। नगर के विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है लेकिन ऊर्जा आपूर्ति कम होने एवं नगर निगम की उदासीनता की वजह से अभी सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट की कमी है। नगर में विद्युत की उपलब्धता शत प्रतिशत नहीं है गर्मी के दिनों में अधिक उष्णता के कारण, विद्युत आपूर्ति में कमी के कारण नगरवासियों को काफी कष्ट झेलना पड़ता है।

#### **सुझाव-**

- छपरा नगर में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ऊर्जा के आंतरिक उत्पादन में वृद्धि करने के साथ ही अन्य तकनीक का प्रयोग कर ऊर्जा खपत में मितव्ययता

लाई जाए।

- नगर के निवासियों में ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता लाई जाए।
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जल विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, शेल गैस, जैसे स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाया जाय।
- छपरा नगर में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा परियोजनाओं जैसे- बायोडीजल, बायोइथेनॉल, बायोगैस आदि को प्रोत्साहित किया जाय।
- अध्ययन क्षेत्र में पारंपरिक लैम्पों की जगह ऊर्जा बचाने वाले लैम्प को प्रयोग में लाया जाय तथा सभी सरकारी कार्यालयों में सौर ऊर्जा को स्थापित किया जाए।

**निष्कर्ष-** उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि छपरा नगर में आधारभूत सेवाओं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा आदि विकसित अवस्था में नहीं है नगरीय जीवन में बिजली पानी का अभाव है। नगर में गर्मी के दिनों में बिजली के अभाव में घरों में रहना दुर्लभ होता है। पूरा शहर ऑफिस समय 10 बजे से 4 बजे शाम के बीच लगभग जाम रहता है। शहर में ट्रैफिक प्रणाली विकसित नहीं है। शिक्षा का स्तर निम्न है कुल मिलाकर जरूरत इस बात की है कि सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य ऊर्जा पेयजल, आदि के संदर्भ में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस संदर्भ में जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं को धरातल स्तर पर लागू की जाय।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. फाइनल सिटी सेनेशन प्लान, प्रोग्रामी टाउन, छपरा बिजली ई-आई.एस. क्राऊन सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2013, पृ. 44-46
2. नगर निगम छपरा
3. जिला जनगणना हैडबुक, सारण, 2011
4. राव, डॉ. वी.पी. एवं शर्मा, डॉ. नदेश्वर (2018) नगरीय भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर, पृ. 339
5. नगर निगम छपरा
6. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

## आत्मनिर्भर भारत में कृषि क्षेत्र की भूमिका

• मधुलिका श्रीवास्तव  
•• उमेश सिंह

सारांश- आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत 12 मई 2020 को की गयी। इस महत्वाकांक्षी योजना से पूरे विश्व में भारत की पहचान एक सशक्त, संवेदनशील एवं आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर होने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया गया है तथा इस योजना के अन्तर्गत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के रूप में एक विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी। जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। यह प्रोत्साहन पैकेज कोविड-19 महामारी के कारण सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने एवं देश के विभिन्न (उच्च, मध्य एवं निम्न) वर्गों के नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में यह पैकेज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है जैसे एम. एस.एम.ई. ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी), शिशु मुद्रा ऋण एवं क्रेडिट लिंक्ड सव्बिसिडी इत्यादि योजनाओं के माध्यम से निवेश, अवसंरचना एवं नवाचार इत्यादि पर सबसे अधिक जोर दिए जाने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में विद्यमान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसको गतिशीलता प्रदान करने के साथ-साथ और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है।

मुख्य शब्द - आत्मनिर्भर भारत योजना, कोविड-19 महामारी, भारतीय कृषि

प्रस्तावना- भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ भारत की लगभग 1.30 अरब जनसंख्या में से लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन आज भी कृषि है। देश के विभिन्न वर्गों की आबादी कृषि से संबन्धित अलग-अलग कार्यों से जुड़कर अपना जीवन यापन करती है। भारतीय कृषि ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व, मानव आबादी का अधिकांश हिस्सा कृषि में ही कार्यरत था। परन्तु तत्कालीन कृषि तकनीकों के विकास के द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की जा सकी है। जिससे भारत आज के दौर में

- 
- प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
  - शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

अनाज का आयात करने के स्थान पर निर्यात करने में लगभग सक्षम हो गया है।

भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 16 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, इसलिए कृषि को आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसके साथ-साथ उत्पादन एवं उत्पादकता को गतिशीलता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए “आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान” का नारा दिया है। आत्मनिर्भर भारत में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है, जिसके महत्व को कदापि नकारा नहीं जा सकता है। देश की निरन्तर बढ़ती आबादी एक चिंताजनक विषय बना हुआ है, जिसे नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होगा तथा सम्पूर्ण भारतीय आबादी को भर पेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए तथा रोजगार मुहैया कराने के लिए कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना एवं अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करना अति आवश्यक हो गया है। हालांकि अभी तक भारतीय शोध संस्थानों के द्वारा नई-नई तकनीकों एवं उन्नतशील प्रजातियों का विकास करके भारतीय कृषि को निरन्तर गतिशीलता प्रदान की जा रही है। जिससे आज भारत विश्व में अधिकतम खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों की बराबरी करने में सक्षम हो गया है।

**आत्मनिर्भर कृषि के लिये फसल बीमा योजना की आवश्यकता-** आत्मनिर्भर भारत योजना का शुभारम्भ 12 मई 2020 को किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य लगभग 130 करोड़ भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार मुहैया कराना है। पिछले दो वर्षों से कोरोना जैसी भयंकर महामारी के संकट से जूझ रहे भारतीय किसानों को निजात दिलाने तथा प्रत्येक वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में यह योजना अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत 20 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन राहत पैकेज के रूप में किया जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपए की धनराशि एग्री- इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में भी प्रदान की तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके खाद्य वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया जिससे खाद्य वस्तुओं के भंडारण को बढ़ाया जा सका। किसानों को कृषि उत्पादों के विक्रय में सरलता लाने के लिए भारत सरकार ने “एक देश एक बाजार” के तहत किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार अपने कृषि उत्पाद का क्रय एवं विक्रय करने का अधिकार भी प्रदान किया है। यदि इन महत्वपूर्ण योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विश्वासपूर्ण ढंग से कृषि क्षेत्र में आगे की ओर कदम बढ़ाया जाए तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सबसे अग्रणी क्षेत्र कृषि का हो सकता है। इसके साथ ही, किसानों एवं मजदूरों को रोजगार प्राप्त कराने तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने में पुनः एक नयी आशा की किरण नजर आएगी, जिसके साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में गति प्रदान की जा सकेगी।

इस नई आत्मनिर्भर योजना से कृषि क्षेत्र तथा किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करने में सुरक्षा कवच का होना भी आवश्यक है और इसलिए इस संदर्भ में किसानों

द्वारा उत्पादित फसलों को किस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, इस पर विचार करना अति आवश्यक होगा।

भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण सदैव जोखिम भरा व्यवसाय रहा है। प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़, सूखा, चक्रवात इत्यादि के कारण बड़े पैमाने पर फसल की विफलता देश के किसी न किसी हिस्से में देखने को मिलती है। जिससे भारतीय किसानों को व्यापक रूप से जोखिम उठाना पड़ता है तथा उनको आर्थिक नुकसान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान होने के कारण कृषि के प्रभावित होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार से कृषि में होने वाले नुकसानों से किसानों को निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने फसल बीमा योजना को नए स्वरूप में प्रारंभ किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ किसानों की आय को दोगुना करके भारतीय किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को और अधिक मजबूती प्रदान करना है।

भारतीय कृषि की अनूठी प्रकृति और किसानों की असमान आर्थिक एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सरकार द्वारा फसल बीमा योजना को लाया गया और बार-बार असफल प्रयासों को दोहराया गया। समयांतराल पर कुछ संशोधन भी किए गए परन्तु प्रीमियम सब्सिडी समर्थन के बाद भी फसल बीमा योजना अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने तथा किसानों को लाभ पहुंचाने में विफल रही।

भारतीय किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में फसल बीमा पर आधारित योजनाओं को लागू किया गया जो कि निम्नलिखित हैं-

1. साधारण बीमा योजना (1972-1979)
2. पायलट फसल बीमा योजना (1979-1984)
3. व्यापक फसल बीमा योजना (1985-1998)
4. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (1999-2000)
5. मौसम आधारित फसल बीमा योजना (2007-2008)
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2016) - वर्तमान सरकार द्वारा लायी गयी

**फसल बीमा योजना का महत्व-** भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण तथा अनिश्चित समय पर वर्षा एवं वर्षा के असमान वितरण के कारण फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ मूल्य अस्थिरता होने के कारण किसानों को अधिक जोखिम सहन करना पड़ता है। जोखिमों और अनिश्चितता के परिदृश्य को देखते हुए कृषि के जोखिमों को कम करने अथवा किसानों को जोखिमों से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में शुभारम्भ किया गया। भारतीय फसल बीमा योजना कृषि क्षेत्र में विकास प्रक्रिया को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण अंग बना। भारत में पारंपरिक रूप से जोखिमों को निजी तौर पर निहित करने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की जा सकी। जिससे भारतीय किसानों के आर्थिक विकास में बदलाव प लाने में भी फसल बीमा योजना सक्षम हो सकी है।

एफ.ए.ओ. एवं विभिन्न कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कृषि में सबसे अधिक क्षेत्रफल सूखे से प्रभावित होता है जो कि सभी आर्थिक प्रभावों में से लगभग

84 प्रतिशत है अर्थात जब तक कृषि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रयोजन नहीं किए जाएँ तब तक यह स्थिति अनुकूल होने के बहुत ही कम आसार नजर आते हैं। कृषि क्षेत्र के विकास में यह आवश्यक हो स गया है, कि जनसांख्यिकीय संरचना में सीमांत एवं लघु किसानों के विकास का बोध सर्वोपरी किया जाए।

**आत्मनिर्भर भारत योजना के उद्देश्य-** देश की सम्पूर्ण आबादी को सभी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने एवं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर योजना के माध्यम से पाँच स्तंभों को रेखांकित किया है। जिनकी सहायता से देश के सम्पूर्ण जनमानस को रोजगार आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा। जो कि पाँच स्तम्भ निम्नलिखित हैं-

**कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भर भारत में भूमिका-** कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला होने के साथ-साथ लगभग देश की दो तिहाई जनसंख्या को रोजी रोटी प्रदान करने का साधन भी है। इसके साथ-साथ सम्पूर्ण देश में खाद्य, पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए कृषि आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश की तेजी से बढ़ती हुयी आबादी के लिए खाद्यान्न व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए देश में समय-समय पर खाद्य पोषण और आजीविका सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक क्रांतियों की शुरुआत की गयी है जैसे, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति तथा श्वेत क्रांति इत्यादि क्रांतियों के योगदान से भारतीय कृषि ने आज सम्पूर्ण विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है, जोकि निम्नवत हैं-

**खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता-** भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना देश के लिए अपने में ही बहुत बड़ा परिवर्तन एवं आत्मसम्मान की बात है। जोकि बहुरंगी क्रांतियों जैसे-हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति इत्यादि के कारण सम्भव हो पाया है। जिससे भारत आज विश्व में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश भर में 30 करोड़ 54 लाख 40 हजार टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान 2020-21 में लगाया जा रहा है जबकि यह आँकड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा 79 लाख 40 हजार टन ज्यादा है। जोकि यह दर्शाता है, कि देश के किसान वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई-नई तकनीकों एवं तौर तरीकों को अपनाकर निरन्तर कृषि क्षेत्र को एक नयी दिशा प्रदान करने में लगभग सक्षम हो गयी है।

**दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता-** भारत दलहन के वैश्विक उत्पादन में लगभग 24 प्रतिशत की हिस्सेदारी करता है तथा इसके साथ-साथ दलहन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर विद्यमान होने के साथ-साथ भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। विगत पाँच-छः वर्षों में दलहन का उत्पादन 1.4 करोड़ टन से बढ़कर 2.4 करोड़ टन हो गया है और इसके साथ-साथ भारत दलहन उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है।

**तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता-** भारतीय अर्थव्यवस्था में तिलहन उत्पादन का अहम योगदान है। भारत विश्व में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वैश्विक वनस्पति तेलों के उत्पादन में लगभग 7.0 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत में मुख्य रूप से मूँगफली,

अरंडी, तिल, रेपसीड और सरसों, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी तथा नाइजर इत्यादि फसलों से तेल का उत्पादन किया जाता है तथा चीन और कनाडा के बाद भारत रेपसीड का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

**चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भरता-** गन्ना विश्व में चीनी उत्पादन का मुख्य स्रोत है। विश्व में कुल चीनी उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत चीनी गन्ने से प्राप्त की जाती है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश होने के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत चीनी निर्यात करने में विश्व में 7 वें स्थान पर आता है तथा वर्तमान में लगभग 600 लाख किसान गन्ना उत्पादन से संबन्धित कृषि कार्यों में शामिल है जिसमें लगभग 7.50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से गन्ना उत्पादन पर निर्भर करती है।

**बागवानी फसलों एवं फलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता-** भारत ने बागवानी फसलों के उत्पादन एवं निर्यात में काफी प्रगति की है। देश के कई राज्यों के आर्थिक विकास में बागवानी फसलों की अहम भूमिका है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 30-40 प्रतिशत का योगदान बागवानी फसलों द्वारा किया जाता है तथा फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय पायदान पर विद्यमान है। भारत में उत्पादित बागवानी फसलों की विदेशों में लगातार मांग बढ़ रही है। भारत आम, केला, नारियल, काजू, पीपता एवं अनार इत्यादि बागवानी फसलों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है।

**पशुपालन एवं दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता-** भारत में पशुधन खेती एक बहुत ही लम्बी परम्परा रही है, परन्तु कृषि प्रकृति में मौसम पर आधारित होने के कारण पूरे वर्ष में अधिकतम 180 दिनों के लिए रोजगार कृषि क्षेत्र से उपलब्ध हो पाता है। अर्थात् पशुधन क्षेत्र भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत आज विश्व में सबसे बड़ी पशुधन आबादी वाला देश हो गया है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का एक अलग ही महत्व है। जोकि लगभग 8.8 प्रतिशत आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है और लगभग दो-तिहाई ग्रामीण आबादी को आजीविका प्रदान करने के साथ-साथ सहायक आय का एक मुख्य स्रोत भी है तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4.11 प्रतिशत तथा कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 25.6 प्रतिशत का योगदान देता है।

भारत आज विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। इसके साथ ही दुग्ध का उत्पादन 1463 लाख टन से बढ़कर 1984 लाख टन हो गया है।

**गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए की गई मुख्य घोषणाएँ-** 14 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत मुख्यतः गरीब, श्रमिक और किसानों के लिए जो घोषणाएँ की गई हैं, वह निम्नलिखित हैं-

- पहला, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की कोविड-19 पश्चात योजना।
- दूसरा, पिछले 2 महीनों के दौरान प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए सहायता योजना।
- तीसरा, प्रवासियों को वापस करने के लिए एमजीएनआरईजीएस सहायता योजना।

- चतुर्थ, श्रम संहिता में बदलाव करके श्रमिकों के लिए लाभ सुनिश्चित करना।
- पंचम, 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति।
- षष्ठम, 2021 तक 'एक देश एक राशन कार्ड' द्वारा भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना तय हुआ है।
- सप्तम, प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसर बनाने की पहल।
- अष्टम, मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- नवम, स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा दी जा रही है।
- दशम, सीएलएसएस के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को बढ़ावा देने के लिए 70 हजार करोड़ रु निर्धारित।
- ग्यारह, सीएएमपीए फण्ड का उपयोग कर 6 हजार करोड़ रोजगार पक्का किया जा रहा है।
- बारह, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूँजीगत निधि सुनिश्चित की गई है।
- तेरह, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ढाई करोड़ किसानों को बढ़ावा देने के लिए रु. 2 लाख रखे गए हैं।

**किसानों की आय दोगुनी करने के लिए की गई 11 घोषणाएँ-** आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मुख्यतः ग्यारह प्रकार की घोषणा की गई है।

- कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का कोष
- सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के एक औपचारिककरण के उद्देश्य से एक नई योजना के लायक रु. 10 हजार करोड़ दिए जा रहे हैं।
- प्रधानमन्त्री मातृ सम्पदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये आवण्टित
- पशुपालन के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का सेटअप किया जाएगा।
- केन्द्र सरकार जड़ी-बूटियों की खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
- मधुमक्खी पालन की पहल के लिए 500 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
- 500 करोड़ रुपये के सभी फलों और सब्जियों को कवर करने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन' का विस्तार किया जाएगा।
- अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू जैसे आवश्यक भोजन में संशोधन लाया जाएगा।
- कृषि विपणन सुधारों को एक नए कानून के माध्यम से लागू किया जाएगा जो

अंतरराज्यीय व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करेगा।

- किसान को सुविधात्मक कृषि उपज के माध्यम से मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन दिया जाएगा।
- चौथा और पाँचवाँ ट्रान्च ज्यादातर संरचनात्मक सुधारों से जुड़ा था, जो कुल मिलाकर 48,100 करोड़ का था, जिसमें वायबिलिटी गैप फण्डिंग रू. 8,100 करोड़ है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के लिए रू. 40,000 करोड़ रखे गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभ देश के गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग को मिलेंगे। जिससे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, उद्योग से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचेगा और वस्त्र उद्योग से जुड़े साढ़े चार करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा।

**कोरोना संकट के समय सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम-** भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने तथा ग्रामीण एवं शहरी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जोकि निम्नवत हैं-

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किसानों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान रू. 30,000 करोड़ की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया गया जिसके अन्तर्गत रू. 3 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को सम्मिलित करने का प्रावधान रखा गया। जिससे कोरोना जैसी भीषण महामारी के कारण आए ठहराव से उबारने और गतिशीलता प्रदान करके लघु एवं सीमांत किसानों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति को मजबूती प्रदान की जा सके।

कोरोना नामक विषाणु ने भारत क्या सम्पूर्ण विश्व के लगभग सभी देशों में त्राहि-त्राहि मचा दी जिसके प्रभाव से निपटने के लिए भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र की ओर ध्यान देने के साथ-साथ पशुपालन पर भी काफी हद तक जोर दिया है। कोविड-19 के प्रभाव से देश में दूध की मांग में उत्पन्न हुई लगभग 20-25 प्रतिशत तक की कमी को दूर करने तथा पशुपालकों को दूध उत्पादन एवं विक्रय में आने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 560 लाख लीटर दूध का क्रय करने का निर्णय लिया जिससे पशुपालकों को दूध उत्पादन एवं विक्रय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से कोरोना काल में सहायता प्रदान की जा सके।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सहायता से कृषि कार्यों में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को रू. 2 लाख करोड़ का प्रोत्साहन ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया है, जिससे किसान कृषि कार्यों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे, समय पर जुताई एवं बुवाई, खाद तथा पानी इत्यादि का प्रबंध करके खाद्यान्न उत्पादन को आसानी से बढ़ाया जा सके।

भारत सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत कुल रू. 20,000 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया। जिससे मत्स्य श्रृंखला में आये अंतराल को दूर करने के लिए सरकार ने एकीकृत, टिकाऊ समुद्री, अनुदेशीय मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर गतिविधियों के लिए रू. 11,000 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का शुभारंभ किया। जिसके तहत लगभग 55 लाख आबादी को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत इतना ही काफी नहीं रहा बल्कि, देश को स्वरोजगार युक्त भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रू. 500 करोड़ की लागत से मधुमक्खी पालन पहल की शुरुआत की तथा केंद्र सरकार की ओर से एक नई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना बजट वर्ष 2021.22 के अन्तर्गत लांच करने का प्रावधान किया गया। जिसके माध्यम से 6 वर्षों में लगभग रू. 64.180 करोड़ खर्च किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- अग्रवाल एन.एल. (1996) “भारतीय कृषि अर्थतंत्र” राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- अग्रवाल एन.एल. (1998) “भारतीय कृषि का अर्थतंत्र” राजस्थान (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी) जयपुर
- डॉ. अग्रवाल डी.पी. “बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषि पदार्थ विपणन का विवेचनात्मक” अनमोल पब्लिकेशन, दिल्ली
- अरोरा कृष्ण (1973) “उर्वरक” (संचलन नियंत्रण) आदेश प्रोफेशनल बुल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- अरोरा कृष्ण (1985) “उर्वरक” (नियंत्रण) आदेश प्रोफेशनल बुल पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
- अरोरा वी.पी.एस. (1986) “कृषि विपणन एवं कीमत विश्लेषण” पुस्तक महल, ग्वालियर।
- डॉ. बंजल विष्णुमोहन एवं डॉ. शर्मा दिनेश (1991) “विपणन प्रबंध” किताब महल, इलाहाबाद।
- भरत झुनझुनवाला (2000) “भारतीय अर्थव्यवस्था” राजकमल एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
- जैन, एस.सी., (2018) ग्रामीण एवं कृषि विपणन, कैलास पुस्तक सदन, भोपाल।
- गंगराड़े, डॉ. साधना (2018), खेती के उन्नत तरीके, रबी फसलें, कृषक जगत पब्लिशर्स, भोपाल।
- श्रीवास्तव, संजय (2011), खेती के उन्नत तरीके, खरीफ फसलें, कृषक जगत पब्लिशर्स, भोपाल।
- मिश्रा, डॉ. जय प्रकाश (2014), कृषि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।

## मानव विकास सूचक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में

• निशी मिश्रा

सारांश- किसी विकासशील देश के लिए विकास की गति तो आवश्यक है ही, लेकिन उससे अधिक स्वयं मानव विकास क्षेत्र में विकास की गति क्या है? इस तथ्य को भी जानना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का भारत में विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे विस्तृत प्रोग्राम है। इनको तैयार करने की प्रक्रिया में कार्यविधि में अन्तर के कारण मानवीय विकास सूचक जिसके द्वारा वे मोटे तौर पर किसी राज्य में मानवीय विकास के स्तर का संकेत करते हैं। भारत का हर राज्य एच.डी.आई. की श्रेणी को उन्नत करने का प्रयास करता है। अतः विकास का केन्द्र हमारी जनसंख्या के वे वर्ग होने चाहिए जो गरीब है और जिन्हे स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का आभाव है। मानवीय विकास सूचक के द्वारा पिछड़े राष्ट्र (राज्य) की सहायता की जाती है ताकि, वे सापेक्ष दृष्टि से मानव विकास में अन्य राज्यों के बराबर पहुंच सके। जिस तरह हमें सोने से पहले मीलों का सफर तय करना पड़ता है। ठीक वैसे ही विकास के स्तर तक पहुंचने हेतु मानवीय विकास देश के विकास के लिए आवश्यक है।

**मुख्य शब्द - विकास की गति, मानव विकास, आर्थिक संवृद्धि, आय, संवृद्धि**

**शोध विस्तार-** 1990 के बाद से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में वार्षिक मानव की एक श्रृंखला प्रकाशित की है। जिसमें पूरे विश्व के प्रत्येक देशों की मानव विकास की गणना की जाती है। हालांकि सूचकांक अभी भी परिस्थितिक विचार को शामिल करने में विफल है, इसने इसे व्यापक बना दिया है, दुर्भाग्य से विकास के मूल्यांकन पर चर्चा कुछ वर्षों से एच.डी.आर. बन गये है। आर्थिक संवृद्धि से गरीबी तब घटती है, जब वह गरीब लोगों के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी में वृद्धि करती है और जब सार्वजनिक संसाधन मानव-विकास में सुधार के लिए लगते हैं। वास्तव में आर्थिक संवृद्धि और मानव विकास तभी साथ साथ चल सकते हैं जब आर्थिक संवृद्धि में श्रम का अधिक इस्तेमाल होता है और जब मानवीय कुशलता और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता है। मानव विकास, आर्थिक संवृद्धि को एक साधन के रूप में देखने के लिए एक आवश्यकता है। यद्यपि एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में, आय, मोटे रूप से मानव

• असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, पं. दीनदयाल राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम्, लखनऊ उत्तर प्रदेश

कल्याण में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, यदि इसके लाभ लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए हो। किन्तु आय में संवृद्धि अपने में एक उद्देश्य नहीं है। संवृद्धि की गुणवत्ता है, न कि इसका परिणाम, जो कि मानव के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।

मानव विकास की अवधारणा की व्याख्या करते हुए यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट के अनुसार, यह वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जन सामान्य के विकल्पों का विस्तार किया जाता है और इनके द्वारा उनके कल्याण के उन्नत स्तर को प्राप्त किया जाता है। यही मानव विकास अवधारणा का मूल है। महबूब-उल-हक के मार्गदर्शन में 1997 में मानव विकास रिपोर्ट के प्रथम प्रकाशन के बाद मानव कल्याण के कार्यों का निर्माण करने और उन्हें परिलक्षित करने के लिए प्रयास किए गए जिसके तीन माप विकसित किये गये हैं- मानव विकास सूचक (सूचकांक), मानव निर्धनता सूचक (सूचकांक), लिंग-संबंधित सूचक (सूचकांक)।

**मानव विकास सूचक-** मानव विकास सूचक, तीन मूल आयामों की औसत उपलब्धि है। लम्बे एवं स्वस्थ जीवन के माप के लिए जन्म पर जीवन प्रत्याशा। ज्ञान जिसके माप के लिए बालिग साक्षरता दर (दो तिहाई वजन) और समग्र, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक कुल नामांकन अनुपात (एक तिहाई वजन) को आंका जाता है। एक अच्छा जीवन स्तर जिसकी माप है, प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पाद। (यू.एस. डॉलर क्रय शक्ति समता) मानव विकास सूचक का परिकलन करने से पूर्व, तीन आयामों के अलग-अलग सूचक तैयार किये जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्यों का प्रत्येक सूचक के लिए चुनाव किया जाता है। सूचक अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य जन्म पर जीवन प्रत्याशा, बालिग साक्षरता दर, कुल नामांकन अनुपात, प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पाद (यू.एस. डॉलर क्रय शक्ति समता) मानव विकास सूचक इन तीन आयामों का साधारण औसत है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत का मानव विकास सूचकांक 2020 में 189 देशों के मध्य 131 स्थान प्राप्त किया है। मानव विकास रिपोर्ट (2020) में कहा गया है 2019 में जन्म के समय भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी, जबकि, बांग्लादेश की जीवन प्रत्याशा 72.6 वर्ष और पाकिस्तान में 67.3 वर्ष थी। 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को मध्यम मानव विकास की सूची में शामिल किया गया। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2019 में गिरकर (6,681+) हो गई, जो 2018 में क्रय शक्ति समता के आधार पर 6,829+ थी।

**लिंग संबंधित मानव विकास सूचक-** लिंग संबंधित मानव विकास सूचक जिन तीन आयामों के लिए प्रयोग किया जाता है वे हैं, स्त्रियों में जन्म पर जीवन-प्रत्याशा। स्त्री बालिग साक्षरता दर एवं कुल नामांकन अनुपात। स्त्री प्रति व्यक्ति आय। यदि लिंग समानता विद्यमान ना हो तो, मानव विकास सूचक और लिंग संबंधित सूचक बराबर होंगे। यदि लिंग असमानता है तो, लिंग संबंधित सूचक मानव विकास सूचक से कम होगा।

विश्व में अब लिंग असमानता के बारे में कहीं अधिक जागरूकता विद्यमान है और लिंग असमानता को कम करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा एवं उन्नति के क्षेत्र में स्थान प्राप्त कराने के लिए प्रयास चल रहे हैं। जी.डी.आई. की गणना 167 देशों के लिए की

जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत 28 वें पायदान नीचे 140वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब तक अपने 62.5 फीसदी जेंडर गैप को बंद कर दिया। और यह दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन रहा है।

2020 में देश 153 देशों में से 112 वे स्थान पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश ने राजनीतिक सशक्तिकरण में सबसे खराब प्रदर्शन किया है जो, 23.9 प्रतिशत हो गया है। स्वास्थ्य और उत्तर जीविका आयाम पर इसकी रैंकिंग पांच सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और अस्तित्व, और राजनीतिक सशक्तिकरण। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की उच्च घटनाओं के कारण विषम लिंग अनुपात की ओर इशारा करता है। महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर और तकनीकी में महिलाओं की हिस्सेदारी 2020 में भूमिकाओं में गिरावट आई है। जिससे महिलाओं की अनुमानित अर्जित आय में कमी आयी है, जो पुरुषों की आय का पाँचवा हिस्सा है। जैसा कि, 'कोरोना काल' के प्रभाव को महसूस किया जा रहा है। वैश्विक लिंग अंतर 99.5 वर्ष से बढ़कर 135.6 वर्ष हो गया है। मानव विकास रिपोर्ट 1997 के आधार पर मानव निर्धनता सूचक की अवधारणा को विकसित किया गया। तीन अनिवार्य वचन है जो कि, मानव विकास सूचक में परिलक्षित है, दीर्घ आयु (40 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत से प्राप्त होता है। ज्ञान (बालिग में असाक्षरों के प्रतिशत से प्राप्त होता है।) अच्छा जीवन स्तर। यह तीन चलों का संग्रह है, जन सामान्य का प्रतिशत जिसमें- (क) स्वास्थ्य सेवाएँ। (ख) सुरक्षित शुद्ध पेय जल। (ग) पाँच वर्ष से कम आयु वाले कुपोषित बच्चों का प्रतिशत।

यह जनना प्रसांगिक लेगा कि मानव निर्धनता सूचक में आय का सामवेश क्यों नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक साधन जुटाने की व्यवस्था के पीछे तर्क यह है कि मानव निर्धनता सूचक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सामवेश वस्तुतः सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं का सम्मिश्रण है, चूंकि भुगतान कुल राष्ट्रीय आय में से किया जाता है। अब भारत अधिक गरीबी वाला देश नहीं रहा है। 0.6 भारतीय हर मिनट गरीबों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ल्ड पाँवर्टी ब्लॉक के अनुसार, गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या-97,697,747 (97.7 मि.) या लगभग 6 प्रतिशत आबादी है। भारत में गरीबी से प्रभावित 44,806,455 पुरुष और 52,891,292 महिलाएँ हैं।

**भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में : मानव-विकास 2021-** उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत के सभी राज्यों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की नाममात्र जी.डी.पी. के आधार पर 17.05 लाख करोड़ (45+ 240) है। उत्तर प्रदेश की शहरी आबादी 4,44,95,063 है। 2011 की जनगणना अनुसार 22.76 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में पायी जाती है। विभाजन 2000 के बाद, नया उत्तर प्रदेश पुराने उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक उत्पादन का लगभग 92 प्रतिशत उत्पादन करता है। वर्तमान में गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से ठीक ऊपर 26.4 प्रतिशत है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2021 में जनसंख्या द्वारा अनुभव की गई

गरीबी की घटनाओं और तीव्रता को निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों का उपयोग किया गया है। भारत की 25.01 प्रतिशत आबादी 'बहुआयामी गरीब' बनी हुई है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में पोषण बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य का इस्तेमाल किया; शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा और स्कूल में उपस्थिति के वर्ष, और खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता पेयजल, बिजली, आवास, सम्पत्ति का स्वामित्व और जीवन स्तर संकेतक के रूप में बैक खाते। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य अधिकांश मानकों पर देश से पीछे है। यह, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। लखनऊ और कानपुर के शहरी केंद्रों और दिल्ली की सीमा से लगे पश्चिमी यू.पी. के जिलों में अपेक्षाकृत बेहत आंकड़े हैं। लिंग-संबंधित सूचकांक यू.पी. में लिंग परिवर्तन भारत में महिलाओं के लिए आशा जगता है।

यू.पी. (उत्तर प्रदेश) को अक्सर आबादी और गरीब के रूप में देखा जाता है। यह अक्सर राज्य में महिलाओं को कठोर पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण विशेष रूप से अशक्त माना जाता है। इसी पृष्ठभूमि के खिलाफ नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2020-21 के निष्कर्ष राज्य में महिलाओं के प्रति आशाजनक परिवर्तन के साथ परिवर्तन की गति देखने में सक्षम बनाती है। राज्य में लिंगानुपात में एक बड़ा बदलाव आया है। यू.पी. की आबादी में अब पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएँ हैं। (1000 पुरुष पर 995 महिला से बढ़कर 1,117) हो गया।

नवजात मृत्यु दर में लगभग 10 प्रतिशत अंक, शिशु मृत्यु दर में 13 प्रतिशत अंकों और पांच साल से कम उम्र की मृत्यु दर में 19 अंकों की वृद्धि से बालिकाओं के जीवित रहने में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में शिक्षा में, महिलाओं के सामवेश में उल्लेखनीय प्रगति देखी। जिसमें कॉलेजों में लगभग 50 प्रतिशत छात्राएँ शामिल हैं। 10 साल में अधिक स्कूली शिक्षा वाली विवाहित महिलाओं का अनुपात 33 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है। घर में लैंगिक समानता महिलाओं और घरेलू भागीदारी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इस मामले में 6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से यू.पी. में एक बड़े सुधार की आशा दर्शाती है और जब एक गरीब और आबादी वाला राज्य बड़े सकारात्मक बदलावों का अनुभव करता है तो यह भारत में महिलाओं की स्थिति और देश की प्रगति का मार्गदर्शन करता है।

भारत के विभिन्न राज्यों के अभिदृश्य में भारी असमानताएँ विद्यमान और कई प्रतिरूपों में अन्तर्निहित खतरे भी हैं। जैसे-आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार पिछड़े हुए राज्य निम्न आर्थिक विकास और निम्न मानव विकास के दुष्चक्र में फंस गये। उन्हें इसे तोड़ने के लिए पहले विनियोग को बढ़ाना होगा ताकि आर्थिक विकास त्वरित किया जा सके और फिर मानव विकास। विश्व बैंक के 192 देशों के बारे में किए गए अध्ययानुसार विकास के केवल 16 प्रतिशत भाग की व्याख्या भौतिक पूँजी द्वारा की जा सकती है; अर्थात् आधारभूत संरचना द्वारा, जबकि 2021 के लिए मानव व सामाजिक पूँजी को श्रेय दिया जाता है। अतः आर्थिक विकास और तीव्र मानवीय विकास में कोई अन्तर्विरोध नहीं है, दोनों एक-दूसरे को पुष्ट करते हैं और जब तक भारत इन दोनों में

संतुलन स्थापित नहीं कर लेता, तब तक विकास साध्य और लोकतन्त्र के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकते और विकास देश के गरीब वर्गों के बड़े भाग के लिए अपूर्ण ही रहेगा।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- भारतीय अर्थव्यवस्था – दत्त एवं सुन्दरम
- भारतीय अर्थव्यवस्था – जगदीश नारायण मिश्र भारतीय अर्थव्यवस्था – एम.एल. झिंगन
- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, (रिपोर्ट 2021)
- & [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) fo'o xjhch ?kM+h] ¼fjiksVZ½ & [www.theglobaleconomicstatishic.com](http://www.theglobaleconomicstatishic.com), U.N.D.P. Reprot 2020-2021, [www.Econonictimes.com](http://www.Econonictimes.com), Golbal multidemensional poverty index Report 2021 World population Review (Artical)
- [www.indiacensees.net](http://www.indiacensees.net) Nitiaayog Report 2020-2021
- [www.niti.gov.in](http://www.niti.gov.in) [www.hindustantimes.com](http://www.hindustantimes.com) [www.censax2011.co.in](http://www.censax2011.co.in)
- [www.population.com](http://www.population.com)
- [www.newindiaexpress.com](http://www.newindiaexpress.com)
- [www.republicworld.com](http://www.republicworld.com) [www.statista.com](http://www.statista.com) [www.in.undp.org](http://www.in.undp.org).

## पर्यावरण प्रदूषण का ताजमहल पर बढ़ता खतरा

• संजय कुमार

सारांश- सरकारी, गैर-सरकारी एवं पर्यावरणविद् की ओर से लगातार ताजमहल के संरक्षण के लिए कोशिशों की जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि निर्देशों का पालन वास्तविक धरातल पर नहीं हो पाता है और समस्याएँ बदस्तूर जारी रहती है। कमोबेश ऐसी ही हालत ताज की भी है। ताज जाने वाले और आगरा के रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर्यावरण के प्रति सचेत एवं ताज के खूबसूरती बचाने हेतु तत्पर नहीं रहेंगे तो मुहब्बत की इस निशानी पर पर्यावरण प्रदूषण के खतरे मंडराते रहेंगे। हमें व्यक्ति से व्यवस्था तक चारों ओर से ताज को उसकी स्वभाविक खूबसूरती को बचाने एवं बनाये रखने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से ताजमहल पर पड़ रहे पर्यावरण के दुष्प्रभावों का आँकलन करना है। जिसके कारण इसके सफेद रंग एवं इसके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही उन बिन्दुओं को स्पष्ट कर आम लोगों एवं पर्यटकों को भी आगाह करना है कि हम ताजमहल पर आसन्न खतरे को किन प्रयासों द्वारा कम कर सकते हैं।

**मुख्य शब्द - नागरिक, पर्यावरण, प्रदूषण, व्यवस्था, प्रयास**

विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक धरोहर, प्रेम की अप्रतिम प्रतीक एवं दुनियाभर के सैलानियों को अपनी जीवन्त संगमरमरीनूर से रिझाने वाली ताजमहल पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसकी प्रबलता पर धब्बे लग रहे हैं। आगरा स्थित यह विश्व धरोहर प्रकृति और मनुष्य के दो तरफा खतरे का सामना कर रहा है। एक जीवधारी के समान अजैव स्वरूप जैसे इमारत मकबरे एवं मूर्तियाँ भी प्रदूषण के विभिन्न रूपों से प्रभावित होता है। आधुनिक विश्व के सात आश्चर्यों में एक भारत में सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाले ताजमहल का सफेद रंग, वायु, जल एवं विभिन्न प्रदूषणों के कारण बेरंग हो रहा है एवं इसकी बुनियाद भी प्रभावित हो रही है। आगरा में हाल के वर्षों में बढ़ते उद्योग एवं यातायात के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार आगरा में 60 आर. एस. पी.एम. (Respirable Suspended Particulate Matter) तक प्रदूषण होना चाहिए लेकिन मौजूदा स्थिति में यह 160 आर. एस. पी. एम. तक पहुँच गया है। ताजमहल के आस-पास अवैध उद्योग का काफी विकास हुआ है तथा ताज के निकटवर्ती भागों में भवनों के निर्माण का न खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। इस तरह से प्रदूषण और बदइंतजामियों की मार से मोहब्बत की

• विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजेन्द्र कॉलेज, छपरा

यह अनमोल निशानी धायल हो रही है जिस खबूसूरती की दुनिया दीवानी है। उसी पर दाग लग रहा है।

**अध्ययन क्षेत्र-** प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र आगरा शहर है। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा शहर है और यमुना नदी के किनारे बसा है। सिकन्दर लोदी द्वारा 1506 में स्थापित यह शहर ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। मुगलों की चहेती जगह आगरा 1526-1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। ताजमहल के अतिरिक्त आगरा का लाल किला एवं फतेहपुर सीकरी भी UNESCO की विश्व धरोहर में शामिल है। आगरा 27°10'29" उत्तरी आक्षांश से 27°17'99" उत्तरी आक्षांश तक एवं 78.0°2" पूर्वी देशान्तर से 78.0°2" पूर्वी देशान्तर के बीच अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा शहर की आबादी कैंटोनमेंट सहित 17,60,285 व्यक्ति था।

**उद्देश्य-** ताजमहल भारतीय सौंदर्य का प्रतीक, भारत की पहचान एवं गौरवपूर्ण विरासत है। दुनियाभर के पर्यटकों के लिए भारत में सर्वाधिक आकर्षण का केन्द्रस्थल, ताजमहल अपनी स्वाभाविक खूबसूरती खोने लगी है। प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से ताजमहल पर पड़ रहे पर्यावरण के दुष्प्रभावों का आँकलन करना है। जिसके कारण इसके सफेद रंग एवं इसके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही उन बिन्दुओं को स्पष्ट कर आम लोगों एवं पर्यटकों को भी आगाह करना है कि हम ताजमहल पर आसन्न खतरे को किन प्रयासों द्वारा कम कर सकते हैं।

**राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय महत्व-** आधुनिक विश्व में ताजमहल दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक है। सम्पूर्ण विश्व के सैलानियों की हसरत होती है। ताज की खूबसूरती का दीदार करने की। प्रत्येक वर्ष यहाँ 50-60 लाख सैलानी आते हैं, जिसमें 12 प्रतिशत विदेशी पर्यटक होते हैं। आगरा भारत के पर्यटन का आइकॉन है, विश्वभर में प्रेम का प्रतीक 17 वीं सदी का संगमरमर का मकबरा मनुष्य एवं प्राकृतिक दोनों का दुष्प्रभाव झेल रहा है। वर्ष 1983 में UNESCO ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया लेकिन हाल में इस पर मंडराते खतरे को देखते हुए इसे संकटग्रस्त विरासत स्थल घोषित किये जाने के प्रति सावधान किया है। बिल क्लिंटन न कहा है कि "350 साल पुराने ताजमहल, समय और प्रदूषण से जंग करता हुआ बेरंग हो रहा है।"

**अध्ययन विधि-** प्रस्तुत आलेख में निष्कर्षतः पहुँचने के लिए विभिन्न तथ्यों, आँकड़ों तथा सूचनाओं को आधार बनाया गया है। इन विवरणों का आधार प्रकाशित पुस्तकें, पत्रिकाओं, अखबार, दूरसंचार एवं विभिन्न शोध पत्रों को बनाया गया है।

**प्ररेणा एवं निर्माण-** शाहजहाँ (1628-1658) की तीसरी एवं सबसे प्यारी बेगम अर्जुमंदबानों बेगम अर्थात् मुमताज महल अपने 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त 1631 में निधन हो गया। शाहजहाँ मुमताज से बेपनाह मुहब्बत करता था, ताजमहल उसी की स्मृति का जीवन्त स्वरूप है। ताज का निर्माण मुमताज के निधन के एक वर्ष बाद वर्ष 1632 में जब मुगल साम्राज्य समृद्धि के शीर्ष पर था प्रारंभ हुआ। ताजमहल के मुख्य ढाँचे का निर्माण 1648 में पूरा हो गया लेकिन आस-पास की इमारतों एवं बागीचों का निर्माण अगले पाँच वर्षों में हुआ। इसके निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया एवं इसकी उस समय अनुमानित लागत 3 करोड़ 20 लाख मानी

गई थी। प्रारंभ में मुमताज महल धीरे-धीरे ताजमहल कहा जाने लगा। ताजमहल के निर्माण में हुमायूँ के मकबरे तथा एत्माद-उद-दौला के मकबरे से प्रेरणा ली गई प्रतीत होती है।

**संरचना-** ताजमहल वास्तुकला की कारीगरी का सर्वोत्कृष्ट नमूना तथा शाहजहाँ का विश्व को सर्वश्रेष्ठ उपहार है। ताज मुगल वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण तो है ही इस पर फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का सामंजस्य पूर्ण संयोजन का प्रभाव है। शाहजहाँ की देखरेख में उस्ताद ईसा खाँ ने ताजमहल का निर्माण सम्पन्न करवाया। मकबरे की योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। लाहौरी ने ताजमहल के निर्माण में सहायता के लिए बगदाद तथा शिराज से हस्तकला विशेषज्ञ, कुस्तुनिया से गुम्बद निर्माण कला विशेषज्ञ, बुखारा से फल-पत्ते के खुदाई विशेषज्ञ समरकन्द से शिखर निर्माण एवं बाग-बगीचा निर्माण में कुशल लोगों को बुलवाया।

ताजमहल यमुना के दक्षिण किनारे पर स्थित है। मकबरे का मुख्य भाग 17 हेक्टेयर (42 एकड़) में स्थित है। सफेद संगमरमर से तराशा हुआ यह भारत की ही नहीं विश्व की अत्युत्तम कृति है। यह सममितीय स्मारक मुगल शैली की चार बाग में स्थित है। ताज को एक लाल बलुआ पत्थर के चबुतरे पर बने सफेद संगमरमर के चबुतरे पर बनाया गया है। ताज की सर्वाधिक सुन्दरता इसके इमारत के बराबर ऊँचे महान गुम्बज में बसी है। यह 60 फीट व्यास का 80 फीट ऊँचाई है। इसके नीचे मुमताज की कब्र है, इसके बराबर ही 'शाहजहाँ की कब्र है। अंदरूनी क्षेत्रों में रत्नों व बहुमूल्य पत्थरों का कार्य है। पर्सी ब्राउन के शब्दों में, 'स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मुगलकाल की सबसे उत्कृष्ट कृति है।' टैगोर ने कहा है 'काल के गाल पर अटका हुआ आँसू का एक बूंद है ताज।' डॉ. बनारसीदास सक्सेना ने लिखा है कि "ताजमहल में नेत्रों को संतुष्ट तथा हृदय को आनन्दित करने का अद्भुत क्षमता है।" हॉवेल ने 'ताजमहल को भारतीय नारीत्व की सकार प्रतिमा कहा है।'

**पर्यावरण प्रदूषण के विविध कारक-** विश्व प्रसिद्ध गौरवपूर्ण धरोहर प्रेम की अप्रतिम प्रतीक ताजमहल, प्रकृति और मनुष्य से दो तरफा खतरे का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर के द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर पता चला है कि ताजमहल पर वायु एवं जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ प्रदूषण की मात्रा, उद्योग, परिवहन एवं जनसंख्या के बढ़ने के कारण हुआ है। ताज के बेरंग होने का बड़ा कारण मथुरा तेलशोधक शाला एवं आस-पास के उद्योगों से वायुप्रदूषण एवं अम्लवर्षा, ईंट बनाने वाली चिमनिया, वाहन, जेनरेटर, मुख्य TTZ (Taj Trapezium Zone) को प्रदूषित कर रहे हैं। आगे हम ताज पर पड़ने वाले विविध प्रदूषण कारकों का बिन्दुवार अध्ययन करेंगे।

**वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव-** ताजमहल की धवलता को सबसे बड़ा आँच वायु प्रदूषण पहुँचा रहा है। मथुरा तेल शोधनशाला, कोयला, गैस, तेल एवं उपले जलाने से ईंट के चिमनियों के निकले धुँसे आगरा का वायु अत्यंत प्रदूषित हो चुका है। नवम्बर, 2011 से दिसम्बर, 2012 के मध्य आई.आई.टी, कानपुर, जार्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, अमेरिका तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रसायन

शाखा के अन्वेषणकर्त्ताओं ने सबसे पहले वायु के नमूनों का अध्ययन किया और पाया कि यहाँ काफी सघनता में विलम्बित कण पाये जाते हैं। अन्वेषणकारियों ने पाया कि 03 प्रतिशत कालाकार्बन, 30 प्रतिशत भूरा कार्बन, धूलकण। काला कार्बन वाहन एवं कारखाने जो जीवाश्मीय ईंधन से संचालित होते हैं। भूरा कार्बन जो बायोमास एवं कचड़े के जलने से उत्पन्न होते हैं। अन्वेषण दल के सदस्य एवं आई.आई.टी. कानपुर के प्रो. एस.एन. त्रिपाठी ने पाया कि काला कार्बन, सफेद संगमरमर पर धूसर रंग छोड़ती है एवं भूरा कार्बन एवं धूलकण पीला रंग छोड़ती है। प्रकाश अवशोषित करने वाले कण एवं कार्बन के कणताज के बाहरी दीवारों को बेरंग करने में सर्वाधिक योगदान दे रही है।

ताज के रंग का परिवर्तन वायु में धूलकण एवं कार्बन युक्त कणों की अधिकता के कारण हो रहा है और इसका मूल कारण जीवाश्मीय ईंधन एवं कचड़े के जलने से हुआ है। ताजमहल से 50 किमी दूर स्थिर मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइ-ऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO<sub>2</sub>) गैस वायुमण्डल में पहुँचकर सल्फ्यूरिक अम्ल को जन्म देती है जो जल के बूँदों से धूलकर अम्ल वर्षा करते हैं, जिससे ताजमहल का सफेद रंग दुष्प्रभावित होता है। इसे संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। संगमरमर को अम्ल रासायनिक परिवर्तन के कारण खुरचती है।

**जल प्रदूषण-** आगरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। 1376 किमी लंबी यमुना नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। दिल्ली के वजीराबाद बैराज के बाद यमुना नाले में तब्दिल हो जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 19 बड़े सीवर वाले नाले का गंदा जल, कल-करखाने का औद्योगिक अवशिष्ट, तीव्र नगरीकरण से उत्पन्न कचड़ा यमुना को नाले में तब्दिल करने के लिए काफी है। दिल्ली, मथुरा होते हुए आगरा में यमुना प्रदूषण के सारे प्रतिमानों को तोड़ चुकी है। 1993 में यमुना एक्शन प्लान का फेज-1 एवं 2009 में फेज-2 पूरा हुआ। लेकिन यमुना के प्रदूषण का स्तर वहीं बना रहा।

यमुना नदी के जल स्तर में गिरावट ताजमहल के अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा है। ताजमहल की नींव लकड़ी के घेरों पर आधारित है। ये लकड़ी के घेरे कुँओं जैसी संचरना पर टिकी है, जिन्हें यमुना के पानी से नमी मिलती है। लेकिन यमुना का जलस्तर कम हो जाने के वजह से लकड़ी के घेरों को नमी नहीं मिल रही है। जिससे ताजमहल के अस्तित्व को बड़ा खतरा है। साथ ही साथ यमुना में साफ जल प्रवाह नहीं होने के कारण ताजमहल के बुनियाद से सम्पर्क को झटके सहने (जो भूकंपीय लहरों के प्रभाव) की क्षमता को कमजोर कर रही है।

यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण कई प्रजातियों के कीड़ों का विकास हो रहा है। ताज महल पर एक नहीं बल्कि तीन प्रजातियों के कीड़े हमला कर रहे हैं, गोल्डी काइरोनोमस, काइरोनोमस फ़ैमली के दो अन्य कीड़े पोड़ी पोड़लम एवं ग्लिप्टोटेन कीड़े ताज की सतह पर रंग छोड़ते पाया गया। ए.एस.आई. की रासायनिक शाखा ने सैपलिंग से पहचान की है कि यमुना नदी के फास्फोरस की मौजूदगी से इनकी डोंको ताकत मिलती है। प्रदूषण बढ़ने एवं गर्मी बढ़ने के साथ इसका प्रकोप बढ़ता है। जब तक बारिश नहीं आती तब तक कीड़ों का प्रकोप जारी रहता है। प्रदूषण के कारण भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरणविद् डी. के. जोशी का मानना है कि चुरोनोमस कैलिग्राफस नामक

कीड़े के कारण ताजमहल पर हरे धब्बे बन रहे हैं। 52 नालियों से गंदापानी यमुना में आ रहा है, जिससे कीड़ों को खाने वाली मछलियाँ मर रही हैं। इससे नदी में भारी मात्रा में कीड़े पनप रहे हैं।

**कचड़ा के कारण प्रदूषण-** नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट प्रमुखतः शहरी क्षेत्रों में रिहाइशी और व्यवसायिक सम्मिश्रों से उत्पन्न होते हैं। तथा घरेलू अपशिष्ट, ईमारतों के निर्माण के दौरान बनने वाले मलबे, साफ-सफाई के बाद बचे रह जाने वाले अवशेष और सड़कों पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के रूप में होते हैं। नगरपालिका में ठोस अपशिष्ट की मात्रा में तेजी के साथ वृद्धि होती जा रही है तथा इसकी संघटना बढ़ते हुए शहरीकरण और बदलती हुई जीवन शैली एवं भोजन आदतें हैं। आगरा में बड़े पैमाने पर नगरपालिका के ठोस कचरे को जलाए जाने से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने ताज के समानान्तर क्षेत्र के निकट खुले में नगरपालिका के ठोस कचरे को नहीं जलाने का निर्देश दिया है।

**उद्योग एवं वाहन-** ताजमहल के आस-पास विभिन्न तरह के उद्योग संचालित हैं। रबर प्रसंस्करण उद्योग, ऑटोमोबाइल, रसायनिक उद्योग, मथुरा को तेल परिशोधनशाला एवं फिरोजाबाद के काँच एवं चूड़ी उद्योग से निकले प्रदूषण से भी ताज की खूबसूरती प्रभावित हो रही है। 1985 में जब फिरोजाबाद भी आगरा का हिस्सा था यहाँ 40 हजार मोटर वाहन थे, आज यहाँ 10 लाख मोटर वाहन हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे, दिल्ली कोलकत्ता तथा दिल्ली मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग तथा हाल में उद्घाटित लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे से काफी गाड़ियाँ गुजरती हैं। वाहन के उगलते धुँएँ ताज की धवलता को प्रभावित कर रही हैं।

**सैलानियों की बढ़ती संख्या-** विश्व के सात आश्चर्यों में से एक ताजमहल को देखने के लिए लगभग हर साल 50-60 लाख पर्यटक प्रत्येक वर्ष आते हैं। इन पर्यटकों की मौजूदगी से पड़ने वाले दबाव के कारण मुख्य इमारत के फर्श में दरार पड़ने का खतरा है। हजारों की संख्या में आये पर्यटकों के हाथों एवं पैरों के निशान तथा छोड़े गए वाँस का सम्मिलित दुष्प्रभाव ताजमहल पर पड़ता है। प्रत्येक दिन लगभग 50,000 लोग ताज को देखने आते हैं। एक पर्यटकविद का कहना है कि इस मकबरे की संरचना दरअसल 50-100 व्यक्तियों के प्रत्येक दिन भ्रमण के लिए किया गया था। लेकिन आज इसकी कोई सीमा नहीं है। पर्यटन विभाग एवं आगरा विकास प्राधिकरण लगातार इस चेष्टा में है कि पर्यटकों की संख्या और कैसे बढ़े। दूसरी ओर संरक्षणवादी लगातार पर्यटकों की तादाद लगातार कम करने का प्रयास करते हैं। रोमानियत का स्वर्गीय आनंद लेते पर्यटक को चाहिए कि इस बेनजीर विरासत को लंबे काल तक संरक्षित रख सकें।

**अन्य कारण-** गर्मी के दिनों में यमुना की सूखी रेत और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की ओर से आने वाली धूलभरी हवायें इस स्मारक को बेरंग कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के पास स्थित एक मसान घाट को अन्यत्र हटाने का निर्देश दिया है। लकड़ियों के चिता को जलाने से उठते धुँएँ और राख से इमारत की दीवारों पर प्रदूषण का खतरा है। अरावली की पहाड़ियों में अवैध उत्खनन से भी इसके बुनियाद को खतरा है। सुझाव एवं प्रयास- 20वीं सदी आमतौर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उन्नति वाली सदी मानी जाती है। साथ ही इस सदी में पर्यावरण में काफी गिरावट भी हुआ है।

ताजमहल के सौन्दर्य को हर स्तर पर पर्यावरण के सजग प्रहरी के रूप में हमें इस शानदार धरोहर की रक्षा करना होगा और यह प्रयास सरकारी, गैरसरकारी, संस्थागत, व्यक्तिगत सभी स्तरों पर होने चाहिए। शुक्र है इस गौरवपूर्ण विरासत को बचाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय एवं पर्यावरणविद एवं संरक्षणवादी ऐजेंसिया सक्रिय हैं।

**सुझाव-** ताज की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते हैं-

- पर्यटकों की संख्या पर नियंत्रण- ताजमहल आनेवाले पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करके इस खतरे को कम किया जा सकता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रस्ताव के अनुसार तीन हजार पर्यटकों को प्रति घंटा के हिसाब से भेजा जाए। टिकट बिक्री की अवधि एक घंटा के लिए कर दिया जाए। पर्यटकों को एक तरफ से घुमकर निकल जाने जैसे प्रस्ताव भी दिए गए हैं।
- पर्यटकों को ऑनलाइन आरक्षण के आधार पर ही ताजमहल को देखने की सुविधा प्राप्त हो।
- पर्यावरण मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदान माँगों से संबंधित समिति के अनुसार ताजमहल के अलौकिक सौन्दर्य के संरक्षण की चुनौती के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं- आगरा और शहर के आस-पास के इलाकों में वाहन प्रदूषण पर रोक लगाने, यमुना नदी में जल भराव इलाके का विकास एवं पर्यावरण अनुकूल संरक्षण के लिए तत्काल बहुआयामी नीति को कड़ाई से लागू किया जाय।
- मथुरा तेल शोधकशाला की चिमनियाँ को अधिक ऊँचा (80-120 मी.) की गई है ताकि उनसे उत्सर्जित गैसें अच्छी तरह से ऊपर जाकर फैल सकें।
- दो सल्फर रिकवरी यूनिटों की स्थापना की गई है ताकि ईंधन गैसों से सल्फर को निकाला जा सके।
- अगस्त, 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने ताज के आस-पास संचालित 53 लोहे के कारखानों एवं 107 अन्य कारखानों को स्थानान्तरित करने एवं बंद करने का आदेश दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आगरा के सभी उद्योग सी.एन.जी. एवं एल.पी.जी. गैसों का प्रयोग करें।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आगरा में चार वायु की गुणवत्ता जाँच केन्द्र स्थापित किये गए हैं। वे सातों दिन कार्य करते हैं।
- ताज के आस-पास 500 मी. तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ताज को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन में 9 लाख पेड़ लगाने का निर्देश दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ताज के पास स्थित एक मसान घाट को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्देश दिया है।
- ताजमहल के आस-पास 500 मी० के दायरे में जीवाश्मीय ईंधन से संचालित वाहन पर रोक है, पर्यटक ताज तक बैट्री एवं विद्युत संचालित वाहन एवं पैदल

जा सकते हैं।

- एक संसदीय समिति द्वारा हर तीन साल पर मडथेरेपी से ताज के मीनारों की सफाई का निर्देश दिया गया है, जिसकी शुरुआत 2004 से हो चुकी है।
- ताज को सप्ताह में एक रोज छुट्टी के दिन अच्छी तरह से धोया जाता है।

**निष्कर्ष-** उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि सरकारी, गैर-सरकारी एवं पर्यावरणविद् की ओर से लगातार ताजमहल के संरक्षण के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि निर्देशों का पालन वास्तविक धरातल पर नहीं हो पाता है और समस्याएँ बढ़तुर जारी रहती हैं। कम्बोबेश ऐसी ही हालत ताज की भी है। ताज जाने वाले और आगरा के रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर्यावरण के प्रति सचेत एवं ताज के खूबसूरती बचाने हेतु तत्पर नहीं रहेंगे तो मुहब्बत की इस निशानी पर पर्यावरण प्रदूषण के खतरे मंडराते रहेंगे। हमें व्यक्ति से व्यवस्था तक चारों ओर से ताज को उसकी स्वभाविक खूबसूरती को बचाने एवं बनाये रखने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे।

### **संदर्भ ग्रन्थ सूची-**

1. The Gurdian – 05 Jun, 2014 and 02 Dec., 2010
2. The Times of India- 02 Jan., 2015
3. The Hindustan Times – 10 Dec. 2014
4. Percy Brown. op. cit., p. 110.
5. History of Shahjaha of Delhi – Dr. Banarsi Das Gupta, P. 265.
6. पर्यावरण भूगोल- सविन्द्र सिंह
7. पर्यावरण और परिस्थितिकी- डॉ. वी. के. श्रीवास्तव एवं डॉ. वी. पी. राव
8. पर्यावरण का परिचालन- इग्नू
9. पर्यावरण अध्ययन - ओलिवर लॉग मैन

## मानवाधिकारों के प्रति अंतः विषयी दृष्टिकोण (वैदिक साहित्य के विशेष संदर्भ में)

• अलका रानी

सारांश- मानव सभ्यता के इतिहास में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोष मनुष्य की वैचारिक यात्रा का वह प्रस्थान बिन्दू है जहाँ से मानवाधिकार की चिन्तन प्रक्रिया प्रारंभ होती है और व्यक्ति अपने स्व, समूह तथा परिवार को सम्पूर्ण वैश्विक जगत से जोड़कर समाज को इतना विस्तार देता है कि पूरी दुनिया ही कुटुम्ब बन जाती है। भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता यही रही है कि इसमें लौकिक व्यवहार के क्षेत्र में सर्वदा वैसे ही मूल्यों एवं सिद्धान्तों को स्थान दिया गया है जो व्यक्ति में ब्रह्मंड के साथ एकाकार करने का भाव सृजित करें। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का भाव ज्योंही व्यवहार का रूप लेता है मनुष्य का महान चरित्र जीवंत हो उठता है और उसकी समस्त दुष्प्रवृत्तियाँ जो उसे भ्रष्ट अत्याचारी, अनाचारी, अहंकारी और मदांध बनाती हैं, स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जीवन जगत के सम्बंध में अतुलनीय चिंतन, परम्परा से समृद्ध भारतवर्ष की घरती पर विगत चंद्र दशकों से गंभीर विचार मीमांसा का विषय बना मानवाधिकार कितना आधुनिक है और कितना प्राचीन? यह एक विवादास्पद एवं ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है और यह तब तक ज्वलंत बना रहेगा जब तक कि इसका सर्वमान्य उत्तर नहीं ढूँढ लिया जाता है। प्रस्तुत लेख में मानवाधिकार की चिन्तन प्रक्रिया को वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है, विशेष ध्यान वैदिक काल पर दिया गया है।

मुख्य शब्द - मानव सभ्यता, मानवाधिकार, संस्कृति, चिंतन, परम्परा

1. भूमिका- मानवीय अधिकार या मानवाधिकार, मानव अस्मिता का कवच, विश्व-शान्ति एवं कल्याण का मंत्र है। मानवाधिकार शब्द जो प्रकृति प्रदत्त है, सामान्यतया ग्रीक-रोमन प्राकृतिक विधि की स्टोयासिज्म (स्टोईक दर्शन) के सिद्धांतों में पाया जाता है। इसमें यह माना गया है कि एक सार्वभौमिक शक्ति सभी जीवों में व्याप्त है इसलिए मानव आचरण प्राकृतिक विधि के अनुसार होनी चाहिए। मानव अधिकारों के संरक्षक के प्रमाण प्राचीन काल की बेबीलोनिया विधि, असीरिया विधि, हिती विधि तथा भारत में वैदिक कालीन धर्म में पाये जाते हैं। विश्व की सभी प्रमुख धर्मों का आधार मानवतावादी है, जो अंतर्वस्तु में भेद होने के बावजूद मानव अधिकारों

का समर्थन करते हैं। प्लेटो सर्वप्रथम ऐसे लेखक थे जिन्होंने नैतिक आचरण के सार्वभौमिक आचरण की वकालत की थीं। इसका तात्पर्य यह था विदेशियों से भी उसी प्रकार से संव्यवहार किया जाये जिस प्रकार कोई राज्य अपने देशवासियों से संव्यवहार करता है। अब तक के कार्यों का यदि अध्ययन किया जाये तो हम इस वास्तविकता से परिचित होंगे कि मानव अधिकार की अवधारणा एवं इसका विकास कुछ नया नहीं है। वरन यह प्राचीन काल से चली आ रही एक क्रमिक प्रयास का परिणाम है। विश्व के देश जब वैचारिक एवं भौतिक धरातल पर मानवीय अधिकारों के विविध पक्षों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत समानता व समरसता एवं 'वसुदैव कुटुम्बकम्' का संदेश देकर मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा एवं सम्मान को प्रतिष्ठापित कर रहा था। इतिहास का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि प्रारम्भिक समाज में संभ्रांत एवं शक्तिशाली वर्गों का उदय होने के साथ ही व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोषण एवं मानवाधिकार का हनन होने लगा था। दरअसल मानव जाति अन्य जीवों की तुलना में बुद्धिजीवी प्राणी है। अतः अपने ऐतिहासिक परम्परा का पालन करते हुए वह भी लोगों का मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक शोषण कर सुविधाएँ अर्जित करने लगा तथा उसके इस प्रयास में किया गया अधिकतम कार्य मानव अधिकारों के उल्लंघन का परिचायक बनने लगा।

**2. मानवाधिकार का विकास-** ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि भारत में आदिकाल से ही मानव अधिकार के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। सभी मानवों में समान रूप से व्यवहार करने की परंपरा ऋग्वैदिक काल से ही दृष्टिगोचर होती है। ऋग्वेद में ऋषि घोषणा करता है कि:

'अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते, संभ्रातरो वावृधुः सौभाग्य'।

यानि समाज में कोई ऊँच-नीच का भेद नहीं है, सभी भाई हैं, सबको सबकी भलाई और उन्नति करनी चाहिए। ऋग्वेद में नागरिक के तीन स्वतंत्रताओं शरीर वास के लिए आवास तथा जीवन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तथा सारी मानवता से दूसरों की नागरिक स्वतंत्रता को बनाये रखने की अपील की गई है। महाभारत के शांतिपर्व में भीष्म ने राजा के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है और सर्वोच्च राजा बनने की पहली शर्त प्रजा के विचारों और खुशी को रक्षित करना माना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शांतिपर्व के नियमन की पुष्टि की गई है। प्राचीन हिन्दू विधिक पद्धति और विश्व व्यापक परिवार की विस्तृत धारणा को मानवाधिकार संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने वाले एक श्लोक का उल्लेख यहाँ समीचीन प्रतीत होता है।

न त्वहम् कामये राज्यम् न स्वर्गम् न पुनर्भवम्।

कामये दुःखतप्तानम् प्राणिनामार्तिनाशनम्॥

अथर्ववेद में यह उचारित किया गया कि "वे जो सभी मानवीय जीवों को अपने जैसा समझता है वह अपने आप में धोखा नहीं देता है। अथर्ववेद में अन्य मंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता पर लिखा है:

जनं बिभ्रती बहुधा विवांचसं नानार्धर्माणं पृथिवी यथौकसम।

सहसंधारा द्रविणस्य मे दुहा धेनूरपनंस्फुरन्ती॥

अर्थात् अनेक प्रकार से विभिन्न भाषा बोलने वाले और विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों को एक परिवार के तुल्य धारण करने वाली पृथ्वी निश्चल एवं न बिदकने वाली गाय की तरह हमें ऐश्वर्य की हजारों धारा प्रदान करें। इससे आशय यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी भाषा-भेद या धर्म भेद नहीं करती इसी प्रकार इस पृथ्वी पर रहने वाले हर मानव का नैतिक कर्तव्य है कि वे भाषा और धर्म के आधार पर भेद भाव न करें। प्राचीन भारतीय युद्ध नियमावली जो संहितावद्ध नहीं होने के बावजूद कहीं अधिक प्रभावी तथा अनिवार्यतः पालन योग्य बाध्यता थी, का चित्रण मनुस्मृति में मिलता है। मनु के मानवधर्म में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो बिना हथियार के है या सो रहा है या नगनावस्था में है, बिना तैयारी है या दर्शक मात्र है ऐसे लड़ाकू को मारना अधार्मिक, अनैतिक तथा निन्दनीय कृत्य है और ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। यथा-

न सुप्तं न विसन्नहं नग्नं न निरायुधाम।

ना युध्यमान पश्चन्तं न परेण समागतम।।

इशोपनिषद में मानवाधिकारों का दूसरा मूलभूत सिद्धान्त लड़ाकूओं के बीच में सुस्पष्ट अंतर करता है। एक अन्य वैदिक श्लोक में मानवाधिकार सिद्धान्त को कुछ इस प्रकार उद्धृत किया गया है-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखः भाग भवेत्।।

वेदों और उपनिषदों की यही परंपरा भारत में काफी लंबे समय तक व्यवहार में रही। जब कभी भी इस परंपरा में अवरोध अनुभव किए गए तो समाज के गण्यमान व्यक्तियों ने इन अवरोधों को हटाने की सार्थक पहल की। इस प्रकार की एक सार्थक पहल दशरथ नंदन राम ने की। सृष्टि के आदि महाकाव्य 'रामायण' जिसको आदिकवि वाल्मीकि ने रचा, में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि राम ने तात्कालीन समाज में मानवों के अधिकार संरक्षण के लिए किस प्रकार से भगीरथ प्रयत्न किये चाहे वह प्रसंग गुहराज निषाद का हो या केवट का या फिर किष्किन्धा के राजा सुग्रीव या फिर संकट मोचन की भूमिका निर्वाहन करने वाले हनुमान का। उन्होंने न केवल इन सबको समस्त समाज के साथ समन्वयात्मक रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किए बल्कि शबरी सदृश विदुषियों को भी उनके अधिकार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की।

यदि मानवाधिकारों के विकास की बात की जाये तो उसे प्राचीन काल, मध्य काल व आधुनिक काल- तीन भागों में बांट कर समझा जा सकता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्राचीन काल में हम वैदिक काल के साथ-साथ बौद्ध काल व मौर्य काल का समायोजन कर सकते हैं। मध्य काल को बहुतायत में मुस्लिम शासकों का काल कहा जा सकता है और आधुनिक काल में ब्रिटिशर्स के शासन का और बाद में स्वतंत्रता काल के बाद के काल को समायोजित किया जा सकता है।

**3.1. प्राचीन काल में मानवाधिकार-** प्राचीन काल में भारत सबसे पहले वैदिक काल से ही समस्त जीवों और प्रकृति की परस्पर निर्भरता का उल्लेख करते हुए संपूर्ण लोक के कल्याण की अवधारणा प्रस्तुत की गयी है। वैदिक मंत्रों में उपस्थित मंगलकामना के भाव किसी अन्य देश में अनुपस्थित मिलेंगे। उदाहरणार्थ -

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।

मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः॥

अर्थात् सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी भी दुःख का भागी न बनना पड़े। इस मंत्र में सभी जीवों के लिए, हवा, पानी, भोजन व आश्रय आदि की आवश्यकता समझ ली गई थी। इससे बड़ी मानवाधिकारों की सुरक्षा की गूँज विश्व के किसी कोने में सुनाई नहीं देती है। यजुर्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र-

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः।

भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्॥

अर्थात् “उस प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुखस्वरूप श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को हम अन्तःकरण में धारण करें।” मंत्र से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने ईश्वर से ऐसी बुद्धि की याचना की है जो किसी को भी कष्ट न पहुँचाए। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद का शांति मंत्र-

ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शांतिः

पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांतिः।

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शांतिः।

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः॥

अर्थात् “हे ईश्वर। त्रिभुवन में शांति कीजिए, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, जल में, औषधियों में शांति कीजिए। वनस्पति में, विश्व के सभी देवों में, सृजन में, सभी में शांति कीजिए, शांति में भी शांति कीजिए।” इस मंत्र में भारतीय ऋषि मानवाधिकार से भी कहीं बहुत आगे हैं। उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक है। इसी प्रकार अथर्ववेद के एक अन्य मंत्र में संगठन बनाने पर भी जोर दिया गया है, यथा-

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहसति॥

अर्थात् हे संगठन बनाने वालों तुम्हारे संकल्प समान हों। तुम्हारे हृदय समान हों। तुम्हारे मन समान हों जिससे तुम्हारा संगठन सुदृढ़ हो। लेकिन देखा यह जाता है कि भावनाओं में आकर संगठन तो बना लिया जाता है परन्तु संगठन स्थायी नहीं रह पाता। इसी कारण वैदिक ऋषियों ने सुझाव दिया है कि संगठन सुदृढ़ इसके लिये ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिये। स्वतंत्रता के अधिकार के लिये भी वेद में मंत्रों के विधान हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार:

यस्य ते चिंदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यम।

न देवो नाधिगुर्जन ॥

अर्थात् हे परमात्मा तुम्हारे आदेश रूप स्वराज्य को कोई भी नहीं रोक सकता है? न कोई देवता और न कोई अजेय शक्ति। अतः चाहे देवता हो व कोई असीम शक्ति-संपन्न व्यक्ति ही क्यों न हो। वह मानव की स्वतंत्रता की भावना को दबा नहीं सकता। मार्कण्डेय पुराण में भी उल्लेख है कि मैं सभी प्राणियों के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि सभी भय से मुक्त हो सभी भाइयों, ममता, स्नेह और आनंद से परिपूर्ण हो

चाहे वे अपने हो या गैर हो। जो मुझे अब स्नेह करता है वह मानव जीवन में हन्यता का सहभागी हो और जो मुझ से यहाँ घृणा का चुनाव करता है, वह भी भलाई का मार्ग प्राप्त करें। गौतम बुद्ध ने तो मानवाधिकार सम्बंधी अपनी संकल्पना को जो विस्तृत आयाम दिया वह आज भी सर्वकालिक एवं सर्वव्यापी प्रासंगिक से उर्जावान एवं जीवंत दिख रहा है। उत्तर-वैदिक काल में रामायण में प्रस्तुत राम-राज्य की अवधारणा परवर्ती शासकों का भी आदर्श रही। श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में मार्ग से भटके व्यक्ति को राह दिखाने का कार्य किया है। भटका हुआ राजा ही मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। अतः श्रीकृष्ण उसे नियंत्रित करने का कार्य किया है। विद्वानों का मानना है कि भगवद्गीता में जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान है। बाद में सम्राट अशोक गौतम का अनुयायी बनकर अवतरित हुआ जिसने मानव के अधिकारों, स्वतंत्रकारों समानता एवं उनके आदर्शों को संरक्षण प्रदान किया। वह एक ऐसी राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ जो मानव जाति की गरिमा एवं अधिकारों को संरक्षित रखने के साथ-साथ कौदियों के साथ होने वाले अमानवीय अत्याचार को भी प्रतिबंधित करता था। अशोक ने अपनी द्वितीय राजाज्ञा में खुदवाया कि “सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, जिस प्रकार मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे बच्चे संसार में व्याप्त समस्त खुशहाली का आनंद उठावें, बिलकुल यही इच्छा समूचे पृथ्वी पर उपस्थित मेरे उन सभी बच्चों के लिए भी है।” लेकिन अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय मानवाधिकारों के हनन का पर्याय बना। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य एवं अंतिम शासक हर्षवर्धन के समय भारतीय संस्कृति अपने चरम सीमा पर थी। परन्तु उसके शासन काल की समाप्ति समाज में बुराइयों का जन्म एवं मानव अधिकारों के हनन का सोपान सिद्ध हुआ। मगध सम्राट में चन्द्रगुप्त मौर्य को प्रथम राष्ट्रीय शासक की संज्ञा प्राप्त है। चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य ने राजा की दिनचर्या निर्धारित करते हुए शयन के लिए मात्र 3 घंटे का समय ही रखा था। शेष समय उन्होंने राजा को प्रजा कल्याण के लिए प्रेरित किया। चाणक्य ने राजाओं के लिए रचित अपने ग्रंथ में प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख किया है। उनका मानना था कि न्याय करते समय राजा की –ष्टि में पुत्र और शत्रु में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र में एक श्लोक आया है –

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥

इस श्लोक में लक्षित राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। अर्थशास्त्र में राजा के अनुचित कार्य करने पर उसके लिए भी दंड का प्रावधान रखा गया था। वहीं सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में स्पष्ट कर दिया था कि राजा को प्रजा की रक्षा संतान की तरह करनी चाहिए। जिस देश में राजा इतने प्रजा-हितैषी हो, वहाँ किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। महावीर स्वामी की अहिंसा और महात्मा बुद्ध की करुणा आज भी विश्व को हिंसा त्यागने और प्रेमपूर्वक रहने का संदेश देती है।

सामान्यतः आम भारतीयों की यह धारणा रही है कि अपने अधिकार और कर्तव्य जानते-समझते हुए जब कोई व्यक्ति दूसरों के अधिकार के प्रति संवेदनशील एवं सजग

होता है, परहितभंजन की प्रवृत्ति का अंत होता है और पूरे समाज में 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' का भाव जागृत होता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय: में मानवाधिकार की आत्मा बस्ती है। व्यक्ति की मर्यादा एवं स्वतंत्रता का आधारभूत सिद्धांत प्राचीन भारत के समस्त साहित्य में सर्वत दृष्टिगत होता है। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोगी जीवन यापन वर्तमान में अनुभूत आवश्यकता है किन्तु यह भारतीय चिन्तन में अस्तित्ववादी संकट और बैद्धिक विमर्श आदिकाल से ही मौजूद रही है। वस्तुतः भारतीय चिन्तन का मुख्य सम्बंध मानव की मर्यादा एवं उसके अंतिम लक्ष्य से रहा है।

**3.2. मध्य काल में मानवाधिकार-** प्राचीन भारत में अहिंसा, सहिष्णुता व सम्मान की जो परिपाटी प्रारम्भ हुई थी, वह मध्यकाल में भी अनवरत गति से चलती रही। उत्तरवैदिक काल, बुद्धवाद एवं जैनवाद आदि का अध्ययन करने पर ऐसे बहुत से प्रमाण एवं उदाहरण परिलक्षित होते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस काल में भी मानवीय विचारधारा ऊँच-नीच, छुआ-छूत एवं अमीर-गरीब के भेदभाव की भावना से परे नहीं थी। अकबर ने धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं करते हुए प्रजाजनों के साथ समान रूप से व्यवहार किया। मुस्लिम 'आसक' होते हुए भी हिन्दुओं को तीर्थ-कर से छूट प्रदान की तथा 'जजिया' कर समाप्त किया। सदियों से चली आ रही दासता पर अंकुश लगाया एवं सभी धर्मों तथा नागरिकों को अपने धर्म पालन करने की छूट एवं स्वतंत्रता प्रदान की। इसी क्रम में महाराष्ट्र के नामदेव, और तुकाराम तथा बंगाल के जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास का नाम भी लिया जा सकता है जिन्होंने मानवता का अलख जगाया। चौहदवीं एवं पन्द्रहवीं शताब्दी में संत रामानंद ने जाति व्यवस्था को सशक्त चुनौती दी। संत कबीर ने तो कर्मकांड तथा अंधविश्वास की जड़ों पर प्रहार के साथ ही सार्वभौमिक सहिष्णुता का उपदेश भी दिया। कबीर ने सभी व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा दिया तथा जाति धर्म एवं धन पर आधारित सत्ता पर कड़ाई से प्रहार किया। गुरुनानक भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के महान पक्षधर के रूप में उभर कर सामने आये। मुसलमानों ने जहाँ नानक को 'पीर' कहा, वहीं हिन्दुओं ने उन्हें 'गुरु' का दर्जा दिया।

हालांकि जातीय एवं धार्मिक कट्टरता प्रमुख रूप से इसी युग में उभरी, जिसके फलस्वरूप मानवीय अत्याचार, शोषण एवं दमन खुलकर सामने आये। इस काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाया गया। पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, बेमेल-विवाह एवं दहेज की समस्या का आरम्भ भी इसी काल में हुआ। दलित जातियों पर कई प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिबंध लाद दिए गए।

**3.3. आधुनिक काल में मानवाधिकार-** सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार जिससे सभी नागरिकों को समान एवं पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, मानवाधिकार कहलाते हैं भयमुक्त माहौल, सुरक्षित जीवन, शुद्ध पानी, भोजन, शिक्षा, आवास, यातायात एवं राजनीतिक - सामाजिक - आर्थिक - धार्मिक स्वतंत्रता आदि सभी मूलभूत आवश्यकताएँ इसके आधार हैं। अतः किसी भी सरकार का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है। यदि कोई सरकार इसमें विफल रहती है तो उसे मानवाधिकारों का हनन माना जाता है। यूरोप में ऐसा था, अतः वहाँ इस प्रकार का विमर्श प्रारंभ हुआ और प्रचारित किया गया कि उन्होंने ही सर्वप्रथम

मानव-अधिकारों की अवधारणा प्रस्तुत की। जबकि प्राचीन भारत में मानव से भी आगे जाकर प्रत्येक प्राणी सहित पर्यावरण एवं समस्त ब्रह्माण्ड श्रेष्ठता की कामना की गई थी।

भारत में राजाराम मोहन राय, आधुनिक काल में देश के पहले बौद्धिक व समाज सुधारक थे, जो कहते थे कि सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं, नारी मुक्ति के मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा सती प्रथा को समाप्त करने का बड़ा काम किया। सर सैयद अहमद खान ने भी मुसलमानों से हिन्दुओं के प्रति अलगाववादी भावना का परित्याग करने का आह्वान किया। आधुनिक काल में ही महात्मा गाँधी, भीमराव अम्बेडकर, एम. एन. राय ने दलितों के मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया। छुआ-छूत को समाप्त करने के लिए एक नयी दिशा प्रदान की, क्योंकि छुआ-छूत की भावना ही अपने सूक्ष्म रूपों में हमें एक दूसरे से अलग करती है और जीवन को कटु बना देती है। स्वतंत्रता के बाद मई 1946 में भारतीयों को एक संविधान सभा बनाने का अवसर प्रदान किया गया। जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय अवसर की और कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता, विचार-अभिव्यक्ति, धर्म, आस्था, पूजा, व्यवसाय और संगति आदि क्रिया-कार्यकलापों की स्वतंत्रता देने का वादा किया।

परंतु यह भी सच है कि मानवाधिकार का विषय द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका से संतप्त विश्व मानव समुदाय के लिए सर्वोत्तम हथियार माना गया था। विश्वयुद्ध में मानवीय अस्मिता, गरिमा और महिमा को चोट पहुँची थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवीय गरिमा के प्रश्न को महत्ता दी और परिणामतः 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा हुई। 10 दिसम्बर, को मानवाधिकार दिवस घोषित किया ताकि संपूर्ण विश्व को जाग्रत किया जा सके। भारत में भी मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1963 को किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का आयोग मानवाधिकारों को दो श्रेणियों में बांटता है- 1. नागरिक अथवा राजनैतिक अधिकार व 2. आर्थिक और सामाजिक अधिकार। इसके अंतर्गत अनेक प्रकीर्ण अधिकार भी आते हैं, यथा स्त्रियों के अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, विकास का अधिकार, प्रत्येक धर्म की असहिष्णुता समाप्त करने का अधिकार, प्रवासी जनसुरक्षा अधिकार, अल्पसंख्यक सुरक्षा अधिकार, प्राविधिक विकास-विषयक अधिकार, अमानवीय व्यवहारों से सुरक्षा का अधिकार, अस्पृश्यता-उन्मूलन का अधिकार और सभी को सुख-सुविधा प्राप्त करने का अधिकार आदि।

अतः मानवाधिकार के संवर्धन एवं संरक्षण का जो आंदोलन आज विश्व स्तर पर चल रहा है उसकी जड़े वर्तमान में न होकर हमारे अतीत में हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही शक्तिशाली वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का शोषण किया जाता था तथा उनके द्वारा दी गयी यातनाएँ मानवीय कल्पना से परे थीं। ऐसे दंगे एवं उत्पीड़न के विरुद्ध मानव हमेशा से संघर्ष करता आ रहा है और जहाँ-जहाँ एवं जब-जब उसे अवसर मिला है वहाँ-वहाँ उसने शक्तिशाली वर्ग (राजा, शासक आदि) के अधिकार को कम कराये। इस तरह यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सभ्यता का इतिहास स्वतंत्रता एवं शक्ति के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है।

आधुनिक युग में भी जब 'सर्वश्रेष्ठ की उतरजीविता' की लोकस्वीकृति के परिणामस्वरूप 'सफलता के लिए संघर्ष' मुनष्य के मौलिक प्राकृतिक अधिकारों पर भांति-भांति के संकट पैदा कर रही है, तब से मानवाधिकार का प्रश्न मुनष्य में जिदा रहने के संदर्भ में जुड़ गया है। क्या यह विषय संघर्षोत्तरकालीन वैश्विक चेतना की देन है या हमारी मौलिक चिंतनधारा का एक अंग विचारणीय प्रसंग है। परम्परागत रूप से इसे प्राकृतिक या संक्रमणीय अधिकार भी कहा जाता है। प्लेटो ने जहाँ सर्वप्रथम सार्वभौमिक आचरण की वकालत की, सिसरो ने अपनी कृति 'द लॉज' में प्राकृतिक विधि तथा मानव अधिकारों की नींव रखी, उन्हें विश्वास था कि सार्वभौमिक मानव अधिकार विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो संदिग्ध एवं सिविल विधियों से श्रेष्ठ हों।

**4. चर्चा व विचार विमर्श-** अतः हम देखते हैं मानवाधिकार सम्बंधी विचार के उद्भव को रेखांकित करने के लिए विद्वतजनों ने वेदों से लेकर परवर्ती साहित्य तक के संस्कृति साहित्य का गंभीर अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष तक पहुँचने की चेष्टा की है कि भारतीय प्राचीन धर्मग्रंथ तथा धार्मिक पुस्तकों में मानवाधिकारों के विचारों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लेकिन भारतीय वांगमय में मानवाधिकार की अति प्राचीन परिकल्पना को न समझने का एक बड़ा कारण दृष्टि और दृष्टिकोण का अंतर रहा है। पश्चिम और भारत की सांस्कृतिक अनुभूति में भारी अंतर है। पश्चिम में परिवार की महत्ता एक समिति अथवा अराजकीय सामाजिक संगठन से अधिक कुछ भी नहीं है, जबकि भारत में परिवार दंपति का विकास है। पुत्र एवं पुत्रियाँ परिवार नाम संस्था के मात्र सदस्य नहीं वरण माता-पिता के प्रवाह है। एक अलग इकाई होने के बावजूद भारतीय परंपरा उन्हें अपने माँ-बाप का अविभाज्य अंग मानता है। विवाह के समय बहु दूसरे कुल से आती है किन्तु अपने कुल से पृथक होकर। ऋग्वेद के ऋषियों के अनुसार देवता ही उसे पितृकुल से अलग करते हैं तथा पति कुल से युक्त करते हैं। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है - मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अर्थात् माता-पिता वैसे ही रक्षक हैं जैसे देवता। गीता में ईश्वर के विराट रूप को देखकर अर्जुन कहता है- त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ऋग्वेद में ऋषि देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं - हे देवों! आप हमें वैसे ही गोद में लेवे जैसे पिता पुत्र को लेता है। यहाँ पिता प्रथम पुरुष है और देवता द्वितीय। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में पिता-पुत्र परिवार का रिश्ता इतना अविभाज्य है कि उसमें मानवाधिकार के प्रसंग को दूँढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

लेकिन परिवार से बाहर समाज और राष्ट्र के स्तर पर ही समस्त खाईयाँ एक दूसरे के साथ इस प्रकार गुंथी हुई मिलती हैं कि यहाँ भी मानवाधिकार की आधुनिक परिकल्पना बौनी दिख पड़ती है। प्राचीन शासन प्रणाली में राजा और प्रजा के बीच पिता-पुत्र का सम्बंध को धर्मशास्त्रों ने लौकिकता प्रदान की है। राजा के लिए प्रजा असाधारण पुत्र है और इस असाधारण पुत्र का पालन विशेष रूप से करने के लिए राजा बाध्य है। यही राजा का राजधर्म है। जो राजा प्रजा की भली-भांति सेवा नहीं करता वह राजपद पर बैठने का अधिकार खो बैठता है। तुलसी दास ने ऐसे राजाओं के लिए नर्क की सजा को सर्वोचित मानते हैं। उनके अनुसार -

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।  
सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥

पाश्चात्य जगत के राजा और वहाँ की राजव्यवस्थाएँ प्रजा के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण रखती थीं। हांलाकि मानवाधिकार का विकास राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय दोनों स्तर पर हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार के विकास का अध्ययन करने पर ऐसे अनेक तथ्य एवं उदाहरण सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास किस प्रकार मानवाधिकारों के प्रति जागरूक था। प्राचीन भारत के धर्म, शासन नीतियाँ एवं व्यवस्था मानव अधिकारों में प्रगति का घोटक थी। प्राचीन भारतीय विचारक एवं दार्शनिकों द्वारा दिये गये सिद्धांत धर्म पर आधारित एक नैतिक सिद्धांत थे जो व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करते थे।

**5. उपसंहार-** यह निर्विवाद सत्य है कि समस्त विश्व में भारतभूमि पर ही सर्वप्रथम मानव सहित सभी प्राणियों एवं प्रकृति की रक्षा के महत्व को समझा गया। प्रो. मैक्समूलर ने दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया तो संस्कृत व भारत को अद्भुत पाया। उनके अनुसार विश्व में भारत ही वो जगह है, जहाँ पर मानव जाति ही नहीं अपितु विश्व बन्धुत्व से भी आगे बढ़कर ब्रह्मण्ड बंधुत्व की कामना की जाती है (मैक्समूलर, 1883)। अतः प्राचीन भारत में मानव सहित प्रकृति के सभी घटकों का पर्याप्त महत्व दिया जाता था। निःसंदेह भारतीय चिंतन परंपरा में मानवाधिकार का अस्तित्व प्राचीन काल से ही था। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सर्वसत्तावादी राजाओं तथा शासनाध्यक्षों ने अपनी प्रजा के साथ जैसा विजातीय व्यवहार किया है उसमें आमजनों की सुरक्षा एवं सम्मान को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए मानवाधिकार के वर्तमान स्वरूप की आवश्यकता थी। भारत में मानवतावाद ने अपने अंदर मानवाधिकार सम्बंधी संचेतना को इतनी गहराई से बिठा लिया है कि हमें कभी इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। किन्तु कतिपय पाश्चात्याभिमुखी अथवा वामपंथी विद्वानों को यह बात असत्य, भ्रामक एवं अतिरंजित दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष प्रकांड विद्वान डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी ने वामपंथी शैली में वैदिक एवं परवर्ती साहित्य में खोजे गये मानवाधिकार सम्बंधी समस्त उद्धरणों को मानवाधिकार से पृथक् बताया है। इतना ही नहीं कई ग्रन्थों के उदाहरण को लगभग अमानवीय भी कहा है। एक अन्य विद्वान जो उच्च पदस्थ अधिकारी भी है, ने मानवाधिकार की पूरी कल्पना को विदेशी बताते हुए ऐसे तमाम प्रयासों को निरर्थक साबित करने की चेष्टा की है, जिससे प्राचीन संस्कृति के मानवीय मूल्यों को मानवाधिकार से सम्बद्ध करने का प्रयास किया गया है। लेकिन प्राचीन काल से ही मानवाधिकार अपने वर्तमान पारिभाषिक स्वरूप में भले ही न रहा हो परन्तु इसके प्रति चेतना हर समय किसी न किसी रूप में अवश्य रही है। 'मानवाधिकार' शब्द का उल्लेख न करने के बावजूद मानवाधिकारों के सम्बन्ध में समाज ने व्यापक चेतना जागृत करने का काम लगभग हर समाज के महापुरुषों ने समय-समय पर किया। अतः निःसंदेह: मानवाधिकार का संबन्ध भारतवर्ष में वैदिक काल से ही रहा है। पाश्चात्य जगत की ओर देखते हुए हर नयी सोच को अनिवार्यतः पाश्चात्य आधुनिक विचार

मानने वाले भारतीय विद्वानों ने मानवाधिकार के मर्म को न समझते हुए जिस प्रकार इसके बाहरी विन्यास को मौलिक मान लिया है उन्होंने भारतीय चिंतन की व्यापकता को न समझने का कुत्सित अपराध किया है। सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण और अर्थशास्त्र, योगसूत्र, नाट्यशास्त्र सबके सब मनुष्य को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना बताते हैं। वामपंथी विचारधारा के पृष्ठपोषक यदि चाहे तो ईश्वर की जगह प्रकृति को रखकर भारतीय चिंतन की मीमांसा कर सकते हैं, परिणाम उन्हें भी वही मिलेगा जो आध्यात्मिक विचारधारा से लैस विद्वानों को मिलता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- कालिया, अशोक कुमार (संपादक) (2013) संस्कृत वांगमय में मानवाधिकार। अखिल भारतीय संस्कृत परिषद, लखनऊ।
- गैरोला, वाचस्पति (1984) कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्. चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी।
- चारण, दिनेश कुमार (2018) मानवाधिकार के प्राचीन संदर्भ. श्रंखला: एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, 5 (7): 71.73।
- जैन, एच.सी. एवं माथुर, के.सी.(2021). आधुनिक विश्व का इतिहास. जैन प्रकाशन मंदिर, जयपुर।
- शर्मा, कृष्ण कुमार (2013), मौलिक अधिकार विश्वकोश।
- Max Muller, K.M. (1883). India: What can Teach Us. Funk & Wagnalis Publihsers, Washington DC (USA).

## महिलाओं का संवैधानिक अधिकार एवं महिला सशक्तीकरण (आगरा शहर में मलिन बस्तियों के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

• आकांक्षा  
•• मधु त्यागी

सारांश- महिला सशक्तीकरण वर्तमान समय में एक अत्यन्त आवश्यक एवं जरूरी सामाजिक विमर्श है। आगरा शहर में मलिन बस्तियों के विशेष संदर्भ में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार एवं महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी अवधारणा ही नहीं अपितु एक बहुआयामी चुनौती भी है। चूँकि यह महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता, बजबूती एवं महत्ता का हिमायती है, इसलिए इसे सम्पूर्ण मानव समुदाय के आधे हिस्से की बेहतरी से जुड़ा सामाजिक विमर्श कहा जा सकता है। महिलाओं के लिए मुक्ति एवं सामाजिक विमर्श भी कहा जा सकता है। इसे महिलाओं के लिए मुक्ति एवं सामाजिक समानता का अर्थ उनके साथ किया जाने वाला मानवीय व्यवहार है। सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संवैधानिक अधिकार तो प्रदान किये जा रहे हैं, किन्तु विडम्बना यह है, कि आगरा नगर में मलिन बस्तियों में महिलाएँ आज भी अपने संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। अंतः आज आवश्यकता इस बात की है, कि महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना होगा।

**मुख्य शब्द - महिलाएँ, संवैधानिक अधिकार, महिला सशक्तीकरण**

**प्रस्तावना-** हमारे समाज में वास्तव में महिला सशक्तीकरण के लिए यह आवश्यक है, कि महिलाओं के खिलाफ कुप्रथाओं एवं कुरीतियों के कारणों को समझकर उन्हें दूर करना होगा। आज जरूरत इस बात की है, कि समाज में महिलाओं के प्रति पुरानी सोच में बदलाव करके उन्हें संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाये। जिससे वह अपने परिवार समाज एवं राष्ट्रहित में अपना योगदान दे सकें। इससे न केवल महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी अपितु वह अपने आपको सुरक्षित भी महसूस करेंगी। आज समय है, सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने का और महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु कदम बढ़ाने का। आगरा शहर की मलिन बस्तियों की अधिकांश

- शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, बी.एस.ए. कॉलेज, मथुरा, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
•• प्रोफसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, बी.एस.ए. कॉलेज, मथुरा, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

महिलाएँ घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न को चुपचाप सह लेती हैं। किन्तु इन्हीं में से कुछ महिलाएँ जो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, इसके विरुद्ध आवाज भी उठाती हैं।

### अध्ययन के उद्देश्य-

- आगरा शहर की मलिन बस्तियों में वास्तविक परिदृश्य को समझना जिससे महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न से उन्हें मुक्ति मिल सके।
- महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

**शोध विधि एवं प्रदत्तों का संकलन-** आगरा शहर में मलिन बस्तियों की महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके संवैधानिक अधिकारों की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु ग्रन्थालय पद्धति के साथ-साथ शोधार्थी द्वारा द्वंदात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा प्रदत्तों का संकलन विषय से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाओं एवं शोध क्षेत्र में जाकर किया गया है।

आगरा शहर में मलिन बस्तियों की महिलाओं की समस्याएँ बहुत पुरानी हैं। यद्यपि सरकार द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु उन्हें व्यापक स्तर पर संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, किन्तु जागरूकता के अभाव में वह बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को यदि देखा जाये तो महिलाएँ हमेशा से ही किसी न किसी रूप में जैसे - धर्म, जाति व सामाजिक रीति-रिवाजों के नाम पर उत्पीड़न एवं शोषण का शिकार होती रही हैं। वर्तमान में महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, अपहरण आदि घटनायें लगातार आये दिन प्रकाश में आती रहती हैं। पूर्व समय एवं वर्तमान में उत्पीड़न की मात्रा में कमी या बढ़ोत्तरी अवश्य हुई है, लेकिन यह उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ है। समाज में महिलाओं को दहेज के लिए जलाया जाता है, पीटा जाता है, बलात्कार किया जाता है और विभिन्न तरीकों से उनका शोषण किया जाता है।

महिला सशक्तीकरण हेतु उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किये गये संवैधानिक अधिकार, जो उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्तता प्रदान करते हैं, को विश्लेषित करने पर यह तथ्योंदघाटन होता है, कि उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें समय के अनुसार कुछ संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिले हैं। उनके लिये शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति आदि सभी क्षेत्र खुले हुए हैं। स्वतंत्रता से अब तक महिलाओं की उन्नति के लिये और समुचित न्याय दिलाने के लिये तरह-तरह के कानून सरकार ने बनाये हैं। महिलाओं के प्रमुख कानूनी अधिकार में विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद-14 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के अनुसार समानता का अधिकार अनुच्छेद-15 (1) महिलाओं और बच्चों के हित में कुछ विशेष उपबंध करने का अधिकार अनुच्छेद-15 (3) नौकरी या उसके अवसरों के लिए समानता का अधिकार अनुच्छेद-16, महिला पुरुष को समान जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद-39 (ए), महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद-39 (डी), महिलाओं को दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिये सन् 1983 में भारतीय दण्ड संहिता में एक

नई धारा 498ए जोड़ी गयी थी। इस धारा के मुताबिक पति या उसके संबंधियों द्वारा दहेज के लिये महिला को प्रताड़ित करने की स्थिति में पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह पत्नी की मात्र शिकायत पर ही बिना जाँच-पड़ताल के ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकेगी। दहेज एक कुरीति है और इसे प्रभावी ढंग से रोकना वक्त की जरूरत है।

भारत सरकार ने कामकाजी महिलाओं की सहायता हेतु समय-रायम पर नियम एवं कानून बनाये हैं। जिसके तहत समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बनाया गया। महिलाओं को गर्भावस्था व प्रसूति से संबंधित कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। यह प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961 कहलाता है।

विशेष दिशा निर्देशों के आने से पूर्व आये दिन कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव सुनने और देखने को मिलते थे। लेकिन वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में जारी किए दिशा-निर्देशों ने कार्य स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में युगांतकारी भूमिका निभाई। कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को ही विशाखा गाइड लाइन के रूप में जाना जाता है। इसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार मामले के तौर पर भी जाना जाता है।

इस प्रकार हमारे संविधान के अन्तर्गत सभी स्त्री-पुरुष को बराबरी एवं स्वतंत्रता का शोषण से बचाव धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति आदि सभी अधिकार समान रूप से प्रदान किये गये हैं ताकि उन्हें समानता के अधिकार से कोई भी वंचित न कर सके। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के सभी स्तरों पर उन्हें एक-तिहाई पद आरक्षित करने के लिये संविधान के अन्तर्गत 74वें संशोधन किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप देश की त्रिस्तरीय पंचायतों में 80 लाख महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति और विकास में भागीदारी के अवसर प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त राजनीति के उच्च स्तरों पर अर्थात् संसद और विधानमण्डलों में उन्हें एक तिहाई आरक्षण उपलब्ध कराने के लिये प्रयास भी किए जा रहे हैं।

**निष्कर्ष-** निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं के कारगर सशक्तिकरण के लिए कानून और न्याय को एक-दूसरे का पूरक और सहायक बनाना है। इसके लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा। प्रस्तुत शोध-पत्र में प्रमुखतः उन कानूनी प्रावधानों संहिताओं पर प्रकाश डाला गया है जो मूलतः महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण व संरक्षण के संबंध में नित नये कानून तो बन रहे हैं लेकिन उनकी क्रियान्विति बहुत कम है। भारतीय समाज में सब में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा। जरूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लायें। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक, सजग एवं सशक्त बनाना आज सब से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें सशक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना है। ताकि वह जान सके कि कानून के द्वारा वे कौन-कौन से अधिकार प्राप्त कर सकती हैं।

अत्याचार अन्याय एवं शोषण का मुकाबला कैसे कर सकती है। महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जाये कि वे अपने अधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकें। निर्भोक्ता से अपना दावा पेश कर सके क्योंकि कोई भी स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज महिलाओं को सशक्त किए बिना, विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय कानूनी और न्यायिक व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना बेहद जरूरी ही नहीं अपितु आवश्यक भी है।

### सुझाव-

1. कानून को किताबों के दायरे से बाहर निकालने और उसे समाज में संरक्षण हेतु लागू करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है।
2. अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, विधवा एवं एकाकी महिलाओं के लिए संपत्ति कानून एवं भूमि कानूनों में ऐसे कानूनी प्रावधान निहित किये जायें जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक स्थिति भी मजबूत हो सके।
3. सजगता, सचेतना, दृढ़ता और उदारता हमारे संबल है। महिला उत्पीड़न के विरुद्ध जन संवेदीकरण इस दिशा में एक सशक्त सकारात्मक कदम होगा।
4. महिला सशक्तिकरण एक ऐसी सामाजिक विधि है, जो स्त्रियों पर किए जा रहे अत्याचारों व दमन को निष्प्रभावी बनाती है। अगर स्त्रियाँ अपने स्तर में निर्णायक कार्यवाही नहीं करेंगी तो उनके परम्परागत उत्पीड़कों द्वारा इसी प्रकार उनका उत्पीड़न होता रहेगा।
5. समुचित और त्वरित न्याय प्रबंध के द्वारा भी उत्पीड़न को रोकने में सहायता मिल सकती है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. महिलाओं के कानूनी अधिकार, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, पर्यावास भवन, भोपाल
2. स्याल, शान्ति कुमार (2009), महिलाओं के कानूनी धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली
3. भाटी, कान्ता (2007), महिला उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना तथा दहेज हत्या, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर (राजस्थान)
4. सक्सेना उपमा (2012), महिला सशक्तीकरण सामाजिक एवं संवैधानिक परिदृश्य - अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
5. आर्य राकेश कुमार (2020) : महिला सशक्तीकरण और भारत डायमंड पॉकेट बुक्स प्रा0लि0 नई दिल्ली
6. गुर्जर डॉ0 सीता (2015) : महिला सशक्तीकरण (नीति, कानून एवं योजनाएँ) हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर राजस्थान

## राजनीति में फँसा महिला आरक्षण बिल और सशक्तिकरण का सवाल

• मनीता कुमारी यादव

सारांश- महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम महिला आरक्षण विधेयक 1996 बिल है जो आज तक पारित तो नहीं हो सका है लेकिन इस बिल के माध्यम से महिला को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 27 वर्ष होने को आये लेकिन अभी तक इस बिल को विभिन्न दलों ने अपनी पुरुष सत्तात्मक सोच के कारण आज तक प्रस्तावित नहीं होने दिया है। एने फिलिप्स ने 'उपस्थिति की राजनीति' (Politics of presence) शब्द के द्वारा इसकी व्याख्या की है अर्थात् सभी नीति निर्माणकारी निकायों में हाशिये पर रह रहे वंचित वर्ग और समुदायों की समुचित भागीदारी की व्यवस्था उनकी उपस्थिति से सुनिश्चित हो सके और उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार स्वतंत्रता संग्राम से ही आरंभ हो गया था ऐनी बेसेंट का होमरूल आंदोलन और महिला अधिकारों के लिए उनकी वकालत ने अनेक महिलाओं को इस वास्तविकता के प्रति सचेत कर दिया कि वह राजनीतिक दायरे से बाहर है। स्वतंत्रता संग्राम से ही महिलाओं के हित की लड़ाई शुरू हो गयी थी धीरे-धीरे यह लड़ाई जोर पकड़ी और आजादी के बाद भी यह संघर्ष जारी रहा। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तथा स्थानीय निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिला है। लेकिन सिर्फ बिहार में पारित होने से कुछ नहीं होगा तभी महिलाओं को लाभ मिल सकेगा।

**मुख्य शब्द - महिला आरक्षण, राजनीति, प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण, स्थानीय निकाय**

महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम महिला आरक्षण विधेयक 1996 बिल है जो आज तक संसद में पारित होने की बाट जोह रहा है। 27 वर्ष होने को आये लेकिन अभी तक इस बिल को विभिन्न दलों ने अपनी पुरुष सत्तात्मक सोच और स्वार्थ की राजनीति के कारण इसे प्रस्तावित ही नहीं होने दिया है। इस प्रकार यह बिल राजनीति के दुष्चक्र में फँसकर रह गया है। आरक्षण का प्रश्न समावेशीकरण की नीति से जुड़ा है। एने फिलिप्स ने उपस्थिति की राजनीति (Politics of Presence) शब्द

- सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, वैशाली महिला महाविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर

के द्वारा इसकी व्याख्या की है अर्थात् सभी नति निर्माणकारी निकायों में हाशिये पर रहे रहे वंचित वर्ग और समुदायों की समुचित भागीदारी की व्यवस्था उनकी उपस्थिति से हो ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। महिलाओं के लिए पंचायती राज बिल और 33 प्रतिशत आरक्षण बिल भी ऐसे ही अनुकरण हैं जिनसे आरक्षण के जरिये महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। राजनीतिक सबलीकरण को समझने के लिए पहले सबलीकरण के अर्थ को समझना जरूरी होगा। इसके बाद ही हम इसके माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक सबलीकरण को समझ सकते हैं। सबलीकरण शब्द को प्रायः अधिकार, सामर्थ्य या प्रदत्त के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यदि किसी का सबलीकरण हो चुका है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के पास निर्णय लेने और प्रभावित करने की क्षमता आ चुकी है और वह निर्णय लेने में समर्थ है। सबलीकरण व्यक्ति को हस्तक्षेप करने, रणनीति निर्धारित करने और कदम उठाने के लिए भी समर्थ बना देता है।

**महिला सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि-** महिलाओं को सबल बनाने का प्रयास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ही आरंभ हो गया था। इसलिए वोट डालने के अधिकार के लिए भारतीय महिलाओं के संघर्ष की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हो चुकी थी। ऐनी बेसेंट का होमरूल आंदोलन और महिला अधिकारों के लिए उनकी वकालत ने अनेक महिलाओं को इस वास्तविकता के प्रति सचेत कर दिया कि वह राजनीतिक दायरे से बाहर है। सन् 1919 ई० में जब मताधिकार के प्रश्न पर बात करने के लिए साउथ बोरा कमीशन भारत आया तो ऐनी बेसेंट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में दबाव डालने के लिए आयोग से मिला था। इसमें सरोजिनी नायडू भी शामिल थीं। मद्रास विधान परिषद् ने महिलाओं को 1920 में मताधिकार दे दिया। इसका अनुसरण करते हुए 1921 में मुंबई विधान परिषद् ने भी ऐसा ही निर्णय पारित कर दिया। जब 1926 के चुनाव हुए तो मद्रास की विधान परिषद् के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय और हेमन एंजेलो ने भी चुनाव लड़ा था। 1929 तक सभी प्रांतीय विधान परिषदों में महिलाओं को मताधिकार दे दिया था। इसके बाद महिलाओं को विधान परिषद् के लिए मनोनीत भी किया जाने लगा।

इस प्रकार से महिलाओं के मताधिकार की माँग साइमन कमीशन के भारत दौरे के साथ दूसरे चरण में जा पहुँची। महिला प्रतिनिधिमंडल ने मताधिकार प्राप्त महिलाओं की बेहद कम संख्या को देखते हुए तर्क दिया कि महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनकी सीटें आरक्षित की जाएँ। 1929 ई० में लंदन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए ऑल इंडिया वीमेंस कांफ्रेंस का पुरजोर आग्रह था कि सम्मेलन में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। फलस्वरूप सरकार ने श्रीमती राधाबाई और बेगम शाहनवाज को प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी ने राष्ट्रवादी नेतृत्व को काफी प्रभावित किया और कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का घोषणा-पत्र प्रकाशित कर दिया। इससे पुरुषों के समकक्ष महिलाओं को भी समान मताधिकार की माँग को प्राथमिकता मिली। भारत के नए संविधान की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए नागरिक समानता सुनिश्चित करना

महत्वपूर्ण हो गया और एक समान नागरिक संहिता की भी माँग जोर पकड़ने लगी ताकि सभी समूहों की महिलाओं को एक साथ लाया जा सके।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रांतीय विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 04 सीटें आरक्षित कर दी गईं और चुनाव क्षेत्रों का स्वरूप निर्धारित करने का काम परिसीमन कमेटी पर छोड़ दिया गया। 1935 के अधिनियम के बाद इस अनुपात को 5:1 कर दिया गया। इस प्रकार से 1931 ई० में राष्ट्रीय योजना समिति के तरफ से एक उपसमिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य एक नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका की संभावनाएँ तलाशना था। इस समिति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मूल अधिकार घोषणापत्र (1931) से सहमति जताई और स्त्री-पुरुष दोनों के लिए वयस्क मताधिकार की माँग की। उस समय का महिला आंदोलन सिर्फ साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष ही नहीं रहा था बल्कि वह महिलाओं के मुद्दों को भी संवेदनशील बना रहा था जिससे महिलाओं की समान नागरिकता और सहभागिता की संभावना उत्पन्न हो सके।

**महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की प्रक्रिया-** जब अगस्त, 1947 में भारत आजाद हुआ तो उसके बाद भारतीय लोगों ने एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संघीय संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। भारतीय संविधान ने स्त्री-पुरुष को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए और दोनों को ही जाति, वर्ग, जन्मस्थान और शैक्षणिक या संपत्ति के आधार पर भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भारतीय संविधान में महिलाओं की स्वतंत्र तथा सक्रिय और समान राजनीतिक हिस्सेदारी को स्वीकार किया गया और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के लिए उनके राजनीतिक सबलीकरण की जरूरत को रेखांकित किया गया। लेकिन लोकतंत्र और विकास के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति तो कर ली परंतु महिलाओं की हिस्सेदारी और स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुई है। आज भी भारतीय महिलाएँ राजनीति के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी हाशिए पर ही हैं। महिलाएँ लगातार उत्पीड़न का दंश झेल रही हैं।

महिलाओं के सबलीकरण के उपकरण के रूप में आरक्षण के प्रावधान की चर्चा पहली बार 1974 में महिलाओं के लिए गठित कमेटी के अंतर्गत उठी। स्थानीय स्तर पर कमेटी ने सिफारिश की थी कि गाँवों के स्तर पर वैधानिक महिला परिषदों का गठन किया जाए। इन इकाइयों के गठन का यह उद्देश्य था कि महिलाएँ अधिक-से-अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी करें। 1988 ई० में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में सिफारिश की गई थी कि सरकार की सभी कमेटियों और आयोगों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाएँ। फिर पंचायत, जिला परिषदों और स्थानीय नगरपालिका निकायों में भी महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाएँ। उसमें यह प्रावधान भी रखा गया कि जब तक महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के बराबर न पहुँच जाए तब तक राजनीतिक पार्टियाँ अपने उम्मीदवारों में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करें। इसके उपरांत एक विधेयक तैयार किया गया जिसमें पंचायत और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कम-से-कम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन विधेयक में इस प्रावधान के साथ-साथ

यह व्यवस्था भी की गयी थी कि स्थानीय शासन में इन इकाइयों के प्रमुखों में कम-से-कम एक तिहाई पद महिलाओं को दिए जाएँ। यह कानून महिलाओं के सबलीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ और महिला आंदोलन के लिए एक अविस्मरणीय उपलब्धि है।

**महिला विधेयक का स्वरूप-** महिला आरक्षण विधेयक (1966) जो कि संसद के निचले सदन के विचाराधीन है इसमें महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। यह विधेयक महिलाओं के हितों को एक समूह के स्तर पर प्रतिनिधित्व देने के साथ-साथ महिलाओं को बड़ी संख्या में विधायिका के कामकाज और फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

यह विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। संविधान के अनुच्छेद-14 नागरिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है लेकिन साथ ही उचित सीमाओं के भीतर, नागरिकों के विभिन्न समूहों और वर्गों में वर्गीकृत करने की छूट भी देता है।

अनुच्छेद 15(3) घोषणा करता है कि “इस अनुच्छेद की विषय-वस्तु में कुछ भी ऐसा नहीं है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान से रोकता हो।” अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार धर्म नस्ल या लिंग के आधार पर सार्वजनिक कार्यों में भेदभाव का निषेध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि सब कुछ समान होने की स्थिति में महिलाओं की सार्वजनिक कार्यों की कुछ श्रेणियों में प्राथमिकता सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए संविधान की दृष्टि से महिलाओं के राजनीतिक सबलीकरण का मजबूत आधार बनता है।

केन्द्रीय प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण पर बहस न केवल भारतीय राजनीति के इतिहास में बल्कि भारतीय महिला आंदोलन में भी एक विशिष्ट अवसर पर सामने आई है।

भारतीय समाज के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी से भी संबंधित कोई प्रावधान न होने के कारण आरक्षण की व्यवस्था करना बहुत अधिक महत्व रखता है। लेकिन महिला आंदोलन के माध्यम से आरक्षण का प्रावधान कितना सहायक होगा इसके बारे में कुछ संदेह भी है। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के परिणाम सकारात्मक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसा कि उत्साही महिला अभ्युदय (यू.एस.ए) द्वारा किये गये कुछ सर्वेक्षण आँखें खोलने वाले हैं। एक अध्ययन के अनुसार 19 महिला उम्मीदवारों में से केवल दो ने स्वीकार किया कि परिवार की इच्छा के कारण उन्हें राजनीति में आना पड़ा। इस स्थानीय निकाय चुनावों में भू-स्वामियों को अपनी सत्ता का विस्तार करने का अवसर मिला है। जबकि महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी है घरेलू कामों की भी और राजनीतिक दायित्वों की भी यानि निजी और सार्वजनिक दायित्व दोनों ही संभालना पड़ता है। इसलिए महिलाओं के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना बहुत जरूरी है जो भेदभाव, बाहुबल और पितृसत्तात्मक सोच से मुक्त हो। स्थानीय स्तर पर होने वाले किसी भी महिला आंदोलन को पितृसत्तात्मक विरोध का सामना करना पड़ता है। कई जगह पर तो पुरुष महिला सरपंच

के अंतर्गत काम नहीं करना चाहता है। पिढ़गारा ( मध्यप्रदेश) और ब्रह्मनगर व श्रीरामपुर (महाराष्ट्र) पंचायतें आदि इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी विषम ध्रुवीकरण है। मधु किश्वर और गैल ऑमवेट ने इस विधेयक का विरोध किया है। उनकी दलील है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पास वैधता का अभाव होगा जिस कारण से महिला के सबलीकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं होगी। आलोचकों का यह भी कहना है कि अनिवार्य आवर्तन से संसद में अस्थिरता उत्पन्न होगी क्योंकि प्रत्येक चुनाव में 1/3 सीटों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन महिला आरक्षण की वकालत करने वालों की दलील है कि जब तक महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक महिलाओं के सबलीकरण में भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। जैसे-जैसे समय बीतेगा सामाजिक तबकों और समूहों से जुड़ी महिलाएँ भी आरक्षण के सामाजिक एवं राजनीतिक लाभ महसूस करने लगेंगी और परिणामस्वरूप सत्ता और शक्ति के पदों पर पहुँचने के लिए प्रयास करेंगी।

**राजनीति में फँसा बिल-** 1980 ई० के दशक में राजनीति में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कम होने से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कई नई राजनीतिक पार्टियाँ सामने आयीं। जिन्हें नए निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुँचने की जरूरत थी। इसलिए अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कई राजनीतिक पार्टियों ने महिला संगठनों के पंचायती राज और नगर निगमों में 33 प्रतिशत आरक्षण के सुझाव का समर्थन किया। 1993 में संविधान के 13वें और 14वें संशोधन विधेयक के पारित होने को महिलाओं को ग्राम पंचायतों और नगर निगमों में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया। इस संशोधन से अनेकों महिलाएँ पंचायत व जिला परिषदों में आईं। इस सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण और 1994 व 1995 के विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भूमिका से प्रोत्साहित होकर 1996 के लोकसभा चुनावों के पहले महिला संगठनों ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनाव घोषणापत्रों में संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण की माँग का समर्थन किया लेकिन महिला संबंधी राजनीतिक भागीदारी की बात केवल कागज तक ही सीमित रही। राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ संयुक्त सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को अपने “सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम” में शामिल किया। फिर 12 सितम्बर, 1996 को तत्कालीन लोकसभा के प्रथम सत्र में यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 81वां संविधान संशोधन बिल पेश किया किन्तु वह पारित नहीं हो सका। उसमें कई कमियाँ व अड़चनें बताकर एक संयुक्त चयन समिति के सुपुर्द कर दिया गया। इस समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य थे। फिर 13 जुलाई, 1998 को संसद में यह बिल दुबारा पेश किया गया। लेकिन काफी हंगामे, शोर-शराबे और कड़े विरोध के कारण पारित नहीं हो सका। आरक्षण के प्रति जनता का दृष्टिकोण “सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज ( सी.एस.डी.एस)” के एक सर्वे की रिपोर्ट में देखा जा सकता है। इस सर्वे की रिपोर्ट में देखा जा सकता है। इस सर्वे में 75 प्रतिशत पुरुषों और 79 प्रतिशत महिलाओं ने राजनीतिक में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का समर्थन किया।

इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही है कि राजनीतिक पार्टियाँ जिन्होंने ग्राम व जिला स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण के 74वें संशोधन बिल 24 अप्रैल, 1993 को पारित किया था परंतु वे संसदीय स्तर पर इसे मंजूरी देने को तैयार क्यों नहीं है? अब सवाल उठता है कि क्या संसद में महिलाओं के ज्यादा संख्या में आ जाने से राजनीतिक तंत्र में पुरुष वर्चस्व को ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा? दूसरी बात पंचायतें ग्राम स्तर पर जनतंत्रीय व्यवस्था का प्रतीक जरूर है लेकिन वे कभी इतने साधन संपन्न नहीं रहीं किवे भारतीय राजनीति में दलीय प्रक्रियाओं पर कोई खास असर डाल सके।

महिला आरक्षण के पक्षधरों का कहना है कि पुरुष वर्चस्व वाले राजनीतिक तंत्र में महिलाओं को कोई जगह नहीं मिलती है। यदि सीटों का आरक्षण दिया जाता है तो महिलाओं को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक जगह मिलेगी तथा महिलाओं की सामाजिक लाभबंदी भी होगी। जबकि महिलाओं का कहना है उन्हें बराबरी का हक चाहिए, कोई भीख या दया नहीं। वे आरक्षण को सामाजिक न्याय कार्यक्रम का हिस्सा मानती हैं। उनका यह भी कहना है कि विकास नीतियों के पीछे कई निजी स्वार्थ तथा हित है।

महिला समूहों का मानना है कि कोटा व्यवस्था से महिलाएँ उन सभी सामाजिक बाधाओं को पार कर सकेंगी जिनके कारण वे अभी तक राजनीति से दूर रखी गई हैं और उनकी आवाज को अनसुना किया गया है। यदि राजनीतिक संस्थाओं में नाममात्र मौजूदगी के बजाय 33 प्रतिशत महिलाएँ होंगी तो पार्टियाँ उनको अनदेखा नहीं कर पाएंगी। इसलिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना ही चाहिए। उनका तर्क यह भी है कि महिलाओं को राजनीति में आने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बजाय यह जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की होनी चाहिए कि वे महिलाओं को टिकट देकर राजनीति में आने का मौका दें। महिलाओं को राजनीति से बाहर रखने का पूरा सामाजिक इतिहास है। वे भी दबे-कुचले समूह का हिस्सा हैं स बात को मानकर इसकी क्षति-पूर्ति कानूनन आरक्षण देकर की जानी चाहिए।

काफी लम्बे समय से मध्यावधि चुनावों के दौरान महिला आरक्षण पर काफी वादे किए जाते हैं लेकिन चुनावों के नतीजे आने के बाद उन्हें डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। अब यह सवाल उठता है कि महिला बिल के नाम पर अपनी-अपनी राजनीति की रोटी सेंकने वालों के प्रति आम महिलाओं का क्या रूख रहेगा? यह बात तो जगजाहिर है कि महिला संगठनों के एक हिस्से के लिए जैसे यह सवाल चुनाव आते-आते खत्म हो जाता है, वैसे ही राजनीतिक दलों के लिए भी अहम नहीं रह जाता। इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि जब तक बिल पारित नहीं होता, महिलाओं के प्रति अपनी सहानुभूति जताने और वोट बटोरने की राजनीति बेहतर तरीके से चल सकती है। कह सकते हैं कि यह साँप-छछूंदर का खेल चल रहा है। चुनाव की घोषणा-पत्र में महिलाओं को प्रमुख एजेंडा बनाया जाता है जो एक क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ को दर्शाता है। यह साफ हो चुका है कि महिला नेता भी महिला प्रश्नों को राजनीतिक तौर पर निर्णायक बनाने के पक्ष में हरगिज नहीं हैं क्योंकि महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का प्रश्न उठाने और विभिन्न पार्टियों की महिलाओं को साथ लाने के बाद चुप्पी साध ली।

महिलाओं की राजनीति में विशेष रूप से लोक सभा और विधानसभा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक पिछले सत्र में लोकसभा में पेश हुआ। यदि आदर्श रूप में देखा जाए तो तरक्की का हर रास्ता स्वयं ही महिलाओं के लिए पूरी तरह से खुला है परंतु प्रारंभ से दबी रहने के कारण रास्ता खुला भर रहना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। पुरुष को यदि हटा दिया जाए तो विगत वर्षों में देखा गया है कि कोई महिला सदस्य भी एक मत होकर महिला नेता का साथ नहीं देती। इस विधेयक की पेशी के साथ यह भी स्पष्ट हो गई कि औरतों की भी एक निश्चित कोटि नहीं रह गई है। वह भी बँटी हुई है पिछली महिला, आदिवासी महिला, उच्च वर्ग की महिला, दलित महिला आदि-आदि। इस तरह महिला पर यदि अत्याचार करना हो तो वह सिर्फ महिला है लेकिन जहाँ अधिकार देने की बात आई उसे टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटने की साजिश शुरू हो जाती है। एक सीधी सी बात है अगर महिला की शक्ति एकत्रित हो गई तो पुरुष सत्ता की वह शक्ति जाती रहेगी जिसके बल पर औरत को दोगुना दर्जे का प्राणी समझा जाता है। यही कारण है कि वे लोग औरत को भी औरत होने के एहसास छिन्न-भिन्न कर देना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछड़ी तो हर वर्ग की महिला है। हमारे देश में शिक्षित महिलाओं की संख्या ही मात्र 71.50 प्रतिशत है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि अधिकांश उच्च जाति की महिलाएँ घर से बाहर नहीं जाती। जो शिक्षित है उनको छोड़ दिया जाए तो 100 प्रतिशत औरतें पिछड़ी हैं। यदि ऐसे में वे भी आगे आ पाती हैं तो यह भी एक उपलब्धि होगी। इन सभी तर्कों के बावजूद यदि पिछड़े वर्ग की औरतों को अलग से आरक्षण देना है तो इसमें देरी और दुविधा क्यों? अपनी पार्टियों के दबाव में महिला सदस्य भी मुखर नहीं हो पा रही हैं। जबकि उनकी आवाज बुलंद हो, वे एकमत हो तो वे आसानी से अपना अधिकार ले सकती हैं।

निष्कर्षतः महिला आरक्षण पर कई सवाल उठ रहे हैं अभी फरवरी 2014 तक लोकसभा में यह बिल अटका हुआ है जबकि उच्च सभा यानि राज्य सभा ने इसे 09 मार्च, 2010 को पास कर दिया है। यदि यह बिल पास हो जाता है तो महिलाएँ अधिक-से-अधिक राजनीति में भाग लेंगी। पहली 1951 ई० में लोकसभा में 22 महिलाएँ थीं जबकि आज 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएँ हैं जो पहले से बढ़ा है लेकिन बहुत ही कम है। जाहिर है स्वतंत्रता के सात दशक बाद मात्र 11-12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का संचार नहीं करता। राज्यों की विधान सभाओं में स्थिति और भी बदतर है। जहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण का सवाल है तो इस प्रतिशत से पता चलता है कि यह कहाँ तक सशक्त हुई है। यदि महिलाओं को यह 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो जाता है तो वह सामाजिक तथा आर्थिक रूप से निर्भर रह सकेंगी। इसलिए वर्तमान में जो गिनी-चुनी महिलाएँ नेता तथा संसद में सदस्य हैं उन्हें अपने दल का विरोध कर अपना अलग अस्तित्व कायम करने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन वे डरती हैं कि ऐसा करने से अस्तित्वहीन हो जाएंगी। उनका यह डर बिलकुल बेमानी है उन्हें तो चाहिए कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर उनकी साजिश को नाकाम कर दें। औरत सिर्फ औरत है कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, इस भावना के साथ मिलकर जेहाद छोड़े, लड़ाई लड़े तभी

उनको मिलने वाले इस आरक्षण का कोई अर्थ रह जाएगा। नहीं तो टुकड़ों में बँटा अधिकार सिर्फ एक मरीचिका साबित होगा, जिससे मन को बहलाया तो जा सकता है पर प्यास नहीं बुझाई जा सकती।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, प्रथम संस्करण 2001
2. मानिक्यम्बा, पी., वीमेन इन पंचायती राज स्ट्रक्चर, न्यू दिल्ली, ज्ञान पब्लिकेशन, 1989
3. पूर्वोक्त
4. पूर्वोक्त
5. इंडिया टुडे, 1996, 31 अगस्त
6. स्टॉअट, 1951:65
7. यंग, 1990 : 83-91
8. कृमुदिनी पति, आधी जमीन संयुक्तांक जनवरी-जून, 1999
9. रीता सिंह, आधी जमीन, अक्टूबर-दिसंबर, 1996
10. नीरजा चौधरी, हाऊ पॉलिटिक्स ट्रीट्स वीमेन' इंडियन वीमेन रीविजिटेड में प्रकाशित, सम्पादित देवकी जैन, सी.पी., सुजाया, पब्लिकेशन डिवीजन, 2014, पृ.सं. 95

## ऊपरी गंगा घाटी में मृदभाण्ड कला के विकास का ऐतिहासिक अध्ययन

• ब्रजेश कुमार तेजस्वी

सारांश- ऊपरी गंगाघाटी मृदभाण्ड कला के क्षेत्र में परवर्ती हड़प्पा काल से लेकर छठी शताब्दी ई.पू. तक समृद्ध परम्परा रही है। परवर्ती हड़प्पा काल से ही हमें अच्छी प्रकार से बने तथा आग में पकाये मृदभाण्ड प्राप्त हुए हैं जो अंलकृत भी थे तथा दैनिक जीवन में उपयोगी भी थे। उसके बाद ताम्र पाषाण काल में बने गैरिक मृदभाण्ड निम्न स्तरीय थे। शायद इसके पीछे वातावरणीय कारण जिम्मेदार रहे होंगे। कृष्ण लोहित मृदभाण्ड का क्षेत्र सबसे विस्तृत था तथा सबसे लम्बी काल अवधि तक अस्तित्व में रहे। चित्रित धूसर मृदभाण्ड बहुत ही उच्च कोटी के थे तथा आम जन-जीवन में बहुत लोकप्रिय थे। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि धूसर मृदभाण्ड का प्रयोग सिर्फ उच्च वर्ग के लोग करते थे। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभाण्ड संस्कृति पुरातत्व के इतिहास में अत्यन्त उज्ज्वल तथा नवीन अध्याय का सूत्र-पात करती है ऊपरी गंगाघाटी में मृदभाण्ड उत्पादन तकनीक एवं शिल्प इन दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ हुआ करते थे। इन मृदभाण्डों की लोकप्रियता भी शिखर को छूने लगी थी। गरीब के घर का भोजन हंडिया और परियोग में बनता था। यह सादगी के परिचायक थे।

मुख्य शब्द - मृदभाण्ड, अंलकृत, दैनिक जीवन, धूसर, संस्कृति

प्रस्तावना-कृषि एवं पशुपालन के आरम्भ होने के पश्चात् मनुष्य को अनाज एवं दूध-दही खाद्य पदार्थों को एकत्र कर सुरक्षित रखने की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी आवश्यकता ने मानव को मृदभाण्ड या पात्र के निर्माण के लिए प्रेरित किया। प्रारम्भ में मानव ने हाथ से बने मृदभाण्डों का निर्माण करना शुरू किया। पहिए की खोज ने उसे मृदभाण्डों के निर्माण के लिए चाक की खोज के लिए प्रोत्साहित किया होगा। इस तरह चाक की खोज हुई होगी। मृदभाण्डों के गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि हाथ से बने मृदभाण्ड चाक पर बने मृदभाण्डों से पहले के हैं। मृदभाण्डों की तिथि का निर्धारण 'निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि' के द्वारा किया जाता है। ये मृदभाण्ड विभिन्न कालों में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के द्वारा बनाये गये हैं। अतः विभिन्न सभ्यताओं का सही तिथिक्रम निर्धारित करना सरल हो जाता है।

नव पाषाण कालीन मानव ने हाथ से बने मिट्टी के अधपके बर्तन (मृदभाण्ड) बनाने प्रारम्भ कर दिये थे। इनको बनाने के लिए मिट्टी में घास-फूस भी मिलाई जाती थी। मृदभाण्डों पर रस्सी की छाप के निशान बनाये जाते थे। इन्हें 'कोर्डिड वेयर' (Carded Ware) के नाम से जाना जाता है। इन बर्तनों में खासतौर से कटोरे एवं अनाज जमा करने के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कुछ बर्तनों में गाढ़ी, आड़ी-तिरक्षी या टेढ़ी-मेड़ी रेखाओं की आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ऐसे बर्तन गंगाघाटी में चोपानीमाण्डों और कोल्डीहवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं।

ऊपरी गंगा घाटी में किये गये उत्खनन से पुरातात्विक अनुक्रम के सम्बन्ध में 20वीं शताब्दी तक कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला की मवाना तहसील में स्थित हस्तिनापुर जो कि ऊपरी गंगा घाटी के उत्खनित पुरातात्विक स्थलों में अपना विशेष महत्व रखता है, में किये गये उत्खनन से ऊपरी गंगा घाटी के पुरातात्विक अनुक्रम पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। हस्तिनापुर में खुदाई का कार्य श्री बी. बी. लाल के द्वारा 1950-52 ई. के बीच कराया गया था। उत्खनन के परिणाम स्वरूप पाँच सांस्कृतिक अनुक्रम प्रकाश में आये। इनमें से प्रत्येक मध्य सांस्कृतिक व्यवधान अनुक्रम में विच्छिन्नता दृष्टिगोचर हो रही है। हस्तिनापुर का प्रथम सांस्कृतिक काल गैरिक मृदभाण्ड संस्कृति से सम्बन्धित है द्वितीय काल का प्रतिनिधित्व चित्रित धूसर मृदभाण्ड संस्कृति करती है। तृतीय काल उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभाण्ड संस्कृति का है। चतुर्थ काल शृंगकाल तथा पंचम काल मध्यकाल का है।

हस्तिनापुर के उत्खनन के पश्चात् जो उत्खनन कार्य ऊपरी गंगा घाटी हुए थे, उनके परिणाम स्वरूप दो सर्वथा नवीन संस्कृतियाँ प्रकाश में आयीं। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति एवं कृष्ण लोहित मृदभाण्ड संस्कृति। सामान्यता समस्त ताम्रपाषाणिक तथा ऐतिहासिक काल की पूर्व की संस्कृतियों की पहचान मृदभाण्डों को आधार बनाकर की जाती रही है। मृदभाण्ड संस्कृतियों के आधार पर किसी भी भू-भाग विशेष की परम्पराओं को जाना जा सकता है। एवं पुरातात्विक स्थल के कालक्रम का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है।

**परवर्ती हड़प्पा संस्कृति-** ऊपरी गंगा घाटी में हड़प्पा सभ्यता के आखरी चरण में विकसित परम्परा को आमतौर पर परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल पश्चिमी प्रदेश में स्थित हैं। सनौली (बागपत), आलमगीरपुर (मेरठ), भाटपुर एवं मानपुर (बुलन्दशहर), बड़ागाँव हुलास, आँबखेड़ी (सहारनपुर) आदि। इस संस्कृति के पुरास्थलों से प्राप्त मृदभाण्डों में साधार तश्तरियाँ, जामदनियाँ चषक, कलश आदि प्राप्त हुए हैं। यह मृदभाण्ड अच्छी तरह से गूथ कर तैयार की गई मिट्टी से बने हैं तथा चाक व हाथ दोनों प्रकार से बने मृदभाण्डों की सतह पर कभी-कभी काले रंग से की गई चित्रकारी भी दिखाई देती है। इस संस्कृति के प्रायः सभी मृदभाण्ड दैनिक कार्यों में प्रयोग होने वाले हैं।

**गैरिक मृदभाण्ड संस्कृति-** भारतीय पुरातत्व में गैरिक पात्रों का अपना एवं विशेष स्थान है। गेरूए रंग के कारण इन्हें गेरूए या गैरिक मृदभाण्ड कहा जाता है। इन मृदभाण्डों को पहली बार प्रकाशित 1949 ई. में बी.बी. लाल के द्वारा ऊपरी गंगा घाटी में स्थित स्थलों

बिसौली (जिला बदायूँ) राजपुर परसू (जिला बिजनौर) की उत्खन्न रिपोर्ट द्वारा किया गया। कुछ वर्ष बाद 1952 ई. में बी.बी. लाल द्वारा ही हस्तिनापुर में बहुश्रुत स्थल पर कराये गये उत्खन्न में सबसे निचले स्तर से गैरिक मृदभाण्डों की प्राप्ति हुई थी। हस्तिनापुर के अलावा ऐटा जिले में स्थित पुरास्थल अतरंजीखेड़ा एवं बरेली जिले के अहिच्छत्र, इलाहाबाद के श्रृंग्वेरपुर तथा राजस्थान के नोह आदि विभिन्न पुरास्थलों से गैरिक मृदभाण्डों को प्राप्त किया गया है। बुलन्दशहर में लाल किला एवं इटावा जिले के सैफई स्थलों से भी गैरिक मृदभाण्ड प्राप्त किये गये हैं। हस्तिनापुर से प्राप्त गैरिक मृदभाण्डों के ठीकरों से इनके आकार-प्रकार, संरचना आदि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती है। बाद में प्राप्त होने वाले मृदभाण्ड जो कि अतरंजीखेड़ा, सैफई, लालकिला, श्रृंग्वेरपुर, बहरिया, बड़ागाँव, नसीरपुर, शिकारपुर आदि से एकत्र किये गये थे, गैरिक पात्रों के आकार-प्रकार की जानकारी मिलती है। परन्तु इन मृदभाण्डों में इतनी भिन्नता है कि आकार-प्रकार को लेकर किसी निश्चित मत पर नहीं पहुँचा जा सकता। इन मृदभाण्डों को लेकर आम धारणा है कि ये मृदभाण्ड भली-भाँति पकाये हुए नहीं हैं इस सम्बन्ध में एच.डी. संकालिया का मत है कि गैरिक मृदभाण्ड कोई परम्परा नहीं है अपितु ये विशिष्ट परिस्थितियों का परिणाम है। लम्बे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण इनकी हालत ऐसी हो गई है। इन पात्रों को दो समूह में बाँटा जा सकता है। (1) मोटी गढ़न वाले पात्र (2) पतली गढ़न वाले पात्र। मोटे गढ़न में हौदे (नाँद/जतवनही) बीच में घुंड़ी वाले कटोरे नुमा बर्तन, साधार तशतरी, तसले, चटाई तथा बटी हुई रस्सी की छाप वाले घड़े, पेंदेदार कटोरे आदि। पतली गढ़न में छोटे किनारे वाली साधार तशतरियाँ, चिलमची, घुण्डीदार कटोरे नुमा ढक्कन तथा छोटे आकार के कलश आदि।

**कृष्ण लोहित मृदभाण्ड संस्कृति-** कृष्णलोहित या लाल-काले मृदभाण्डों से आशय है जो बाहर से लाल और अन्दर से काले हाते हैं तथा कभी-कभी इन मृदभाण्डों का ऊपरी भाग काला तथा नीचे का भाग लाल रंग का होता है। ये मृदभाण्ड अपने अलंकरण एवं चित्रण तथा आकार प्रकार में अन्य मृदभाण्डों से अलग हैं। साथ ही इनके निर्माण की विधि भी अलग है। इसलिए इन पात्रों को अलग नाम दिया गया है। इन मृदभाण्डों को उल्टी तकनीक (Inverted Firing Technique) से पकाया गया है। ऐसा अनुमान है कि ये मिश्र में प्रचलित तकनीक से प्रभावित हैं। ऊपरी गंगाघाटी में यह मृदभाण्ड सर्वप्रथम अतरंजीखेड़ा में गैरिक तथा चित्रित धूसर मृदभाण्ड के साथ पाये गये हैं। अतरंजीखेड़ा के साथ ही ये सांस्कृतिक अनुक्रम राजस्थान के नोह एवं जोधपुर पुरास्थलों से मिला है जो कि गंगाघाटी से अलग क्षेत्र हैं।

अतरंजीखेड़ा के बाद कृष्ण लोहित पात्र परम्परा ऐटा जिला के जखेड़ा पुरास्थल से भी प्राप्त हुए हैं। अतरंजीखेड़ा से प्राप्त कृष्णलोहित मृदभाण्डों पर चित्रकारी का पूर्णता अभाव मिलता है। मुख्य रूप से पाये जाने वाले पात्रों में कटोरे, थालियाँ हैं।

गंगाघाटी में पायी जाने वाली कृष्ण लोहित मृदभाण्ड संस्कृति को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. प्रारम्भिक चित्रित धूसर मृदभाण्ड के साथ पायी जाने वाली कृष्णलोहित मृदभाण्ड संस्कृति, अतरंजीखेड़ा अलंकरण विहीन है।

2. चित्रित धूसर मृदभाण्ड संस्कृति तथा उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड संस्कृति स्तरों में पायी जाने वाली अलंकरण विहिन कृष्ण लोहित मृदभाण्ड परम्परा आलमगीरपुर, सोंख (मथुरा) हस्तिनापुर, श्रीवास्ती, अतरंजीखेड़ा, कौशाम्बी मसोन आदि स्थलों में पायी गई है।
3. प्रारम्भिक उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभाण्ड परम्परा के स्तरों में पायी जाने वाली अलंकृत कृष्णलोहित मृदभाण्ड परम्परा राजघाट, कौशाम्बी एवं बिहार में चिरांद तथा पश्चिम बंगाल में पाण्डुराजा धीवि से प्राप्त हुई है।

**चित्रित धूसर मृदभाण्ड संस्कृति-** चित्रित धूसर पात्र अपने नाम के अनुरूप धूसर या स्लेटी रंग के होते हैं। इन पर काले रंग से चित्र उकरे गये हैं। धूसर मृदभाण्ड चाक पर निर्मित हैं और इन्हें आग में अच्छी तरह पकाया गया है। इस कारण धूसर रंग के अलावा भूरे और काले रंग के पात्र भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही चित्रण के लिए काले रंग के अलावा कभी-कभी चाकलेटी या लाल रंग इस्तेमाल भी किया गया है। मृदभाण्डों पर चित्रकारी का कार्य उनको आग में पकाने से पूर्व ही किया गया है। ऊपरी गंगाघाटी में कृष्ण लोहित मृदभाण्ड संस्कृति के बाद चित्रित धूसर मृदभाण्ड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, जो ऊपरी गंगा घाटी की विशिष्ट मृदभाण्ड परम्परा है। उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद के रामनगर कस्बे के पास स्थित अहिच्छत्र नामक पुरास्थल से 1940 ई. में चित्रित धूसर मृदभाण्ड पहली बार प्रकाश में आये थे। लेकिन इस समय इन मृदभाण्डों के पुरातात्विक महत्व को ठीक प्रकार से नहीं आंका गया। कुछ समय पश्चात् हस्तिनापुर में खुदाई से इस मृदभाण्ड परम्परा की प्राप्ति ने इन्हें भारतीय पुरातत्व में एक निश्चित एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया।

ऊपरी गंगाघाटी में चित्रित धूसर परम्परा के 600 से अधिक पुरास्थल प्राप्त हो चुके हैं जो कि हरियाणा, पंजाब उत्तरी राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाये गये हैं। परन्तु ऊपरी गंगा घाटी में चित्रित धूसर पात्र परम्परा का प्रसार विशेष रूप से मिलता है। चित्रित धूसर मृदभाण्ड परम्परा के साथ-साथ कृष्ण लोहित पात्र परम्परा, कृष्ण लेपित पात्र परम्परा तथा लाल परम्परा के भी साक्ष्य मिले हैं। इस पात्र परम्परा से सम्बन्धित अनेक पुरास्थलों की खुदाई अभी तक की जा चुकी है जिनमें हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, आलमगीरपुर, मथुरा, अल्लापुर, काम्पिल्य, जखेड़ा, अतरंजीखेड़ा, कन्नौज, कौशाम्बी एवं श्रीवास्ती मुख्य रूप से हैं। अतरंजीखेड़ा एवं नोह से प्राप्त धूसर मृदभाण्डों पर सूती कपड़े की छाप मिलती है। जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय लोग कपड़े का प्रयोग करते थे।

चित्रित धूसर मृदभाण्ड संस्कृति ने आगामी उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड संस्कृति के लिए गंगाघाटी की द्वितीय नगरीय क्रान्ती के लिए आर्थिक आधार प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड संस्कृति के काल में द्वितीय नगरीकरण अपने पूर्ण विकसित रूप में अस्तित्व में आया।

**उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड संस्कृति-** उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड संस्कृति भारतीय पुरातत्व विशेषकर उत्तर भारत के पुरातत्व की एक विकसित जानी पहचानी मृदभाण्ड परम्परा है। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तर भारत

के पुरातत्व में यह मृदभाण्ड परम्परा तिथिक्रम का सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करती है। जिसको आधार बनाकर उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड संस्कृति के पहले कि पुरातात्विक संस्कृतियों के तिथिक्रम का निर्धारण सरलता पूर्वक किया जा सके। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से यह मृदभाण्ड संस्कृति अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश एवं श्रीलंका के क्षेत्रों में फैली है। उत्तर पश्चिम में इस तरह के ठीकरे वेग्राम (अफगानिस्तान) तक्षशिला (पाकिस्तान), चरसददा (पेशवर, पाकिस्तान) तथा उदयग्राम (पेशावर, पाकिस्तान) आदि में मिले हैं। उत्तर में इस तरह के ठीकरे नेपाल की तराई में स्थित तिलौराकोट एवं बंजराही से प्राप्त हुए हैं।

ऊपरी गंगा घाटी में उत्तर कृष्णमार्जित मृदभाण्ड हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, बागपत, मथुरा, अतरंजीखेड़ा, कौशाम्बी और श्रृंग्वेरपुर, पुरास्थलों से मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। जबकि मध्य मध्य गंगाघाटी में ये पात्र खण्ड झूसी, सोहगोरा श्रवास्ती आदि पुरास्थलों से मिले हैं। यह मृदभाण्ड सर्वप्रथम भीटा (इलाहाबाद) एवं तक्षशिला (पाकिस्तान) में हुए उत्खनन से प्रकाश में आये थे। प्रारम्भ में उत्तरी भारत के जितने पुरास्थलों से इस प्रकार के ठीकरे प्राप्त हुए वे अधिकांशता काले रंग के थे तथा उन पर विशेष प्रकार की पालिश की हुई थी। बाद में हुए उत्खनन में उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभाण्ड नारंगी, चाकलेटी एवं गुलाबी आदि रंग के भी प्राप्त हुए हैं जिन पर पालिश भी की हुई है। टी.एन. राय ने इस पात्र परम्परा से सम्बन्धित 415 पुरास्थलों की सूची दी है।

उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परम्परा सत्वर गति से चलने वाली चाक पर निर्मित परम्परा प्रतीत होती है। यह मृदभाण्ड अत्यन्त ऊँचे तापक्रम पर पकाये गये हैं। इसलिए इनमें धातु के बने हुए बर्तनों की तरह सफाई तथा खनक मिलती है। पात्रों में सीधे किनारे वाली थालियाँ, सीधे तथा उन्नतोदर कटोरे, घुण्डीदार ढक्कन, सुस्पष्ट कोख वाली हॉडियाँ आदि प्राप्त हुई हैं।

**निष्कर्ष-** ऊपरी गंगाघाटी मृदभाण्ड कला के क्षेत्र में परवर्ती हड़प्पा काल से लेकर छठी शताब्दी ई.पू. तक समृद्ध परम्परा रही है। परवर्ती हड़प्पा काल से ही हमें अच्छी प्रकार से बने तथा आग में पकाये मृदभाण्ड प्राप्त हुए हैं जो अलंकृत भी थे तथा दैनिक जीवन में उपयोगी भी थे। उसके बाद ताम्र पाषाण काल में बने गैरिक मृदभाण्ड निम्न स्तरीय थे। शायद इसके पीछे वातावरणीय कारण जिम्मेदार रहे होंगे। कृष्ण लोहित मृदभाण्ड का क्षेत्र सबसे विस्तृत था तथा सबसे लम्बी काल अवधि तक अस्तित्व में रहे। चित्रित धूसर मृदभाण्ड बहुत ही उच्च कोटी के थे तथा आम जन-जीवन में बहुत लोकप्रिय थे। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि धूसर मृदभाण्ड का प्रयोग सिर्फ उच्च वर्ग के लोग करते थे। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभाण्ड संस्कृति पुरातत्व के इतिहास में अत्यन्त उज्ज्वल तथा नवीन अध्याय का सूत्र-पात करती है ऊपरी गंगाघाटी में मृदभाण्ड उत्पादन तकनीक एवं शिल्प इन दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ हुआ करते थे। इन मृदभाण्डों की लोकप्रियता भी शिखर को छूने लगी थी। गरीब के घर का भोजन हंडिया और परियोग में बनता था। यह सादगी के परिचायक थे।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. सिंह, उपेन्द्र (2009) ए. हिस्ट्री ऑफ एनशियण्ट एण्ड अर्ली मेडिकल इण्डिया : फ्राम द स्टोन एज टू द ट्रेवल्स सेंचुरी, पीर्यसन। लॉगमैन नयी दिल्ली।
2. पाण्डेय, जय नरायण (2017) 'पुरातत्व विमर्श' प्राच्य विद्या संस्थान, इलाहाबाद।
3. लाल, बी.बी. (1954-55) ऐक्सप्लोरेशन्स एट हस्तिनापुर एण्ड अदर एक्सप्लोरेशन्स इन द अपर गंगा एण्ड सतलज बेसिन (1950-52) इन एनशिएंट इण्डिया : बुलेटिन आफ द आर्कलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया नम्बर 10-11 नई दिल्ली।
4. मिश्र, वी.डी. (1970) आर्कयोलॉजिकल सीक्वेन्स आफ द अवर गंगा वैली : इन जनरल आफ इण्डियन हिस्ट्री, वाल्यूम XLVIII, भाग एक सीरियल नम्बर 142, यूनिवर्सिटी आफ केरला, त्रिवेन्द्रम।
5. मिश्रा, संजू (2017) 'ऊपरी गंगा घाटी द्वितीय नगरीकरण', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
6. दीक्षित, के.एन. (1981) दि एक्सप्लोरेशन्स एट हुलास एण्ड फरदर एक्सप्लोरेशन्स ऑफ दि अपर गंगा यमुना दोआब, इन मैन एण्ड एन्वायरमेन्ट, वाल्यूम ट, पूना।
7. शर्मा, रामशरण (2018) प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएं, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, पटना, इलाहाबाद।
8. नीहारिका, श्रीवास्तव, अजय (2013) 'भारतीय पुरातत्व' विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक वाराणसी
9. लाल, बी.बी. (1951) फरदर कॉपर होर्ड्स इन द गंगा एण्ड ए रिव्यू आफ दि प्राब्लम इन एनशिएंट इण्डिया, नवम्बर 7, नई दिल्ली।
10. शर्मा, रामशरण (2008), 'प्रारम्भिक भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास' हिन्दी माध्यम कायान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय।
11. सारस्वत, के.एस. (1992-93) क्राप इकोनामी आफ लेट हड़प्पन एट हुलास, इन पुरातत्व नवम्बर 23, नई दिल्ली।
12. शर्मा, रामशरण (2021) 'भारत का प्राचीन इतिहास' आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
13. सिंह, अशोक कुमार (2011) 'उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम नगर' वाणी प्रकाशन, जी.एस. आफसेट नई दिल्ली।
14. सहाय, शिवस्वरूप (2012) प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली मुम्बई, चेन्नई, कोलकत्ता, बंगलौर, वाराणसी, पुणे पटना।
15. जैन. बी.के. (2020) 'भारत का प्रागैतिहास और आद्य-इतिहास एक अवलोकन, डी.के. प्रिन्ट वर्ल्ड, नई दिल्ली।
16. सिन्हा, के.के. (1967) 'एक्सप्लोरेशन्स एट श्रवास्ती-1959, मोनोग्राफ आफ दी डिपार्टमेन्ट आफ हिन्दु विश्वविद्यालय, बनारस।

## डिजिटल युग में इंटरनेट का शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन

• राजनिधि सिंह

सारांश- पुरातनकाल में भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में शिक्षा के उच्च केन्द्र थे। पुरातनकाल में पहले मौखिक एवं कंठस्थ रूप में शिक्षा का चलन था। धीरे-धीरे शिक्षा के स्वरूप और इसके तौर तरीकों में बदलाव आया। इसके बाद शिक्षा उपकरणों के रूप में लिखित शब्दों का उपयोग होने लगा। यह दूसरी क्रान्ति थी। जिसके फलस्वरूप स्कूलों में मौखिक शिक्षा के साथ लिखित शिक्षा ने भी स्थान ले लिया। इसके फलस्वरूप शिक्षा को अध्ययन हेतु घरों की दीवारों पेड़ों के पत्तों, गुफाओं की दीवारों पर संकेतों के द्वारा लिखित रूप में दर्शाया जाने लगा था। तीसरी क्रान्ति मुद्रण के अविष्कार के साथ आयी तथा पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी क्षेत्र में आये विकासशील परिवर्तन चौथी क्रान्ति के सूचक थे। इसके बाद रेडियो तथा टेलीविजन आदि का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने लगा। कम्प्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट, मोबाइल, स्मार्ट फोन एवं सीडी-डीवीडी आदि के आने से संचार के क्षेत्र में विकास हुआ जिससे कि ईमेल, डिजिटल वीडियो, ई-बुक्स, ई-शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और इंटरनेट के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन यंत्रों ने नई क्रान्ति का उदय किया। इन साधनों ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में आधुनिक सन्दर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन करके उन्हें एक नया स्वरूप प्रदान किया है।

**मुख्य शब्द - उपकरण, संकेत, शिक्षा, अवधारणा, स्वरूप**

इंटरनेट ने विश्व में जैसा क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है, वैसा किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी ने नहीं किया है इंटरनेट के नाम से लोकप्रिय इंटरनेट अपने उपभोक्ताओं के लिए बहुआयामी साधन-प्रणाली है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है यह लोगों को अतितीव्र सुगमतापूर्वक और सस्ते तरीके से सूचनाओं की उपलब्ध कराता है तथा विश्व स्तर पर संप्रेषण प्रदान करता है यह दूर बैठे उपभोक्ताओं के मध्य अन्तर-संवाद का माध्यम है सूचना या जानकारी में हिस्सेदारी और सामूहिक रूप से काम करने का तरीका है जिसमें इंटरनेट तीव्र वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जो लोगों द्वारा सम्प्रेषित सूचनाओं और कम्प्यूटरों का बना होता है और जो विश्व में फैले अनगिनत प्रयोगकर्ताओं को एक ही समय में आँकड़ों

और सम्प्रेषण के लिए सक्षम होता है।

आज इंटरनेट ने सभी क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आज इंटरनेट ने क्रान्ति ला दी है। शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गए हैं, हाइटेक हो गए हैं, लाइब्रेरियों में इंटरनेट आ गया है जिससे वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट ने बहुत प्रगति कर ली है।

**शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट-** शिक्षा के क्षेत्र में आज वेब पर अनेक शैक्षिक सामग्री एवं ज्ञान उपलब्ध है सभी दिष्यों के एनसाइक्लोपीडिया, सभी देशों के एटलस मानचित्र, संस्कृति इतिहास साहित्य जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, उसके बारे तमाम सूचनाएं इंटरनेट के जरिए आपको उपलब्ध हैं, यह सब कुछ विस्मय-कारी जरूर है कि किसी भी विषय के बारे में आप जो कुछ भी सूचना चाहते हैं यह सर्च इंजनों के इंटरनेट पर प्राप्त की जा सकती है, यह सच है कि इंटरनेट सूचना का अथाह समुद्र है। आज किसी समाज के लिए इंटरनेट वैसा ही ढाँचागत आवश्यकता है जैसे कि सड़कें, विद्युत् ऊर्जा या टेलीफोन माज विकसित देशों में तो अनेक शैक्षिक संस्थान अपनी नियमित शैक्षिक गतिविधियाँ को पूरा करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं।

**शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन-** इंटरनेट ने शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन तीब्रता से किया है। अब आप घर बैठे विदेशी संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं, परीक्षा सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं, यह सब हुआ है साइबर स्पेस के जरिए। लैपटॉप के माध्यम से तो आप किसी विशेष स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित न रहते हुए भी विद्वत चर्चा में भाग ले सकते हैं, इंटरब्यू दे सकते हैं। अतः इसके कारण आज बड़ी संख्या में हमारे युवा विदेशी विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर बैठकर आज देश विदेश से सम्बन्धित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं वहाँ की शिक्षा की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से ही आप बाहर जाने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाएं दे सकते हैं साथ ही परीक्षाफल के परिणाम भी इंटरनेट पर ही आजकल उपलब्ध हो रहे हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि नेट ने हमें आज विश्व का नागरिक होने का अहसास दिलाया है हमारे बीच की दूरियों कम कर दी है, अब हमारी मुश्किले आसान कर दी हैं। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए, शोध के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, वहाँ ये डिग्री हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही बाहर के देशों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। हिन्दी सीखने आ रहे हैं, आध्यात्म व योगा तथा भारतीय संस्कृति के बारे में अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए यहाँ आ रहे हैं। यह सब सम्भव किया है कम्प्यूटर व नेट ने जिसने हमें एक दूसरे के बारे में ये जान-कारियाँ हासिल कराई है।

**लाइब्रेरियों पर इंटरनेट का प्रभाव-** इंटरनेट के आगमन से हमारी लाइब्रेरियाँ इंटरनेट से जुड़ गई हैं, अब आप अपनी लाइब्रेरी में बैठकर विदेशी राइटर्स की किताबें, शोध पत्र, शोधग्रन्थ आदि पढ़ सकते हैं, आज इंटरनेट के कारण ही डिजिटल लाइब्रेरी व ई-बुक की

संकल्पना आई है। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का उद्देश्य इंटरनेट पर 10 लाख से भी अधिक पुस्तकों, जो अग्रेजी में होंगी, जो सभी को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना है अतः आप देख सकते हैं कि आज इंटरनेट ने लाइब्रेरियों को हाइटैक बना दिया है। आज किताबों का लेखा-जोखा भी नेट पर उपलब्ध है, जिससे आज ज्ञान का अथाह समुद्र आपकी लाइब्रेरियों में समा गया है जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं अब आपको भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है।

**शैक्षिक संस्थानों में इंटरनेट का उपयोग-** वर्तमान में डिजिटलीकरण के कारण शैक्षिक संस्थानों में भी इंटरनेट का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। विकसित देशों के संस्थान तो अपनी नियमित शैक्षिक गति-विधियों को इंटरनेट द्वारा संचालित करने लगे हैं। भारत में भी सभी शैक्षिक गतिविधियाँ इंटरनेट आधारित शैक्षिक कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं जिन्हें आप कम्प्यूटर की सहायता से देख सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं आज इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय इंटरनेट से जुड़ते जा रहे जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया हमारे प्रोफेशनल विद्यार्थियों के लिए तो लैपटाप आवश्यक हो गया है आज एक डॉक्टर आपरेशन के लिए कम्प्यूटर का सहारा लेता है, तो एक खिलाड़ी चैस जैसे खेल कम्प्यूटर के साथ खेलता नजर आता एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली रोचक बनाने के लिए इसका प्रयोग करता है सिर्फ इतना ही नहीं इंटरनेट के प्रयोग ने छात्रों के सामने ज्ञान का खजाना खोल दिया है उनकी जिज्ञासाओं का समाधान दिया है उनकी शिक्षा को सुलभ बनाया है उन्हें अपने कैरियर को चुनने के लिए जानकारीयों उपलब्ध कराई है।

**इंटरनेट शोध क्षेत्रों में सहायक-** आज इंटरनेट ने नए शोधों को बढ़ावा दिया है, हमारे शोध विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए आज इंटरनेट एक आवश्यक उपकरण बन गया है। इसके द्वारा वैज्ञानिक संसार की आधुनिक खोजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही अपनी खोज की कठिनाइयों को अपने ही क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श कर सकते हैं, उनके समाधान खोज सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। पहले रिसर्च करना एक कठिन काम था अपने टॉपिक से सम्बन्धित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरियाँ खँगालनी पडती थीं, लेकिन आज बटन क्लिक कीजिए इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। इसी के कारण आज रिसर्च कार्य बढ़ा है नए-नए क्षेत्रों में शोध हो रहे हैं।

**परीक्षाओं व कम्पटीशन की तैयारी में सहायक इंटरनेट-** आज इंटरनेट कम्पटीशन व परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायक है जैसा कि वर्तमान परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की तैयारी में मदद आनलाइन ट्यूटर कर रहे हैं परीक्षा तैयारी में एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा डाले गए विभिन्न विषयों के सैपल व गैसपेपर, मॉक टेस्ट आदि पोर्टल पर उपलब्ध हैं जो बाजार में मिलने वाली पाठ्य-सामग्री से अधिक कारगर एवं सुविधाजनक हैं, सभी पेपर्स को रैंकिंग दी गई है जो पेपर चुनने और उस हिसाब से तैयारी करने में सहायक है, इसके अलावा ऑनलाइन एप पर छात्र और शिक्षक के द्वारा यहां डाली गई गूढ़ जानकारीयों से लाभ उठाया जा सकता है, दूसरी ओर इंटरनेट पर ऐसी अनेक बेवसाइट्स हैं जहां से किसी विषय के नोट्स प्राप्त किए जा सकते हैं इसके अलावा किसी भी विषय में आने वाली कमजोरियों के बारे में शिक्षकों से विचार-विमर्श किया जा सकता है साथ ही यहां

मौजूद हेल्पलाइन से भी फायदा उठाया जा सकता है इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज इंटरनेट एक शिक्षक व ट्यूटर दोनों को भूमिका निभा रहा है वह परीक्षाओं की तैयारी में भी हमारी सहायता कर रहा है उसने इस प्रकार हमारी सोच को व्यापक बनाया है तथा हमारी समस्याएं सुलझाने में हमारी मदद की है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इंटरनेट ने शैक्षिक क्षेत्र में क्रांति कर दी है, अब हमारे ज्ञान का अथाह समुद्र है, जिसने गोते लगाकर हम बहुमूल्य जानकारीयाँ प्राप्त कर सकते हैं।

**शिक्षण-विधि एवं प्रविधि में बदलाव-** इंटरनेट के प्रयोग ने हमारी शिक्षण विधियों में परिवर्तन किया है कक्षा शिक्षण विधि में परिवर्तन आया है आज कक्षा में ऑडियो-विजुअल का प्रयोग गया है हमारे छात्रों को केबल रटाने या डण्डे के बल पर पढ़ाने की शिक्षण विधि में परिवर्तन आया है हमारी कक्षाएं हाईटेक हो गई हैं, छात्र कम्प्यूटर के माध्यम से ज्यादा सीख रहे हैं ई-शिक्षा पारम्परिक शिक्षण से अधिक प्रभावी है यह होने वाले सर्व हमे बता रहे हैं आज हमारे स्कूलों में बार बार इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे भारी बस्ते न लाएं तथा उन्हें होमवर्क (गृहकार्य) न दिया जाए, बल्कि उन्हें सब कुछ विद्यालयों में ही सिखाया जाए। इसके साथ ही पारम्परिक क्लास-रूम शिक्षण-पद्धति की अपेक्षा ई-शिक्षा अधिक प्रभावी व आसान है यह बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्रिया-विधि, खेल विधि, प्रदर्शन विधि आदि के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं।

**इंटरनेट का शिक्षा पर प्रभाव: शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में सहायता-** इंटरनेट ने शिक्षा को सर्वव्यापी व सर्वसुलभ बनाने में सहायता की है पहले जो चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल होती थीं आज वे हमारे लिए आसान हो गई हैं, आज हम कहीं भी बैठे हुए कहीं पर भी क्लास अटैण्ड कर सकते हैं, लैक्चर सुन सकते हैं, अपने विषय के किसी भी प्रोफेसर से अपनी शंकाओं का समाधान पुछ सकते हैं। शोध विद्यार्थी शोध करते समय ऑन-लाइन लाइब्रेरियों की सहायता से कहीं से भी अपने शोध से संबंधित सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर किसी भी दूसरी लाइब्रेरी की किताबों को पढ़ सकते हैं, अपने विषय से संबंधित सामग्री को ढूँढ सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं नेट ने आज प्रौढ़-शिक्षा के प्रसार में भी सहायता की है, प्रौढ़ शिक्षा प्रसार किया है।

**शिक्षा को प्रभावी रोचक व आसान बनाना-** इंटरनेट आज शिक्षण को प्रभावी रोचक व आसान बना दिया है, हमारी शिक्षण-विधियों में बदलाव आया है, हम हाईटेक हो गए हैं, सेमीनार, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम गए हैं। शिक्षा में प्रोजेक्टर, एल.एस.डी., स्मार्टक्लास का प्रयोग बढ़ा है, जिससे हममें अधिक आत्मविश्वास आया है। हमारे छात्र अधिक बेहतर तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने भी अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन किया है।

**छात्रों की कार्यकुशलता में बढ़ोत्तरी-** हमारे छात्र अधिक कार्यकुशल व दक्ष बन रहे हैं अब हमारे विज्ञान के छात्र प्रैक्टिकलों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं यदि कोई छात्र डॉक्टर है तो यह अब जटिल आपरेशनों को करते हुए ऑन-लाइन देख सकता है और ज्यादा सीख सकता है। ऐसे ही विज्ञान के छात्र भी नेट की सहायता से प्रैक्टिकल करना सीख सकते हैं, हमारे M.B.A. M.C.A. के प्रोफेशनल के लिए तो कम्प्यूटर वरदान है

यह उन्हें व्यवस्थित तरीके शिक्षण करना सिखाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने छात्रों की कार्यकुशलता में वृद्धि की है, उन्हें नई-नई तकनीकों सिखाने में मदद की है। शोध छात्रों के सारे काम आज कम्प्यूटर ही करता है, चाहे डाटा का विश्लेषण हो या फिर रिजल्ट निकालना इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नेट ने हमारे विद्यार्थियों की कार्य-कुशलता को बढ़ाया है।

**शिक्षण संस्थानों में व्यवस्था बनाने में सहायक-** इंटरनेट ने शिक्षण संस्थानों में व्यवस्था बनाने में भी सहायता की है आजकल शिक्षण संस्थाओं का सारा हिसाब-किताब कम्प्यूटर पर ही किया जाता है, साथ ही अच्छे शिक्षण संस्थाओं में तो नेट के माध्यम से सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराया जाता है, लाइब्रेरी की सारी किताबों का लेखा-जोखा भी नेट पर उपलब्ध रहता है, शिक्षक के जब व्याख्यान ऑनलाइन होते हैं तो शिक्षण-कार्य व्यवस्थित तरीके से होता है कक्षा में अनुशासनहीनता जैसी समस्याएं कम आती हैं।

**छात्रों व अध्यापकों को ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करना-** इंटरनेट ने छात्रों की रुचि पढ़ाई में बढ़ाई है, जिससे आज के छात्र अधिक सजग हो गए हैं, इसी प्रकार छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देना है इस प्रकार दोनों ही हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे कक्षा-शिक्षण अधिक प्रभावी होगा।

**छात्रों को कैरियर चुनने में सहायता देना-** आज इंटरनेट छात्रों को कैरियर चुनने में भी सहायता दे रहा है, इंटरनेट की सहायता से छात्र आज सजग हैं कि कौन से विषय पढ़ने पर उनके पास कैरियर के कौन-कौन से विकल्प हैं, साथ ही कौन सा पाठ्यक्रम या विषय किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उपलब्ध है। आज यह सब जानकारी छात्र इंटरनेट के माध्यम से ले सकता है, अतः इंटरनेट छात्रों को कैरियर चुनने में भी सहायता दे रहा है तथा इंटरनेट यह भी बताता है कि कौन से विश्वविद्यालय एफिलिएटेड है या कौन सी फर्जी जिससे हम धोखे से भी बच जाते हैं।

**छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना-** इंटरनेट छात्रों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है, वर्तमान में इंटरनेट पर आप अपना बायोडाटा डालकर अपने योग्य जॉब को चुन सकते हैं, साथ ही आप यह भी जान सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाएं हैं वर्तमान ऑनलाइन इंटरव्यू का भी ट्रेंड चल पड़ा है। आप इंटरनेट पर बैठकर बाहर की विदेशी कम्पनी में जॉब पा सकते हैं इंटरनेट पर ही इंटरव्यू दे सकते हैं अतः आज नेट ने हमारी मुश्किलें कुछ आसान कर दी हैं अब हम नेट के माध्यम से रोजगार की सीटों के बारे में जान सकते हैं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

**इंटरनेट पर रिजल्ट घोषित होना-** आज हम देख रहे हैं कि हमारी परीक्षाओं के रिजल्ट नेट पर उपलब्ध हैं पहले अखबार में सिर्फ श्रेणी पता चलती थी मगर आज सारे रिजल्ट नेट पर आ रहे हैं तथा हमें नेट पर उसी समय हमारे सभी नम्बरों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। नेट प्रक्रिया ने हमारे लिए सहूलियत कर दी है कि अब नेट पर हम सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के रिजल्ट के बारे में भी जान सकते हैं साथ ही आज कम समय में ही कम्प्यूटर रिजल्ट निकाल देता है, इससे हमारे समय की भी बचत होती है।

**इंटरनेट पुस्तक के विकल्प के रूप में-** पहले हमें किसी चीज की तलाश के लिए

कई पुस्तकें खँगालनी पड़ती थीं, आज तो नेट पर वह सब मैटर आप देख सकते हैं, पेज पलटने के झंझट से मुक्ति आजकल नेट पर बैठकर आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं साथ ही एक साथ ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, अतः आज पुस्तकों की अपेक्षा नेट पर पढ़ने का चलन चल गया है, सी.डी. में मैटेरियल लीजिए और नेट पर देख लीजिए अतः नेट ने आज हमें एक साथ कई पुस्तकें साथ रखने के झंझट से भी मुक्ति दिला दी है।

**इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया के रूप में-** इंटरनेट पर इतनी सामग्री है कि हमें कहना पड़ता है कि वह एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह कार्य करता है, वह हमारी मुश्किलें कम करता है, हमें कसी देश की भौगोलिक, सामाजिक वैज्ञानिक आर्थिक जैसी भी जानकारी चाहिए, वह वहाँ पर उपलब्ध है वह एक बड़ी डिक्शनरी की तरह कार्य करता है. सम्भव है कि कुछ दिनों के हाथों के इशारों से चलने वाले कम्प्यूटर आ जाए तब आपको की-बोर्ड दबाने या माउस-क्लिक करने से भी छुट्टी मिल जाएगी और आप हाथ के इशारों से कम्प्यूटर को कन्ट्रोल कर सकेंगे, टच-स्क्रीन वाले कम्प्यूटर व लैपटॉप तो वर्तमान में प्रचलन में हैं ही इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कम्प्यूटर के क्षेत्र में रोज नए मॉडल आ रहे हैं तथा ज्ञान का विश्वकोष लगातार बढ़ता जा रहा है।

इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इंटरनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति ला दी है। आज किताबों की संख्या में लगातार इजाफा रहा है शोध छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। ई-मेल जैसे ऐड्रेस ने आज पत्रों को आसान कर दिया है शिक्षण-विधियों में बदलाव आया है। परम्परागत शिक्षण की जगह ई-शिक्षण ने ले ली है हमारी लाइब्रेरियां हार्डटेक हो गई हैं। हम दूर शिक्षण द्वारा पत्राचार माध्यमों द्वारा पढ़ रहे हैं। पत्राचार माध्यमों से डिग्री लेने में हम क्लास अटैण्ड कर सकते हैं, प्रौढ़ शिक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है भारत में अधिक जागरूकता आई है हमारे बच्चों के लिए कम्प्यूटर सीखना जरूरी हो गया है तथा इसे आजकल एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है नेट ने हमारे प्रोफेशनल वर्ग को रोजगार के रूप में आईटी का एक नया फील्ड दिया है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियरों को मांग न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक है हमारे विद्यार्थी अपने शोध-क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नेट उनकी सहायता कर रहा है। हमारे विद्यार्थी नेट के द्वारा सर्च करते हैं। नेट पर ही आजकल इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं कहने का तात्पर्य यह है कि नेट के आने के बाद हमने हर क्षेत्र में एक क्रान्ति देखी है जहाँ दुनिया आज छोटे से गाँव के रूप में तब्दील हो गई है हमारे यहां के विद्यार्थियों के सपने विदेशी यूनिवर्सिटियों से डिग्री हासिल करना आज आसान बन गया है हमारे युवा हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं कारण इंटरनेट, नेट ने मनुष्य की कार्यक्षमता को बढ़ाया है, उसे बहुत कुछ सिखाया है नेट ही है जिसने मनुष्य को नए नए सपने दिखाए हैं और पूरा करने का रास्ता भी सुझाया है।

**इंटरनेट के नकारात्मक पहलू-** इंटरनेट ने जहाँ आज मानव के जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। इंटरनेट पर मान लिया ज्ञान का अथाह समुद्र है, लेकिन उसे ढूँढना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कई बार सर्च करने में ही कई घण्टों गुजर जाते हैं और कुछ भी हासिल नहीं साथ ही कई बार आप कई घंटे एक ही साइट को खोलने में लगा देते हैं, साथ ही हमारे बच्चे आज ज्ञान को

याद करना भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अब कक्षा जैसा रिवीजन नहीं कराया जाता हमने कम्प्यूटर पर अपनी निर्भरता ज्यादा बढ़ा ली है और कई बार तो किशोर नेट पर चौटिंग करते हुए गलत राहों पर चल पढ़ते हैं। नेट पर कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो हमारे युवाओं को गलत राह की ओर मोड़ रही हैं, जिससे वे कई बार अपने लिए परेशानियों खड़ी कर लेते हैं और अपने कैरियर में गलत राहों की ओर मुड़ जाते हैं। आंकवादियों की दास्तान ऐसी ही है, हमारे कई प्रोफेशनल धन के लालच में इस तरह की गतिविधियों से जुड़ जाते हैं जो समाज को हानि पहुँचाए इसे किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता।

साथ ही कम्प्यूटर को कितना ही शिक्षक का विकल्प कहा जाए, ऐसा नहीं हो सकता शिक्षक जैसी भाव-संवेदनाएं एक यन्त्र में कैसे आ सकती हैं। कहा जाता है कि कम्प्यूटर द्वारा शिक्षण प्राप्त करना एक यान्त्रिक प्रक्रिया है और मनुष्य नेट पर लगातार प्रयोग करते हुए खुद एक यान्त्रिक प्राणी बन जाता है। इसके नुकसान भी कम नहीं हैं। नेट पर लगातार काम करने से युवाओं में कई तरह की बीमारियों की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। दृष्टि दोष के साथ साथ स्नायु सिस्टम से सम्बन्धित अनेक रोगी की सम्भावना रहती है अतः इंटरनेट पर लगातार काम करते हुए कुछ सावधानियों लेनी चाहिए। साथ ही जब हमें सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो हम उसके लिए मेहनत क्यों करें कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमारी पाठ्य पुस्तकों के स्तर में गिरावट आई है। आजकल एक दूसरे की नकल का प्रचलन बढ़ा है साथ ही शोध क्षेत्रों में शोधों की संख्याएं तो बढ़ी हैं लेकिन उनका स्तर गिरा है। आज व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता जिससे अकर्मण्यता बढ़ी है नेट पर सामग्री उपलब्ध है तो ढूँढने की क्या आवश्यकता जैसे वाक्यों ने मेहनत को कम किया है व बेहतर रिजल्ट की सम्भावनाओं को पीछे धकेला है।

अतः हम कह सकते हैं कि नेट ने जहाँ हमारी पढ़ाई को आसान बनाया है, वहीं उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं यदि हम इन नकारात्मक पहलुओं की ध्यान में रखें तो निश्चय ही हम इंटरनेट से बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे ताकि आने वाला भविष्य सुनहरा हो और हमे नेट की उपयोगिता का भरपूर उपयोग करेंगे। शिक्षा में नेट का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ भी जोड़ेगा, जिस पर हम गर्व कर सकेंगे भारत शैक्षिक-ष्टि से और उन्नत होगा संस्कृत व हिन्दी जैसी भाषा कम्प्यूटर को मुख्य भाषाएं होंगी तथा हम शिक्षा के सर्वव्यापीकरण व सार्वभौमीकरण लागू कर पाएंगे।

**निष्कर्ष-** इंटरनेट, आधुनिक समय की सबसे उपयोगी तकनीक है जो न केवल हमारे दैनिक जीवन में बल्कि व्यवसायिक क्षेत्र में भी हमारी मदद करती है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, इसका व्यापक रूप से जानकारी एकत्र करने और अनुसंधान करने या विभिन्न विषयों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इंटरनेट शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस आधुनिक युग में हर कोई अपने प्रश्नों, समस्याओं या शंकाओं के लिए इंटरनेट में उपलब्ध सर्च इंजन का चयन करता है। लोकप्रिय सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू आदि। लोगों की सर्वोच्च पसंद है क्योंकि वे कुछ ही सेकंड में बड़ी मात्रा में जानकारी तक आसान और त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। इसमें ज्ञान का भंडार व अथाह समुद्र है जिसे कभी भी कुछ भी खोजा जा सकता है। इंटरनेट ने प्रौद्योगिकी, संचार और ऑनलाइन मनोरंजन में

सुधार किया है। आज यह दुनिया में अधिक महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है जिसे हर कोई पसंद करता है। हर किसी को किसी न किसी काम के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है। इसकी सहायता से शैक्षिक स्तर पर उन्नति हुई है। आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठा विद्यार्थी इसकी सहायता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ई-शिक्षा (ई-लर्निंग) को सभी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करता है। ई-शिक्षा में वेब-अधारित शिक्षा, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएँ और डिजिटल सहयोग शामिल है। पाठ्य-सामग्रियों का वितरण इंटरनेट, इंटरनेट, एक्सट्रानेट, ऑडियो-वीडियो टेप, उपग्रह टीवी और सीडी रोम के माध्यम से किया जाता है। आज कल इंटरनेट का प्रयोग न केवल ई-शिक्षा में ही किया जा रहा है, बल्कि ऑनलाइन फॉर्म भरने, नौकरी के लिए आवेदन करने और पुस्तकें पढ़ने में भी किया जा रहा है। आज विद्यार्थी शिक्षा के सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- रवीन्द्रनाथ प्रताप सिंह, दूरसंचार, दृश्य-परिदृश्य, आचार्य प्रकाशन, राजरूपपुर, इलाहाबाद, पृष्ठ-147
- ग्लोबल डिजिटल मीडिया. ई-शिक्षा, ई-लर्निंग और ई-सरकार रुझान और सांख्यिकी
- एस के मंगल एवं उमा मंगल शिक्षा तकनीकी, पी.एच.एल. लर्निंग, देल्ही, 2009
- आशा गुप्ता उच्च शिक्षा के बदलते आयाम हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2011
- डॉ. सन्तोष मित्तल, शैक्षिक तकनीकी एवं कक्षा-कक्ष प्रबन्ध, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ एकादमी, जयपुर 2011
- जे.सी. अग्रवाल, एवं एस.एस. गुप्ता, शैक्षिक तकनीकी, शिपरा पब्लिकेशन, 2011
- <https://mspoweruser.com>
- <https://communicationtoday.net/2015/06/29/role-of-internet-in-educational-work-a-study>.
- <https://www.lshometech.com/2020/01/importance-of-internet-in-modern.html>.
- <https://hinditecharea.com/2021/12>.

## बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में स्थानीय प्रतिनिधियों की सहभागिता का अध्ययन : हरियाणा के चयनित जिलों का अध्ययन

• प्रीति

•• जगबीर नरवाल

सारांश- भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधान मंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन-काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और इससे महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल हैं प्रथम चरण में पीएनडीटी एक्ट को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना तथा चुने गए 100 जिलों जहां पर शिशु लिंग अनुपात कम है वहां पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करना। बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर, संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार कन्या शिशु के प्रति समाज के नजरिए में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में हरियाणा राज्य के तीन जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में स्थानीय प्रतिनिधियों की सहभागिता का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंगानुपात, जागरूकता, योजना

भूमिका- लिंग अनुपात में गिरावट सीधे तौर पर महिलाओं के समाज में स्थान की और इशारा करता है जो जन्म पूर्व लिंग भेदभाव और उसके चयन को लेकर किये जा रहे पक्षपात की बात करता है। चिकित्सीय सुविधाओं की सरल उपलब्धता और नवीन तकनीक जन्म पूर्व बच्चे के चयन को संभव बनाकर निम्न लिंग अनुपात घटाने में आलोचनात्मक रूप में सामने आई है। महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई।<sup>1</sup>

यह योजना न केवल बालिकाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी

• शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक  
•• अस्सिस्टेंट प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक

है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुधारों को बढ़ाने के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। वर्तमान दुनिया समय में पूरे समाज को महिलाओं और बालिकाओं के प्रति नजरिया बदलने की सख्त जरूरत है। समान आदर्शों के बाद भी सभी क्षेत्रों के लिए समान सुविधाओं पर स्वस्थ लिंग अनुपात, उपलब्धता को बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की जाती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, शपथ समारोह समूहों द्वारा उठाए गए कुछ तरीके हैं। लड़कियों को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए इस क्षेत्र में कई पहल की गई हैं।<sup>2</sup>

**ग्राम पंचायतों की सहभागिता-** इस योजना में ग्राम पंचायतों की भूमिका बढ़ाई गई है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की धारा 243 जी के तहत ग्यारहवीं अनुसूची में, महिला एवं बाल विकास विभाग में, पंचायतों को अहम भूमिका प्रदान की गई है। अब यदि स्थानीय प्रतिनिधि चाहे तो लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर इस समस्या का कारण यह भी है कि अभी तक की जो लिंगानुपात संबंधी रिपोर्ट सामने आई है, उनमें शहरी क्षेत्रों में बेटियों की स्थिति बेहतर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम प्रयासों के पश्चात् भी बेटियों की जन्म दर एवं साक्षरता में के पहलू पर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं हो पाया है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ग्राम पंचायतों की सहभागिता बढ़ाने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं-

- ग्राम सभा की बैठक सही प्रकार से आयोजित कर ग्रामीणों को समाज में बिगड़ते लिंगानुपात से पैदा होने वाली समस्याओं से अवगत कराना और महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच पैदा करना।
- पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होने पर ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों का पता लगाना।
- पंचायतों द्वारा महिला मतदाताओं को एकत्रित करके बैठकों का आयोजन कर उन्हें लिंगानुपात की समस्या के बारे में समझाना।
- ग्राम सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा के माध्यम से गर्भवती माताओं पर नजर रखना ताकि वे दलाल या एजेंट के माध्यम से लिंग जांच ना करा सकें जो कि गैरकानूनी है।
- वार्ड सदस्य द्वारा जो कि आंगनवाड़ी केंद्र निगरानी समिति का अध्यक्ष होगा। उसके द्वारा गर्भवती माताओं, जन्म, टीकाकरण, अन्य महिलाओं से संबंधी गतिविधियों का पता लगाना।<sup>3</sup>

### **साहित्य समीक्षा-**

ऐश्वर्या एवं सिंह (2010)<sup>4</sup> “ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं की कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता”, प्रस्तुत लेख राजस्थान के बीकानेर शहर व उसके आसपास के गाँवों की पंचायत समिति पर आधारित है। अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्रामीण व शहरी उत्तरदाताओं को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में मध्यम स्तर की जानकारी है। उत्तरदाताओं की जानकारी के अनुसार जाति, जनसंचार माध्यमों तथा सामाजिक आर्थिक स्तर का सकारात्मक संबंध

है। साथ ही अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण उत्तरदाताओं की तुलना में शहरी उत्तरदाता ज्यादा पढ़े-लिखे हैं जिसके कारण उन्हें लिंग जांच व उससे संबंधी केंद्रों की जानकारी है।

भास्कर (2017)<sup>5</sup> “डिस्अपियरेन्स अ, फ गर्ल चिल्ड्रन अमरजिंग ट्रेंड्स इन सेक्स रेशों इन इंडिया”, यह लेख दर्शाता है कि भारत में बढ़ता लिंगभेद, महिलाओं का साक्षरता स्तर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं, जन्मपूर्व निदान तकनीकों का दुरुपयोग और सरकारी नीतियों और योजनाओं की विफलता आदि घटते हुए लिंगानुपात का प्रमुख कारण है। अंत में लेखक ने अपने लेख का समापन करते हुए सरकार की नीतियों का प्रभावशाली क्रियान्वयन करने, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए क्रियान्वित प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में गैर सरकारी संगठन तथा स्वयंसेवी संगठनों को मिल-जुलकर लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

रानी, सिंह, कौशिक एवं प्रदीप (2017) “हरियाणा राज्य में जिला रोहतक, झज्जर व भिवानी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर एक वैचारिक सर्वेक्षण”, प्रस्तुत शोध कार्य महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के हरियाणा अध्ययन केंद्र के अंतर्गत पूर्ण किया गया। यह शोध परियोजना हरियाणा राज्य में जिला रोहतक, झज्जर व भिवानी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर एक वैचारिक सर्वेक्षण पर आधारित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरंभ होने के पश्चात् ग्रामीणों की जागरूकता स्तर, पंचायत सदस्यों की भूमिका और योजना के लागू होने के बाद सामाजिक, मानसिक व आर्थिक बदलाव को जानने का प्रयास किया गया। सरपंचों, आशा वर्कर, ए.एन.एम., आंगनवाडी वर्कर, कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में इनकी सहभागिता को जानने का प्रयास किया है। तीन जिलों से शोध के लिए कुल 375 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया। जिनमें 45 आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व ए.एन.एम., 30 पंचायत प्रतिनिधि व 300 ग्रामीण (पुरुष/महिला) का चयन किया गया है, इस शोध को पांच भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम में भूमिका, द्वितीय में साहित्यिक समीक्षा, शोध समस्या, शोध उद्देश्य, शोध विधि, तृतीय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक परिचय, चतुर्थ में आंकड़ों का संग्रहण व पंचम में निष्कर्ष एवं सुझाव दिए गए हैं।

**शोध उद्देश्य-** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ग्राम पंचायतों की सहभागिता का अध्ययन करना।

**शोध का समग्र-** प्रस्तुत शोध में हरियाणा राज्य के सिरसा, महेंद्रगढ़ व रोहतक का चयन किया गया है।

**प्रतिदर्शन का चयन-** शोध के लिए सिरसा, महेंद्रगढ़ व रोहतक से 175 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि (Purposive Sampling Method) द्वारा किया गया है।

### प्रतिदर्शन का वर्गीकरण

क्र. सं.	जिला	उत्तरदाताओं की संख्या
1.	सिरसा, महेन्द्रगढ़ व रोहतक	35 सरपंच 35 पंच 35 ए.एन.एम. 35 आशा वर्कर 35 आंगनवाड़ी वर्कर कुल 175 उत्तरदाता

**आंकड़ों के स्रोत-** आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

**प्राथमिक आंकड़े-** प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण सरपंचों, पंचों, ए.एन.एम., आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर से साक्षात्कार व अनुसूची विधि द्वारा किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आंगनवाड़ी वर्कर, ए.एन.एम. उत्तरदाता सम्मिलित किए गए हैं।

**द्वितीयक आंकड़े-** द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्ट, सर्वेक्षण व इंटरनेट आदि के माध्यम से किया गया है। द्वितीयक आंकड़े- द्वितीयक आंकड़ों का संकलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, का वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिका, प्रकाशित व अप्रकाशित शोध ग्रंथ, मीडिया व इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

**सारणीयन एव मूल्यांकन-** प्राथमिक विधि से संकलित आंकड़ों का सारणीयन व मूल्यांकन किया गया है तथा शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित सुझाव प्रदान किए गए हैं।

**आंकड़ों का विश्लेषण-** संपूर्ण कार्य के उपरांत विश्लेषण के लिए अनुपात (Ratio) या प्रतिशत का प्रयोग किया गया है।

**परिणाम एवं निष्कर्ष-**

#### सारणी-1.1

**आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए हैं**

क्र. सं.	जिला	डोर टू डोर प्रचार	नुक्कड़ नाटक	वाँल पेंटिंग	होर्डिंग्स लगवाकर	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1.	सिरसा	45 (60.0%)	15 (20.0%)	11 (14.7%)	4 (5.3%)	75 (100%)
2.	महेन्द्रगढ़	34 (68.0%)	13 (26.0%)	2 (4.0%)	1 (2.0%)	50 (100%)
3.	रोहतक	25 (50.0%)	18 (36.0%)	7 (14.0%)	0	50 (100%)
4.	कुल	104 (59.4%)	46 (26.3%)	20 (11.4%)	5 (2.9%)	175 (100%)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित।

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिला सिरसा के 60.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये कहना है कि हमने लोगो को डोर टू डोर जाकर उन्हे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के वि'य में बताया है और 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये मानना है कि उन्हे लोगो को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी है तथा 14.7 प्रतिशत उत्तरदाता ये कहते है कि उन्होंने वॉल पेंटिंग करवा कर लोगो तक इस योजना के सम्बन्ध में बताया है व 5.3 प्रतिशत ने गांव के अन्दर इस योजना के होर्डिंग्स लगवाए है। इसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ के 68.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए डोर टू डोर जाकर उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के वि'य में ग्रामीणों को बताया है और 26.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से योजना की जानकारी दी है व 4.0 प्रतिशत ने वॉल पेंटिंग व 2.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने होर्डिंग्स लगवाए है। इसी तरह से रोहतक के 50.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने गांव में डोर टू डोर जाकर लोगो को इस योजना के प्रति जागरूक किया है जबकि 36.0 प्रति'त ने अपने गांव में नुक्कड़ नाटको का आयोजन करवाकर लोगो को इस योजना का महत्व समझाया है। परन्तु 14.0 प्रतिशत ने गांव के अन्दर जगह-जगह वॉल पेंटिंग भी करवाई है जिसके माध्यम से लोगो को जागरूक किया गया है। इसी सन्दर्भ में यदि तीनों जिलों की स्थिति का अध्ययन करे तो 59.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने-अपने गांव के अन्दर अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए डोर टू डोर जाकर लोगो को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विषय में जानकारी दी है, जिससे लोगो को भी इस योजना के महत्व के विषय से ये पता लगा है और 26.3 प्रतिशत ने अपने गांव के गली मोहल्लो में नुक्कड़ नाटको का आयोजन करवाकर लोगो को इस योजना की विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाई है तथा 11.4 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी मिले है जिन्होंने गांव में मुख्य जगह वॉल पेंटिंग करवाई है तथा 2.9 प्रतिशत ने गांव के अन्दर इस योजना के होर्डिंग्स भी लगवाए है ताकि लोग इस योजना के विषय में पढ़ सके व उनको समझ सके, होर्डिंग्स के माध्यम से जल्दी ही लोगो को किसी भी योजना व कार्यक्रम के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया जा सकता है।

### सारणी- 1.2

#### बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने इस अभियान के तहत क्या प्रयत्न किए है।

क्र. सं.	जिला	शिक्षा के महत्व को लोगो को समझाया	स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया	परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई	स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था करवाई	बालिकाओं के सभी स्कूलों में सुनिश्चित करवाए	अन्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1.	सिरसा	22 (29.3%)	20 (26.7%)	14 (18.7%)	8 (10.7%)	6 (14.7%)	0	75 (100%)
2.	महेन्द्रगढ़	11 (22.0%)	16 (32.0%)	3 (6.0%)	1 (2.0%)	19 (38.0%)	0	50 (100%)
3.	रोहतक	0	17 (34.0%)	21 (42.0%)	0	12 (24.0%)	0	50 (100%)
4.	कुल	33 (18.9%)	53 (30.3%)	38 (21.7%)	9 (5.1%)	42 (24.0%)	0	175 (100%)

स्त्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित।

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिला सिरसा के 29.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि उन्हे शिक्षा के महत्व को लोगो को समझाया है और 26.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया तथा 18.7 प्रतिशत ने परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई व 14.7 प्रतिशत ने बालिकाओं के सभी स्कूलों में दाखिले सुनिश्चित करवाएं और 10.7 प्रतिशत ने स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था करवाई है। इसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ में 38.0 प्रतिशत सरपंच, पंच, एएनएम, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी-अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए गांव के अन्दर सभी बालिकाओं के दाखिले सुनिश्चित करवाएं है तथा 32.0 प्रतिशत ने स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया व 22.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा के महत्व को लोगों को समझाया है जबकि 6.0 प्रतिशत ने परिवहन सुविधा व 2.0 प्रतिशत ने स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था करवाई है। इसी तरह जिला रोहतक के 42.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह कहना है कि उन्होंने लड़कियों के लिए परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है बल्कि 34.0 प्रतिशत ने स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया व 24.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था करवाई है। इसी सन्दर्भ में यदि तीनों जिलों की स्थिति का अध्ययन करे तो 30.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये कहना है कि उन्होंने स्कूल छोड़ने के कारणों का पता लगाकर उन्हे दूर किया है और उन कारणों को सोचकर उन्हे दूर किया है तथा जो लड़कियां बीच में स्कूल छोड़ गई थी उनका दुबारा से स्कूलों में दाखिले करवाएं है तथा जो लड़कियां स्कूलों में दाखिले के योग्य थी उन सभी का दाखिला करवाया है। जबकि 21.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्रामीणों को परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है जिन्होंने प्रशासन के सहयोग से लड़कियों को गांव से शहर तक पढ़ने जाने के लिए बसों की व अन्य साधनों की व्यवस्था करवाई है। परन्तु 18.9 प्रतिशत ने इस अभियान के तहत लोगों को शिक्षा के महत्व के विषय में बताया है कि आज के दिन हमारे लिए व हमारी बेटियों के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है यह भी बताया है लेकिन 5.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया है कि उन्हें स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था करवाई है तथा जिन स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं या वहां पर उनके लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया है तथा कई जगह लड़कियों के स्कूलों में प्रार्थना स्थल व स्कूलों में कमरों का निर्माण भी करवाया गया है।

### सारणी-1.3

आपने अपने गांव में बेटे के जन्म पर कौन-कौन से प्रोत्साहन कार्य किए है।

क्र. सं.	जिला	बेटी जन्म उत्सव का आयोजन करवाया	कृष्ण पूजन करवाया	आर्थिक सहायता प्रदान की	इनमें से कोई नहीं	अन्य कोई कार्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1.	सिरसा	31 (41.3%)	20 (26.7%)	0	24 (32.0%)	0	75 (100%)
2.	महेन्द्रगढ़	39 (78.0%)	11 (22.0%)	0	0	0	50 (100%)
3.	रोहतक	37 (74.0%)	13 (26.0%)	0	0	0	50 (100%)
4.	कुल	107 (61.1%)	44 (25.1%)	0	24 (13.7%)	0	175 (100%)

स्त्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित।

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिला सिरसा के 41.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये कहना है कि उन्होंने अपने गांव के अन्दर बेटियों के जन्म उत्सव का आयोजन करवाया है तथा 32.0 प्रतिशत उत्तरदाता ये कहते हैं कि इनमें से कोई कार्य नहीं किया गया व 26.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुंआ पूजन करवाया है। इसी प्रकार जिला महेन्द्रगढ़ के 78.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया है कि उन्होंने बेटे जन्म उत्सव का आयोजन करवाया है व 22.0 प्रतिशत उत्तरदाता ये करते हैं कि उन्होंने बेटे जन्म पर कुआं पूजन करवाया है। इसी तरह जिला रोहतक के 74.0 प्रतिशत उत्तरदाता ये कहते हैं कि बेटे जन्म का आयोजन करवाया गया है और 26.0 प्रतिशत उत्तरदाता ये कहते हैं कि उनके द्वारा बेटे के जन्म पर कुआं पूजन का आयोजन करवाया गया है जोकि समाज में एक बदलाव का संकेत है। इसी सन्दर्भ में यदि तीनों जिलों की स्थिति का अध्ययन करे तो 61.1 प्रतिशत सरपंचों, पंचों, एएनएम, आशा व आंगनवाडी कार्यकर्ताओं ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत के साथ बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर उनके परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए बेटे जन्मोत्सव का आयोजन कराया है जैसे कि बेटे की माँ को मिठाई खिलाई व उनको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से दिलवाई गई है तथा बेटे के जन्म का प्रमाण-पत्र, प्रोटीन का पैकट इत्यादि भी वितरित किए गए हैं। लेकिन 25.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये मानना है कि उन्होंने बेटे के जन्म होने पर समाज की सोच में परिवर्तन लाने हेतु बेटे के जन्म पर कुआं पूजन का आयोजन करवाया गया है ताकि समाज बेटे व बेटे में किसी भी प्रकार का भेदभाव न कर सके और 13.7 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी मिले हैं। जिनका ये कहना है कि उन्होंने बेटे जन्म के दौरान ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो बेटे जन्म के दौरान किया गया हो।

**निष्कर्ष व सुझाव-** ग्राम स्तर पर सरपंच, पंच, एएनएम, आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर सभी साथ मिलकर गाँवों में मिलकर ग्रामीण क्षेत्र में मिलकर कार्य करते रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य उनके लिए करते रहते हैं ताकि इस योजना के हर पहलु की जानकारी लोगों को मिल सके। सबसे पहले जिन लोगों को बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ योजना की जानकारी नहीं है उसकी जानकारी सरकार द्वारा स्थानीय पर नुक्कड़ नाटकों व गली मोहल्लों में बैठकों का आयोजन करके दी जानी चाहिए। ताकि सभी वर्ग इसके प्रति जागरूक हो सके।

लोगों को किसी भी योजना को समझाने के लिए पूरे गांव में मुख्य स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा वॉल पेंटिंग व होर्डिंग्स लगवाकर जागरूक किया जाना चाहिए। बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी सरकार व प्रशासन द्वारा प्रावधान किए जाने चाहिए। बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ योजना तभी सफल हो सकती जब सरकार व प्रशासन समय-समय पर सफल बेटियों को रोल मॉडल बनाकर उनको गाँव के किसी कार्यक्रमों में सम्मिलित अवश्य करे ताकि लोगों की सोच में परिवर्तन लाया जा सके।

तीनों जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा बेटियों के प्रति उनकी शिक्षा तथा उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में जागृत किया जाना चाहिए ताकि

बेटियों के प्रति उनकी सोच में और भी ज्यादा परिवर्तन लाया जा सके।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. <https://hi.vikaspedia.in/social-welfare/92>
2. <https://www.paisabazaar.com/hindi/saving-schemes/beti-bachao-beti-padhao-bbbp/>
3. दूबी ऐश्वर्या एवं सिंह ए. आर. (2010), "ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं की कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता", पोइन्टर पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
4. भास्कर आनंद (2017), "डिस्अपरिन्स ऑफ गर्ल चिल्ड्रन अमरजिंग ट्रेड्स इन सेक्स रेशों इन इंडिया", नेशनल जर्नल आफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स
5. रानी अंजना, सिंह योगेंद्र, कौशिक पंकज एवं प्रदीप (2015), "हरियाणा राज्य में जिला रोहतक, झज्जर व भिवानी में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना पर एक वैचारिक सर्वेक्षण", हरियाणा अध्ययन केंद्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

## बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्तिका तुलनात्मक अध्ययन

• किरण गुप्ता

सारांश- शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा प्रकाशपुंज का स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और अध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके, हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और इसे उत्कृष्ट बनाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये शोधार्थी ने सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के अभ्यास के द्वारा शिक्षण को प्रभावी एवं दक्षता पूर्ण बनाने के लिए अपने शोध की समस्या का कथन निम्न प्रकार लिया है, बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन लेकर उस पर अपना शोध कार्य किया है। शोध कार्य में शोध उद्देश्य के अनुसार शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। डॉटा कलेक्शन के लिए स्व निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। शोध विधि के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण विधि को प्रयोग किया गया है। न्यादर्श के रूप में 104 छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को लिया गया है एवं 100 छात्रों एवं छात्राओं का चयन किया गया है सांख्यिकी के रूप में मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, तालिका (CR) क्रांतिक अनुपात का उपयोग किया गया है। शोध का निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ कि बी.एड. प्राप्त कर रहे छात्र अध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं में सूक्ष्म शिक्षण कौशल के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। अर्थात् सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का अभ्यास करके शिक्षण कराने पर शिक्षण प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाया जा सकता है।

**मुख्य शब्द - शिक्षा, प्रकाशपुंज, कौशल, अभ्यास, अभिवृत्ति**

**प्रस्तावना-** प्रचीनकाल से ही भारत में शिक्षा को अत्याधिक महत्व दिया जाता था। इसका प्रमाण यह है कि शिक्षा का प्रकाश का स्रोत, अन्तर्दृष्टि, ज्ञानचक्षु, और मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता है शिक्षा को कामधेनु या कल्पतः का नाम दिया गया क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है उसका सर्वांगीण विकास करती है। दिशा विहीन मनाव को अपने गंतव्य की दिशा का बोध कराने का श्रेय शिक्षा पर है। शिक्षा, गुणात्मक सुधार के लिए यह अनिवार्य है कि अध्यापकों के बृत्तिक शिक्षण का एक समुचित कार्यक्रम हो, जिस दर्पण में अपना चेहरा देखकर यह देखा जाता है कि हम

वास्तव में कैसे दिखते हैं। तथा हम दूसरों को कैसे दिखाई देते हैं। हम अपने चेहरे को अच्छा दिखाने के लिए अनेक प्रसाधनों का उपयोग करते हैं। ताकि हम अपने चेहरे को अधिक आकर्षक बता सकें। ठीक इसी तरह बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापकों को ऐसे ही प्रशिक्षण कला की दर्पण रूपी सुविधा उपलब्ध हो जाए जिससे वे भलीभाँति देख सकें कि उनकी अध्ययन कला कैसी दिखाई देती है तो वह विभिन्न अध्यापन कौशल रूपी साधनों का सहारा लेकर अपने अध्यापन को अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली बना सकेगा। छात्राध्यापक अपने अभ्यास अध्यापन में तीव्र गति से और अधिक कुशलता से अध्यापन के दोष व कमियों ज्ञान सकेंगे। और उसमें सुधार कर अधिक कुशल अध्यापक बन सकेंगे। सूक्ष्म शिक्षण इसी ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसी बात का ध्यान में रखते हुए शोधार्थियों ने अपने शोध की समस्या का उद्देश्य कथन “बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन” रखा है। जिससे बी. एड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों की शिक्षण अभिवृत्ति में गुणात्मकता आ सके और शिक्षण प्रभावी बन सके।

**समस्या कथन-** “बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।”

**सूक्ष्म शिक्षण-** सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिससे छात्राध्यापक किसी एक प्रशिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुये थोड़ी अवधि के लिये छोटे समूह को कोई एक सम्प्रत्यय पढ़ाता है।

**अभिवृत्ति-** अभिवृत्ति को एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्थिर स्थान बना लेती है हमारी भावनाओं, संवेगों तथा ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के संगठनको एक विशेष रूप देती है। दूसरे शब्दों में, अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित एवं संवेगात्मक प्रवृत्ति जो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु की प्रतिक्रिया करती है।

**शोध अध्ययन के उद्देश्य-**

1. छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापकों की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का मापन करना तथा उनके मध्य अंतर की सार्थकता की जाँच करना।
2. कलावर्ग के छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापकों की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का मापन करना एवं उनके बीच अंतर की सार्थकता की जाँच करना।
3. विज्ञान समूह के छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापकों की सूक्ष्म शिक्षण की प्रति अभिवृत्ति का मापन करना तथा उनके मध्य अंतरकी सार्थकता की जाँच करना।

**परिकल्पनायें-** परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर निम्नांकित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है-

1. छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अंतर नहीं है।
2. कला वर्ग के छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं के सूक्ष्म शिक्षण के प्रति

अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अंतर नहीं है।

3. विज्ञान वर्ग के छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अंतर नहीं है।

**शोध समस्या का सीमांकन-** किसी भी शोध समस्या का व्यावहारिक रूप से अध्ययन के लिए परिसीमांकन करना आवश्यक होता है क्योंकि समस्या का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है जिसके कारण संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं होता है अतः शोध समस्या का क्षेत्र सीमित किया जाता है।

1. प्रस्तुत लघु शोध कार्य बी.एड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति को मापने का प्रयास किया जाता है।
2. प्रस्तुत लघु शोध कार्य के अंतर्गत सागर शहर के बी. एड. महाविद्यालयों में अध्ययनरत 104 छात्राध्यापक एवं 104 छात्राध्यापिकाओं का चयन शोध अध्ययन के अंतर्गत किया गया है।

**शोध विधि-** प्रस्तुत शोध सामाजिक शोध है जिसमें सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए बी. एड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापिका एवं छात्राध्यापकों की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है।

**न्यादर्श-** प्रतिचयन विधि में संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन ना करके कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है प्रतिदर्श चयन सागर शहर के चार महाविद्यालयों में से 104 छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का चुनाव किया गया है।

**शोध उपकरण-** शोधार्थी ने स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया है मापनी में कुल 50 पद रखे गए हैं पक्ष या विपक्ष दोनों तरह के पद समान रूप से वितरित हैं। यदि कोई छात्र सकारात्मक एवं नकारात्मक पूर्ण सहमत क्रमशः पदों का उत्तर देता है तो उसे  $50 \times 50 = 250$  अधिकतम अंक प्राप्त होंगे।

**शोध में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियां-** प्रपत्र मापनी की गणना से प्राप्त आंकड़ों की सांख्यिकीय गणना एवं विश्लेषण शोध के—ष्टिकोण से आवश्यक होता है। प्राप्त आंकड़ों की सांख्यिकी गणना एवं विश्लेषण को निम्न विधियों का प्रयोग किया गया है।

1. मध्यमान(ड)
2. प्रमाणिक विचलन(SD)
3. क्रांतिक अनुपात (CR) की गणना
4. मध्यमानों की मानक त्रुटि जो की t मान से प्राप्त होती है।

**प्रदत्तो का विश्लेषण एवं व्याख्या-**

**सारणी क्रमांक 01**

**बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का मापन**

प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमानों का अंतर	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर
छात्राध्यापक	104	166.00	17.00	3.40	1.39	1.65 सार्थक अंतर नहीं है
छात्राध्यापिकायें	104	170.5	17.5			

गणना द्वारा प्राप्त क्रांतिक अनुपात (CR) = 1.39 सारणी द्वारा सार्थकता स्तर 0.05 पर न्यूनतम मान 1.65 मान से कम है अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है और कहा जा सकता है कि बी. एड प्रशिक्षणरत छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं में सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

#### सारणी क्रमांक 02

**बी. एड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कला वर्ग के छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम**

प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमानों का अंतर	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर 0.05
छात्राध्यापक	26	165.90	16.37	1.40	0.368	1.65 सार्थक अंतर नहीं है
छात्राध्यापिकायें	26	167.3	19.70			

गणना द्वारा प्राप्त क्रांतिक अनुपात (CR) = 0.368 सारणी द्वारा 0.05 सार्थकता स्तर पर दिए गये मान 1.65 से प्राप्त मान 0.368 कम है। अतः कला वर्ग के छात्राध्यापक एवं कला वर्ग की छात्राध्यापिकाओं में सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अंतर नहीं है अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

#### सारणी क्रमांक 03

**बी. एड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विज्ञान वर्ग के छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं की सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक परिणाम**

प्रतिदर्श	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमानों का अंतर	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता स्तर 0.05
छात्राध्यापक	26	167.0	17.38	4.80	1.48	1.65 सार्थक अंतर नहीं है
छात्राध्यापिकायें	26	171.1	14.56			

गणना से प्राप्त क्रांतिक अनुपात (CR) = 1.49 सारणी द्वारा 0.05 सार्थकता स्तर पर प्राप्त न्यूनतम 1.65 से कम है अतः शून्य परिकल्पना के लिये कहा जा सकता है कि विज्ञान वर्ग के छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं में सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अंतर नहीं है।

**निष्कर्ष-** बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षार्थियों का सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सार्थक स्तर 0.05 स्तर पर 1.65 के मान से सभी का मान कम प्राप्त हुआ। अतः दोनों में समस्त प्रशिक्षार्थियों का सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः सभी प्रशिक्षार्थियों का सूक्ष्म शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति एक समान पायी गयी।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. कपिल, एच.के ; अनुसंधान विधियां विनोद पुस्तक भंडार आगरा
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 1986
3. बुच, एस. बी., ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन फर्स्ट एडिशन बड़ौदा 1974
4. शर्मा. आर. ए., शिक्षा अनुसंधान नवीन संस्करण मेरठ बुक डिपो 658 पी. पी.

## डिजिटल पुस्तकालयों की महत्ता व वर्तमान समय में उपयोगिता

• अनिल कुमार धीमान

सारांश- डिजिटल पुस्तकालय एक तरह का पुस्तकालय है, जिसमें पुस्तकों व अन्य प्रलेखों के डिजिटल फॉर्मेट उपलब्ध होते हैं। डिजिटल फॉर्मेट की विशेषता यह है कि इसमें टेक्स्ट के साथ-साथ, फोटो, वीडियो या ऑडियो भी सम्मिलित होते हैं। डिजिटल पुस्तकालय की संरचना में एक हाई स्पीड लोकल नेटवर्क, रिलेशनल डेटाबेस, विभिन्न प्रकार के सर्वर और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सम्मिलित हैं। डिजिटल पुस्तकालय को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा बशर्ते पुस्तकालय एक्सेस करने वाली डिवाइस इंटरनेट इनेबल हो। यह लेख डिजिटल पुस्तकालय की वर्तमान समय में महत्व व उसकी उपयोगिता के बारे में वर्णन करता है।

**मुख्य शब्द - डिजिटल पुस्तकालय, पुस्तक, प्रलेख, हाई स्पीड लोकल नेटवर्क**

**1. परिचय-** पुस्तकालय किसी भी शैक्षिक संरचना का केन्द्र होता है जहाँ शिक्षक वर्ग का अध्यापन ज्ञान की एक झलक प्रदान करता है, वहीं पुस्तकालय ज्ञान के विस्तृत दावों का प्रसार करता है जिसकी बौद्धिक ऊँचाइयों को प्राप्त करने में जरूरत होती है। पुस्तकालय कक्षा के निर्देशीय कार्य का पूरक होता है तथा शिक्षा के आदर्श को अग्रसारित करता है। सही शिक्षा केवल पुस्तकालयों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इस तरह पुस्तकालय अनौपचारिक शिक्षा का प्रदानकर्ता भी है तथा सीखने वालों को उपलब्ध विशाल सामग्री के भण्डार को खोजने में निर्देशित करता है। पुस्तकालय अपनी शैक्षणिक सेवाओं के लिए पहचाने जाने लगे हैं और सम्पूर्ण विश्व में शैक्षिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहे हैं।

शैक्षणिक पुस्तकालय विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तीन प्रकार के होते हैं। इसमें विश्वविद्यालय पुस्तकालय सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार पुस्तकालय विश्वविद्यालयों के कार्यों का हृदय है। प्रत्यक्षतः अनुसंधान कार्यों में और परोक्षतः शैक्षिक कार्यों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोठारी कमीशन (1964-66) के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये हैं-

- विश्वविद्यालय में विशिष्ट अभिरूचि के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना।

- विश्वविद्यालय में शिक्षकों को उनके क्षेत्र में हो रहे विकास से परिचित कराने में सहायता प्रदान करना।
- संस्थान के सभी औपचारिक कार्यक्रमों की सफलता के लिए सभी आवश्यक पुस्तकालय सुविधा एवं सेवाएँ प्रदान करना।
- किसी एक के विशिष्टता के क्षेत्र की परिसीमा के बाहर की पुस्तकों के विस्तृत जगत के दरवाजे खोलना।
- पुस्तकों, विद्यार्थियों तथा विद्वानों को एक साथ उस परिस्थिति के अन्तर्गत लाना जो आनन्द एवं खोज, व्यक्तिगत वृद्धि तथा बुद्धिजीवी उत्सुकता को तीव्र करने वाले पठन को बढ़ावा देता हो।

जबकि पैरी (1967) समिति के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के निम्न उद्देश्य हैं:-

- आवश्यक पाठ्य सामग्री का संग्रह करना।
- ऐसी पद्धति को अपनाना जिससे विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकता की पाठ्य सामग्री आसानी से प्राप्त हो सके।
- विद्वानों, वैज्ञानिकों और प्राविधिज्ञों को विस्तार सेवा की सहायता से पुस्तकालय सेवा प्रदान करना।
- वर्तमान व भावी उपयोग हेतु मानव जाति की पुरातन विधियों और मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय आवश्यक साधन हैं।
- नये विभागों की स्थापना होने के पश्चात उन्हें आवश्यक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, एवं
- विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर पुस्तकालयों के उपयोग के बारे में जानकारी देना।

इस प्रकार पुस्तकालय का शैक्षणिक संस्थाओं में मुख्य उद्देश्य आवश्यकता के अनुसार पाठकों को उनकी वांछित पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराना है। हालांकि अन्य पुस्तकालयों, सार्वजनिक पुस्तकालय व विशिष्ट पुस्तकालयों की भूमिकाओं को भी नकारा नहीं जा सकता।

**2. पुस्तकालयों का बदलता स्वरूप-** सूचना क्षेत्र में नवीन तकनीकी के आ जाने से पुस्तकालय का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है (धीमान, 2003, धीमान एवं रानी, 2012)। आजकल नवीन तकनीक आने व सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा व मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के आने के कारण पुस्तकालयों का कार्य भी अधिक बढ़ गया है। आज शैक्षणिक पुस्तकालय ज्ञान संसाधनों का संरक्षण, विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर का ज्ञान मीडिया के रूप में संरक्षण, के साथ- साथ ज्ञान संसाधन सहभागिता, ज्ञान संसाधन सेवाओं के आधार पर वृहद पैमाने पर सूचना वितरण करता है। अतः पुस्तकालयों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि उपयोगकर्ता के लिए गुणवत्तायुक्त सेवा को समृद्ध करें। कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के युग में एक पुस्तकालय निम्न अतिरिक्त कार्य कर सकता है-

- विभिन्न सूचना उत्पादों जैसे सी.डी.रोम., नान-प्रिन्ट मीडिया यानि अमुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि का संग्रहण और आवश्यकता पड़ने पर पाठकों को उनकी मांग के आधार पर सूचना प्रदान करना।
- पाठकों को नवीनतम तकनीकों से जानकार कराने हेतु उपभोक्ता शिक्षण प्रोग्राम का आयोजन करना।
- 'आन-लाईन पब्लिक एक्सेस' प्रणाली के तहत दूरस्थ केन्द्रों से सूचनाएँ एकत्रित कर पाठकों को सूचनाएँ प्रदान करना। साथ ही इंटरनेट आदि से आन-लाईन सूचनाएं उपलब्ध कराना।

विभिन्न प्रकार की अमुद्रित सामग्री, दृश्य-श्रव्य सामग्री और नॉन-प्रिन्ट सामग्री आदि के संग्रहण और आवश्यकता पड़ने पर पाठकों को उनकी मांग के आधार पर सूचना प्रदान करने के लिये आज के पुस्तकालय डिजिटल पुस्तकालयों में परिवर्तित हो रहे हैं।


**3. डिजिटल पुस्तकालय क्या है?** डिजिटल पुस्तकालय शब्द को पहली बार 1994 में NSF / DARPA / NAS। डिजिटल लाइब्रेरीज इनिशिएटिव द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था (फॉक्स, 1999)। डिजिटल पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें पुस्तकों का संग्रह डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है। इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं कंप्यूटर के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल पुस्तकालय को ऑनलाइन लाइब्रेरी, इंटरनेट लाइब्रेरी, डिजिटल रिप, जिटरी, या डिजिटल संग्रह के रूप में भी जाना जाता है।

लिनच एवं गारसीया-मोलिना (1995) के अनुसार डिजिटल पुस्तकालय एक ऐसा कम्प्यूटाइज्ड सिस्टम है, जिसके द्वारा विस्तृत क्षेत्र में फैले हुये समस्त प्रयोक्ताओं को विशाल एवं संगठित रूप से सुरक्षित एवं संग्रहित सूचनाओं एवं ज्ञान की जानकारी सुसंगत रूप से उपलब्ध हो। जबकि यर्की एवं जारगिन्सिन (1996) ने डिजिटल पुस्तकालय को परिभाषित करते हुये कहा है कि यह एक इलैक्ट्रॉनिक पुस्तकालय है जिसके माध्यम से भौगोलिक रूप से फैले हुये उपयोक्ता डिजिटल रूप से संग्रहित भंडार से समस्त सूचना एवं ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर सकें।

इस प्रकार डिजिटल पुस्तकालय का आशय यह है कि यह पुस्तकालय भी उसी उद्देश्य, कार्य एवं लक्ष्य को पूर्ण करता है जो परंपरागत पुस्तकालय करता है। संग्रह विकास एवं प्रबंधन, विषय विश्लेषण, प्रसूची, उपयोक्ताओं के एक्सेस को संतुष्ट करना, उपयोक्ताओं की पहुंच या अवलोकन या प्राप्ति सुलभ करना, संदर्भ, संरक्षण आदि समस्त कार्य जो परंपरागत पुस्तकालय संपन्न करता है। बस अंतर केवल इतना है कि सिस्टम में यह डिजिटल प्रारूप में संग्रहित एवं उपलब्ध रहता है जिससे उपयोक्ता कभी भी किसी समय अपने कार्यस्थल या अन्यत्र पर बैठकर सूचना प्राप्त कर सकता है। ई-संसाधन डिजिटल पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण घटक है। ई-जर्नल्स, ई-बुक्स, ई-थीसिस, ई-डेटाबेस, ई-रिपोर्ट्स, ई-फार्म्स और ऐसे ही अन्य ई-संसाधनों के रूप में सूचना का डिजिटलीकरण हुआ है।

डिजिटल पुस्तकालय की संरचना व विभिन्न सेवाओं को चित्र 1 (संदर्भ: अरोरा, 2001) के माध्यम से अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

चित्र 1: डिजिटल पुस्तकालय की संरचना व सेवायें



**4. डिजिटल पुस्तकालय की विशेषताएं-** डिजिटल पुस्तकालय एक तरह से पारंपरिक पुस्तकालय का ही डिजिटल फॉर्मेट में नया चेहरा है। इसकी विशेषताओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता (<https://mintbook.com/blog/features-digital-library/>) है।

**4.1. भौतिक रूप से आने का प्रतिबंध नहीं-** पारंपरिक पुस्तकालयों के साथ, पुस्तकों या अन्य प्रलेखों तक पहुँचने के लिए किसी को व्यक्ति या पाठक को भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ती अर्थात पुस्तकालय जाना पड़ता है। परन्तु डिजिटल पुस्तकालयों के केस में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसे कोई भी अपने घर, आफिस या अन्य किसी भी जगह से कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है।

**4.2. मल्टीपल एक्सेस-** पारंपरिक पुस्तकालयों में एक मुख्य समस्या यह है कि एक संसाधन को एक साथ कई लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जबकि डिजिटल पुस्तकालयों के मामले में ऐसी कोई समस्या नहीं है। कई व्यक्ति और संस्थान एक ही समय में एक ही संसाधन को एक्सेस कर सकते हैं।

**4.3. प्रयोग करने में आसान-** भौतिक पुस्तकालयों की तुलना में डिजिटल पुस्तकालयों का उपयोग करना अधिक आरामदायक है। आपको केवल शीर्षक या लेखक की खोज करनी है, और आपको अपनी पुस्तक कुछ ही समय में मिल जाएगी। आपको पुस्तकों की तलाश में पारंपरिक पुस्तकालयों की भांति शेल्व दर शेल्व जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डिजिटल पुस्तकालय अनुकूलन योग्य हैं। डिजिटल पुस्तकालयों को आपके सेटअप के साथ एकीकृत करके आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।

**4.4. संरक्षण और परिरक्षण-** भौतिक पुस्तकें दोबारा उपयोग और पुनः उपयोग किए जाने के बाद क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उनके पन्ने फट जाते हैं और समय के साथ छपाई

गायब हो सकती है या फिर फीकी पड सकती है। डिजिटल पुस्तकालयों में किसी भी संसाधन को कितनी ही बार एक्सेस किया जाये ऐसी कोई समस्या नहीं आती है अर्थात यह उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं करता है और विस्तारित अवधि के लिए संसाधन अपने मूल रूप में ही संरक्षित रहता है।

**4.5. भौतिक स्थान की कोई सीमा नहीं-** पारंपरिक पुस्तकालयों की भंडारण क्षमता सीमित होती है और एक समय ऐसा आ सकता है जब भौतिक स्थान की सीमित मात्रा के कारण अन्य पुस्तकों व प्रलेखों को संग्रहीत करने में स्थान की समस्या आ जाती है। वहीं डिजिटल पुस्तकालयों के केस में ऐसी कोई सीमा नहीं है। डिजिटल पुस्तकालय बिना किसी स्थान की समस्या का सामना किए हजारों संसाधनों को संग्रहीत कर सकते हैं।

**4.6. कोई समयबद्धता नहीं-** पुस्तकों को पुस्तकालय में समय से वापस करना एक बड़ी भारी समस्या है। यदि समय से पुस्तकें वापस न की जायें तो विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। डिजिटल पुस्तकालयों के केस में ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई भी पाठक एक न्यूनतम सदस्यता मूल्य का भुगतान कर सदस्यता समाप्त होने तक डिजिटल पुस्तकालयों की समस्त सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यहां पुस्तकें समय पर वापस करने का सिरदर्द नहीं है!

**4.7. सुधार की गुंजाइश-** प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण डिजिटल पुस्तकालयों में सुधार और विकास हुआ है। भविष्य में भी हम डिजिटल पुस्तकालयों के उन्नत संस्करण देखेंगे। उदाहरण के लिए, चित्रों की गुणवत्ता में सुधार हो हुआ है। स्कैनिंग के बाद मलिनकरण और दाग जैसी दिखाई देने वाली कमियों को दूर किया गया है। भविष्य में और अधिक सुधार की अपेक्षा है।

**4.8. कोई भाषा अवरोध नहीं-** आजकल पुस्तकें विभिन्न प्रकार की भाषाओं में उपलब्ध हैं लेकिन पारंपरिक पुस्तकालयों में सब भाषाओं की पुस्तकें क्रय नहीं की जा सकती हैं। जबकि एक डिजिटल पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं की अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। अतः डिजिटल पुस्तकालय के केस में भाषा कोई बाधा नहीं है।

**4.9. आभासी सीखने का अनुभव-** तकनीकी रूप से उन्नत कुछ डिजिटल पुस्तकालयों में 360 डिग्री वर्चुअल लर्निंग का अनुभव होता है। यह ग्राहकों को एक बहुमुखी रूप से सीखने की सुविधा प्रदान करता है। अकादमिक संसाधनों के अलावा, डिजिटल पुस्तकालयों में व्यावसायिक सामग्री भी होती है। अतः डिजिटल पुस्तकालयों में सभी के लिए वास्तव में कुछ न कुछ पठनीय सामग्री होती ही है!

**4.10. ज्ञान की कोई सीमा नहीं-** डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं को कम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश से पुस्तकें प्राप्त करना चाहता है तो डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तक को आसानी से एक्सेस कर सकता है या फिर अभीष्ट सामग्री की स्कैन प्रति ई-मेल के माध्यम से तुरंत प्राप्त कर सकता है। वॉक-इन लाइब्रेरी अर्थात भौतिक पुस्तकालयों में विश्व की प्रत्येक पुस्तक सम्मिलित नहीं की जा सकती, लेकिन डिजिटल पुस्तकालयों में ऐसा नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी पुस्तक या अन्य प्रलेखों का एक्सेस कर सकते हैं!

**5. परंपरागत पुस्तकालयों एवं डिजिटल पुस्तकालयों में अंतर-** इस प्रकार देखा जा

सकता है कि परंपरागत पुस्तकालयों एवं डिजिटल पुस्तकालयों में कई अंतर हैं और डिजिटल पुस्तकालय परंपरागत पुस्तकालय से कई मायनों में उन्नत है। तालिका-1 में परंपरागत पुस्तकालयों एवं डिजिटल पुस्तकालयों में अंतर दर्शाया गया है (यादव, 2022)।

**तालिका 1: परंपरागत पुस्तकालयों एवं डिजिटल पुस्तकालयों में अंतर**

महत्व /लाभ का आधार	परंपरागत पुस्तकालय	डिजिटल पुस्तकालय
भण्डारण स्थान	परंपरागत पुस्तकालय में पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य पठनीय सामग्री के लिए एक निश्चित और सीमित स्थान होता है।	डिजिटल पुस्तकालय में स्थान संबंधी कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि बहुत कम स्थान जिसे सर्वर कहा जाता है, में छोटे से स्थान में हजारों पुस्तकों को डिजिटल रूप में संग्रहीत किया जा सकता है।
लागत	परंपरागत पुस्तकालय के रख-रखाव व संचालन के लिए बहुत अधिक लागत आती है क्योंकि इसके लिए स्टाफ, पुस्तक, अनुरक्षण, शुल्क, किराया इत्यादि के कारण ये पुस्तकालय काफी खर्चीले और लागत वाले होते हैं।	डिजिटल पुस्तकालय की लागत परंपरागत पुस्तकालय की तुलना में बहुत कम होती है क्योंकि इसके लिए स्टाफ या अन्य तरह के व्यय शामिल नहीं होते हैं।
नवाचार	परंपरागत पुस्तकालय की अवधारणा में नव-परिवेश को लेकर नवाचार नहीं होता है इस कारण ज्ञान का अपडेट नहीं हो पाता है। यदि कभी होता भी है तो यह अल्प होता है।	प्रौद्योगिकी में नव परिवेश को तत्काल अपनाया जाता है ताकि उपयोक्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक और आन-लाईन पुस्तकों में नवीन तकनीक का सहारा लेकर सुधार और नवाचार किया जा सकता है। साथ ही संचार के नए प्रकारों जैसे ब्लाग और ई-शेयरिंग आदि को अपनाया जाता है।
भौतिक सीमा	परंपरागत पुस्तकालय की अवधारणा में पुस्तकालय की एक भौतिक सीमा होती है।	डिजिटल पुस्तकालय की भौतिक सीमा नहीं होती है क्योंकि उपयोक्ताओं को शारीरिक रूप से पुस्तकालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। डिजिटल पुस्तकालय इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है।
अधिगम (एक्सेस)	परंपरागत पुस्तकालय की अवधारणा में अधिगम सीमित होता है।	डिजिटल पुस्तकालय में अधिगम की प्रक्रिया बहुत व्यापक होती है क्योंकि एक स्रोत कई उपयोक्ताओं द्वारा एक ही समय में प्रयुक्त किया जा सकता है।
उपलब्धता	परंपरागत पुस्तकालय का एक निश्चित समय होता है जिसे एक निश्चित समय के बाद बन्द करना पड़ता है। इस कारण परंपरागत पुस्तकालय के ज्ञान की उपलब्धता समयबद्ध और निश्चित होती है।	डिजिटल पुस्तकालय 24x7 उपलब्ध रहता है। इसी कारण इसे किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को किसी विषय समय अथवा दिन का इन्तजार नहीं करना पड़ता है।
उपागम	परंपरागत पुस्तकालय का उपागम समय साध्य होता है। इस कारण उसके अध्ययन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।	डिजिटल पुस्तकालय अधिक व्यवस्थित और संधारित होते हैं, इसी कारण समय की बचत होती है क्योंकि सम्बद्ध वर्णय विषय को आसानी से खोजा जा सकता है।
सूचनाओं को खोजना	परंपरागत पुस्तकालय में सूचनाओं को ज्ञात करने में बहुत अधिक समय खराब होता है। साथ ही यह बहुत ऊबाऊ व श्रम साध्य होता है।	उपयोक्ता किसी भी खोज शब्द या सम्पूर्ण संग्रह के वाक्यांश प्रयोग करके आसानी से विषय की पकड़ कर सकता है और अभीष्ट सूचना को खोज सकता है।
संरक्षण व परिरक्षण	परंपरागत पुस्तकालय में संधारित पुस्तकों पत्रिकाओं का संरक्षण व परिरक्षण करना बड़ा ही दुष्कर, खर्चीला और श्रम साध्य	डिजिटल पुस्तकालय में संरक्षण एवं परिरक्षण की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी परंपरागत पुस्तकालय में होती है। मूल प्रति की

**6. डिजिटल पुस्तकालय और इनफलिबनेट, अहमदाबाद-** इनफलिबनेट या इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET) की स्थापना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वि'वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली की स्थापना के लिए प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिससे कि भारत के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक सहभागी रूप से उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप 1988 में इनफलिबनेट का स्वरूप अस्तित्व में आया और 1991 में इसने विधिवत कार्य करना शुरू किया।

इनफलिबनेट एक सहकारी संस्था है जिसके क्रिया-क्लापों में उच्च शिक्षा के सभी विषय क्षेत्रों के सभी संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं विकास संस्थान तथा राष्ट्रीय संगठन जैसे- सी.एस.आई.आर., आई.सी.ए.आर., डी.आर.डी.ओ., आई.सी.एस.आर., ए.आई.सी.टी.ई. व डेलनेट आदि भागीदार हैं। देश के विश्वविद्यालय पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों को कम्प्यूटर एवं आधुनिक सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से आधुनिकीकरण करने के क्षेत्र में यह एक वृहत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है।

धीमान एवं रानी (2012) के अनुसार देश के सभी विश्वविद्यालयों को वर्ष 2000 तक कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा एक साथ जोड़ना ही इनफलिबनेट का मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त इनफलिबनेट की स्थापना करते समय इसके निम्न उद्देश्य निश्चित किये गये-

- भारत में स्थित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व शोध संस्थानों के सभी पुस्तकालयों, सूचना केन्द्रों तथा प्रलेखन केन्द्रों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना।
- पुस्तकालयों, सूचना केन्द्रों व प्रलेखन केन्द्रों की व्यवस्था तथा सेवाओं की क्षमता एवं दक्षता को उन्नत करना।
- देश के पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों में एक मानक का अनुसरण कर इसकी कार्य पद्धति व्यवस्था तथा सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करना।
- प्रलेखन की दृष्टि से सम्पन्न पुस्तकालयों में संसाधन केन्द्रों की स्थापना कर प्रलेख आपूर्ति प्रदान करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त इसका एक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे तंत्र की स्थापना करना है जो विभिन्न पुस्तकालयों और सूचना संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, यू.जी.सी. एवं सूचना संस्थानों तथा विकास संस्थाओं को जोड़ने में मुख्य भूमिका का निर्वाह कर सके जिससे सूचना का सही प्रकार से विस्तार हो सके। साथ ही सूचना का सही आंकलन हो सके।

## चित्र 2: ई-शोधसिन्धु कंसोर्टियम्स का स्नैपशाट



(Source: <https://ess.inflibnet.ac.in/>)

इनफ्लिबनेट अपने ई-शोधसिन्धु प्रोग्राम जो कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (अब शिक्षा मंत्रालय) ने भारत के 3 प्रमुख कंसोर्टियम्स, यूजीसी-इन्फो नेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एन-लिस्ट और आईएनडीईएसटी-एआईसीटीई कंसोर्टियम को मिलाकर एक हायर एजुकेशन ई-रिसोर्स के तौर पर तैयार किया है, के तहत विश्वविद्यालय पुस्तकालयों व केंद्रीय सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को 15,000 के लगभग ई-जर्नल्स व कुछ डाटाबेसों का एक्सेस प्रदान कर रहा है। साथ-साथ यह नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का व वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस भी दे रहा है।

## चित्र 3: N-LIST प्रोग्राम का स्नैपशाट



(Source: <https://nlist.inflibnet.ac.in/>)

जबकि महाविद्यालयों के लिये N-LIST प्रोग्राम के तहत यही सुविधा महाविद्यालयों के लिये भी उपलब्ध है जो कि यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत कवर किए गए महाविद्यालयों के साथ-साथ गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों तक

चयनित ई-संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एनएमई-आईसीटी के तहत एमएचआरडी द्वारा कार्यक्रम को वित्त पोषित किया गया था। वर्ष 2014 से यह महाविद्यालय घटक के रूप में यूजीसी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा भारत सरकार ने ई-सूचना सेवाएं प्राप्त करने के विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे नेशनल नॉलेज नेटवर्क -एनकेएन (एक अत्याधुनिक मल्टी-गीगाबिट पैन-इंडिया नेटवर्क, जो एकीकृत उच्च गति नेटवर्क प्रदान करता है और देश में सभी ज्ञान आधारित संस्थानों का आधार है), नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलोजी इन्हांस्ट लर्निंग-एनपीटीईएल (अर्थात् प्रौद्योगिकी संवर्धित प्रशिक्षण का राष्ट्रीय कार्यक्रम), जिसमें विभिन्न आईआईटी और आईआईएम संस्थानों में दिए गए व्याख्यान एक्सेस किए जा सकते हैं और शोधगंगा, एक कार्यक्रम जिसमें विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत की गयी थीसिस ऑनलाइन एक्सेस की जा सकती है।

सिंह और खान (ति.न.) के अनुसार ई-पीजी पाठशाला, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर 71 विषयों में ई-कंटेंट (विषय सामग्री) विकसित करने के लिए 'आईसीटी के जरिए शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन' के अंतर्गत एक परियोजना है, इन्फोपोर्ट (भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए एक सबजेक्ट गेटवे यानी विषय प्रवेश मार्ग, जो शैक्षिक सामग्री के व्यापक माध्यम के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए निर्मित एवं विकसित किया गया है), वर्चुअल लैब्स, ए-व्यू ट, क्स टू टीचर (देश में निर्मित पुरस्कार विजेता मल्टी-म, डल, मल्टी-मीडिया ई-लर्निंग प्लेटफार्म, जो ई-शिक्षण का एक गहन अनुभव प्रदान करता है), स्पोकन ट्यूटोरियल, ई-यंत्र, आईएसएलईआरएस (श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए आईसीटी के जरिए विकसित एक स्वचालित भारतीय संकेत भाषा शिक्षा और पहचान प्लेटफार्म), ऑस्कर (वेब आधारित इंटर-एक्टिव एनिमेशन और सिम्यूलेशंस का भंडार), ई-कल्प (डिजिटल-शिक्षण वातावरण तैयार करने की एक परियोजना), वीएलई (वर्चुअल लर्निंग एन्वायरनमेंट, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों की ई-संसाधन जरूरतें पूरी करने के लिए एक ऑनलाइन वातावरण) आदि में सूचना प्रदान करते हैं।

हाल ही में, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकों का ई-बुक्स के रूप में डिजिटलीकरण किया गया है, जो अब मोबाइल उपकरणों, जैसे कि टैबलेटों व मोबाइल फोन आदि पर उपलब्ध है। यह उन व्यक्तियों के लिए एक बड़ा परिवर्तन है, जो अभी तक एनसीईआरटी की पुस्तकों का प्रयोग नहीं कर पाते थे। इससे साफतौर पर पता चलता है कि परंपरागत प्रणालियां ई-प्रणालियों और वर्चुअल लर्निंग प्रणालियों में तब्दील हो रही हैं। इलैक्ट्रॉनिक प्रलेख आवश्यकता अनुसार भंडारित, एक्सेस, और वितरित किए जा सकते हैं और डिजिटल पुस्तकालयों के द्वारा एक्सेस भी किये जा सकते हैं।

**6. उपसंहार-** डिजिटल पुस्तकालय के संसाधनों में वीडियो, ई-किताबें, ई-पत्रिकाएं, ई-क्विज, मीडिया क्लिपिंग आदि के रूप में प्रलेख उपलब्ध रहते हैं। साथ ही नोट्स, हाइलाइटर, डिक्शनरी आदि जैसी एनोटेशन सुविधाएँ भी हैं। इसी कारण डिजिटल पुस्तकालय छात्रों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सीखने से लगाव रखने वाले सभी लोगों

के लिए एक वरदान है। इनकी उपयोगिता कोरोना वायरस के प्रहार के समय बहुत सहायक रही है। ज्ञान के सभी भौतिक स्रोतों के बंद हो जाने के बावजूद डिजिटल पुस्तकालय अपनी निर्बाध सेवायें प्रदान करते रहे। डिजिटल पुस्तकालय में वह हर सुविधा है जिसकी आप मांग कर सकते हैं। इसके हजारों संसाधन हैं जो कि किफायती, उपयोग में आसान और आसानी से सुलभ है। अर्थात कह सकते हैं - डिजिटल पुस्तकालय समय की मांग है, और उन्हें अपनाना एक ऐसा निर्णय है जिसका किसी को भी पछतावा नहीं होगा।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- Arora, J. (2001). Building Digital Libraries: An Overview. DESIDOC Bulletin of Library & Information Technology, 21 (6): 3-24.
- Dhiman, A.K. (2003). Basics of Information Technology for Librarians and Information Scientists. 2 Vols. Ess Ess Publications, New Dehli.
- Dhiman, A.K. and Rani, Yashoda. (2012a). Manual of Digital Libraries. 2 Vols. Ess Ess Publications, New Dehli.
- Dhiman, A.K. and Rani, Yashoda. (2012b). Role of INFLIBNET in Modernization of Academic Libraries (Hindi). Granthalaya Vigyan, 43: 116-25.
- Fox, E.A. (1999). Digital Library Initiative: Update and Discussion. Bulletin of the American Society for Information Science, 26 (1). 7-11.
- Kothari, D.S. (1964-66). Kothari Commission Report. NCERT, New Delhi.
- Lynch, Clifford, and Garcia- Molina. G. (Eds.) (1995). Inter-operability Scaling and the Digital libraries Research agenda, 12 Aug. 1995: A Report on the May 18-19 1995ITTA Digital Libraries Workshop. Available at: <http://www-diglib.stanford.edu/diglib/pub/reports/iitadlw/main.html>.
- Parry, T. (1967). UGC's Report of the Committees on Libraries. H.M.S.O., London.
- Yerkey, A.N. and Jorgensin, C. (1996). A Course in Digital Libraries. DESIDOC Bulletin of Information Technology, 16 (1): 31-39.
- यादव, अंजलि (2022) अंकीय पुस्तकालय (डिजिटल लाइब्रेरी) से क्या अभिप्राय है? डिजिटल लाइब्रेरी के लाभ. <https://tinyurl.com/yc528j29>.
- सिंह, ओ.एस. शेखर और खान, एम.टी.एम. (ति.न.) इलैक्ट्रॉनिक संसाधन। रोजगार समाचार। <https://rojgarsamachar.gov.in/NewRS/MoreContentNew.aspx?n=Editorial&k=4>।

## प्राथमिक विद्यालयों में संविदा एवं नियमित शिक्षकों द्वारा शिक्षण की गुणात्मक पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन

• किरण गुप्ता

सारांश- मनुष्य समाज में जन्म लेता है और समाज में ही संपूर्ण क्रियाये करता है। इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा साक्षरता का पहला सोपान है। अतएव इस स्तर की शिक्षा अपरिहार्य रूप से बाल केंद्रित आवश्यकताओं की पूर्ति कारक सौद्देश्य एवं गुणकारी होनी चाहिए। इसी बात में ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने समस्या का चयन निम्न उद्देश्य के आधार पर किया है।

**मुख्य शब्द - मनुष्य, समाज, शिक्षा, साक्षरता, सोपान**

प्राथमिक विद्यालयों में संविदा एवं नियमित शिक्षकों द्वारा शिक्षण की गुणात्मकता पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना है। शोध कार्य हेतु सागर शहर के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्रों का चयन याहच्छिक रेडमली विधि के द्वारा न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है। संविदा शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों के शिक्षा की गुणात्मकता का प्रभाव की तुलना हेतु उपकरण के रूप में 30 प्रश्नों पर आधारित स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। प्रश्नावली को छः वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में शिक्षकों के गुणों से संबंधित पांच-पांच प्रश्नों को रखा गया है। शोध अध्ययन की विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है अध्ययन के परिणामों से प्राप्त हुआ कि नियमित शिक्षकों का शिक्षण शिक्षा की गुणात्मकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि संविदा शिक्षकों को शिक्षण नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अतः संविदा शिक्षकों को अपने शिक्षण संबंधी कार्य में सुधार की आवश्यकता है।

**प्रस्तावना-** मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर अपना समस्त क्रियाकलाप करता है। वह अपना सामंजस्य समाज के साथ स्थापित करता है। समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यवहार व अनुभव परिवर्तन परिवर्धन एवं परिमार्जन करना पड़ता है। इससे वह समाज में अनवरत् विकास करता है। इस प्रक्रिया को शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। यह प्रक्रिया मनुष्य के प्रारंभिक जीवन काल से चल रही है और भविष्य में जब तक चलती रहेगी, जब तक मनुष्य इस संसार में रहेगा।

प्राथमिक शिक्षा साक्षरता का पहला सोपान है और शिक्षा की नींव का। जिस

प्रकार वर्ग, समाज और देश की प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ एवं गुणकारी होती है उस समाज का विकास सम्यक एवं त्वरित गति से होता है, अन्यथा विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अतएव इस स्तर की शिक्षा अपरिहार्य रूप से बाल केंद्रित आवश्यकताओं की पूर्ति कारक सोउद्देश्य परक एवं गुणकारी होना चाहिए।

**अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व-** शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कार्य निष्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा से संबंधित प्रत्येक योजना का सफल क्रियान्वयन शिक्षकों के वैयक्तिक व्यवहार शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं कार्यनिष्ठा निर्भर करता है अपनी शिष्यों के कल्याण के लिए पूर्णतरु प्रतिबद्ध परिश्रमी व सृजनशील शिक्षकों ने शिक्षा प्रणाली में व्याप्त संतोष व नगण्य लाभों के बावजूद अपने व्यावसायिक दायित्वों को समर्पण भाव से निभाया है, परंतु आज बेरोजगारी के समय में ऐसे व्यक्ति शिक्षक बन जाते हैं जिनमें न तो शिक्षण की अभिछमता होती है और ना ही अभिवृत्ति। अनुपयुक्त शिक्षकों की कारण हमारा शिक्षा तंत्र पंगु हो गया है तथा हमारी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम क्षेत्र में शिक्षकों ने वैज्ञानिक –ष्टिकोण शारीरिक दक्षता प्रभावी वक्ता एवं मानवीय मूल्यों आदि का विकास करने में असफल रहते हैं। इन्ही कमियों की वजह से शिक्षा प्रभावित होती है इन्हीं कारणों को देखते हुए शोधार्थी ने प्रमुख रूप से इस पर अध्ययन करना चाहा कि नियमित शिक्षक एवं संविदा शिक्षकों में किसके द्वारा शिक्षण की गुणात्मकता पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है।

**समस्या कथन-** प्रस्तुत लघु शोध में समस्या को निम्न प्रकार भाषा बद्ध किया गया है। “प्राथमिक विद्यालयों में संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों द्वारा शिक्षा की गुणात्मकता पर प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन”

**उद्देश्य-** प्रस्तुत शोधकार्य के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों के गुणवत्ता संबंधी विद्यालयी प्रभाव का अध्ययन करना
- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों के गुणवत्ता संबंधी अनुशासनात्मक प्रभाव का अध्ययन करना
- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों के गुणवत्ता युक्त शिक्षण विधियों का अध्ययन करना
- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों की गुणवत्ता संबंधी सहायक शिक्षण संबंधी अध्ययन करना
- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों द्वारा दिये जाने वाले ग्रह कार्य के प्रभाव का अध्ययन करना

**शोध की परिकल्पनायें-** परिकल्पना दो अथवा दो से अधिक चरो के संबंध के विषय में एक कल्पनात्मक कथन होता है प्रस्तुत शोध की निम्नलिखित परिकल्पनाये हैं।

- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों की गुणवत्ता संबंधी विद्यालयी प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों की गुणवत्ता संबंधी अनुशासनात्मक प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों की गुणवत्ता युक्त शिक्षण विधियों के प्रभाव में कोई अंतर नहीं है।
- संविदा शिक्षक एवं शिक्षकों की गुणवत्ता संबंधी सहायक शिक्षण विधियों के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों के द्वारा दिए जाने वाले ग्रह कार्य के प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों की गुणवत्ता संबंधी परीक्षा प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

**शोधविधि-** प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षणविधि का प्रयोग किया गया है।

**न्यादर्श-** शोधकर्ता द्वारा सागर जिला जनपद के मकरोनिया विकासखंड के प्राथमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षक एवं संविदा शिक्षकों के अध्यापन कार्य का शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव में तुलना के लिए 40 नियमित शिक्षक एवं 40 संविदा शिक्षक तथा उसी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों पढ़ने वाले 40-40 छात्रों का न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

**शोध उपकरण-** शोधार्थी ने स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया है जिससे कुल 30 प्रश्न हैं। प्रश्नों के माध्यम से शोधार्थी ने संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य का शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने का प्रयास किया है।

**प्रयुक्त सांख्यिकी-** शोधकर्ता द्वारा किसी विशेष सांख्यिकी का प्रयोग न करते हुए समस्या की यथार्थता का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया गया है।

**प्रदत्त का विश्लेषण एवं निष्कर्ष-**

1. संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों की शिक्षण का शिक्षा की गुणात्मकता पर प्रभाव हेतु निष्कर्ष- प्रतिशतता का प्रयोग करने पर पाया कि संविदा शिक्षक नियमित शिक्षकों की अपेक्षा विद्यालय में विद्यालय में समय से पहुंचते हैं पूरे समय विद्यालय में उपस्थित रहते हैं तथा नियमित शिक्षक एवं संविदा शिक्षक दोनों ही छात्रों को समय से आने के लिए प्रेरित करते हैं जबकि संविदा शिक्षकों की अपेक्षा विद्यालय में खेल कार्य कराने में नियमित शिक्षक अग्रणी रहे। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

#### तालिका क्रमांक - 01

##### विद्यालयी प्रभाव से संबंधित तालिका

समूह	नियमित शिक्षक		छात्र		संविदा शिक्षक		छात्र	
	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत
विद्यालयी प्रभाव	68.8	31.2	47.6	52.4	64.0	36.0	46.4	53.6

#### तालिका क्रमांक- 02

संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों का शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव हेतु अनुशासनिक प्रभाव के प्रतिशत की मान तालिका प्रत्येक प्रभाव देखते हेतु प्रत्येक तालिका में 5-5 प्रश्न पूछे गए एवं उनका प्रतिशत निकाला गया है।

समूह	नियमित शिक्षक		छात्र		संविदा शिक्षक		छात्र	
	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत
अनुशासनात्मक प्रभाव	68.6	31.4	62.0	32.0	66.0	34.0	63.6	36.4

नियमित शिक्षक द्वारा अनुशासनिक प्रभाव मुझ से संबंधित सकारात्मक पक्ष प्रतिशत संविदा शिक्षकों के प्रतिशत मान से अधिक है। ये प्रतिशत मान नियमित एवं संविदा शिक्षकों द्वारा दिए गए हैं इसकी पुष्टि के लिए छात्रों द्वारा पूरित प्रश्नावली में इस समूह पर सकारात्मक प्रतिशत का मान नियमित शिक्षक एवं संविदा शिक्षक के पक्ष में लगभग समान है।

अतः निष्कर्ष निकलता है नियमित शिक्षक संविदा शिक्षकों की अपेक्षा अनुशासनिक कारणों में अधिक प्रभावशाली है अनुशासन पर ध्यान देना शिक्षक का एक प्रमुख गुण होता है। अतः परिकल्पना दो अस्वीकृत की जाती है।

#### तालिका क्रमांक - 03

#### संविदा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों के शिक्षण का शिक्षा की गुणात्मकता पर प्रभाव हेतु शिक्षण विधियों के प्रतिशत की मान तालिका

समूह	नियमित शिक्षक		छात्र		संविदा शिक्षक		छात्र	
	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत
समूह शिक्षण विधि का प्रभाव	78.0	22.0	66.0	34.0	59.2	40.8	44.0	56.0

**निष्कर्ष-** संविदा शिक्षकों की तुलना में नियमित शिक्षकों का अधिकांश भाग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं इससे निष्कर्ष निकलता है की नियमित शिक्षक संविदा शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में अधिक प्रभावशाली है। अतः नियमित शिक्षक एवं संविदा शिक्षा द्वारा शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के प्रतिशत मान में अंतर होने के कारण परिकल्पना 3 (तृतीय) अस्वीकृत की जाती है।

#### तालिका क्रमांक- 04

#### संविदा शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों के शिक्षण का शिक्षा की गुणात्मकता पर प्रभाव हेतु शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभाव पर प्रतिशत की मान तालिका

समूह	नियमित शिक्षक		छात्र		संविदा शिक्षक		छात्र	
	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत
शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभाव	78.8	21.2	41.8	58.2	64.8	35.2	42.6	57.4

**निष्कर्ष-** उपरोक्त प्रतिशत मान से स्पष्ट होता है कि संविदा शिक्षक नियमित शिक्षकों की तुलना में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अधिक करते हैं। जिनसे उनके द्वारा किया गया शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली होता है। शिक्षण सामग्री के प्रयोग में प्रतिशत में अंतर होने के कारण परिकल्पना 4 (चार) अस्वीकृत की जाती है।

### तालिका क्रमांक - 05

संविदा शिक्षकों एवं नियमित शिक्षकों के शिक्षण का शिक्षा की गुणात्मकता के प्रभाव हेतु गृह कार्य संबंधी प्रभाव पर प्रतिशत मान की तालिका

समूह गृह कार्य का प्रभाव	नियमित शिक्षक		छात्र		संविदा शिक्षक		छात्र	
	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत
	81.2	18.8	54.8	45.2	55.6	44.44	31.4	68.6

**निष्कर्ष-** उपरोक्तानुसार कहा जा सकता है की संविदा शिक्षक की अपेक्षा नियमित शिक्षक गृह कार्य पर अधिक ध्यान देते हैं उनके द्वारा इस बिंदु पर बच्चों की शिक्षा पर गुणात्मक प्रभाव अधिक पड़ता है प्रतिशत मान में अंतर होने के कारण परिकल्पना 5 (पांच) अस्वीकृत होती है।

### तालिका क्रमांक - 06

समूह परीक्षा संबंधी प्रभाव	नियमित शिक्षक		छात्र		संविदा शिक्षक		छात्र	
	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित सकारात्मक प्रतिशत	गुण से संबंधित नकारात्मक प्रतिशत
	91.6	8.4	74.4	25.6	73.4	26.6	53.6	46.4

**निष्कर्ष-** कहा जा सकता है कि नियमित शिक्षक संविदा शिक्षकों की अपेक्षा छात्रों की मासिक परीक्षा, षटमासिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा छात्रों की बौद्धिक परीक्षा एवं छात्रों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में अग्रणी है। प्रतिशत मान में अंतर होने के कारण परिकल्पना -6 अस्वीकृत की जाती है।

अतः समस्त परिकल्पनाओं के निष्कर्ष से पाया गया कि नियमित शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री का अधिक उपयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहिए। जबकि संविदा शिक्षकों को अपनी शिक्षण कार्य, अनुशासन, शिक्षण विधियाँ एवं परीक्षा का मूल्यांकन करने संबंधी गुणात्मकता को बढ़ाना एवं प्रभावी करना चाहिए। निष्कर्ष निकलता है कि संविदा शिक्षकों की अपेक्षा नियमित शिक्षकों के शिक्षण का प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. कपिल, एच.के ; अनुसंधान विधियाँ, विनोद पुस्तक भंडार आगरा
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 1986
3. बुच, एस. बी ; ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन फर्स्ट एडिशन बड़ौदा 1974
4. शर्मा. आर. ए., शिक्षा अनुसंधान नवीन संस्करण मेरठ बुक डिपो 658 पी. पी.

## गांधी जी का ब्रह्मचर्य-विचार

• सत्य नारायण

सारांश- गांधी जी का ब्रह्मचर्य का विचार कोई नया विचार नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की आदि प्राचीन व्यवस्था का अंग है। गांधी जी ने तो ब्रह्मचर्य को एक व्रत की संज्ञा दी है और कहा कि सभी व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य ज्ञानात्मक, तात्त्विक, जैविक, नैतिक एवं सामाजिक, सभी प्रकार के मूल्यों की सिद्धि का साधन है। ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्म रक्षण होता है और बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रतिबन्ध लगता है। इसलिए गांधी जी ने इसे व्यवहारिक जीवन में भी अपनाने की सलाह दी है। परन्तु गांधी जी के ब्रह्मचर्य व्रत में कुछ शंकाएं भी उठाई गईं। जिनके गांधी जी ने जवाब भी दिये हैं। परन्तु यह भी सत्य है कि विद्वानों ने इसमें जो शंकाएं उठाई हैं हम उन्हें निराधार नहीं कह सकते। ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी इन कठिनाइयों से अनभिज्ञ होंगे। यह सब जानते हुए भी उन्होंने माना कि मनुष्य ईश्वर नहीं है, वह अपूर्ण है, उसमें कुछ दुर्बलताएं हैं और रहेंगी। अतः हम कह सकते हैं कि सब कठिनाइयों और शंकाओं के होते हुए भी गांधी जी के ब्रह्मचर्य का कम महत्व नहीं है। वर्तमान युग में तो इस व्रत की और भी अधिक आवश्यकता है। यदि गहराई से देखा जाए तो गांधी जी अपने व्रत में साधारण सुख की बात नहीं करते, बल्कि ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां अन्त में मुमुक्षुओं की प्रधानता होगी और राम-राज्य की स्थापना होगी।

मुख्य शब्द - ब्रह्मचर्य, संस्कृति, व्यवस्था, व्रत, मूल्य, सिद्धि

गांधी जी का ब्रह्मचर्य-विचार उसका नवीन अपना विचार नहीं है। उन्होंने तो केवल इसे जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अर्थात् जिसका पालन कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित था गांधी जी ने एक दूसरे दृष्टिकोण से जनसाधारण को भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सुगम बनाने का प्रयत्न किया। ब्रह्मचर्य अति प्राचीन व्यवस्था का एक अंग है। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था का नियोजन किया गया है जिसमें साधारणतः व्यक्ति की आयु सो वर्ष मानी गई और इस व्यवस्था को चार भागों में बांटा गया। ये हैं- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास।<sup>1</sup> इस प्रकार प्रगतिशील व्यक्तिगत जीवन यात्रा की सम्पूर्ण अवधि के ये चार आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य जीवन का पहला आरम्भ है। यह प्रारंभिक जीवन से लेकर पचीस वर्ष तक की आयु का आरम्भ है। ब्रह्मचर्य आरम्भ में

• एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, से.-14, पंचकुला (हरियाणा)

व्यक्ति ज्ञान और समस्त इन्द्रिय –निद्रह का पाठ सीखता है। तथापि सदाचारी बनता है।<sup>2</sup> इसका सम्बन्ध धर्म के आदर्श से है। गांधी जी ब्रह्मचर्य व्यवस्था को पूर्णतः स्वीकार किया है। क्योंकि वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के बिना किसी तर्क वितर्क के मानते हैं। इसके साथ ही गांधी जी ब्रह्मचर्य को व्रत की संज्ञा देते हैं।

गांधी जी ब्रह्मचर्य को एक व्रत के रूप में देखते हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अस्वाद, अभय, सर्वधर्मसभाव, अस्पृश्यता-निवारण कार्य श्रम और स्वदेशी ये एकादश व्रत बतलाए हैं। साधारणतः देवी-देवताओं के लिए किए गए अनुष्ठान को व्रत कहा जाता है परन्तु गांधी जी इसका बड़ा गहरा अर्थ लेते हैं। उनके अनुसार व्रत का अर्थ है- अटल निश्चय<sup>3</sup> अर्थात् जो असुविधा सहन करने पर भी भंग न हो उसे ही अटल निश्चय कहा जाता है। गांधी जी इन्हीं व्रतों को नैतिक सिद्धान्त कहते हैं। गांधी जी ब्रह्मचर्य को तीसरा व्रत मानते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति के लिए ब्रह्मचर्य को बहुत महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि शाब्दिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पूर्ण और उचित अर्थ ब्रह्म की खोज है। ब्रह्म की खोज पूर्ण इन्द्रिय-संयम के बिना असम्भव है। अतः ब्रह्मचर्य का अर्थ है- मन, वचन, कर्म से समस्त इन्द्रियों पर संयम रखना। आमतौर केवल जननेन्द्रिय संयम तक ही ब्रह्मचर्य को सीमित रखा गया है जबकि गांधी जी इसके लिए समस्त इन्द्रियों का संयम अनिवार्य मानते हैं। वे कहते हैं कि “जननेन्द्रिय विकार के निरोध को ब्रह्मचर्य का पालन मान लिया गया है। मेरे ख्याल में यह व्याख्या अधूरी और गलत है। विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। निःसन्देह जो अन्य इन्द्रियों को जहां-तहां भटकने देकर एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है।”<sup>4</sup> गांधी जी ब्रह्मचर्य की विशद व्याख्या करते हुए कहते हैं कि “इसमें क्या शक है, जो कान से विकारपूर्ण बातें सुने, आंख से विकार उत्पन्न वस्तुएँ देखे, जीभ से विकारोत्तेजक वस्तु का स्वाद ले, हाथ से उसका स्पर्श करे और ऐसा होते हुए भी जननेन्द्रिय को वश में रखने का इरादा रखे तो ऐसे व्यक्ति का प्रयत्न तो अग्नि में हाथ देने पर उसे न जलने देने का प्रयत्न जैसा ही हुआ।”<sup>5</sup> वे ब्रह्मचर्य के मात्र जननेन्द्रिय नियन्त्रण संकुचित अर्थ के लिए कहते हैं कि “मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य की संकुचित व्याख्या से नुकसान हुआ है। अतः ब्रह्मचर्य को सार्वभौम प्रेम के अर्थ में लेना चाहिए। इसमें सर्वेन्द्रिय का संयम होना चाहिए। मात्र जननेन्द्रिय जैसा अधूरा अर्थ तो हम भूल जाएं।”<sup>6</sup>

गांधी जी ब्रह्मचर्य को एक मानसिक अवस्था मानते हैं। मनुष्य की आन्तरिक अभिव्यक्ति ही उसका ब्रह्म आचरण है। लेकिन ब्रह्म आचरण के नियन्त्रण से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता है। वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन तीन प्रकार से करना है- मन से, वाणी से और शरीर से। वे मानते हैं कि जब तक मन में विकार का लेशमात्र रहेगा तब तक विषयेन्द्रिय के जागृत होने की सम्भावना रहती है। शरीर अपने हाथ में रहता है, परन्तु मन जल्दी से काबू में नहीं आता। वाणी की गिनती शरीर में की जा सकती है, हालांकि वाणी का प्रेरक मन है, किन्तु अपने आप में वह शारीरिक वस्तु ही है। फिर ज्यों-ज्यों मनुष्य मन को जीतता जाता है, त्यों-त्यों शरीर किसी तरह की जोर जबरदस्ती के बिना अंकुश में रहता है। किन्तु जब तक मन को सम्पूर्ण रूप से न जीत लिया जाए तब तक स्खलन की सम्भावना बनी रहती है। स्खलन से डरना नहीं चाहिए। डर तो मन के विषय में

होना चाहिए। स्वलन मानों कुदरत की और इस बात की चेतावनी है कि मन पर अभी पूरा नियन्त्रण नहीं हुआ है।<sup>7</sup>

प्राचीन काल से ही यह माना जाता रहा है कि ब्रह्मचर्य कुछ ही लोगों के लिए है। परन्तु गांधी जी ब्रह्मचर्य को कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित नहीं मानते। वे इसे सभी के लिए आवश्यक मानते हैं। जब गांधी जी यह कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि विवाहित व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं? इस सम्बन्ध में गांधी जी का विचार है कि उन्हें अविवाहित व्यक्तियों की तरह रहने का प्रयास करना चाहिए। वासना रहित आचरण ही व्यक्ति को पूर्ण आत्मसंयम जैसे महान आदर्श की ओर अग्रसर कर सकता है। वे विवाहितों के लिए भी इसे अनिवार्य इसलिए मानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना कोई भी मनुष्य सत्य का, ईश्वर का, तथा अहिंसा का कभी पालन नहीं कर सकता।<sup>8</sup> गांधी जी ब्रह्मचर्य के आदर्श को रखते हुए आगे कहते हैं कि सर्वप्रथम तो मनुष्य को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने का आदर्श रखना चाहिए। अर्थात् विवाह नहीं करना चाहिए। परन्तु विवाह करना पड़े तो उसमें वासना का स्थान नहीं होना चाहिए। यदि पति-पत्नी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ हैं तो उन्हें केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही सहवास करना चाहिए अन्यथा नहीं।<sup>9</sup>

यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से सम्भव है? इस पर गांधी जी कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्मचर्य एक आदर्श स्थिति है और अपूर्ण मनुष्य इस व्रत को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर सकता, किन्तु तब भी हमें चाहिए कि हम उसी प्रकार आदर्श को अपने सामने रखें और उस तक पहुँचने की शक्ति भर चेष्टा करें, जिस प्रकार जब बच्चों को बारह-कड़ी लिखना सिखाया जाता है तो उन्हें अच्छे-से-अच्छा नमूना सिखाया जाता है और वे यथाशक्ति से उसकी हूबहू नकल करने की चेष्टा करते हैं।<sup>10</sup> कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य, अहिंसा आदि व्रतों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन करना अपूर्ण व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। फिर भी उसे इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है और ब्रह्मचर्य के स्थायित्व के लिए उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए गांधी जी प्रार्थना और उपवास को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि प्रार्थना और उपवास से व्यक्ति में त्याग की भावना और आत्मबल उत्पन्न होता है। इसी आत्मबल द्वारा इन्द्रियों पर नियन्त्रण किया जा सकता है। अर्थात् इन्द्रिय-दमन हेतु इच्छा-पूर्वक किए उपवास से बड़ी सहायता मिलती है। फिर वे कहते हैं कि उपवास करते हुए मनुष्य विषय सक्त रहता है। परन्तु उपवास के बिना विषयासक्ति का समूल विनाश सम्भव नहीं, इसलिए उपवास ब्रह्मचर्य-पालन का अनिवार्य अंग है।<sup>11</sup>

गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को ज्ञानात्मक, तात्त्विक, जैविक, नैतिक एवं सामाजिक, सभी प्रकार के मूल्यों की सिद्धि का साधन माना है और ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्म-रक्षण होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर प्रतिबन्ध लगता है। समाज सेवकों को व्यवहारिक चिन्ताओं से छुटकारा मिलता है और महान् कार्यों को करने में मन पूरा साथ देता है। विवाहित स्त्री-पुरुष में स्वार्थ रहित प्रेम उत्पन्न होता है। इन सामाजिक लाभों को देखते हुए गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। क्योंकि उस समय गांधी जी के सामने ऐसी ही स्थिति थी। इसलिए उनके मन में समाज-कल्याण की भावना

का अधिक प्रभाव था। डॉ. दत्त ने लिखा है कि “असल में गांधी जी अपनी सम्पूर्ण शक्ति सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में लगाना चाहते थे। इसके लिए इन्द्रिय संयम को उन्होंने अत्यन्त आवश्यक माना है।”<sup>12</sup> इस लिए गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के व्रत को व्यक्ति के लिए अति आवश्यक माना। लेकिन व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता क्योंकि वह अपूर्ण है। फिर भी उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न करने की स्थिति में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जिस प्रकार पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य भी नहीं हो सकता। परन्तु वह इसके नजदीक अवश्य पहुँच सकता है। अपने इस निरन्तर प्रयास में उसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। गांधी जी के ब्रह्मचर्य-व्रत में कुछ कठिनाइयाँ और शंकाएँ उठाई जाती हैं। जब उन्होंने स्वयं यह व्रत लिया था उस समय में भी लोगों ने शंकाएँ उठाई थी। जिनके गांधी जी ने जवाब भी दिए। आज भी शंकाएँ उठाई जा रही हैं। हम उन्हीं को देखेंगे। शंका यह है कि गांधी जी की ब्रह्मचर्य-धारण में भावात्मक पक्ष स्पष्ट नहीं है। निषेधात्मक पक्ष पर ही विशेष रूप से विचार हुआ है। उन्होंने अहिंसा और ब्रह्मचर्य दोनों को ही प्रेम कहा है, तो फिर ब्रह्मचर्य का अलग से क्या अर्थ रह जाता है।<sup>13</sup> इसके साथ ही सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य को अप्राप्य माना गया है। अतः ब्रह्मचर्य का साक्षात्प्रमाणीकर सम्भव नहीं है।

डॉ. बी. पी. सिंह ने लिखा है कि “यह सही है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि उन्होंने अनेक कठिनाइयों का अनुभव करते हुए भी दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया और उनका यह प्रयास प्रशंसनीय है। किन्तु अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जो सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं और जिन्हें वे सभी साधारण व्यक्तियों पर लागू करना चाहते हैं, उनका अधिकार, आधुनिक मनोवैज्ञानिक समर्थन नहीं करते। वास्तव में ब्रह्मचर्य का मनोवैज्ञानिक समर्थन नहीं करते। वास्तव में ब्रह्मचर्य चाहे कितना ही महान आदर्श क्यों न हो, इसकी भी अपनी सीमाएँ हैं, जिन्हें सामाजिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों को ध्यान रखकर समझ लेना आवश्यक है।”<sup>14</sup>

मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अधिकतर प्राचीन और आधुनिक विद्वान यह मानते हैं कि कामवासना मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की प्रबलतम प्रवृत्तियों में से एक है। फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अध्ययन एवं अन्वेषण से भी सिद्ध हुआ है कि वाणी और कर्म पर तो पर्याप्त नियन्त्रण रखा जा सकता है। किन्तु कामवासना का भी निराकरण नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर इसके भयानक परिणाम सामने आते हैं। कामवासना की उचित तृप्ति उतनी ही आवश्यक है जितनी भूख, प्यास, निद्रा आदि अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की। ऐसी स्थिति में सामान्य मनुष्य से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने की आशा रखना या ऐसा उपदेश देना उसकी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को देखते हुए व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता।

उपर्युक्त जो शंकायें विद्वानों द्वारा उठाई गई हैं हम उन्हें निराधार नहीं कह सकते। परन्तु ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी इन कठिनियों से अनभिज्ञ होंगे। यह सब जानते हुए भी उन्होंने माना है कि मनुष्य ईश्वर नहीं है, वह अपूर्ण है, उसमें कुछ दुर्बलताएँ हैं और रहेंगी। फिर हम ऐसा कोई भी नियम नहीं बना सकते जो हर समय हर परिस्थिति में लागू किया जा सके। विज्ञान में भी आज तक कोई ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं बना है जो हर समय हर

स्थिति में लागू हो, फिर ब्रह्मचर्य तो एक नैतिक नियम है। नैतिक नियम कोई भी हो उसमें कुछ-न-कुछ कठिनाइयाँ अवश्य रहेंगे। जब एक बार व्यक्ति इसके रस के आनन्द में रम जाता है तब उसे यह सब कठिनाइयाँ नहीं रोकती। गांधी जी कहते हैं कि “विषयों का रस तो ईश्वर की झांकी होने पर भी निवृत्त होता है। ईश्वर-साक्षात्कार का रस जिसे मिल जाता है व दूसरे रसों को भूल जाता है।”<sup>15</sup> ब्रह्मचर्य-व्रत ईश्वर के साक्षात्कार का साधन तो है। अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी कठिनाइयों और शंकाओं के होते हुए भी गांधी जी के ब्रह्मचर्य-व्रत का कम महत्व नहीं है। वर्तमान युग में तो इस व्रत की और भी अधिक आवश्यकता है। क्योंकि आज नैतिकता खत्म होती जा रही है, मनुष्य स्वार्थी हो गया है और जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है। इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य के पालन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यदि गहन विचार करके ध्यान से देखा जाए तो गांधी जी अपने व्रत में साधारण सुख की बात नहीं करते, बल्कि ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ अन्त में मुमुक्षुओं की प्रधानता होगी और राम राज्य की स्थापना होगी।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. हरि सिंह, समाज-दर्शन का परिचय, निर्मल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ.- 183
2. वही, पृ.-181
3. गांधी, मंगल-प्रभात, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. - 45
4. गांधी, ब्रह्मचर्य, भाग - 1, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.-7
5. वही
6. वही
7. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, भाग-33, पत्र: मणिलाल नथुबाई दोषी को, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, प्रकाशन विभाग, दिल्ली, पृ.- 442
8. गांधी, ब्रह्मचर्य, भाग-I, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.-5.
9. वही
10. ब्रह्मचर्य, सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड-24, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, प्रकाशन विभाग, दिल्ली, पृ.-124
11. सम्पादक, आचार्य त्रिलोकचन्द ब्रह्मचर्य पर महात्मागांधी के अनुभव, प्राकृतिक चिकित्सा आश्रम, शामली, पृ. - 78-79
12. डॉ. धीरेन्द्र मोहन दत्त, महात्मा गांधी का दर्शन, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ.-75
13. सम्पादक हरिमोहन झा, दार्शनिक विवेचनाएं (दर्शन-संगोष्ठी -ग्रंथ), बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ.-45
14. डॉ. वेद प्रकाश वर्मा, महात्मा गांधी का नैतिक दर्शन, इन्दू प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 69-71
15. गांधी गीता-माता, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 131-132

## छत्तीसगढ़ी भाषा : छत्तीसगढ़ की पहचान

• सोनू कुमार मिश्रा  
•• सविता मिश्रा

सारांश- अन्य राज्यों की ही तरह छत्तीसगढ़ राज्य की भी अपनी राजभाषा छत्तीसगढ़ी है जो इसे पृथक पहचान दिलाने में समर्थ है। यह आज बोली की परिधि से ऊपर उठकर साहित्यिक, पत्रकारिता, मीडिया, और शिक्षण संस्थानों तक अपनी पहुँच कायम कर चुकी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य की एकता, समृद्धि को सुदृढ़ करने में इस भाषा की महति योगदान है। ऐसी संभावना की जा रही है कि भविष्य में इस भाषा की क्षेत्र में और भी अधिक विस्तार होगी।

### मुख्य शब्द - राजभाषा, बोली, एकता, जनसमुदाय

छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थानीय जनसमुदाय गुरतुर भाषा के नाम से जानता, मानता और स्वीकारता है। नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ी की स्थापना उपरांत इस अंचल की भाषा को बहुत अधिक महत्व और प्रश्रय मिला। यून तो यह भाषा छत्तीसगढ़ की मातृत्व राज्य मध्यप्रदेश के शासनकाल में भी फलता-फूलता रहा परंतु यह मध्यप्रदेश का अंग होने के कारण इसे जो स्थान मिलनी चाहिए थी वह मिल नहीं पा रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य की आन-बान और शान को हम छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत देख सकते हैं। भाषा ही वह विशाल वृक्ष होता है जिसके अंतर्गत वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ रूपी टहनियाँ निर्भर करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सदैव से ही शांतिप्रिय, मिलनसार, कर्मठ प्रदेश रहा है। इस दृष्टिकोण से भी यह भाषा एक बहुमूल्य स्थान रखती है। छत्तीसगढ़ राज्य में इससे पूर्व हिन्दी ही एक राजकाज की भाषा थी जो कि मुट्ठी भर शिक्षित लोगों के वश में थी। इस भाषा का उपयोग पढ़े लिखे लोग या शहर के लोग ही कर पाते थे। चूँकि इस राज्य की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण जीवन-यापन करती है। ग्रामीण लोगों तक इसकी पहुँच न के बराबर होती थी। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक जनता को ही चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण शासकीय कार्यालयों, कर्मियों से वार्तालाप करना ही पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ की जनसंख्या को अनेक कार्यालयीन व्यवधान का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सभी परिस्थितियों का आकलन, अनुमान कर यहाँ के स्थानीय राजनीतिज्ञों, वरिष्ठ साहित्यकार, विज्ञान, परोपकारी आत्माओं का ध्यान एक ऐसे राज्य निर्माण की ओर

- शोधार्थी, शोध-केंद्र, शासकीय दू.ब. महिला स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय-रायपुर (छ.ग.)  
•• प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष (हिंदी), शासकीय दू.ब. महिला स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय-रायपुर (छ.ग.)

गया जहाँ जनसंख्या अपना मत-अपनी विचार स्वतंत्रतापूर्वक, निर्भीकता से कह सके एवं अपनी समस्या का स्थायी समाधान प्राप्त कर सके। परिणामस्वरूप विभिन्न संघर्षोपरांत आज एक राज्य का निर्माण हो सका है, जिसे छत्तीसगढ़ कहकर जनता गौरवान्वित एवं महिमामंडित होती है। छत्तीसगढ़ी भाषा केवल कुछ जिलों तक ही सीमित न होकर सम्पूर्ण राज्य सहित पड़ोसी राज्य यथा उड़ीसा के कुछ जिले में भी आसानी से बोली समझी जाती है। इस भाषा को समझने में तो बहुत से लोग सक्षम हो जाते हैं, भलेहि बोलने में अंतर राज्य निवासियों को अल्प परेशानी होती है। इस भाषा को सीखना भी आसान ही है क्योंकि हिन्दी भाषा की तरह ही इस भाषा की भी प्रकृति है। इस भाषा की लिपि भी हिन्दी की ही तरह देवनागरी लिपि है। यह भी अन्य भाषा की ही तरह अपने प्रारंभिक रूप में बोली थी जिसमें सुधार होकर यह परिमार्जित रूप से आज एक भाषा ही नहीं वरन् इसमें उच्च श्रेणी की साहित्यिक रचनाएँ भी देखने को मिलती हैं। अनेक साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य की अपनी लेखनी के माध्यम से सेवारत हैं वे अपनी अश्रु स्वेद से इसे अधिक व्यापक एवं उत्कृष्ट कोटि का बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे साहित्यकार जो अपनी विभिन्न समाजोपयोगी रचनाओं के माध्यम से दूरस्थ निवासित सुदूर जनाधिक्य तक पहुँच रहे हैं, जिनके संपर्क में आकर मैं अभिभूत हुआ अग्रवर्णित है-डॉ. चित्तरंजन कर, डॉ. विभाषा मिश्र, डॉ. विनय कुमार पाठक, डॉ. सविता मिश्रा, डॉ. अनसूया अग्रवाल, डॉ. सुधीर शर्मा, डॉ. शैल शर्मा, पुनू राम साहू (राज), डॉ. सुशील त्रिवेदी आदि नाम सादर लिये जाते हैं। “छत्तीसगढ़ी या किसी भी भाषा की पहचान उसकी शैली या लहजे से होती है, जिसके अंतर्गत उच्चारण-शैली तथा शब्द प्रयोग की प्रवृत्ति को समावेश किया जा सकता है।”<sup>1</sup> “छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की लगभग 02 करोड़ जनता द्वारा बोली, समझी जाने वाली लोकभाषा है, जो हिन्दी की सहोदरा है। अतः यहाँ दो बहनें गलबाहें डाले चलती हैं और परस्पर आदान-प्रदान से स्वयं को पुष्ट समृद्ध करती हैं। प्रत्येक जीवित या प्राकृत भाषा अन्य भाषाओं से शब्द लेकर अभिव्यक्ति सक्षम होती है। छत्तीसगढ़ी में संस्कृत, हिन्दी के अलावा अंग्रेजी, मराठी, ओड़िया, अरबी-फारसी आदि के शब्द क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार समाहित होकर सामाजिक संपर्क को गति देते हैं, परंतु उसी रूप में नहीं वरन् अनुकूलित होकर, जैसे अंग्रेजी शब्द doctor, हिन्दी में डॉक्टर और छत्तीसगढ़ी में डाक्टर के रूप में प्रयुक्त होता है”<sup>1</sup>

छत्तीसगढ़ के द्वितीय मुख्यमंत्री के पद पर गौरवान्वित डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बाद अब छत्तीसगढ़ी भाषा पर अनौपचारिक चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा दिलाना हमारे विशेष कर्तव्यों में से एक है। उन्होंने इसे राज्य के 2 करोड़ लोगों की स्वाभिमान बतलाया, यह पूछने पर कि छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा देने आपने क्या कदम बताये हैं? श्री रमन सिंह ने कहा कि हमने पूर्व में गृहमंत्री श्री चिन्मयानंद को ज्ञापन सौंपा है जिसमें छत्तीसगढ़ को भाषागत आधार पर पहचान दिलाने की आवश्यकता बतलाई है।

“जिनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, उन्हें तो गर्व और गौरव के साथ छत्तीसगढ़ी में लोक व्यवहार करना चाहिए लेकिन गुलामी मानसिकता की शिक्षा पध्दति से इसमें भी शिथिलता देखी गई है। इसके बावजूद नई पीढ़ी में छत्तीसगढ़ की अस्मिता के अन्वेषण का

आयाम अनावृत हुआ है, परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ में बोलने के साथ पढ़ने लिखने की भी प्रोन्नत हुई है जो इसके उज्ज्वल भविष्य के कारक कहे जा सकते हैं।<sup>3</sup> “छत्तीसगढ़ी मीठी भाषा है और मिठास का आस्वाद करके ही वह सबके लिए रुचिकर बनने की क्षमता भी रखती है, फिर क्यों इसे कटु-तिक्त बनाये जाये जैसे हिंदी नहीं थोपी गई इसलिए वह फलती-फूलती रही, वैसे ही छत्तीसगढ़ी को भी आरोपित करने का कुत्सित प्रयास भाषा और प्रदेश के लिए अहितकर होगा।”<sup>4</sup>

“छत्तीसगढ़ी का अधिसंख्य जनमानस लोकव्यवहार में छत्तीसगढ़ी का उपयोग करता है अतः जन-आकांक्षाओं की प्रपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ी वार्तालाप तो होना ही चाहिए।”<sup>5</sup> “छत्तीसगढ़ कृषक मजदूरों का राज्य है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इसकी संपर्क भाषा हिन्दी और छत्तीसगढ़ी है और जब छत्तीसगढ़ शासन ने उसे राजभाषा का दर्जा दिया है और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग को स्थापित किया है तब उसी मंशा के अनुरूप हिन्दी के साथ छत्तीसगढ़ी में राजकाज किया जाय यह अत्यावश्यक हो जाता है।”<sup>6</sup> “स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश में आंचलिक भाषाओं के विकास की ओर लोगों का ध्यान गया। हिन्दी के साथ प्रादेशिक व आंचलिक भाषा पर साहित्य-सृजन, समीक्षा व शोध के द्वार खुले, संप्रति छत्तीसगढ़ी भी इसका अपवाद नहीं रही। छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों के स्थापित होती ही यहाँ की संस्कृति, साहित्य व भाषा पर शोधकार्य गतिमान हुए। इस तरह आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ छत्तीसगढ़ी लोककला व लोकसांस्कृतिक कार्यक्रमों व महोत्सवों की धूम बढ़ी। तात्पर्य यह है कि विगत तीन-चार दशकों में छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य व संस्कृति का पर्याप्त विकास हुआ है।”<sup>7</sup> “भाषा और लिपि दो अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। एक ही लिपि को अनेक भाषाओं ने अपनाया है, जैसे-देवनागरी हिन्दी और मराठी में स्वीकृत है। छत्तीसगढ़ी की लिपि भी देवनागरी है, अतः वर्णमाला के सभी वर्ण स्वीकार्य हैं, यद्यपि उच्चारण की दृष्टि से भिन्नता है, जैसे-‘ऐ’ ध्वनि हिन्दी में मूल स्वर है, जबकि छत्तीसगढ़ी में यह संध्यक्षर है-‘अइ’ (जैसे-कैलास-कइलास, बैल-बइला)। इसी प्रकार ‘औ’ ध्वनि भी छत्तीसगढ़ी में संध्यक्षर है-‘अउ’ (जैसे-गौशाला-गउसाला, कौशल-कउसल)।”<sup>8</sup>

**छत्तीसगढ़ी भाषा और देवनागरी लिपि-** छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि हिन्दी भाषा की ही तरह देवनागरी लिपि ही है जैसा कि इससे पूर्व उल्लेख किया गया है। “आज से लगभग 137 वर्ष पूर्व लिखे गये छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरण में जिन आठ लिपियों को बहिष्कृत किया गया था, उनमें से द्विगुण व्यंजन ‘ड़’ व ‘ढ़’ का प्रचलन छत्तीसगढ़ी लिखने व बोलने में बरसों पहले से हो रहा है। जैसे-पांड़े, एड़ी, मुड़ी, सिढ़िया, बुढ़िया आदि। उसी व्याकरण का अनुकरण होते हुए भाषाविद् डॉ. रमेश चंद्र महरोत्रा ने वर्ष 2002 में ‘छत्तीसगढ़ी लेखन का मानकीकरण’ नामक एक व्याकरण पुस्तक लिखा।”<sup>9</sup>

**छत्तीसगढ़ी भाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत-**

**भाषाविद् डॉ. रमेश चंद्र महरोत्रा-**

1. छत्तीसगढ़ी भाषा में ‘श्’ और ‘ब्’ दोनों की ही आवश्यकता नहीं मानी जाती है, क्योंकि इन दोनों वर्णों का स्थान ‘स्’ ले लेता है। जैसे-शंभू को संभू, प्रकाश को प्रकास, शक्कर को सक्कर, षटकोण को सटकोण आदि।

2. वर्णमाला का एक व्यंजन ण् है, जिसे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में ण् व्यंजन का उच्चारण 'न्' बोलकर किया जाता है जिसे हम छत्तीसगढ़ी रूपांकन कह सकते हैं। जैसे:- नारायण-नारायन, कोण-कोन, द्रोण-दोन आदि।
3. इसी क्रम में वर्णमाला का व् व्यंजन भी लुप्तप्राय सी ही हो गयी है क्योंकि इसका स्थान 'बू' ने ले रखा है। जैसे:- कवि-कबी, वजन-बजन आदि।

**भाषाविद् डॉ. चित्तरंजन कर-** “भाषा की मानकीकरण हेतु लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया सुविधाजनक है। देवनागरी में कितने ही विदेशी ध्वनियाँ हेतु भी वर्ण बनाने का उपाय हुआ है। इससे विदेशी भाषा लेने में सुविधा होगी। रह गई बात विदेशी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिलने का, तो उसके लिये चिन्ता हमारा नहीं है, वह सरकार का मुद्दा है, जिसके लिये बुद्धिजीवी, साहित्यकारों की ओर से उपाय तो हो ही रहा है, और हमारा काम है उसका व्यवहार, प्रयोग। अपने मन से ये कुण्ठा या हीनभावना को निकाल देना चाहिये कि छत्तीसगढ़ी बोलने से हम लोग छोटे हो जायेंगे या दूसरे लोग हमको अशिक्षित कहेंगे। अपनी संस्कृति को बचाने के लिये भाषा के अतिरिक्त और कोई उदाहरण नहीं है। माता के समान अपनी मातृभाषा से जो सुख मिलेगा, वह दूसरी भाषा से नहीं मिलेगी।”<sup>10</sup>

**लेखक व समीक्षक डॉ. नरेंद्र देव वर्मा-** “भाषायें नदी की भाँति होती हैं जिसकी धारा निरंतर बहती रहनी चाहिए। उसमें अन्य स्रोत मिलते जाते हैं उसका स्वरूप बढ़ता जाता है। हम अगर उन स्रोतों को बंद कर दें (अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण न करें) तो उसका विकास अवरूद्ध हो जाएगा।”<sup>11</sup>

**निष्कर्ष-** उपरोक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्य राज्यों की ही तरह छत्तीसगढ़ राज्य की भी अपनी राजभाषा छत्तीसगढ़ी है जो इसे पृथक पहचान दिलाने में समर्थ है। यह आज बोली की परिधि से ऊपर उठकर साहित्यिक, पत्रकारिता, मीडिया, और शिक्षण संस्थानों तक अपनी पहुँच कायम कर चुकी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य की एकता, समृद्धि को सुदृढ़ करने में इस भाषा की महति योगदान है। ऐसी संभावना की जा रही है कि भविष्य में इस भाषा की क्षेत्र में और भी अधिक विस्तार होगा।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. लोकभाषा छत्तीसगढ़ी की पहचान, डॉ. चित्तरंजन कर डॉ. विभाषा मिश्र, स्मृति प्रिंट हाऊस प्रथम संस्करण 2020, कवर पृष्ठ से।
2. लोकभाषा छत्तीसगढ़ी की पहचान डॉ. चित्तरंजन कर डॉ. विभाषा मिश्र, स्मृति प्रिंट हाऊस प्रथम संस्करण 2020, प्रोचन पृष्ठ क्र. 07 से।
3. लोकव्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी, डॉ. विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण 2017 स्वकथ्य से।
4. लोकव्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी, डॉ. विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण 2017 स्वकथ्य से।
5. लोकव्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी, डॉ. विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण 2017 स्वकथ्य से।
6. लोकव्यवहार एवं कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी, डॉ. विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण 2017 स्वकथ्य से।

7. छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य व संस्कृति के विकास में डॉ. विनय कुमार पाठक का योगदान, डॉ. मनीष कुमार दीवान छत्तीसगढ़ टुडे पब्लिकेशन कोटा, रायपुर, प्रथम संस्करण 2003, प्राक्कथन से।
8. लोकभाषा छत्तीसगढ़ी की पहचान डॉ. चित्तरंजन कर डॉ. विभाषा मिश्र, स्मृति प्रिंट हाऊस प्रथम संस्करण 2020, प्रोचना पृष्ठ क्र. 08 से।
9. छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, डॉ. विनय कुमार पाठक डॉ. विनोद कुमार वर्मा, वदान्या पब्लिकेशन, नेहरू नगर, बिलासपुर, द्वितीय संस्करण 2019. पृष्ठ क्र. 19.
10. छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, डॉ. विनय कुमार पाठक डॉ. विनोद कुमार वर्मा, वदान्या पब्लिकेशन, नेहरू नगर, बिलासपुर, द्वितीय संस्करण 2019. पृष्ठ क्र. 22.
11. छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, डॉ. विनय कुमार पाठक डॉ. विनोद कुमार वर्मा, वदान्या पब्लिकेशन, नेहरू नगर, बिलासपुर, द्वितीय संस्करण 2019. पृष्ठ क्र. 24

## डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा के सुबह की तलाश में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का स्वरूप

- चंचल बाला
- सविता मिश्रा

---

सारांश- छत्तीसगढ़ की संस्कृति विश्वपटल पर अपनी अलग अंदाज के लिए प्रसिद्ध है। डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा ने अपने आंचलिक उपन्यास सुबह की तलाश में पूर्णतः छत्तीसगढ़ी संस्कृति और संस्कार को उकेरा है। यहां की वेशभूषा खान-पान, तीज-त्यौहार, रहन-सहन और आचार - विचार मन को भा जाता है। बोरे बासी संग पताल चटनी' खाने वाले छत्तीसगढ़िया लोग आज भी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं।

---

मुख्य शब्द - संस्कृति, संस्कार, वेशभूषा खान-पान, तीज-त्यौहार, रहन-सहन

छत्तीसगढ़ की संस्कृति भारतीय संस्कृति की तरह प्राचीन है। छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण में दो कौशल का वर्णन मिलता है पहला उत्तर कौशल और दूसरा दक्षिण कौशल। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। श्री वृंदावन लाल वर्मा के अनुसार- “संस्कृति” यह तो बड़ा व्यापक शब्द है, तिथि-त्यौहार, उत्सव-समारोह, मेले-ठेले नाच-गान, यहां तक कि रोना, पीटना भी सब संस्कृति की परिधि में है।<sup>11</sup> छत्तीसगढ़ की संस्कृति वास्तव में एक लोकसंस्कृति है, जिनकी विश्वपटल पर अपनी एक पहचान है, यहां की वेशभूषा, रीति-रिवाज, खान-पान, अन्य से अलग है। छत्तीसगढ़ के निवासी बहुत ही भोले-भाले सरल व सहज हैं।

डॉ. पी.सी. लाल यादव जी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति यहां के लोगों के जीवन का दर्पण है जिसमें उनके रीति-रिवाज, रहन-सहन आचार-विचार उनके धर्म-कर्म तीज- त्यौहार और क्रिया-व्यवहार का उज्ज्वल रूप प्रतिबिंबित होता है।<sup>12</sup> अतः सुबह की तलाश में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रूप में भाषा बोली, खानपान, रहन-सहन, तीज-त्यौहार, धार्मिक गतिविधियां, समारोह, उत्सव, मड़ई, आचार-विचार, नाच-गान इत्यादि प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करेंगे।

1. बैलगाड़ी- सुबह की तलाश में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुसार बैलगाड़ी का

---

• शोधार्थी, शासकीय दुग्धाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)  
•• शोध निर्देशक, शासकीय दुग्धाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

जिक्र किया गया है, बैलगाड़ी का तात्पर्य जिस गाड़ी में बैल फंदे होते हैं, अर्थात् जो गाड़ी बैलों के द्वारा चलती है, आगे बढ़ती है वही छत्तीसगढ़ की बैलगाड़ी है। गाड़ी नहीं, बगधी है बगधी। और बैल? गड़हे का इशारा पाते ही हवा से बातें करते। घोड़ा क्या दौड़ेंगे? कंधे तक ऊंचे बैल? गजब के फुर्तीले, शंख जैसे सफेद। छूने से डर लगता कि कहीं मैले न हो जाएं। जैसे तेज वैसे ही सीधे। बच्चे उनकी टांगों के बीच से निकल जाएं पर क्या मजाल कि वे तनिक भी हिले डुलें। शंख जैसे सफेद थे अमोलीडीह के ठाकुर के बैल।<sup>3</sup> छत्तीसगढ़ में आज भी बैलगाड़ी पूजनीय है। यात्रा व मालवाहक कार्यों में इनकी उपयोगिता है। श्री बी. डी. एल. श्रीवास्तव जी कहते हैं, “ करिया रे बइला के सिंग बढ़िया सुख दुख गोठियाबे, गाड़ी म चढ़ी आ।”<sup>4</sup>

**2. तालाब-** छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में हमें आज भी तालाब देखने को मिलते हैं जहां लोग उनके शीतल जल से स्नान करते हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर में 365 से भी अधिक तालाब हैं। इसीलिए रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। ऐसे ही ‘सुबह की तलाश’ उपन्यास में भी तालाब का वर्णन किया गया है, जिसमें डॉ. वर्मा लिखते हैं, “लटी तब बैलों को धीरे से पुचकरेगा, पल- भर में गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी सरोना के तालाब के किनारे, तब उतरेगा लटी, और फिर उतरेगी सुहद्रा ठकुराइन।”

**3. शिव मंदिर-** छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में हमें शिव मंदिर देखने को मिलता है। किसी गांव में वह ब्रह्मादेव के रूप में विराजमान है, कहीं सांहड़ा देव के रूप में विराजमान है तो और कहीं किसी और नाम से ही विराजित है। महादेव को ‘भोला’ भी कहते हैं। अर्थात् यह बहुत ही भोले-भाले हैं और अन्य देवताओं से अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। इसी प्रकार सुबह की तलाश में भी महादेव की महिमा का वर्णन किया गया है। “वहां पर है सरोना गांव। यह राजपूतों का गांव है और उन्होंने ही दो तीन सौ साल पहले यहां महादेव का मंदिर बनवाया था। बड़े जागृत देवता है महादेव। सावन में हर सोमवार को यहां मेला लगता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई हर सावन में सोमवार को उपवास रखें और मंदिर से लगे सरोवर में स्नान कर महादेव को जल चढ़ाएं तो महादेव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं, इसीलिए तो सुहद्रा ठकुराइन ने सात साल तक निर्जला सावन - सोमवार का व्रत किया था।”

**4. दान देने की संस्कृति-** छत्तीसगढ़ के अधिकांश उत्सव और पर्व में दान देने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ के लोगों के ऐसी मान्यता है कि दान करने से धन घटता नहीं है बल्कि और बढ़ता है जिस प्रकार अन्न का एक बीज धरती में गिरता है तो भगवान उस एक दाना के बदले आपको कई गुना फल देता है। उसी तरह दिए गए दान भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फलीभूत होते हैं। “अब कहीं सुहद्रा मंदिर से निकलेगी निकलते समय वह पुजारी की दक्षिणा नहीं भूलती चांदी के मुंडे रुपयों की खनक से पुजारी का मन गदगद हो जाता है। भावाविष्ट होकर वह आशीर्वाद देता है, “दूधो नहाओ, पूतो फलो ठकुराइन। महादेव तुम्हारी मनोकामना पूरी करें।” स्कूल से लगा हुआ भांठा जमीन को भगवा पंडित स्कूल के लिए दान कर देते हैं, और उसी जमीन को लेने के लिए सीमेंट कारखाने वाले। एकड़ का 10000 रुपये फगवा पंडित को दे रहे थे पर फगवा पंडित ने उसे मंजूर नहीं किया। पुरखिन दाई ( श्रीमती कौशल्या देवी) ने अपनी सारी संपत्ति स्कूल में दान कर दी

और वही स्कूल 'श्रीमती कौशल्या देवी उच्चतर माध्यमिक शाला' के भवन के नाम से निर्माण किया गया।

**5. हाट बाजार** - छत्तीसगढ़ की संस्कृति में ऐसी परंपरा है कि सप्ताह में कम से कम एक निश्चित दिन बाजार होता है जहां आसपास गांव के लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदते हैं। सुबह की तलाश में भी हाट बाजार का वर्णन आया है। "मोवा बाजार, करीब में छोटे-छोटे गांव बसे हैं डांगनिया तो पीछे छूट गया है मोवा गांव के भांटे में लगता है बाजार। इसलिए इसे मोवा बाजार कहते हैं।"

**6. पंचकोशी यात्रा** - जिस प्रकार पूरे भारत में बारह ज्योतिर्लिंग का महत्व है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में पंचकोशी धाम का महत्व बताया जाता है। जहां चंपारण्य का चंपेश्वर, बम्हनी का बम्हनेश्वर, फिंगेश्वर का फनीकेश्वर, कोपरा का कोपेश्वर और पटेवा का पाटेश्वर महादेव सम्मिलित है। ऐसी मान्यता है कि पंचकोशी धाम के इन मंदिरों में पैदल जाकर दर्शन और पूजा करने से, जल चढ़ाने से मनुष्य के सारे दुख, दारिद्र्य और संकट समाप्त हो जाते हैं। राजिम में पंचकोशी की यात्रा हर साल कार्तिक अग्राहन से पौष माघ तक चलती रहती है। यह पंचकोशी यात्रा कुलेश्वर नाथ मंदिर से शुरू होती है, और वहीं समापन की जाती है। सुबह की तलाश में सुहद्रा भी अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना से सोचती है, "अगर यह सच हो तो सुहद्रा सभी मंदिरों में जल चढ़ाएंगी राजिम की पंचकोशी यात्रा करेगी घी के दिए जलाएगी।"

**7. नाम लेने का अंदाज**- भारतीय संस्कृति में व्यक्तियों के नाम उनके जन्म समय के राशियों के आधार पर रखा जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्मों के द्वारा अलग-अलग नामों से भी अलंकृत होते हैं। पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति में नाम रखने का तरीका ही अलग है। जैसे, सोमवार को जन्म लेने वाले - समारू, मंगलवार को जन्म लेने वाले- मंगलू, बुधवार को जन्म लेने वाले - बुधारू आदि। वैसे ही कई बार अलग-अलग स्थानों की महत्ता के आधार पर भी बच्चों के नामकरण कर दिए जाते थे। वैसे ही 'सुबह की तलाश' के नायक का नाम "पंडरभट्टा में खारून के किनारे सोमेश्वर महादेव का मंदिर है इसीलिए बिसरू ने भी अपने बेटे का नाम रखा सोमेश्वर।" छत्तीसगढ़ के गांव में कई लोगों को अक्षर ज्ञान न होने के कारण नाम लेने में असुविधा होती है इसलिए वह अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उनका नामकरण कर देते हैं। जैसे -

गांव की माता अनुसुइया के लिए इसका नाम था 'सोमेश्वर'।

मास्टर आशाराम के अनुसार इनका नाम रखा - समारू

बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने के कारण कुछ लोगों के अनुसार इनका नाम रखा - बुनियादी गुरुजी।

अमोलीडीह स्कूल में सोमेश्वर पहली बार आया इसलिए फगवा पंडित ने उसे- नेवरिया गुरु जी कहा।

रणधीर के लिए - मरार का बच्चा।

सुहागा के लिए- गुरुजी।

कनछेदी के लिए - सुरजिहा।

**8. अतिथि सत्कार-** छत्तीसगढ़ में ऐसी संस्कृति है कि, कोई भी अतिथि आता है उसको हम लोटा में जल भरकर पैर धोने के लिए देते हैं। सोमेश्वर जब मास्टर बन कर आता है उस समय पुरखिन दाई बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करती है और लोटे में जल भरकर सोमेश्वर को देते हुए पुरखिन ने कहा - “पहले हाथ- मुंह धो-लो, थिरा लो, फिर जाना स्कूल।”

**9. पिंड दान-** छत्तीसगढ़ की संस्कृति में माता-पिता का पिंडदान पुत्र द्वारा होता है। वैसे ही ‘सुबह की तलाश’ में सोमेश्वर श्रवण कुमार की तरह अपने माता-पिता की सेवा करना चाहता है, परंतु अनुसुइया अपने पुत्र के विरह में सोमेसर - सोमेसर नाम रटते रटते स्वर्ग सिधार जाती है। दाह - कर्म के बाद मिट्टी के बर्तन में अस्थि संग्रह की जाती है और फिर उनका पुत्र उन्हें गंगा ले जाकर अस्थि विसर्जित करता है। हमारी छत्तीसगढ़ी-संस्कृति की मान्यता है कि तभी उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिसरू ने सोमेश्वर से कहा - “अभी तो उसके फूल यही हैं, तुम्हीं उन्हें गंगा दे देना।”

**10. मित्रता की परंपरा-** मित्रता की परंपरा बड़ी ही प्राचीन है ‘रामचरितमानस’ में राम और सुग्रीव की मित्रता को बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है जो एक दूसरे पर जान निछावर करने के लिए आतुर रहते हैं।

“जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हहिं बिलोक पातक भारी।

निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना।”<sup>15</sup>

मित्रता के लिए साक्ष्य आवश्यक है जैसे “छत्तीसगढ़ में भोजली, जंवारा, गंगाजल, महाप्रसाद आदि को साक्षी मानकर मितान बदने और जीवन भर उस रिश्ते को निभाने की परंपरा है। यहां लोग गजामूंग को साक्षी रखकर भी मितान बदते हैं।”<sup>16</sup> जहां सुहद्रा ठकुराइन और पुरखिन की मित्रता उस क्षेत्र के लिए एक मिशाल है। दोनों एक ही गांव की बेटी हैं, और दोनों एक ही गांव में ससुराल आए हैं दोनों हमजोली हैं। ‘सुहद्रा ठकुराइन थी पुरखिन की मुंहबोली बहन, सखी, गजामूंग।’

**11. सधौरी -** छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कोई भी स्त्री जब पहली बार गर्भवती होती है तब सातवें महीने में मायके पक्ष से 7 प्रकार की रोटी या व्यंजन खिलाए जाते हैं। जिसमें जिसमें बड़ा, पपची, अरसा, मालपुआ, गुलगुल - भजिया, सुहांरी, ठेठरी, खुरमी, लाडू इत्यादि होता है। स्त्रियां मगन होकर नाचती- गाती हैं, और गर्भवती स्त्री को ढेर सारी बधाई और मंगल आशीर्वाद देती है। “पिपरटठा के ठाकुर की गाड़ियां हैं। सधौरी का सामान है। अमोलीडीह की ठकुराइन के पैर भारी हैं न, इसीलिए अमोलीडीह जा रहे हैं।”

**12. बासी-** छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बासी को मुख्य आहार माना जाता है। जिसमें काम करने के बाद बासी, चटनी - बासी, नून - बासी, बोरे - बासी का आनंद लेते हैं। गर्मी के दिनों में इनका स्वाद और बढ़ जाता है और इसी को ड, खूबचंद बघेल जी ने बासी की महिमा का बखान किया है।

‘गजब विटामिन भरे हवय जी छत्तीसगढ़ के बासी में ,

धान-उन्हारी उपजाथन जी, हम कन्हार मटासी में।’<sup>17</sup>

“रिपुदमन सिंह धरता कुदाली और उसकी घरवाली धरती झौहा। जब तक सूरज सिर के ऊपर आकर नहीं चमकता, तब तक वे छिन - भर के लिए भी नहीं बिलमते।

उसकी महतारी गोंदली-बांसी (प्याज और गीला भात) धर कर आती थी और चिचिया - चिचियाकर (चिल्ला चिल्लाकर) खाने के लिए जोजियाती (आग्रह करती) रहती थी।”

**13. प्रणाम करने का संस्कार-** छत्तीसगढ़ की संस्कृति में अपने से उम्र में बड़ों का प्रणाम किया जाता है और प्रणाम करने वालों को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम करने से चार चीजों की वृद्धि होती है।

“अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः।

चत्वारि सम्प्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर्यशो बलम्।”<sup>8</sup>

‘सुबह की तलाश’ में पूर्णतः इस संस्कृति को संजोया गया है। “सभी उसे पायलागी करते हैं, पांव छूते हैं और पुरखिन सबको आशीर्वाद देती है, “अम्मर राहव बेटा।”

**14. नारी शक्ति का सम्मान-** छत्तीसगढ़ वासी नारियों को देवी, भवानी की तरह सम्मान देते हैं। जहां वर्ष के दोनों नवरात्र क्वारं - नवरात्र एवं चैत्र - नवरात्र में कन्याओं की पूजन करके सुख, शांति एवं समृद्धि का वरदान प्राप्त कर कन्याओं को भेंट दिया जाता है। कई लोग तो लड़कियों से पैर भी नहीं छुवाते। ‘सुहागा ने आगे बढ़कर पंडित के पैर छू लिए हैं। नहीं बिटिया, गांव - घर में रोज- रोज प्रणाम क्यों करती हो भला! अरे, तुम लोगों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, तुम लोग हो महामाया, भवानी, जगन्माता, क्यों गुरुजी।” महाभारत के अनुशासन पर्व में भी यही बात कही गई है

“अपूजिताश्च यत्रेता सर्वास्तित्राफल क्रियाः।”<sup>9</sup>

**15. नवरात्र पर्व -** छत्तीसगढ़ की संस्कृति में नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है जहां पर प्रत्येक गांव में देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर नव दिन तक शक्ति उपासना कर मां की पूजा आराधना और सेवा की जाती है। जंवारा बोककर जोत - जलाया जाता है, और दसवें - दिन जंवारा, भोजली का विसर्जन करके दशहरा का पर्व मनाया जाता है। “आज नवरात्र का पहला दिन है। सभी मुहल्लों में जंवारा (भुणालिया) बोया गया है। गाडापारा, कमासी पारा, राउत पारा सभी जगह जंवारा के गीत गाए जा रहे हैं, गाते- गाते देवता भी चढ़ जाता है।”

अहो रनबन - रनबन हां - आं आं

तुम खेलव माता रनबन रनबन हां - आं

तुम खेलव माता रनबन रनबन हो

तुम खेलव दुलरवा रनबन रनबन हां - आं<sup>10</sup>

**16. ढोला मारू की गाथा-** छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भरथरी, पंडवानी, चंदैनी, लोरिक-चंदा, आल्हा गाथा के साथ-साथ ढोला मारू की गाथा का भी मंचन होता है। “ढोला मारू मूलतः राजस्थान की प्रेम गाथा है। यह छत्तीसगढ़ में यहां की परंपरा व संस्कृति के अनुरूप स्थानीय परिवेश में गाई जाती है। ढोलामारू की कथा को यहां ढोलागीत और गायक को ढोलगायेन कहा जाता है। ढोला मारू की गाथा में प्रेम और श्रृंगार का वर्णन है इसके साथ ही मध्ययुगीन लोकगाथाओं के सदृश जादू - टोने, तंत्र- मंत्र तथा स्थानीय अंधविश्वासों का भी चित्रण है।”<sup>11</sup> ‘सुबह की तलाश’ में भी ग्रामोत्सव के दिन ‘ढोला- मारू’ की गाथा का आयोजन होता है।

ढोला के किस्सा ला सुनावंव गा भइया मोर ,  
मारू के किसान ला सुनावंव, सुनावंव गा-  
ढोला के किसान ला सुनावंव .....।

ढोला राजा नल का पुत्र है।

“ ढोला के बिहाता रहाय मारू सिंघल कइना  
सोन सही देंह रहाय, गोठ सघर मइना ,  
तेकरे गोठ ला बतावंव गा, भइया मोर,  
मारू के किसान ला सुनावंव।।”

**17. ताबीज-** लोगों की प्राचीन मान्यतानुसार ताबीज एक ऐसी वस्तु है जो वर्तमान और भावी अनिष्टों, बुरे ग्रहों, बुरी नजर, भूत - प्रेत, मन के भय और दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य लाती है। इसे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे गले, भुजाओं या कमर में भी धारण किया जाता है। ताबीज कई धातुओं के बने होते हैं, जैसे : सोने, चांदी, तांबा, पीतल। इसमें मंत्र अभिमंत्रित करके कई प्रकार की जड़ी-बूटी, या भस्म डाला जाता है। जिसे रेशम या काला धागा में बांध कर धारण किया जाता है। सुबह की तलाश में भी इसी ताबीज के कारण कथानक में मोड़ आता है। सुहद्रा ने तब व्याकुल होकर मुझसे पूछा, ‘वह ताबीज कैसा था? मैंने उसे बताया, ‘वह सोने का था।’ इसके एक और तीन चक्र बने हुए थे और उनके बीच में लाल, हरे नीले नगीने जड़े हुए थे। दूसरी तरफ उगता हुआ सूरज और कमल था।” सुहद्रा तत्काल बोली, ‘हां वह ताबीज नहीं कुल चक्र है। जो भी कुल का उत्तराधिकारी होता है वही इसे पहनता है। अभी तक मेरे संतान नहीं थी इसलिए ठाकुर ही पहले थे पुत्र के जन्म की खबर पाकर वे जरूर यहां आए होंगे उन्होंने अपना कुल चक्र मेरे बेटे को पहना दिया होगा। पर वह कुलचक्र कहां गया? ऐसा कौन पापी यहां है, जो उसे बच्चे के गले से उतारकर ले गया होगा? मेरी सास कहती थी कि जिसके पास भी यह कुलचक्र रहता है, उसकी कुलदेवता सदा रक्षा करते हैं।’ इस प्रकार यह उपन्यास छत्तीसगढ़ी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें एक छोटे से गांव अमोलीडीह के विविध चरित्रों के माध्यम से समाज के अधिकांश मुद्दों को दिखाने का प्रयास किया गया है। सुबह की तलाश की भाषा शैली ही विशेष है, क्योंकि यह स्थानीय बोली और लोककथा पर आधारित है। सुबह की तलाश के भाषा शैली की विशेषता उसकी सामान्य भाषा के साथ मृदुता, सरलता और नटकीयता में है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. नायडू, हनुमंत, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का लोकतात्विक तथा मनोवैज्ञानिक अनुशीलन, नागपुर, विश्वभारती प्रकाशन, प्रथम संस्करण 1987 आवृत्ति 2017, पृ. 29.
2. यादव, पी.सी. लाल, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, दिल्ली, सर्वप्रिय प्रकाशन, 2020, पृ. 9
3. वर्मा, नरेंद्र देव, सुबह की तलाश. रायपुर, श्री राम स्टोर्स प्रकाशन, द्वितीय संस्करण, 2019, पृ.16
4. कसार, जमुना प्रसाद, झांपी पृ., 269
5. गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस - 82, पृ. 631

6. देशमुख, डी.पी., कला परंपरा तीज त्यौहार, पृ. 26
7. शर्मा, मंजू, बीसवीं शताब्दी का छत्तीसगढ़ी साहित्य, पृ. 183
8. गौतम, ए.आर. विदुर नीति, मेरठ : तुलसी साहित्य पब्लिकेशन पृ.120
9. छिल्लर, मंजू लता, भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम-पृ. 19
10. चंदेल, गोरेलाल झेंझरी -3, पृ. 263
11. यादव, पीसी लाल, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, दिल्ली, सर्वप्रिय प्रकाशन, 2020, पृ. 143

## हिन्दी नाट्य परम्परा का विकास क्रम

• डी. एस. भण्डारी

सारांश- संस्कृत की रंगमंच परम्परा मृतप्रायः होने के पश्चात भारतीय रंग परम्परा भी क्षीण होती हुई दिखाई दे रही थी। नाटकों के समान ही लोक नाट्य की एक समृद्ध परम्परा यहां प्रचलित थी। भारतेन्दु काल से पूर्व यद्यपि अनेक नाटक लिखे गये, लेकिन इन्हें लोकप्रिय रंगमंच सुलभ नहीं हो पाया। नाट्यशास्त्र में लोक धर्मी और नाट्य धर्मी दोनों परम्पराओं का साथ साथ उल्लेख मिलता है। लोक धर्मी नाट्य परम्परा स्वतंत्र रूप से जनजीवन में फलती फूलती रही। तुलसी सूर कबीर के कारण लोकनाट्यों के पूर्व प्रचलित रूपों में रास लीला, राम लीला, ख्याल, नौटंकी, स्वांग आदि मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। रास का आयोजन भक्तजनों द्वारा मन्दिरों में किया जाता था, मन्दिर के प्रांगण में नाट्य मण्डप बना लिया जाता था। रासलीला का प्रारम्भ मंगलाचरण तथा अन्य शास्त्रीय विधियों से होता था। एकासन पर राधा कृष्ण की झांकियां होती थी और सखियां नृत्यगान करते थे। मंडल रूप में नृत्य किया जाता था। कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा प्रवास तक की लीलाओं का अभिनय किया जाता था रास मुख्यतः नृत्य और संगीतात्मक नाट्य रूप है।

### मुख्य शब्द - शिक्षा, जागरूकता, भूमिका, सशक्तिकरण

रास की उत्पत्ति ब्रज में सोलहवीं सदी में मानी जाती है, किन्तु रासलीला देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी रूप में विद्यमान मिलती है। ब्रज प्रदेश रास लीला का केन्द्र माना जाता है। बल्लभाचार्य, स्वामी हरिराम, हित हरिवंश, नारायण भट्ट को इसका प्रवर्तक माना जाता है। डॉ. विजयेन्द्र स्नातक ने हित हरिवंश को ही रास का प्रवर्तक सिद्ध किया है।<sup>1</sup>

रासलीला के प्रति सभी कृष्ण भक्त सम्प्रदायों की एक निष्ठा दिखाई देती है। रास लीला को प्रसिद्ध मध्यकाल में मिली हो, परन्तु वैदिक काल से ही नृत्यरूपों में उसका अस्तित्व दिखाई देता है। पुराणों तथा अन्य ग्रन्थों में नाटक रासक के अनेक प्रयोग दिखाई देते हैं।<sup>2</sup> अपभ्रंश साहित्य में भी इसकी समृद्ध परम्परा दिखाई देती है। हिन्दी में आते आते रासक की परम्परा रासों की श्रुत्य परम्परा में परिणित हो गई। संदेश रासक जैसे ग्रन्थों में अभिनय नाटक की पूर्णता नहीं मिलती है, परन्तु हिन्दी नाटक के उद्भव और विकास की प्रक्रिया की समझने के लिए वह कुछ महत्वपूर्ण संकेत अवश्य देते हैं। डॉ. दशरथ ओझा

• विभागाध्यक्ष हिन्दी, बालगंगा महाविद्यालय सेन्दुल, केमर टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

आयसुकुमार राज को हिन्दी का प्रथम नाटक मानते हैं।<sup>3</sup> यहां अपभ्रंश के राज नाटकों से लेकर ब्रजमण्डल की रास लीला ने रंगमंच को सूना नहीं होने दिया। मध्यकाकालीन भक्तिकाव्य भी इनसे प्रभावित दिखाई देता है। डॉ. चन्द्रप्रकाश कहते हैं कि भक्तिकाल के कवियों के काव्य में जो गेयता और अभिनेता का जो विशेष उत्कर्ष देखा जाता है उसके मूल में रास लीला की प्रेरणा दिखाई देती है। रीतिकालीन कवियों पर भी लीला नाटकों का प्रभाव दिखाई देता है। अनेक रीतिकालीन कवियों ने ऐसे छन्द लिखे हैं जिसमें हृदय लीलाओं का नाटकीय संयोजन किया गया है। भारतेन्दु जी ने रास लीला नाटकों की परम्परा और प्रविधि का अत्यन्त कलात्मक प्रयोग अपनी चन्द्रावली नाटिका में किया है। वियोगी हरि जी भी छद्मयोगिनी नाटिका भी इसी श्रृंखला की कड़ी है।<sup>4</sup> रासो साहित्य धारा और रास लीला ही हिन्दी नाटक के मूल में दिखाई देते हैं। इस तथ्य के अनेक विद्वान सहमत दिखाई देते हैं।

वाल्मीकि रामायण में राम की महत्ता प्रदर्शित की गई। पुराणों में उनका अवतारी रूप दिखाई देता है। यही कारण है कि रास लीला की भांति रामलीला को भी युगों से लोक में अद्भुत लोकप्रियता मिली है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में राम सम्बन्धी अनेक नाटकों का उल्लेख मिलता है। भास का प्रतिमा नाटक, उत्तर राम चरित, जयदेव का प्रसन्नराघव जानकी परिणय आदि उल्लेखनीय हैं। डॉ. गोविन्द चातक कहते हैं कि इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि राम सम्बन्धी नाटकों की साहित्यिक परम्परा के साथ समानान्तर रूप से रामलीला नाटकों की एक लोकधर्मी परम्परा भी बढ रही होगी। भक्ति आन्दोलन के कारण रामलीला के लोकनाट्य रूप को एक स्थिर आधार भूमि प्राप्त हुई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि रामायण के नाट्य स्वरूप से पूर्व रामायण मंच पर पाठ्य रूप में प्रस्तुत की जाती रही थी। प्रसाद भी इसी धारणा के पोषक हैं। वह कहते हैं कि प्राचीन काल के मंचीय पाठन से नाटक का उदय हुआ है।<sup>5</sup> रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने संवाद और नाटकीय तत्व का पर्याप्त समावेश किया है। कालान्तर में इनके द्वारा नाटक का स्वरूप ग्रहण कर लिया गया होगा।

काशी और अयोध्या रामलीला के मुख्य केन्द्र थे, कालान्तर में रामलीला का आधार ग्रन्थ फैल गई। पूर्व में रामलीला का आधार ग्रन्थ रामचरित मानस था, लेकिन बाद में प्राणचन्द का रामायण महानाटक और हृदय राम का हनुमन्नाटक आदि उल्लेखनीय हैं। रामलीला नाटकों की यह परम्परा भारतेन्दु युग तक जीवित रही। भारतेन्दु जी ने काशी की रामलीला के लिए एक सरस पाठ का प्रणयन किया, जिसमें पाठक और धारक के लिए उपयुक्त सामग्री मिलती है<sup>6</sup> भारत में इन नाट्य रूपों के साथ साथ मंच और ख्याल विशेष रूप से प्रचलित हैं। राजस्थान में मांच और ख्याल दोनों को एक ही माना जाता है। अगर चन्द नाहटा के अनुसार ख्यालों का प्रचार उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग हुआ। भगत स्वांग और नौटंकी की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारी है। कुछ लोग नौटंकी की उत्पत्ति नाटकी से मानते हैं। जगदीश माथुर कहते हैं कि नौटंकी पहले एक गाथा के लिए प्रयोग किया जाता था जो इतनी प्रसिद्ध हुई कि नाट्य रूप का पर्याय बन बैठी स्वांग का प्रचलन सत्रहवीं अठ्ठाहरवीं शताब्दी के निकट माना जाता है। इनको भी नाटक के पोषक तत्व के रूप में देखा जाता है। अन्य लोक नाट्य रूपों की भांति नौटंकी में विशेष बल काव्य और संगीत

पर होता है। कथावस्तु की प्रस्तुति में यथार्थ पर ध्यान नहीं होता है। हरियाणा में नौटंकी की ही शैली पर भगत लोकनाट्य का प्रचलन है ब्रज प्रदेश में आगरा और घाघरा में भिन्न भिन्न प्रकार के भगत होते हैं। हरियाणा में स्वांग की परम्परा अधिक है। भगत, नौटंकी और स्वांग एक ही नाट्य परम्परा के तीन रूप मिलते हैं। डॉ. “याम परमार के अनुसार कहीं स्वांग के नाम से ही नौटंकी विख्यात है या कहीं भगत के नाम से स्वांग की प्राचीनता में सन्देह नहीं, भगत महम काल की वस्तु है। नौटंकी प्राचीन स्रोत में रीतिकालीन समय की प्रतीत होती है। अमीर खुसरो की भाषा का प्रभाव नौटंकी पर दिखाई देता है<sup>7</sup> भारतेन्दु और उनके सहयोगियों ने लोकनाट्य तत्वों को अपनाया है।

उन्नीसवीं शताब्दी में लोक नाट्यों की परम्परा दिखाई देती है। इस समय पारसी थियेटर भी सुसंगठित होकर उभर रहा था इसकी प्रेरणा पाश्चात्य रंगमंच था। सन 1759 में अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए ताल बाजार में एक नाट्य शाला की स्थापना की थी। इस नाट्यशाला में स्थानीय लोगों की मदद से बंगला अनुवाद नाटक मंचित किया गया।

संस्कृत नाटकों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत विद्वान डॉ. एस.एस. विल्सन से सन 1841 में रंगशाला की स्थापना की इसकी सफलता को देखते हुए बंगाल में कई और भी थियेटर खुले। इसमें 1870 में गिरीशचन्द्र बोस का नेशनल थियेटर उल्लेखनीय है। अंग्रेजों ने इन थियेटर को प्रोत्साहित किया था सन 1770 में बम्बई में जो थियेटर खुला था उसमें भी अंग्रेजों का सहयोग था।<sup>8</sup>

पारसियों ने इन रंगमंचों को व्यवसायिक रूप प्रदान किया इसके परिणाम स्वरूप कई नाटक कम्पनियों की स्थापना हुई। विक्टोरिया नाटक कम्पनी 1868 हिन्दी नाटक मंडली 1873 में, मून लाइट थियेटर 1921 कोटोनेशन नाटक कम्पनी 1903 में मुख्य हैं। सबसे अधिक नाट्य लेखन पारसी भाषा में हुआ। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक पारसी नाट्य लेखन आरै उनका प्रदर्शन हिन्दी भाषा में ही हुआ है इसलिए हिन्दी भाषा हिन्दी क्षेत्र और हिन्दी संस्कृति के सन्दर्भ में उसे पारसी हिन्दी रंगमंच और नाटक कहना ही अधिक युक्ति संगत है।<sup>9</sup> फारसी भाषा के नाटककारों ने भारतीय धार्मिक कथानकों पौराणिक आख्यानों तथा राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण नाटकों को मंचित किया।

पारसी रंगमंच को अपनी रंगशैली में अत्यन्त सम्पन्न कहा जा सकता है। फारसी थियेटर की अभिनय शैली पर शेक्सपियर अभिनय शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। पारसी रंगमंच मुख्यता संगीतात्मक था, नृत्य के दृश्य भी अत्यधिक सम्मिलित होते हैं। सबसे विचित्र तथ्या यह है कि भारतेन्दु और उनके सहयोगी फारसी रंगमंच के नाटकों से परहेज करते थे। लेकिन भारतेन्दु और प्रसाद की फारसी रंगमंच के नाटकों से ग्रसित दिखाई देते हैं।<sup>10</sup> ललित कुमार कहते हैं कि हमारी अधिकांश नाटक समितियां पेशेवर पारसी स्टेजों की भद्दी नकल है।<sup>11</sup> हिन्दी क्षेत्र में लोकनाट्य और फारसी रंगमंच दोनों की ही समृद्ध परम्परा थी किन्तु हिन्दी वाले उससे कुछ ग्रहण नहीं कर सके। आज हिन्दी रंगमंच के सामने एक बड़ा सा शून्य मुंह बनाये खड़ा है। संस्कृत रंगमंच भी उन नाटकों के लिए भी तैयार है जो अभिनय की दुरहता से ग्रसित हैं।

**निष्कर्ष-** हिन्दी रंगमंच को अपनी जड़ें जमाने के लिए यह समझना होगा कि कला के

लिए जनता की और जनता के लिए कला की जरूरत पड़ती है। रंगमंच को प्रेरित किये जाने का कार्य किया जाना चाहिए। रंगमंच जब तक संस्कृति का अंग नहीं बनता, हमारे परिवेश का आधार नहीं बनता, हमारे परिवेश का आधार नहीं बनता, तब तक उसका विकास सम्भव नहीं है। विभिन्न भारतीय भाषाओं की दृष्टि से हिन्दी रंगमंच का तीसरा चौथा स्थान है परन्तु राष्ट्रीय रंगमंच की जरूरतों को पूर्ण करने की सम्भावनाएं हिन्दी रंगमंच में ही दिखाई देती हैं।

### संदर्भग्रन्थ सूची-

1. डॉ. विजयेन्द्र स्नातक - राधा बल्लभ संप्रदाय सिद्धान्त और साहित्य पृ. 99
2. चन्द्रप्रकाश सिंह हिन्दी नाट्य साहित्य और भी मांसा पृ. 109
3. डॉ. दशरथ ओझा हिन्दी नाटक उद्भव और विकास पृ. 56
4. डॉ. दशरथ ओझा हिन्दी नाटक उद्भव और विकास पृ. 70
5. डॉ. गोविन्द चाक रंगमंच कला और दृष्टि पृ. 183
6. जयशंकर प्रसाद हिन्दी नाट्य साहित्य और रंगमंच की भी मांसा पृ. 122
7. डॉ. श्याम परमार लोकधर्मी नाट्य परम्परा पृ. 50
8. डॉ. गोविन्द चातक रंगमंच कला और पृष्ठ- 187
9. डॉ. लाल पारसी हिन्दी रंगमंच पृ. 18
10. डॉ. गोविन्द चातक जयशंकर प्रसाद के नाटक स्वरूप और संरचना पृ. - 293
11. ललित कुमार माधुरी हमारा रंगमंच व अभिनय कला पृ. 38

## हेराक्लाइटस : डार्क फिलॉसॉफर

• सत्य नारायण

सारांश- यूनानी दर्शन के इतिहास में हेराक्लाइटस डार्क फिलॉसॉफर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उनके दार्शनिक विचार तथा रचना शैली दोनों ही अत्यन्त दुरुह है। हेराक्लाइटस का दर्शन भी असाधारण माना जाता है जो आमजन के लिए नहीं था। इस लिए उन्होंने स्वतः कहा कि, ‘‘ मेरा दर्शन कुछ विशिष्ट लोगों के लिए ही है, क्योंकि गधों को घास चाहिए स्वर्ग नहीं। ’’ उनके इसी वैशेष्य को ध्यान में रखते हुए हमने मुख्य रूप से उनके दर्शन में तीन बिन्दुओं पर विचार किया है - प्रथम बार उन्होंने दर्शन के इतिहास में पहली परिवर्तन की दार्शनिक समस्या को बाद और उत्तर भी उठाया सर्व परिवर्तनवाद में उसका उत्तर भी प्रस्तुत किया। द्वितीय उन्होंने इस विविधरूप जगत का मूल कारण अग्नी को माना जो भौतिक पदार्थ होते हुए भी अपने मूल रूप को नहीं छोड़ती। तृतीय उन्होंने विरुद्ध कोटियों का उल्लेख किया और व इनमें एकत्व को देखने का आग्रह करते हैं। अनेकता में एकता, परिवर्तन में स्थायित्व - यही हेराक्लाइटस की तात्विक दृष्टि है।

**मुख्य शब्द - यूनानी दर्शन, इतिहास, सर्व परिवर्तनवाद, भौतिक पदार्थ**

हेराक्लाइटस का जन्म 504-501 ई. पू. इफीसस नामक नगर में हुआ था जो एशिया माइनर में था।<sup>1</sup> उनका जन्म एक सम्भ्रान्त परिवार में हुआ था और वे स्वभावतः विरक्त थे। अपने इसी विरक्त स्वभाव के कारण वे अपने छोटे भाई को उत्तराधिकारी बनाकर सृष्टि विज्ञान में लग गए। वे गर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे तथा अपने समय के बड़े से बड़े व्यक्ति जैसे अपनी ही जाति के होमर और हेस्योद जैसे महान व्यक्तियों को भी हिराकत की नजर से देखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना ‘ऑन नेचर’ के कुछ अंश उपलब्ध हैं, जो भौतिक शास्त्र, नीतिशास्त्र और राजनीतिशास्त्र से सम्बन्धित हैं।<sup>2</sup> हेराक्लाइटस का दर्शन विशिष्ट माना जाता है कि जो साधारणजन के लिए नहीं था। इसलिए उन्होंने स्वतः कहा कि ‘‘ मेरा दर्शन विशिष्ट कुछ व्यक्तियों के लिए ही है, क्योंकि गधों की घास चाहिए, स्वर्ग नहीं।’’<sup>3</sup> हेराक्लाइटस इलियाई सम्प्रदाय के सृष्टि-विज्ञान तथा पाइथागोरस के कुछ सिद्धान्तों से परिचित थे।<sup>4</sup> उनके दार्शनिक विचार तथा रचना शैली दोनों ही अत्यन्त दुरुह है। इस कारण वे ‘डार्क फिलॉसॉफर’ कहलाए।<sup>5</sup>

हेराक्लाइटस तक आते आते यूनानी दार्शनिक चिन्तन काफी गहरा हो गया था। परन्तु, माइलेशियन दार्शनिकों ने जिस परम तत्व की खोज की, उसमें परिवर्तन की

समस्या की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। अर्थात् परम तत्व, से सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के बाद उसी परम तत्व में उसका विलय होने की परिवर्तन- प्रक्रिया पर उनका ध्यान नहीं गया। अतः परिवर्तन की समस्या माइलेशियन दार्शनिकों को आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं हुई। हेराक्लाइट और इलियाई दार्शनिकों ने इस समस्या को भिन्न-भिन्न ढंग से हल करने का प्रयास किया। परन्तु हेराक्लाइटस ने परिवर्तन शब्द का अत्यन्त व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। यह हमारे दैनिक जीवन के परिवर्तन होते हुए भी उससे कहीं अधिक व्यापक है। यह सतत् परिवर्तन है। यह जगत का प्राण है। इसके अनुसार संसार में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। यहां स्थायित्व के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। हमें स्थायित्व की प्रतीति भ्रमवश होती है।

हेराक्लाइटस कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, अस्थायी है। उनका यह सिद्धान्त बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद के समान है। जिसके अनुसार जगत की सभी वस्तुएँ सब तरह से अनित्य हैं। जो नित्य तथा स्थायी मालूम पड़ता है, वह भी नश्वर है। जो महान, मालूम पड़ता है उसका भी पतन है। जहाँ संयोग है, वहाँ वियोग भी है। जहाँ जन्म है, वहाँ मरण भी है।<sup>6</sup> अतः प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है इसी प्रकार हेराक्लाइटस भी कहते हैं कि नित्यता या स्थिरता केवल भ्रम है। संसार की प्रत्येक वस्तु में क्षण-क्षण परिवर्तन हो रहा है। किसी भी वस्तु का शाश्वत स्वरूप या मूल रूप विद्यमान नहीं है। जो भी वस्तु है वह परिणामी है, परिवर्तनशील है। संसार में कुछ भी नित्य नहीं, सब अनित्य और क्षणिक है। विश्व गति है परिणाम है, धारा है, प्रवाह है, सन्तान है। हेराक्लाइटस ने इसे सिद्ध करने के लिए नदी के प्रवाह तथा अग्नि-शिखा का उदाहरण दिया है।<sup>7</sup> कोई भी व्यक्ति एक नदी में दो बार नहीं नहा सकता, क्योंकि जिस पानी में प्रथम बार स्नान किया वह बह गया और उसके स्थान पर दूसरा पानी आ गया। दूसरी बार स्नान दूसरे पानी में ही हो सकता है। इसी प्रकार अग्नि- शिखा प्रतिक्षण बदलती रहती है। कोई वस्तु दो क्षणों तक नहीं टिक सकती। नदी में प्रतिक्षण पानी बहता रहता है, अग्नि-शिखा में प्रतिक्षण नई लौ उठती रही है। 'एकता' की मान्ति भ्रान्ति 'समानता' और 'अविच्छिन्नवेग' के कारण होती है। एक जल-समूह दूसरे जल-समूह के समान और एक लौ दूसरी लौ के समान। अनिष्यन्न वेश एक के बाद तुरन्त दूसरा जल-समूह अपना दूसरी लौ आती रहती है। अतः हमें यह प्रान्ति दी जाती है कि 'यह वही पानी है' या यह वही शिखा है। अखण्ड गति, निरन्तर परिवर्तन, अविच्छिन्न प्रवाह, अटूट धारा-यह संसार का नियम है। यहां यह बात स्मरणीय है कि बौद्धों ने भी अपने क्षणभंगवाद के प्रतिपादन में जल प्रवाह और दिपशिखा के उदाहार दिए हैं।<sup>8</sup>

यदि सभी कुछ परिवर्तशील है अपना अनित्य है तो फिर किसी को भी किसी भी वस्तु का ज्ञान असम्भव हो जाएगा। क्योंकि जब भी किसी वस्तु के बारे में सोचेंगे तो वह बदल जाएगा। परन्तु ऐसा नहीं है। बुद्ध ने भी क्षणिकवाद की व्याख्या की, परन्तु उन्होंने भी प्रतित्यसमुत्पाद और निर्माण मार्ग अष्टांगपथ को स्थायी समझा। इसी प्रकार हेराक्लाइटस ने भी आर्डन के ऊर्वगामी और अधोगामी के नियम को स्थायी माना और फिर विश्व-अग्नि के क्रम को भी स्थायी व्यवस्था स्वीकार किया।<sup>9</sup> चूंकि हेराक्लाइटस आग्नि को जगत का मूल तत्व मानते हैं और यही इसकी गति की नियन्त्रक शक्ति है। इसी

से जगत और उसकी सभी वस्तुएं- वायु, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और अन्त में इसी में विलीन हो जाती है। उनका कहना है कि जिस प्रकार सुवर्ण से निर्मित कंगन कृण्डल और हार आदि वस्तुएं सुवर्ण रूप हैं और सुवर्ण तद्वस्तु-रूप है उसी प्रकार जगत की सभी वस्तुएं भी अग्नि रूप और अग्नि तद्वस्तु रूप हैं।<sup>10</sup>

हेराक्लाइटस ने भी अपने पूर्ववर्ती विद्वानों की भांति विशेष द्रव्य अग्नि को परम तत्व माना। उनमें मूल अन्तर यही है कि उनके परम तत्व से उनके परम तत्व सृष्टि की रचना में अपना मूल्यरूप खो देता है। परन्तु हेराक्लाइटस का परम तत्व अग्नि सृष्टि की रचना करती हुई की अपने मूलरूप को नहीं छोड़ती। क्योंकि परिवर्तन इसका स्वभाव है और इस परिवर्तन प्रक्रिया में अग्नि परिवर्तित नहीं होती।<sup>11</sup> हेराक्लाइटस का परिवर्तनशीलता का सिद्धान्त, उनकी तत्व भी मासीय दृष्टि में समाविष्ट है। उनके अनुसार अग्नि आधार मात्र नहीं है बल्कि निरन्तर वस्तुओं के रूप में परिवर्तित होती रहती है। अग्नि स्वयं को वायु के रूप में बदलती है। वायु जल में बदल जाति है, जल पृथ्वी में बदल जाता है और पृथ्वी पुनः जल और फिर अग्नि का रूप ग्रहण कर लेती है। इसी संदर्भ में हेराक्लाइटस ने उन्नत और अवनत मार्गों का उल्लेख किया है। उन्नत मार्ग की अवस्था में वस्तुओं की अग्नि से उत्पत्ति होती है और अवनत मार्ग की अवस्था में अग्नि में ही विलीन हो जाती है।<sup>12</sup> इन्हीं दोनों मार्गों के आधार पर उन्होंने मानव-आत्मा और शरीर की व्याख्या करते हुए कहा है कि शरीर की उत्पत्ति अवनत मार्ग की प्रक्रिया से होती है और मानव आत्मा की उत्पत्ति उन्नत मार्ग की प्रक्रिया में होती है। हेराक्लाइटस के अनुसार मानव एक लघु ब्रह्मण्ड है। जिस प्रकार ब्रह्मण्ड में उन्नत और अवनत मार्ग की दो प्रक्रियाएँ हैं और उन्नत में जगत अग्नि की ओर बढ़ता है एवं अवनत मार्ग में जल और पृथ्वी की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार मानव-शरीर में भी उन्नत और अवनत मार्ग की दो प्रक्रियाएँ हैं। आगे वे कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुएँ, चाहे वे दैवी हों या मानवीय, विनमय द्वारा उन्नत मार्ग और अवनत मार्ग से गुजर रही हैं।<sup>13</sup> हेराक्लाइटस ने उन्नत और अवनत मार्ग के आधार पर परम तत्व अग्नि का विश्व की वस्तुओं में परिवर्तित होना और फिर उन वस्तुओं का फिर से अग्नि में विलय होने की प्रक्रिया को 'लोगोस' की संज्ञा दी है।<sup>14</sup> उनके अनुसार यही परम सत्ता है और संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जो की दृष्टि से निकल ओझल हो सके। यही सबका नियन्त्रक करती है और संसार की सभी अनित्य तथा क्षणिक वस्तुओं के बीच मात्र यही स्थायी, शाखत एवं नित्य सत्ता है। यही सभी प्राणियों पर शासन करता है और उनको उसी प्रकार हांकता है जिस प्रकार, गडरिया भेड़ों के झुण्ड को हांकता है।<sup>15</sup> प्लेटो के बाद के विचार जिन्हें नव प्लेटोवादी कहा जाता है और ईसाई धर्माचार्यों ने इसे साकार रूप में ही लिया है। परन्तु बर्नेट को यह मत स्वीकार नहीं। बर्नेट के अनुसार यद्यपि लोगोस विषयक वर्णन से यह भ्रम उत्पन्न होता है कि हेराक्लाइटस इसे यूनानी देवी-देवों की तरह एक देव मानते थे, यह सत्य प्रतीत नहीं होता। क्योंकि यह व्याख्या हेराक्लाइटस के लोगोस विषयक विवेचन से मेल नहीं खाती। वे इसकी एक विशेष वस्तु के रूप में व्यक्तिगत नहीं मानते थे। वे इसे विश्व-तत्व अग्नि में व्याप्त मानते थे इसके स्वभाव का अपरिवर्तित रूप है।<sup>16</sup>

हेराक्लाइटस के लोगोस की व्याख्या से प्रलक्षित होता है कि लोगोस अथवा

अग्नि चेतन तत्व है। यही जीवन का मूल स्रोत है। व्यक्ति की आत्मा भी इसी अग्नि तत्व का अंश है और इसका पोषण भी इसी के द्वारा होता है। यह व्यक्ति के शरीर में उष्णतम रूप में विद्यमान है। हेराक्लाइटस के अनुसार जिस आत्मा में जितनी अधिक उष्मा होगी उतनी ही उत्तम होगी और उसी मात्रा उस व्यक्ति का मन और चरित्र भी उज्ज्वल और अच्छा होगा।<sup>17</sup> अतः हेराक्लाइटस का परम द्रव्य अग्नि है। यह न तो माइलेशियन सम्प्रदाय के वर्ग में आते हैं और न ही पाइथागोरियन के वर्ग में। उनके अनुसार सब का सम्बन्ध जति प्रक्रिया शक्ति, संघर्ष और प्रवाह से है।<sup>18</sup>

हेराक्लाइटस के इस दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि वे अनुभववादी थे। चाहे उसका अनुभव साधारण कोटी का ही रहा हो। इसके साथ ही एक दृष्टिकोण से यह भी कहा जा सकता है कि हेराक्लाइटस और पाइथागोरस के दर्शनों में समानता और भिन्नता दोनों दिखलायी पड़ती है दोनों दिखलायी पड़ती है। दोनों ही विरुद्ध युगों पर विचार करते हैं। पाइथागोरस के अनुयायीयों का पूरा ध्यान विरुद्ध युगों पर ही था। जैसे ऋजु और वक्र, एक और बहु, सम और विषम, स्थिरता और गति, पुलिंग और स्त्रीलिंग आदि। इसके पिछे उनका विचार था कि दो अतियों के बीच ही जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। इसी प्रकार हेराक्लाइटस भी विरुद्ध-युगों पर विचार करते हैं परन्तु भिन्न तरीके से। जैसे- अशुभ के बिना शुभ नहीं, मृत्यु के बिना जीवन नहीं, युद्ध के बिना शान्ति नहीं, जड़द्रव्य के बिना आत्मा नहीं इत्यादि।<sup>19</sup> इस प्रकार दोनों ही विरुद्ध युगों की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। इन का उपयोग पाइथागोरस दैनिक जीवन के लिए करते थे जबकि हेराक्लाइटस इसमें एकतत्व को देखते हैं। अनेकता में एकता, परिवर्तन के बीच स्थायित्व- यही हेराक्लाइटस की तात्विक दृष्टि है। हेराक्लाइटस के विचारों में यह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है कि ने अपने पूर्ववर्ती दार्शिनियों से प्रभावित तो थे दर्शन में उनका अपना की एक विशिष्ट योगदान रहा। मुख्य रूप से उनका परिवर्तन की समस्या का विचार अति महत्वपूर्ण है। अर्थात् यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि दर्शन के इतिहास में सर्वप्रथम परिवर्तन पर विचार किया, उसकी समस्या को समझा और उसको हल करने का प्रयास भी किया। अतः यह कहना भी उपयुक्त जान, पड़ता है कि हेराक्लाइटस के दर्शन से प्राचीन यूनानी दर्शन के एक नए युग का प्रारम्भ होता है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. एस. सन्तोष द्रव्य की दार्शनिक विवेचना, निर्मल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ.-37.
2. डॉ. रामनाथ शर्मा, पाश्चात्य दर्शन का ऐतिहासिक विवेचन, केदारनाथ, रामनाथ, कोलेज रोड, मेरठ, 20-17
3. बद्रीनाथ सिंह, पाश्चात्य दर्शन, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एण्ड कम्पनी, वाराणसी पृ.-19.
4. बर्नेट, अर्ली ग्रीफ फिलॉसफी, आदम एण्ड चार्ल्स ब्लैक, लंदन, पृ.-131
5. एस सन्तोष, द्रव्य की दार्शनिक विवेचना, निर्मल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ.- 37
6. डॉ. रामनाथ, भारतीय दर्शन के मूल तत्व, केदार नाथ रामनाथ, मेरठ पृ.-152.
7. चन्द्रधर शर्मा, पाश्चात्य दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी, दिल्ली, पृ.-4
8. वही
9. या. मसीह, पाश्चात्य दर्शन का समीक्षात्मक इतिहास, मोतीलाल बनारसी दास, बंगलो रोड, दिल्ली, पृ.-31.

10. बर्नेट, अर्ली ग्रीक फिलॉसफी, आदम एण्ड चार्ल्स ब्लैक लंदन पृ.- 134-135.
11. फुलर, ए हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, ऑक्सफोर्ड एण्ड आई. बी. एच. पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली पृ. - 52.
12. एस. सन्तोष, द्रव्य की दार्शनिक विवेचना, निर्मल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ.-42
13. बर्नेट, अर्ली ग्रीक फिलॉसफी, आदम एण्ड चार्ल्स ब्लैक, लंदन, पृ.-151.
14. एस. सन्तोष द्रव्य की दार्शनिक विवेचना, निर्मल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ.-43.
15. वही
16. बर्नेट अर्ली ग्रीक फिलॉसॉफी, आदम एण्ड चार्ल्स ब्लैक, लंदन, पृ. - 133.
17. वही पृ.-138
18. आर. एस ब्रमबो, द फिलॉसॉफरस ऑव ग्रीस, जॉन एलन एण्ड अनविन, लिमिटेड, लंदन, पृ. -43
19. एस. सन्तोष, द्रव्य की दार्शनिक विवेचना, निर्मल पब्लिकेशनस, दिल्ली, पृ.-34-40

## खेल और सामाजिक मूल्य

• ममता

सारांश- खेल और समाज शास्त्र परस्पर जुड़े हुए हैं खेल के क्षेत्र में समाजशास्त्र का महत्व क्या है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य की दैनिक गतिविधियाँ, व्यवहार, संबंध, भावनाएँ आदि शामिल मनुष्य ऐतिहासिक रूप से एक सामाजिक प्रणाली है यदि वह अपने जीवन में पूर्णता चाहता है तो उसे सामाजिक होना चाहिए। खेलकूद के माध्यम से मनुष्य समाजशास्त्र के वास्तविक पहलुओं और उनके महत्व को भी महसूस करता है। खेल एक ऐसी गतिविधि है जो मनुष्य को लक्ष्यों तक पहुँचाने की प्रेरणा, कार्य पर संतुष्टि, योजनाबद्ध कार्यों की तैयारी सुधारक में ईमानदारी, जिम्मेदार व्यवहार, एक दूसरे का सम्मान आदि महसूस करता है। जीतो और हारों। वह बस अपना कार्य चतुराई और ईमानदारी से करता है और समाज में अपने प्रयासों पर हमेशा गर्व करता है। इसलिए खेल और समाजशास्त्र में बहुत समान कारक है। जो खेल और समाजशास्त्र के महत्व और ज्ञान को जानता है। वह निश्चित रूप से समाज में एक पूर्ण व्यक्ति बन जायेगा। दैनिक जीवन में खेल एक प्रमुख घटक है आज खेल हमारे वर्णन जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चाहे वह टोली हो, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से खेल का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से औसत खेल परिवार के लिए सामाजिक मूल्यों को संजोने का कार्य करता है।

**मुख्य शब्द-** खेल, समाजशास्त्र शारीरिक शिक्षा, पूर्णतः समाज, खेलव्यवहार, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता

समाजशास्त्र और शारीरिक शिक्षा और खेल दोनों के बीच बहुत समान विशेषता है और अंतसंबंध है। समाजशास्त्र के अध्ययन की सहायता से खेल और शारीरिक शिक्षा अपने लक्ष्यों को आसानी से और प्रभावी ढंग से प्राप्त करते हैं। सहयोग, मूल्य और नैतिकता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निष्पक्ष खेल अच्छी सभ्यता के लक्षण है। हम समाजशास्त्र की मदद से इन बिन्दुओं के मूल्यों को जानेंगे और खेल में इन अवधारणाओं का व्यावहारिक रूप से सामना करता है वह समाज में एक आदर्श व्यक्ति बन जाता है। समाज के प्रभाव समूह को देखते हुए समाज में मौजूद कोई भी शारीरिक गतिविधि या खेल को अपनाकर अपनी पहचान बनाता है। इसलिए शारीरिक और खेल व्यक्तियों पर सीधा प्रभाव डालता है।

• एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा विभाग, इस्माईल नेशनल महिला महाविद्यालय मेरठ

**शारीरिक शिक्षा व सामाजिक मूल्य-** खेल एक सामाजिक मूल्यों की उपज है सम्पूर्ण विश्वपटल पर खेल के सामाजिक महत्व का वर्णन जग जाहिर है, समाजशास्त्र और दर्शन में आमतौर पर दो प्रकार के मूल्य प्रतिष्ठित है, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक। वस्तुनिष्ठ मूल्य वास्तविकता (प्रकृति या समाज की वस्तुगत रूप से विद्यमान वस्तुएँ हैं जिनका व्यक्ति, सामाजिक समूह, वर्ग या समाज समग्र रूप से या तो सकारात्मक या नकारात्मक में मूल्यांकन करता है। खेल युवाओं की शिक्षा में स्वास्थ्य को प्रभावित करने और लोगों को नकारात्मक प्रभाव से बचने में भूमिका निभाता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा, पालन पोषण और स्वास्थ्य देखभाल पर खेलों का प्रभाव पड़ता है।)

खेल की अवधारणाओं को निम्नलिखित विकल्पों में व्यक्त किया गया है। लाभकारी/हानिकारक, उपयोगी/अनुपयोगी/प्रगतिशील/प्रतिक्रियावादी, नैतिक/अनैतिक, उत्पादक/अनुत्पादक, इत्यादि। वस्तुनिष्ठ मूल्यों में प्राकृतिक घटनाएँ हैं, जैसे कि प्राकृतिक सपदा या आपदाओं के स्रोत, उनकी भौतिक संस्कृति से संबंधित मानव निर्मित लेख, वस्तुओं का उपयोग मूल्य, लोगों के कार्य, कला और साहित्य के कार्य वैज्ञानिक कार्य, शारीरिक शिक्षा के हिस्से के रूप में मनुष्य की सामान्य संस्कृति, और इसी तरह की घटनाएँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में, मनुष्य कभी-कभी आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर मूल्यों के सकारात्मक या नकारात्मक होने का निर्णय करता है और कभी-कभी वह उनके प्रति काफी उदासीन होता है। सामाजिक विकास के एक दिए गए स्तर पर, समाज कुछ सामान्य मानदण्डों और मानदण्डों को परिभाषित करने का प्रयास करता है। हमें सामाजीकरण को समझने में खेल व शारीरिक गतिविधियाँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

**सहयोग और प्रतियोगिता-** हम खेल के हर चरण में प्रतिस्पर्धा और सहयोग देख सकते हैं लेकिन समाज इन दो चीजों से सम्पूर्ण है और साथ ही सहयोग और प्रतिस्पर्धा समाजीकरण की दो महत्वपूर्ण विशेषता हैं जो समाज में मौजूद हैं। समाजशास्त्र दोनों पहलुओं को महत्व देता है और खेल में दोनों एक साथ मौजूद हैं। समाजशास्त्र हमें सिखाता है कि समाज में प्रतिस्पर्धा के रूप में सहयोग कितना महत्वपूर्ण है खेलों में प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच अच्छे और स्वस्थ संबंध की स्थापना होती है।

समाज और खेल के क्षेत्र और जीवन के हर पहलू में उसके महत्व के बारे में जागरूक है। स्वस्थ प्रतियोगिता और सहयोग हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा उसी प्रकार खेल में विपक्ष के साथ स्वस्थ प्रतियोगिता और साथियों के साथ अच्छा सहयोग खेल और शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की ओर ले जायेगा।

**सामाजिक नियंत्रण और आत्म अनुशासन-** खेल के मैदान में कई बार दर्शक नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और इससे भारी जनहानि होती है। यूरोप फुटबाल लोग में कई बार ऐसी अनियंत्रित स्थिति हो चुकी है। समाजशास्त्र का विषय अनुशासन और सामाजिक और सामाजिक नियंत्रण की सामूहिक भावना को विकसित करता है। महत्वपूर्ण मैचों या टूर्नामेंटों के लिए इस संग्रह को अनुशासन और सामाजिक नियंत्रण की भावना की आवश्यकता होती है इसलिए समाजशास्त्र के तहत महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं के सफल समापन के लिए सामाजिक नियंत्रण और आत्म अनुशासन जैसे कारकों की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

**खेल नैतिकता-** समाजशास्त्र का बुनियादी ज्ञान होने से व्यक्तियों या समूहों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में मदद मिलती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक खिलाड़ी में खेल नैतिकता को बढ़ाता है। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि सामाजिक होने का जीवन में कितना महत्व है। एक खिलाड़ी एक सामाजिक प्राणी है जो सीखे हुए सामाजिक मूल्यों को लागू करता है। खेलों में वह हमेशा अच्छी खिलाड़ी भावना दिखाते हैं। निष्पक्ष खेल, सम्मान की अत्यधिक आवश्यकता होती है और समाजशास्त्र इसमें बड़ी भूमिका निभाता है।

**खेल की भूमिका-** खेल सामाजीकरण की भूमिका में एजेंसी का कार्य करता है। सामाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य पहलू खेल है। प्रत्येक सामाजिक प्राणी पूरी तरह से इसी पहलू के अन्तर्गत आता है। खेल में “खेल समूह मुख्य बिन्दू है जो टीम में भूमिका जानता है और साथ ही प्रतियोगिता में भूमिका को बखूबी निभाता है, टीम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ती है। व्यक्ति द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को बोध एवं समझ समाज को स्वस्थ एवं प्रगतिशील बनाता है। इस दृष्टि से शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र सामाजीकरण के माध्यम से सीखी गयी भूमिका निभाना बहुत महत्वपूर्ण है।

**सामाजिक परिघटना के रूप में (खेल एक सामाजिक तथ्य)-** इस बिन्दू पर समाजशास्त्र खेल को एक सामाजिक घटना के रूप में देखता है जो खेल व्यक्ति पर प्रभाव डालता है सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से हमारे समाज का महत्वपूर्ण विश्लेषण किया गया है। समाजशास्त्र मुख्य रूप से व्यक्तियों और समूहों से संबंधित है जो सीधे खेल के क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। समाजशास्त्र एक व्यक्ति या खेल व्यक्ति, कोच, खेल प्रशासक को इन सामाजिक घटनाओं के हर पहलू को समझने में मदद करेगा और यह समाज में खेलों की बेहतर समझ में भी मदद करता है।

**खेल से शिक्षित होना-** सामाजिक मूल्यों को समझे बिना किसी भी खिलाड़ी के लिए अच्छा सहयोग और खेल भावना विकसित करना सम्भव नहीं है इसलिए समाज के लिए खेलों को अधिक शिक्षित और मूल्यवान बनाने में समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाजशास्त्र के बारे में जानने से खेल और खेल व्यक्तियों या समाज के लिए अधिक शिक्षित और मूल्यवान हो जाते हैं। समाजशास्त्र खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को अधिक शिक्षित बनाएगा क्योंकि खिलाड़ी अधिक खेल प्रेमी होते हैं।

**समूह की गतिशीलता-** टीम के सदस्यों पर आधुनिक समाजशास्त्र के प्रभाव एक ही टीम या समूह में काम करने के लिए सामूहिक रूप से एक टीम या समूह के रूप में आवश्यक समूह गतिशीलता होगी। समाजशास्त्र ने सामाजीकरण के इस पहलू को बहुत महत्व दिया है और यह शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में समाजशास्त्र के महत्व को भी दर्शाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से मनुष्य सामूहिक प्राणी है और खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा में निपूर्णता प्राप्त करने के लिए सामाजीकरण अत्यंत आवश्यक है।

**एक सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति-** समाजशास्त्र व्यक्ति को समाज का मूल्यवान सदस्य बनने में मदद करता है। यह मनुष्य को एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनने और शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सामाजिक मूल्य और नैतिकता के महत्व को समझने में सक्षम बनाता है। समाजशास्त्र खिलाड़ियों को समझने में मदद करता है।

समाज को किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है और किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, इससे उन्हें एक अच्छा और पूर्ण खिलाड़ी बनने में मदद मिलती है।

**खेल एक बेहतर मानक है-** अच्छे चरित्र अनुशासन, आत्मसंयम, वफादारी, राष्ट्रवाद एक दूसरे का सम्मान आदि जैसे सामाजिक कारकों से खेल के स्तर में वृद्धि होती है समाजीकरण की प्रक्रिया समाजशास्त्र में अच्छी खेल नैतिकता विकसित करने सहायता करती। समाज में अनुचित रवैया और डोपिंग के मामले, नकारात्मक टिप्पणी, असामान्य झूठा व्यवहार सामाजीकरण को कम करता है। निसंदेह खेल के स्तर को बढ़ा रहा है न केवल सभी क्षेत्रों में, सामाजिक मूल्य वास्तव में सभी के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं।

**सक्षम खेल-** आज के समय में खेलों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आजकल हम प्रतिस्पर्धी खेल आयोजन देखते हैं लेकिन गुणवत्तापूर्ण खेल आयोजन या खेल हस्तियाँ नहीं हैं। समाजीकरण के माध्यम से विकसित सामाजिक मूल्य, नैतिकता, स्थिति हमें शारीरिक शिक्षा और खेल के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण खेल प्रदान करने में मदद करती है। समाजशास्त्र निश्चित रूप से समाज को हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण खेल प्रदान करने में सहायता करता है। खेलों में गुणवत्ता बनाए रखना प्रमुख शारीरिक शिक्षा और खेलों का विकास है। इस तरह समाजशास्त्र के माध्यम से खेल और शारीरिक शिक्षा की गुणवत्ता मिलेगी।

**समाजशास्त्र और खेल की परस्पर निर्भरता-** शारीरिक शिक्षा और खेल दूसरों द्वारा सीखे गए सामाजिक मूल्यों को अधिक मजबूत करते हैं। खेल सामाजीकरण की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक अनुभव देते हैं, खेल में व्यक्ति को समाजशास्त्र के अन्तर्गत आने वाले सामाजिक मूल्यों को लागू करने और समझने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल निसंदेह समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं।

**प्रदर्शन में वृद्धि होगी-** टीम के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ स्वस्थ सामाजिक संबंध और अच्छा सहकारी व्यवहार खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और प्रेरणा का निर्माण करेगा। यह समूह गति की है। किसी भी टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। टीम प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए सामाजिक मूल्यों के महत्व की उपेक्षा नहीं कर सकती। किसी भी टीम के समूह द्वारा उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने में समाजशास्त्रीय पहलू महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**निष्कर्ष-** जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य अपनी शारीरिक, प्राकृतिक और भावनात्मक मांगों के कारण समूह या सामाजिक प्राणी था इसलिए मनुष्य सामाजिक होने के नाते सुरक्षित महसूस करता है। खेल और शारीरिक शिक्षा ऐसी गतिविधियाँ हैं जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णता की ओर ले जाती हैं जैसा कि हमने उपरोक्त बिन्दुओं पर चर्चा की। हम खेल के क्षेत्र में समाजशास्त्र के महत्व को जानते हैं, जिससे सामाजिक पहलुओं का सैद्धान्तिक ज्ञान होगा वही खेल खेल के क्षेत्र में सफल होगा। खेल और खेल हमें व्यावहारिक अनुभव के साथ वास्तविक जीवन का पाठ पढ़ाते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। प्रतिस्पर्धा सहयोग, निष्पक्ष खेल, ईमानदारी जो कुछ भी है उसे स्वीकार करना और सामान्य नियमों का पालन करना किसी भी क्षेत्र में सभी के लिए महत्वपूर्ण कारक है। खेल प्रतिदिन इन

कारकों से निपटता है और इस पर अच्छे अभ्यास करता है तो समाजशास्त्र है और खेल अविभाज्य पोशाक है। इस शोध पत्र का उद्देश्य विभिन्न समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के लिए एक आधार प्रदान करना था। खेल समाजशास्त्र ध्यान योग्य है क्योंकि खेल स्वयं समकालीन समाज का महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। खेलों की लोकप्रियता और इसकी आयोजन शक्ति वैश्विक और स्थानीय स्तर पर प्रतीकात्मक सार्वजनिक कृत्यों के लिए शांति और चारों तरफ के संदेश को संप्रेषित करने के लिए खेलों को एक शक्तिशील आवाज के रूप में योगदान देती है। सामाजिक जीवन में अस्तित्व के लिए खेल समुदाय में एक प्रभावी तत्व है। खेल के माध्यम से सीखे गए कौशल और मूल्य जीवन की स्थितियों को शारीरिक और मानसिक रूप से संभालने और एक सामाजिक प्राणी के रूप में आकार देने के लिए आवश्यक है। अच्छी तरह से तैयार की गई खेल गतिविधियाँ सम्मान ईमानदारी, संचार, सहयोग सिखाती है जो व्यक्ति को जीवन की विभिन्न रणनीतियों को सीखने में सक्षम बनाती है।

---

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. <https://www.britannica.com/sports/sports/Sociology-of-sports>.
2. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sociology\\_of\\_sport](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_sport)
3. Text book of physical education by D.V. Ruikar. Dr. D.B. Kunte, Dr. U.J. Rathi
4. <https://www.paperdue.com/topic/sports-sociology-essays>
5. <https://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-sport/sports-in-sociology/>

## अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास में स्व-सहायता समूह का योगदान

• प्रीति रजक  
•• एस. एम. मिश्रा

सारांश- गाँव में सामाजिकता पर गौर करें तो किसी भी कार्य में मदद लेने और देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जैसे “सामुदायिकता की भावना” आदिवासी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पहलुओं के तार से जुड़ी हुई है। परंतु आज के पैसा बाजार प्रतियोगिता के युग में इसका फौलाव, विकास की प्रक्रिया में सुसंगठित होकर किया गया है इसके बावजूद सामुदायिकता गरीब व सामाजिक तौर से पिछड़े वर्गों में आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। स्व-सहायता समूह की मुख्य रूप से शुरुआत देश की प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएँ जैसे- सेल्फ एम्प्लाइड वीमेन एसोसिएशन अहमदाबाद मयराडा, बंगलौर आदि के माध्यम से हुई थी। बैंक शाखाओं की वृहद नेटवर्क होते हुए भी ग्रामीणों की पहुँच वहाँ तक नहीं है। चूँकि निर्धनों की जरूरत छोटे ऋणों से संबंधित होती है साथ ही साथ उनकी आवश्यकता, उपयोग और उत्पादन दोनों उद्देश्यों से जुड़ी हैं। बैंक वाले इसे खतरा मानते हैं और उधार देने से हिचकते हैं। इस संकट से उबरने के लिए एक अकेला व्यक्ति तो संभवतः कुछ नहीं कर सकता है, परंतु कुछ लोग मिलकर अपनी छोटी आय से थोड़ी-थोड़ी बचत करते-करते एक पूँजी जमा कर सकते हैं। इसी पूँजी से वे एक-दूसरे की मदद करते हैं।

मुख्य शब्द- स्वसहायता समूह, पैसा-बाजार प्रतियोगिता, सामुदायिकता, आदिवासी समाज, आत्मनिर्भरता

गाँव में कुल आबादी का 75 प्रतिशत से भी अधिक आबादी का प्रमुख आधार खेती है। ऐसे में दलित वर्ग के ग्रामीणों की अनेक समस्याएँ होती हैं। पहली यह कि खेती के अतिरिक्त अन्य आय का साधन इनके पास नहीं होते हैं। दूसरा यह कि खेती में 5-6 माह तक काम मिलता है, इसलिए बचे समय में ग्रामीणों को आय के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीन व गहनों को गिरवी रखनी पड़ती है और परिस्थिति से मजबूर होकर इसे छोड़ा भी नहीं पाते हैं। इसी बीच यदि अन्य समस्याएँ बीमारी, मृत्यु, पर्व या शादी आ जाए तो और भी मजबूर हो जाते हैं।

- शोधार्थी, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
- शोध निर्देशक, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शा. संजय गाँधी स्मृति स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी (म.प्र.)

स्व-सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10-12 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह है जो नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं तथा व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वे ज्यादातर परिस्थितियों में अत्यधिक गरीबी में रहती हैं। सामाजिक कड़वी सच्चाइयों को देखते हुए, समस्त आर्थिक नीतियाँ और स्व-सहायता समूह कार्यक्रम ऐसी महिलाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं का विशेष रूप से निराकरण करेंगे।

ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार होगा, जो पहले से ही महिलाओं के लिए विशेष लक्ष्य के साथ महिला उन्मुख है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के समग्र विकास में स्व-सहायता समूह कार्यक्रम के साथ उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकल्प उपलब्ध कराकर गरीब महिलाओं को एकजुट करना आवश्यक है।

अध्ययन प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र में सीधी जिले की स्व-सहायता समूह में जुड़ी 50 अनुसूचित जाति की महिलाओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली के आधार पर किया गया है। साक्षात्कार अनसूची से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उनका सारणीयन एवं विश्लेषण किया गया है।

शोध का उद्देश्य-

- 5 असंगठित जनजातीय महिलाओं को संगठित करना।
- 5 अनुसूचित जाति की महिलाओं की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरक ऋण नीतियों का विकास करना।
- 5 बैंकों एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच परस्पर विश्वास/ भरोसा पैदा करना।
- 5 महिलाओं में समूह के माध्यम से बचत व ऋण दोनों तरह के बैंकिंग कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना।


शोध परिकल्पना - शोध निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है-

- 5 स्व-सहायता समूह के द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं को आकस्मिक स्थिति में भी कर्ज प्राप्त होना।
- 5 सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो सकें।
- 5 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुँच बनाना।

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर- राज्य सरकार ने महिला स्व-सहायता समूह में कार्यों का दायरा बढ़ाते हुए पोषण आहार संयंत्रों के संचालन में बहुत बड़ा काम भी समूहों को देखकर वृहद कारोबारों को संचालित करने का अनुभव समूहों की महिलाओं को दिया है।

**तालिका क्र. 01**  
**स्व-सहायता समूह में मिलने वाले काम**

क्र.	काम	संख्या	प्रतिशत
1	स्कूल गणवेश सिलाई	15	30
2	गौशाला संचालन	08	16
3	लघु वनोपज संग्रहण	27	54
योग		50	100




उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के माध्यम से 30 प्रतिशत महिलाओं को स्कूल गणवेश सिलाई, 16 प्रतिशत महिलाओं की गौशाला का काम तथा 54 प्रतिशत महिलाओं को लघु वनोपज संघ का काम प्राप्त हुआ है।

राजनीतिक पदों पर पहुँच- स्व-सहायता समूह के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने से शर्मिले स्वभाव की अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं को आज भी अपने यह पहचान बदलकर बड़ी-बड़ी सभाओं में मंच से लाखों की भीड़ के सामने निर्भीक होकर अपने विचार व्यक्त करती है, जिससे उनको एक नई पहचान मिली है जिसकी वजह से विभिन्न राजनैतिक पद पर भी महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं।

**तालिका क्र0 - 02**  
**राजनैतिक पदों का लाभ**

क्र.	पद	संख्या	प्रतिशत
1	सरपंच	12	24
2	उप-सरपंच	16	32
3	पंच	22	44
योग		50	100



उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि 24 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार सरपंच पद का, 32 प्रतिशत महिलाओं के उप-सरपंच पद का तथा 44 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार पंच पद का लाभ प्राप्त करती है।


**स्व-सहायता समूह और महिला सशक्तीकरण-** एक अनुमान के अनुसार दुनिया की गरीब जनसंख्या का 70 फीसदी हिस्सा महिलाएँ हैं। स्पष्ट है कि गरीबी की मार पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक पड़ रही है। ऐसे में, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा निर्धनता निवारण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाता है। एक पुरुष को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का उसके परिवार पर भी असर हो, यह निश्चित नहीं होता किन्तु महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण निश्चित ही पूरे परिवार विशेषकर बच्चों की जिन्दगी में व्यापक बदलाव लेकर आता है। विकासशील देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी दर कहीं अधिक है ऐसे में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

**आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण-** मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण हो रहा है। सीधी जिले के स्व-सहायता समूह से जुड़ी अनुसूचित जाति की महिलाओं ने पुराने जीर्ण - शीर्ण घरों की जगह पक्के मकान बनवा लिए हैं, कृषि के लिए जमीन खरीदी है तथा कर्ज जाल से मुक्त पाकर नए जीवन की शुरुआत की है।

#### तालिका क्र० - 03

#### महिलाओं की आर्थिक बदलाव /सामाजिक स्थिति में बदलाव संबंधी जानकारी

क्र.	स्थिति की जानकारी	संख्या	प्रतिशत
1	आर्थिक	13	26
2	सामाजिक	17	34
3	दोनों में बदलाव	20	40
योग		50	100



उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि 26 प्रतिशत महिलाओं की आर्थिक स्थिति में, 34 प्रतिशत महिलाओं की सामाजिक स्थिति में तथा 40 प्रतिशत महिलाओं के दोनो स्थिति में बदलाव हुआ है, जिसके कारण वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं।

**स्व-सहायता समूह का अनुसूचित जाति की महिलाओं के जीवन पर प्रभाव-** स्व-सहायता समूहों में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म-गौरव इत्यादि में वृद्धि हुई है। महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन-देन, कागजी कार्यवाई इत्यादि करने से उनमें आत्म-विश्वास पनपता है। समूह की गतिविधियों के संचालन, बैठकों में भाग लेने से महिलाओं की स्वनिर्णय की क्षमताओं का विकास होता है जो धीरे-धीरे परिवार और समुदाय में उनकी सोच को आवाज मिलती है। समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है। घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली महिलाएँ इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाएँ, बैंक, सरकारी तंत्र, गैर सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों इत्यादि से संपर्क में आती हैं जिससे उनके पास अधिक सूचना और संसाधन होते हैं। सूचना एवं संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं को सशक्त करती है। स्व-सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा महिलाएँ उपलब्ध धन का इस्तेमाल अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं।

**समस्याएँ-** भारत में पुरुष प्रधान समाज के कारण महिलाओं का जीवन प्रायः घर की चारदीवारी में ही सीमित होता है। महिलाओं द्वारा समूहों के रूप में संगठित होने पर भी उन्हें अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए बैंकर्स, गैर-सरकारी संगठनों, अपने उत्पादों के लिए मध्यस्थों इत्यादि से बातचीत करनी होती है, जिसमें कई बार परिजनों द्वारा सीमाएँ डाली जाती हैं।

महिला स्व समूहों को स्वयं के उद्यम के उत्पादों का प्रचार करने व उनको शहरों तक पहुँचाने के लिए पुरुषों की सहायता लेनी पड़ती है। परिणामतः समूहों में कार्य करने के बावजूद महिलाएँ स्वयं में पूर्ण विश्वास नहीं कर पाती हैं तथा पुरुषों पर निर्भरता को अपने जीवन में यथार्थ मानने लगती हैं। ऐसी स्थिति में सशक्तीकरण केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का ही रूप ले पाता है और मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हो पाता है।

सरकारी संस्थाओं से संपर्क साधने में महिला समूहों को प्रशासनिक रूढ़िताओं, जटिलताओं, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पुरुषवादी मानसिकता इत्यादि के कारण अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे सरकार द्वारा स्व-सहायता समूहों के लिए चलाई जा रही अनेक प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ महिला समूह नहीं उठा पाती हैं अथवा उन्हें अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ता है।

**निष्कर्ष-** प्राप्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सरकार की कई योजनाएँ लागू किए जाने के बावजूद भी अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता समान के अन्य वर्गों की तुलना में कहीं ज्यादा कम है, अतः वे इन योजनाओं को अपनाने में हिचकती हैं। भारत में खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मानसिकता का होना, जो कि स्व-सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं। स्व-सहायता समूहों के स्थायित्व और उनकी गुणवत्ता का विषय हमेशा से मुख्य मुद्दा रहा है साथ ही इनकी सुरक्षा का दायित्व कौन ले इस पर समूह के सदस्यों के पास कोई जवाब नहीं है।

#### **सुझाव-**

- महिला नेतृत्व पहलों और आंदोलनों के लिए महिला केन्द्रित नीति निर्माण के दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए।
- मुद्रा योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूह को सस्ता लोन उपलब्ध कराना चाहिए।
- महिलाओं की क्षमता बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्यनीतियाँ बनानी चाहिए।
- कौशल विकास योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

#### **संदर्भ ग्रन्थ सूची-**

- आर्यंगर, एम.ए.(1967), ट्राइबल एण्ड रुरल लीडरशिप इन इण्डिया एशिया पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई
- शुक्ला शैलेश, महिला सशक्तिकरण-स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका
- नाबार्ड - भारत में सूक्ष्म वित्त की स्थिति 2011-12 रिपोर्ट
- महिला-जगत, 13 मार्च 2018
- भारतीय नारी - कल और आज (ISBN 978-81-87364-45-0)

## वेदों में राम - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

• मधु

सारांश- वेदों में जगत् की पवित्र गंगा के रूप में जो कथा कही गई है, वह दिव्य श्री राम कथा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हो। विचाराधीन मुद्दा यह है कि अपौरुषेय वेद सृष्टि के आरंभ से ही हैं। फिर सृष्टि के इतने समय बाद इस श्वेत बारह कल्प के वैवस्वत मन्वन्तर में श्रीराम, श्री कृष्ण आदि के नाम और चरित्र उनमें कैसे आ सकते हैं? वेद उपनिषदों की अनेक श्रुतियों को देखकर यह विचार करना कि इस सृष्टि के पूर्व कल्पों में श्रीराम, श्री कृष्ण आदि के चरित्रों का संकेत इस सृष्टि के आरंभ में अवतरित वेदों द्वारा किया गया है। वेदों में भगवान श्रीराम और उनके पूर्वजों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायण्योपनिषद् के अंतिम आरण्यक 1/4 में कुछ चक्रवर्ती लोगों की सूची एक साथ देते हुए श्रीराम के पूर्वजों के कई नाम श्रुति में सांकेतिक रूप में आये हैं। श्री नीलकंठ सूरी ने इस मंत्र में राम मंत्रोद्धार और षडाक्षर श्री राम मंत्र राज की महिमा का वर्णन किया है। श्री नीलकंठ सूरी ही थे जिन्होंने डेढ़ सौ मंत्रों का संकलन कर 'मंत्र-रामायण' के नाम से सुन्दर भाष्य लिखा। फिर उन्होंने 130 मंत्रों को श्मंत्र भागवतश के नाम से संकलित कर उस पर भाष्य भी लिखा। अंततः इस लेख से यह मत स्पष्ट होता है कि जब अपौरुषेय वेद सृष्टि के आरंभ के हैं तो उनमें सृष्टि के बहुत समय बाद हुए श्रीराम आदि के नाम व चरित्र कैसे आ सकते हैं? इन प्रश्नों का समाधान ढूँढते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि सृष्टि के आरंभ में अवतरित वेदों ने इस सृष्टि के पूर्व युगों में श्री राम (उनके पूर्वज भी), श्री कृष्ण आदि के चरित्रों का संकेत दिया है।

वेदों में जो कथा लोक पावनी गंगा के रूप में कही गयी है, वह दिव्य श्रीराम कथा तीनों लोकों को पवित्र करें।

‘वेदेषु कथिता वा च स्वर्धुनी लोकपावनी।

सा श्रीराम कथा दिव्या पुनातु भुवन त्रयम्॥’

प्रश्नगत प्रकरण यह है कि अपौरुषेय वेद जब सृष्टि के आरम्भ काल से ही हैं। तब सृष्टि के बहुत बाद इस श्वेत बारह कल्प के वैवस्वत मन्वन्तर में होने वाले श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि के नाम चरित्र उनमें कैसे आ सकते हैं -

‘सूर्याचन्द्रमसौ धाता यश्चापूर्वमकल्पयत्

दिवंच पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥’

ऋग्वेद 10/190/3)

‘यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं  
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै  
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं  
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥<sup>12</sup>  
(श्वेताश्वरोपनिषद् 6/18)

इत्यादि वेदोपनिषदों की अनेक श्रुतियों को देखते, विचारते कि इस सृष्टि के पहले के कल्पों में श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि के जो चरित्र हुये थे, उनका संकेत इस सृष्टि के आरम्भ में अवतरित वेदों ने किया है। भगवान श्रीराम और उनके पूर्वजों का स्पष्ट उल्लेख वेदों में द्रष्टव्य है।

वैवस्वतमनु-

श्मनुर्वै यत्किंचावदत् तदभेषजमेवावदत्<sup>3</sup>

(कृष्णयजुर्वेद, काठक संहिता, स्थानक 11, अनुवाक 5 मन्त्र-9)

अर्थात् मनु ने जो भी कुछ कहा है वह मानव जाति के लिए परम पथ्य है।

## 2. इक्ष्वाकु -

(क) यं त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको<sup>4</sup>

(अथर्ववेद - 19/39/9)

(ख) ईज ऐक्वाको राजो<sup>5</sup>

(शतपथ ब्राह्मण 13/5/4-5)

## 3. सुधुम्न -

सुधुम्नो घुम्नद् यजमानाय देहि<sup>6</sup>

(कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी संहिता 1/2/19)

## 4. सुदास-

विश्वामित्रो यदवहत् सुदासमप्रियायता<sup>7</sup> (ऋग्वेद-3/53/9)

## 5. सगर के साठ हजार पुत्र-

षष्टि सहस्रा नवति च कौरम आरूशमेषु ददमहे<sup>8</sup>

(अथर्ववेद - 20/127/1)

## 6. रघु -

रघुश्च्येनः पतयत्<sup>9</sup> (ऋग्वेद 5/45/9)

7. कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणीयोपनिषद् के अन्तिम आरण्यक 1/4 में एक साथ कुछ चक्रवर्तियों की सूची देते हुए श्रुति में श्रीराम जी के पूर्वजों के कई नाम संकेतात्मक रूप में आये हैं।

अध्यकिमेतैवपिरेन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिनः। केचित् सुसुम्नभूरि  
घुम्नेन्द्रघुम्नकुवलमाश्ववर्ध्याश्चाश्वपतिः शशविन्दुर्हरिश्चन्द्रोडम्बरीषण  
नक्तुंशर्यातिर्यर्यातिर नरण्योक्ष सेनादयोथ मरूत भरत प्रभृतयो राजानोमिषतो बन्धु वर्गस्य  
महतीश्रियं त्यक्त्वास्माल्लोकादमुल्लोकं प्रयाताः<sup>10</sup>

(मैत्रायणीयोपनिषद् के अन्तिम आरण्यक 1/4 पृष्ठ 544)

**अपि च-**

चत्वारिंशद् दशरथस्य शोणाः

सहस्रत्रस्याग्रे श्रेणि नयन्ति ।

मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्

कक्षीवन्त उद्मृक्षन्त पजाः ॥<sup>11</sup> (ऋग्वेद 1/126/4)

अर्थात् राजा दशरथ के यज्ञ से विदा होकर ऋत्विक् लोग जब अपने स्थान को जाने लगे तब उन हजारों ऋत्विजो को दान में मिले हुए बड़े वेग वाले चालीस चालीस लाल रंग के श्याम कर्ण घोड़े और अत्यन्त शुक्षित मतवाले गजेन्द्रों की पंक्तियों को सेवक गण प्रत्येक के आगे-आगे लिए चलते हैं।

यहाँ तक द्रष्टव्य है भगवान श्रीराम जी के पूर्वजों का वेदों में संकेतात्मक स्वरूप।

भगवान राम की पुरी अयोध्या का जितना स्पष्ट और विस्तृत वर्णन वेद में है, उसमें अन्य पुरी या क्षेत्र का नहीं है। द्रष्टव्य है - अथर्ववेद काण्ड 10, सूक्त -2, मन्त्र 28 के उत्तरार्द्ध से सूक्तान्त के मन्त्र 33 तक। साढे पांच मन्त्र भगवान् राम के विपक्षी राक्षसों में भी बहुतों का सुस्पष्ट वर्णन वेद में है। यथा-

कबन्ध -

नीचीनवारं वरुणः कबन्धं प्रससर्ज ०।<sup>12</sup>

- छैः आँख तीन सिरवाला त्रिशिरा-

स इद्वासं तुवीखं पतिर्दन् षलकां त्रिशीर्षाणंदमन्यत्<sup>13</sup>

दशानन रावण-

ब्राह्मणों जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः ।

स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम्॥<sup>14</sup>

कुछ मंत्रों में स्पष्ट शब्दों में सीताजी एवं राम के चरित्र का वर्णन है -

सीताजी-

अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा ।

यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥<sup>15</sup>

**अपि च-**

इन्द्रः सीतां निगृहणातु तां पूषानु यच्छतु ।

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥<sup>16</sup>

अपि च -

धृतेन सीता मधुना समक्ता

विश्वैर्देवैसुमता मरुद्भिः ।

सा नः सीते पयसाम्याववृत्स्वो

र्जस्वति धृतवत्पिन्वमाना॥<sup>17</sup>

भगवान राम-

(क) शअधोरामो सावित्रिः<sup>18</sup>

यजुर्वेद (29/59) में सचित्र कुलोत्पन्न राम का ही वर्णन हुआ है।

(ख) नक्तंजातास्योषधे रामे कृष्णे असिङ्की च।<sup>19</sup>

इदं रजनि रजय किलास पलितं च यत्।

इसमें रजनी से (जो अनेक विशेषणों से युक्त है) प्रार्थना की गयी है कि श्याम रूप भगवान राम के प्रकट होने पर वृद्ध दशरथ जी को आप प्रसन्न कीजिये।

(ग) मुनिवर वशिष्ठ ने भगवान श्रीराम जी से कहा है-

श्रंसवत्सर न मासमशनीयात् न रामामु पेयात् . . . .।

नास्य राम ! उच्छिष्टं पिबेत् तेज एवं तत्संशयति ॥<sup>20</sup>

अर्थात् हे राम (युवराज को चाहिए युवराज पद मिलने से एक दिन पूर्व से ही) एक वर्ष तक मास शब्द से अभिहित वस्तुओं का सेवन न करें।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में वर्णन है कि

भद्रो भद्रया सचमान आगात्

स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात् ।

सुप्रकेतैर्बुभिरग्निर्वितिष्ठन्

रूशदिर्भवणैरभि राममस्यात् ॥<sup>21</sup>

इस मन्त्र के पूर्वाद्ध में रावण द्वारा सीताजी का हरण होना दर्शाया गया है और उत्तराद्ध में सीताजी की अग्नि परीक्षा एवं शुद्धि का विवरण है।

प्रतहुरूशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मद्यवत्सु ।

ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विश्राव्येषाम ॥<sup>22</sup>

अर्थात् इस मन्त्र में श्री रामजी के राज्याभिषेक पर आने वाले राजाओं तथा देवताओं का वर्णन है सायण ने अपने भाष्य में शसुरे का अर्थ बलवतिश करके राम का विशेषण माना है।

सचन्तयदुषसः सूर्येण चित्रमस्य केतवो रामविन्दन् ।

आ यन्नक्षत्रं ददृशे दिवो न पुनवर्ततो नकिरद्धा नु वेद ॥<sup>23</sup>

श्री नीलकण्ठ सूरि ने इस मन्त्र में राममन्त्रोद्धार एवं षडक्षर श्रीराम मन्त्र राज का माहात्म्य वर्णन किया है। श्री नीलकण्ठ सूरि ने ही डेढ़ सौ मन्त्रों का संकलन कर मन्त्र - रामायण के नाम से करके सुन्दर भाष्य लिखा था। फिर 130 मन्त्रों का संकलन कर शमन्त्र भागवतश के नाम से करके उस पर भी भाष्य लिखा था।

अन्ततः इस लेख से यह मन्तव्य स्पष्ट है कि अपौरुषेय वेद जब सृष्टि के आरम्भ काल से ही है, तब सृष्टि के बहुत बाद होने वाले श्रीराम आदि के नाम चरित्र, उनमें कैसे आ सकते हैं ? इन प्रश्नों के हल को ढूँढकर कहना चाहूँगा कि इस सृष्टि के पहले के कल्पों में श्रीराम (उनके पूर्वज भी) श्रीकृष्ण आदि के जो चरित्र हुए थे, उनका संकेत सृष्टि के आरम्भ में अवतरित वेदों ने किया है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. ऋग्वेद 10/190/3
2. श्वेतास्वरोपनिषद 6/18
3. कृष्ण यजुर्वेद, कथक संहिता, पैरा 11, अनुवाद 5 - 9
4. अथर्ववेद - 19/39/9
5. शतपथ ब्राह्मण- 13/5/4-5
6. कृष्णयजुर्वेद मैत्रयी संहिता- 1/2/19
7. ऋग्वेद-3/53/9
8. अथर्ववेद - 20/127/1
9. ऋग्वेद- 5/45/9
10. मैत्रयी उपनिषद का अंतिम आरण्यक- 1/4 चंहम 544
11. ऋग्वेद- 1/126/4
12. ऋग्वेद- 5/85/3/ ,निरुक्त 10/4
13. ऋग्वेद - 10/99/6
14. अथर्ववेद - 4/6/1
15. ऋग्वेद - 4/57/6, अथर्ववेद 3/17/8/ तैत्तिरीय आरण्यक- 6/6/2
16. ऋग्वेद - 4/57/7 अथर्ववेद- 3/17/4
17. अथर्ववेद- 3/17/9
18. यजुर्वेद - 29/59
19. अथर्ववेद - 1/23/1
20. तैत्तिरीय आरण्यक - 5/8/13
21. ऋग्वेद - 10/3/3 सामवेद- 15/2/3
22. ऋग्वेद - 10/93/14
23. ऋग्वेद - 10/111/7

## पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मातृ वंदना योजना का योगदान

• कृष्ण कुमार पटेल  
•• एस. एम. मिश्रा

सारांश- भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में महिलाएँ अपने परिवारिक जीवन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की नियोक्ताओं से ग्रसित रही हैं। यद्यपि माता के रूप में महिलाओं की स्थिति परिवार में अच्छी मानी जाती थी, परन्तु यह केवल उस अवस्था में जब पिता के देहान्त न हो। पत्नी के रूप में महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता पूर्वक पूर्व तक काफी दयनीय थी, पुरुषों की दृष्टि से महिलाएँ दासी के रूप में थी तथा पुरुषों द्वारा उनका अनादर करना आम बात थी। वधू के रूप में भी महिलाओं की भी दिशा पत्नी के समान भी दयनीय थी। सम्पूर्ण परिवार की सेवा करना ही उसका कर्तव्य माना जाता था। पुत्री के रूप में तो स्त्रियों की स्थिति में भी चिन्ताजनक थी। उन्हें परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ समझा जाता था और उनकी शीघ्रान्ति शीघ्र विवाह कर दिया जाता था। विवाह के सम्बन्ध में उनकी इच्छा या अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं था। लाखों की संख्या में लिंग परीक्षण के आधार पर कन्या भूण हत्या कर दी जाती थी या कन्या होती उसे मार डाला जाता था। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का देश एवं समाज में खुले आम शोषण रहा है। यह वर्ग सदियों से ही उच्च वर्गों द्वारा उपेक्षा का शिकार होता रहा है। साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक रूप में कमजोर होने के कारण इन वर्गों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण एक सामान्य बात भाँति थी। परम्परागत अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता विचारधाराओं से ग्रसित वर्ग बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी समस्याओं से निजात नहीं पा सका। इन समस्याओं के कारण जहाँ एक ओर जनसंख्या वृद्धि जैसी भयानक बीमारी का जन्म हुआ वहीं दूसरी ओर महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। पौष्टिक आहार की कमी से यह वर्ग हमेशा से ग्रसित रहा है। पिछड़े समुदायों के सामाजिक विघटन को रोकने तथा आर्थिक सहायता प्रदान से संबंधित अनेक योजनाएँ सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। महिलाओं के साथ पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार सतत् प्रयासरत है। मातृत्व सहयोग योजना प्रधानमंत्री योजना के नाम से भी जानी जाती है। मातृत्व वंदना योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को एवं स्तनपान कराने

- 
- शोधार्थी, समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)  
•• शोध निर्देशक, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शा. संजय गाँधी स्मृति स्वशासी स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय, सीधी (म0प्र0)

वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए रु. 6000 (छः हजार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देश में सभी राज्यों के जिलों में लागू किया गया है। इस मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत इसका लाभ महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उस गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे महिलाओं को मानसिक रूप से संभल प्राप्त हो सके।

**मुख्य शब्द-** प्रजातांत्रिक देश, महिलाएँ, स्थिति, परिवार, स्वतंत्रता

**प्रस्तावना-** विश्व की समस्त जीवित एवं मृत सभ्यताओं को सामाजिक व्यवस्थाओं की स्तरीकरण की प्रक्रिया किसी न किसी के रूप में अवश्य विद्यमान रही है भारतीय समाज भी स्तरीकरण की इस प्रक्रिया को अछूता नहीं रहा है अपितु यह भी उच्च एवं निम्न स्तरों में विभाजित अनेकानेक इकाइयों एवं व्यवस्था जाति प्रथा पर आधारित रहा है जिनमें से सर्वाधिक अनोखी व्यवस्था जाति प्रथा है। इसी के आधार पर ही हिन्दू समाज की अनेक जातियाँ एवं उप जातियों से विभाजित रहा है इस जातीय सस्तरण में निम्न स्थान पिछड़े वर्गों (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है) का रहा है। जिन्हें परम्परागत रूप से अन्यज्ञ या अछूत कहा जाता है

वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों को किसी वर्ण के अन्तर्गत नहीं रखा गया बल्कि घृणास्पद कार्यों को करने वाली जातियों को इस समूह में रखा गया है। आधुनिक काल में इन जातियों की गणना पंचम वर्ण के रूप में की जाती है और इन्हें धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों एवं मंदिरों आदि में प्रवेश दूर रखा जाता रहा।

भारतीय समाज में पिछड़े वर्गों की स्थिति बहुत ही यहाँ हिन्दू धर्म के ओर प्राणी के लिए स्नेह दया त्याग परोपकार एवं सहानुभूति जैसे भावों को महत्व प्रदान करता है तो दूसरी ओर मानव-मानव के बीच उच्चता निम्नता भेदभाव एवं अस्पृश्यता की दीवार खड़ी करता है। इसी पक्षपात पूर्ण वर्ण व्यवस्था के कारण पिछड़े वर्गों को हजारों वर्षों से अमानवीय जीवन व्यतीत करना पड़ा है। भविष्य में भी इनके विकास एवं प्रगति को अवरुद्ध करने की दृष्टि से सम्बंधित जाति को अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक योग्यताओं को जकड़ रखा है।

**अध्ययन क्षेत्र-** सीधी जिले की भूमि का इतिहास अत्यंत प्राचीन है जहां आदिमानव की विभिन्न गति विधियों के पुराचिन्ह प्राप्त होते हैं। भूगर्भीय संरचना के आधार पर यह क्षेत्र गोंडवाना के अन्तर्गत आता है। अर्थात् अध्ययन क्षेत्र की भूमि प्रारंभ से ही मानव के विकास यात्रा में सक्रीय रही है। जिले के इतिहास पर प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है जो गुहा चित्रों के साथ लौह युग से होते हुए वैदिक युग की परिणति में पौराणिक काल के झरोखों से झाकते हुए वर्तमान समय तक जाता है। इन गुहा चित्रों में आखेट, पशु पक्षियों के शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानवों के पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, संगीत अनुष्ठान, मधुसंचय एवं गृहस्ती के चित्र मिलते हैं। वैदिक काल में बहुभाषी अनाथ पिछड़ी जातियों का निवास सीधी जिले में रहा है। जिसमें प्रमाण वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में देखने को मिलता है।

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य-** मार्ग वंदना योजना एक गर्भावस्था सहायता योजना है जो कई प्रकार से गर्भवती महिलाओं की सहायता करेगी। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं -


- चूँकि अधिकाँश महिलाएँ कामकाजी होती हैं जो जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी का काम करती हैं अतः काम करने वाली महिलाओं को मजदूरी में नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा प्रदान करना तथा ऐसी महिलाओं को उचित आराम तथा आवश्यक पोषण की सुनिश्चित करना।
- प्रसव के समय महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार द्वारा संचालित मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार तथा नजदीकी नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से आधीन पोषण के प्रभाव करना है।

सीधी जिला पिछड़ी जातियों का बाहुल्य क्षेत्र है 2011 की जगणना के अनुसार सीधी जिले की कुल जनसंख्या 1127033 है जिसमें पुरुषों 575912 एवं महिला 551121 है लिंगानुपात 957 है।

**सीधी जिले की महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना की वित्तीय व्यवस्था का विवरण (वर्ष 2016 से 2020 तक)**

क्र.	वित्तीय वर्ष	लाभावित हितग्राही			संख्या
		SC	ST	OBC	
1	2016-2017	3	18	9	30
2	2017-2018	788	1574	3817	6179
3	2018-2019	1037	3025	6136	10198
4	2019-2020	1241	2522	5628	9391
5	2020-2011	947	2342	5489	8778
योग		4016	9481	21079	34576

स्रोत - महिला एवं बाल विकास सीधी, म.प्र



उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अध्ययन

क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में कुल 30 महिलाओं ने लाभ प्राप्त हुआ जिस आर्थिक सहायता प्राप्त हुई जिनमें अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या 3, अनसूचित जनजाति की महिलाओं और 13, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अन्य महिलाओं की संख्या 9 है। वर्ष 2017-18 में कुल 6179 महिलाएँ लाभान्वित हुई जिसमें अनुसूचित जाति 788 महिलाओं, अनुसूचित जनजाति 1574 तथा अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या व अन्य महिलाओं की संख्या 3817 है। वर्ष 2018-19 में योजना द्वारा लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 10198 है जिसमें अनुसूचित जाति की 1037, जनजाति 3025 महिलाएँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या 6136 है।

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मुख्य बातें -
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को जनवरी 2017 में प्रारंभ किया गया।
- मातृ वंदना योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित किया जाता है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के द्वारा पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को (ग्रामीण महिला) के खाते में 6400 (छः हजार चार सौ रुपये) और शहरी महिलाओं के खाते में 6000 (छः हजार रुपये) प्रदान की जाती है।
- चूँकि गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण आहार की आवश्यकता होती है इस दृष्टि से मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके खाते में नकदी के लाभ प्रदान किया जाता है। जिससे महिला की बढ़ी हुई पोषण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और मजदूरी/वेतन के रूप में होने वाली हानि की आंशिक क्षति पूर्ति को पूरा किया जा सके।
- लक्षित लाभार्थी महिलाएँ (गर्भवती महिलाएँ एवं स्तनपान कराने वाली माताएँ) जिन्हें केन्द्र सरकार या राज्यों सरकारों या सार्वजाकिन उपक्रमों में नियमित रूप से कार्य पर रखा हुआ है। जो किसी कानून के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही है।

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ** - मातृ वन्दना योजना से गर्भवती महिलाओं के स्तनपान कराने वाली माताओं को पहली जीवित बच्चे के दौरान लाभ प्राप्त होता है। मातृ वन्दना योजना की मिलने वाली राशि कठज के माध्यम से लाभार्थियों महिलाओं के खाते में डाल दी जाती है, एवं दी गयी किस्तों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है। पहली किस्त में 1000 ( एक हजार रुपये) गर्भावस्था के पंजीकरण के समय मिलता है। दूसरी किस्त में 2000 ( दो हजार रुपये) मिलते हैं। यदि लाभार्थी महिलाएँ को 6 माह की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच करा लेते हैं। तीसरी किस्त जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है तो को BCG, OPV, BPT एवं हेपटाइटिस B सहित प्रथम टीके का चक्र का समय शुरु होता है।

**शर्तें एवं किस्तें** - गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताएँ तीन किस्तों में 5000 का नगद लाभ प्राप्त करेंगी -

किस्त	शर्तें	श्रांशि
पहली किस्त	गर्भधारण के शरीर से परीक्षण पंजीयन कराने	1000₹
दूसरी किस्त	कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच कराने पर	2000₹
तीसरी किस्त	बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर	2000₹

पात्र लाभार्थी संस्था में प्रसव के बाद जननी सुरक्षा के अंतर्गत मातृत्व लाभ के संबंध में अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार शेष नगद राशि पुरस्कार प्राप्त करेंगे ताकि औसतन हर महिला को 6000₹ मिले।

**मातृ वंदना योजना की कमियाँ** - इस योजना में लाभार्थी केवल एक बार लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि डिलीवरी के दौरान शिशु की मृत्यु हो जाती है और आवेदन की सारी किस्त प्राप्त ली है तो भविष्य में दोबारा इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

इस योजना में पंजीकरण के लिए हितग्राही महिला को अपने पति के आधार संबंधी विवरण प्रदान करना होता है, जिससे एकल महिलाएँ, अविवाहित माताएँ, अभिव्यक्त पत्नियाँ और विधवा महिलाएँ इस योजना का लाभ नहीं उठा पाती हैं।

इस योजना में आवेदन करने को न्यूनतम आयु 19 वर्ष है अतः 18 वर्ष की कम आयु की नवविवाहिता इस योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाती है।

**निष्कर्ष-** प्रस्तुत शोध पर अध्ययन क्षेत्र सीधी जिले के पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर केन्द्रित है। परम्परावादी सामाजिक व्यवस्था के कारण पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नियोग्यताएँ कम नहीं हो पाईं। जहाँ एक ओर इनके प्रति समाज में हीन भावना अशिक्षा, स्वास्थ्य का निम्न स्तर देखने को मिलता है वहीं दूसरी ओर इन वर्गों महिलाओं में आर्थिक परतन्त्रता देखने को मिलती है। इनका कार्य जातिगत एवं परम्परागत होने के प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक इतना कम होता है कि इससे यह वर्ग स्वयं तथा अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को शिक्षा का स्तर निम्न होने के कारण ये आर्थिक रूप से पुरुषों पर आश्रित होती हैं साथ ही पुरुषों की तुलना में औसत आयु कम एवं औसत स्वास्थ्य का स्तर निम्न होता है।

पिछड़े वर्ग की महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने इनके आत्मसम्मान की रक्षा करने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन किया गया है।

देश में सभी जिलों में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 में की गयी है। इस दिनांक से इस योजना को सभी जिलों में लागू किया गया है। अर्थात् 31 अक्टूबर 2017 के पूर्व तथा 01 जनवरी 2017 के बीच जिन गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी हो चुकी है इन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- स्वयं सहायता समूह गठन के लिए प्रशिक्षकों हेतु मार्गदर्शिका, ग्रामीण डेवल
- पमेण्ट सर्विसेज, लखनऊ।
- स्वयं सहायता समूह आप की खेती में एक और फसल, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2010।
- <https://wcd.nic.in> महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार।

- साहनी, प्रतिभा, 2019, “ महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह, हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली।
- कुमार, मनीश, 2020, “ महिला सशक्तिकरण – दशा और दिशा ” पाण्डुलिपि प्रकाशन, नई दिल्ली।
- शर्मा, चितरंजन, सिसोदिया, शम्भूसिंह, 2012, “ स्वयं सहायता समूह एवं उद्यमिता विकास” हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर।

## बस्तर संभाग में पर्यटन सम्भावना: एक अध्ययन

• प्रशांत कुमार गौरहा

सारांश- वर्तमान परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य का दण्डकारण्य अतीत में कहलाने वाला यह क्षेत्र बस्तर संभाग अपने अतीत के वैभव से प्राचीन सभ्यताओं से अपने गौरवमयी इतिहास होने के बावजूद पर्यटन के क्षेत्र में वह मुकाम नहीं पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए। यहां हमने पिछले अध्यायों में देखा है। कि यहां के प्रत्येक जिलों में पर्यटन के पर्याप्त स्थान उपलब्ध है परन्तु बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से यहां पर्यटकों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है। किसी भी स्थान के भौगोलिक वातावरण, जलवायु आदि ऐसे तत्व हैं जो मानव को एक से दूसरे स्थान जाने में प्रभावित करती है परन्तु यह कारक इस क्षेत्र में लागू नहीं होता है। यहां का वातावरण पठारी क्षेत्र होने के कारण मानव अनुकूल है। दूरस्थ क्षेत्र अति घने जंगलों से आच्छादित है। जनसंख्या आदिवासी क्षेत्रों में विरल होने के कारण यातायात के साधनों का उचित विकास नहीं हो पा रहा है।

मुख्य शब्द - प्राचीन सभ्यता, इतिहास, पर्यटन, आदिवासी क्षेत्र

संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि- वर्तमान समय में पर्यटन केवल मुद्रा अर्जित करने तथा मनोरंजन का साधन ही नहीं है अपितु इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों देशों के लोगों की सभ्यता एवं संस्कृति का भी आदान-प्रदान होता है। आपस में मित्रता सामंजस्य सद्भाव पर्यटन से बढ़ता है। प्राचीन काल में पर्यटन एक कीड़ा मोटरगाड़ी में घूमना, साइकिल चलाना, भ्रमण एवं नौका विहार इत्यादि माना जाता था। छत्तीसगढ़ का इतिहास इसके भूगोल से अधिक प्रभावित रहा है। बस्तर संभाग एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति वाला क्षेत्र है। यह पूर्णतः पठारी क्षेत्र है। यहां का सुरम्य मौसम अपने आप में विशिष्टता लिया हुआ है। यह वनांचल अपनी उर्वरा शक्ति और खनिज सम्पदा को अपने अंतराल में छिपाये हुए सदैव विदेशियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है।

यहां की सर्वप्रमुख नदी इंद्रावती नदी के तट पर प्राचीन सभ्यताओं का उदय हुआ। जिनके अवशेषों के प्राचीन गौरवगाथा का अध्ययन और आनंद लेने पर्यटक भारी संख्या में इन क्षेत्रों पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित यह क्षेत्र जो प्राचीन गाथाओं के ऐतिहासिक क्षेत्र होने से लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहा है।

यह अंचल अपनी अनुपम प्राकृतिक सुषमा से युग-युग से लोगों को अभिभूत करता रहा है। प्राचीन साहित्यों में यहां की प्राकृतिक छटा का अत्यंत मनोरम वर्णन

• प्राचार्य, बी. डी. महंत महाविद्यालय, पाली, कोरबा, छत्तीसगढ़

मिलता है।

सामान्य रूप से यहां जंगलों की अधिकता है। जहां जंगली जानवर स्वतंत्र विचरण करते हैं। यह वन क्षेत्र मानव की गतिशील जीवन की महत्वाकांक्षाओं विजय पराजय, उत्थान-पतन, और आर्य-अनार्य की संघर्ष एवं संस्कृतियों का अद्भूत रोचक इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। साथ ही यहां की वन्य जीव जैसे शेर चीता, वनभैसा, कोटरी साभर चीतल, हाथी, काले हिरण, कांटेदार साही, सोन कुत्ते, सोन चिड़िया तथा गाने वाली मैना, सदैव पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करती रही है।

उद्योग के रूप में पर्यटन का विकास में सामाजिक कारक यातायात मनोरंजन तथा अवकाश के प्रति समाज का रवैया पर निर्भर करता है। परंपरागत तौर पर पर्यटन को एक विलासिता माना जाता है। जिसे केवल अमीर व्यक्ति भोग सकता है परंतु इसकी आवश्यकता आज पुरी तरह से बदल गयी है। आज का यात्री अपेक्षाकृत सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिपेक्ष्य से यात्रा करता है, और उसकी रूचियाँ भी अलग-अलग होती है।

पर्यटन के तीन महत्वपूर्ण तत्व यातायात स्थान एवं आवास के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को भी जोड़ दिया जाये तो पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करते हैं। पर्यटन हमेशा से दो राज्यों राष्ट्रों के मध्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा विकास का माध्यम रहा है। इससे सौहाद्रपूर्ण मैत्री, शिक्षा एवं संबंधों में विकास होता है।

**भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि-** बस्तर संभाग भौगोलिक, ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध और सपन्न तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सदैव आकर्षण का केन्द्र रहा है। यहां की अपूर्व अद्भूत लोक जीवन एवं जनजातियां संस्कृति बड़ी निराली रही है। यहां के इतिहास, पुरातत्व संस्कृति कला धार्मिक मान्यताओं के प्रतीक स्थल प्राकृतिक वैभव वन्य जीवन औद्योगिक इत्यादि के क्षेत्र पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित होने की संभावना है।

यह संभाग अपनी विशिष्टताओं के बावजूद भी विकास की दौड़ में अभी पीछे है। यहां औद्योगिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य के अद्वितीय उदाहरण एक साथ मौजूद हैं। यहां की जीवन शैली में मनमोहक विषमता मिलती है। बस्तर संभाग जहां तक कारखानों एवं आधुनिकीकरण में पीछे है। यहां के आदिवासी आज भी इस जीवन चक्र से अनभिज्ञ अपनी जीवन शैली को यथावत अपनाये हुए हैं। छत्तीसगढ़ को केवल धान का कटोरा कहना अब कम वजनदार प्रतीत होता है क्योंकि यह किसी से नहीं छिपा है कि यह छोटा भू-भाग दुनिया के उन गिने चुने हिस्सों में से है जहां प्रकृति ने अथाह खनिज भंडार और अनुकूल प्राकृतिक संपदा दी है। कृषि प्रधान एवं आदिवासी बहुल इस अंचल में लौह खनिज कोयला और चूना पत्थर का भंडार अपने आप में मिशाल है। एक संपूर्ण रेखाचित्र देखने के बाद लगता है कि पिछड़ा कहलाये जाने वाले बस्तर को तो अगुवाई का हकदार होना चाहिए था। कृषि एवं उद्योग के अलावा विकास की अन्य सभावनाओं के साथ छत्तीसगढ़ की समृद्धि का द्वार खोलने का एक और रास्ता भी है जो सदियों से इस क्षेत्र के जंगलों ऊँचे पहाड़ों और नदियों के किनारे बिखरा पड़ा है। जिसे समुन्नत कर सामने लाना

है।

बस्तर संभाग 17°.45' से 20°.34' उत्तरी अक्षांश तथा 83°.13' से 83°.15' पूर्वी देशांतर के बीच 39114 वर्ग कि.मी क्षेत्रफल में फैला है। यह संभागों के 07 जिले युक्त यह प्रदेश, उड़िसा आन्ध्रप्रदेश झारखण्ड, महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। यहां भूगर्भिक बनावट में आर्कियन एवं कड़प्पा शैल समूह का विस्तार अधिक है इसके अलावा धारवाड शैल समूह विन्ध्यन गोड़वाना लमेटा एवं दक्कन ट्रेप तथा लेटेराइट शैल समूह का जमाव भी मिलता है। बस्तर संभाग देश की महत्वपूर्ण प्रवाह प्रणाली महानदी और गोदावरी प्रवाह प्रणाली इंद्रावती प्रवाह प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम करता है। गोदावरी और महानदी के कुछ भागों में नौकाचालन का आनंद लिया जाता है। पठारी क्षेत्र होने के कारण समुद्र से दूर एवं कर्क रेखा के समीपता के कारण संपुर्ण ठंडा क्षेत्र है। मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक वर्षा होती है। अप्रैल मई में झुलसाने वाली तेज गर्मी पड़ती है। मध्य अक्टूबर से फरवरी तक मौसम सुहावना एवं पर्यटन के अनुकूल होता है।

बस्तर संभाग प्राकृतिक वन संपदा के लिए प्रारंभ से प्रसिद्ध रहा है। इसी कारण यहां राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है। जिसमें साल सागौन बांस महुआ सरई सेमल तेन्दू, करं एवं नीम इत्यादि वृक्ष के अलावा वन्यप्राणी में शेर, बाघ, चीतल, साभर, नीलगाय, वनभैसा, सफेद भालू, सोनकुता व पहाड़ी मैना उड़ने वाली गिलहरी इत्यादि वन्य जीव पाये जाते हैं।

बस्तर संभाग खनिज संसाधनों की दृष्टि से सपन्न क्षेत्र है। उत्तरी भाग में कोयले का वृहत् भण्डार है। मध्यवर्ती भाग में सीमेंट योग्य चुने के पत्थर के विशाल भण्डार तथा दक्षिण भाग में लौह अयस्क के भण्डार हैं।

यद्यपि छत्तीसगढ़ में परिवहन के चारों अंग सड़कमार्ग रेलमार्ग वायुमार्ग तथा आंशिक रूप से जलमार्ग का विस्तार है। किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से देश के अनेक राज्यों की अपेक्षा यहां परिवहन सुविधा का कम विकास हो पाया है। यही स्थिति संचार व्यवस्था की भी है।

**बस्तर संभाग में पर्यटन-** बस्तर के आदिवासियों के प्रति लोगों के मन में बड़ी ही उत्सुकता है। यहां के लोकशिल्प का अध्ययन करने पर मोहन जोदड़ों के कलातत्त्वों के दर्शन होते हैं। इस कई शताब्दि पुरानी कलाशिला के कारण ही यह क्षेत्र पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के बीच पर्यटन एक बड़े उद्योग के रूप में उभरा है। दुसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को एक सामान्य आर्थिक सेवा के रूप में मान्यता दी गयी है। ग्यारहवीं योजना तक आते आते इसे निर्यात क्षेत्र का दर्जा मिल गया जिसमें विदेशी पूंजी निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कारण वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने अधोसंरचना मण्डल का गठन करके व्यवस्थित रूप से यहां के पर्यटन केन्द्रों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास प्रारंभ किया है। बस्तर संभाग में उपलब्ध युवाशक्ति एवं पर्यटन स्थल की विविधता को देखते हुए 21वीं सदी में यह एक लोकप्रिय पर्यटक प्रदेश के रूप में उभरने की पूर्ण संभावना है।

बस्तर संभाग में पूर्व पाषाण काल मध्य पाषाण काल उत्तर पाषाण काल एवं नव

पाषाण काल के उपकरण एवं सामग्री आज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहा रामायण, महाभारत और पौराणिक कथानकों से संबंधित अनके स्थानों के विवरण आज भी यहां उपलब्ध है। यहां एक ओर दण्डकारण्य जैसे वन क्षेत्र है तो दुसरी ओर मनोरम लिये हुए जिलों के पर्यटन स्थल है। जैसे कांकेर जिले के गुड़िया पर्वत, मलाजकुडूम झरना, चरें-मरे झरना शिवानी मंदिर गढ़ धनौरा। जगदलपुर जिले के श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिर, दलपत सागर झील, मानव विज्ञान संग्रहालय, राजमहल, कैलाश एवं कुटुम्बसार गुफाएँ चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी, तीरथगढ़ जलप्रपात, दंतेश्वरी मंदिर चित्रधारा जल प्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दंतेवाड़ा जिले के दंतेश्वरी मंदिर, वारसुर बैलाडिला बोधघाट, सातधार गमवाड़ा के स्मारक स्थल यहां उपलब्ध है।

**बस्तर संभाग में पर्यटन स्थल में उपलब्ध सुविधायें-** किसी भी पर्यटन स्थल में पर्यटकों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि पर्यटक को वहां तक पहुंचने में किन-किन सुविधाएं उपलब्ध है। हम जानते हैं कि बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर से 350 से 400 किमी की दूरी पर है एवं बीच का सड़क मार्ग दुर्गम क्षेत्रों, घने जंगलों के मध्य से होकर जाता है। यहां रेलमार्ग की सुविधा नाममात्र है जो समूचे बस्तर क्षेत्र तक उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में यहां रायपुर विशाखापट्टनम से हवाई सेवा का विस्तार किया जा रहा है। जिसकी वजह से यह क्षेत्र विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए यहां पहुंचने के लिए सरल हो जायेगा। पर्यटक यहा इस बात को लेकर भी भयभीत रहते हैं कि यह क्षेत्र अलगाववाद से पीड़ित है। हमारे साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। इस भय को भी शासन द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे पर्यटन केन्द्र है जो अपना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाल बना चुके हैं जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है-

**(1) चित्रकोट जलप्रपात-** इसकी तुलना अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात से किया जाता है। यहां पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 320 कि.मी जगदलपुर से बस सेवा दिन में 24 घंटे उपलब्ध रहती है। जगदलपुर से चित्रकोट 40 किमी दूर है। यहां पहुंचने के लिए बस एवं प्राइवेट टैक्सीयां सरलता से उपलब्ध हो जाती है। यहां शासन द्वारा पर्यटकों के रुकने के लिए सुन्दर कॉटेज का निर्माण कराया गया है और झरने के पास पहुंचने के लिए बोट की सुविधा उपलब्ध है।

**(2) केशकाल घाटी-** यह घाटी रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे पर कांकेर से केशकाल के बीच में स्थित है। यहां पहुंचने के लिए अन्य किसी प्रकार के साधन की जरूरत नहीं है। इस मार्ग से गुजरने पर स्वयं ही इस घाटी का आनन्द लिया जा सकता है।

**(3) राजमहल एवं दंतेश्वरी मंदिर (जगदलपुर)-** यह जगदलपुर शहर के मध्य ही स्थित है। यहां राजमहल के मुख्य द्वारा पर दंतेश्वरी देवी का भव्य मंदिर है। जगदलपुर शहर में लॉज एवं धर्मशालाएं सहजता से उपलब्ध हो जाती है।

**बस्तर संभाग के पर्यटन में संभावनायें-** वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित होता जा रहा है। इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति स्थानीय प्रमुख पर रोजगार सामाजिक परिपेक्ष्य में बदलाव शिक्षा में सुधार लोगो में जागरूकता ऐसी अन्य बहुत सारी बात है जो पर्यटन से पर्यटकों द्वारा प्राप्त होती है। पर्यटन से उद्योग का राष्ट्रीय

अर्थव्यवस्था से विभिन्न अंगों से गहरा संबंध है। पर्यटन से ना केवल हमें राजस्व विदेशी मुद्रा एवं रोजगार की प्राप्ति होती है। वरुण हमारी संस्कृति का प्रचार भी विदेशों में बिना किसी प्रयास से हो जाता है। आजादी के बाद 5 दशक तक पर्यटन की गति धीमी थी। बाद में इसमें धीरे-धीरे परिवर्तन आता गया। 1980 के बाद से इसमें द्रुत गति से परिवर्तन हुआ। इन बीस वर्षों में 83.89 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वर्तमान समय में पर्यटन एक उद्योग के रूप में उभरता जा रहा है। प्राचीन समय में पर्यटन का अर्थ भ्रमण समझा जाता था जो तीर्थ स्थानों तक सीमित था और पर्यटक को तीर्थयात्री कहा जाता था। हमारे यहां अतिथि देवोभवः या वसुधैव कुटुम्बकम् के परम्परा में पर्यटकों का स्वागत किया जाता है। प्राचीन भारतीय राजाओं के द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में आलीशान महल, मंदिर, मस्जिद, किले तथा अपने प्रिय व्यक्तियों के याद में स्मारक जैसे ताजमहल बनवाया गया है। जो आज महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित हो गये हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यटन की बात करने पर हमें मसूरी गोवा, नैनीताल की याद आती है। परन्तु वास्तविकता ये है कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य जिला के अन्दर ऐसे-ऐसे पर्यटन केन्द्र हैं, जिन्हें विकसित करने पर उनका प्रचार करने पर उन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधायें बढ़ाने पर हमारे देश को अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही अधिक संख्या में पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य का यह बस्तर संभाग में स्थित पर्यटन केन्द्र सुविधा एवं प्रचार-प्रसार के अभाव में पर्यटकों के लिए तरस रहा है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति उच्चावच जलवायु एवंभूतथा प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है। बीजापुर जिले के इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान सकल नारायण गुफा और मंदिर भद्रकाली मंदिर भैरमदेव मंदिर। कोण्डागाँव जिले के पर्यटन स्थल में कोपाबाड़ा शिव मंदिर मुलमुला गांव आराध्य मौ दतेश्वर डोंगर मंदिर आलोर गुफाएँ केशकाल घाटी टाटामारी जटायुशिला, शैलचित्र भोगापाल। सुकमा जिले के पर्यटन स्थल में रानीदरहा जलप्रपात, गुप्तेश्वर मंदिर, तोंगल डैम चीतलनार जलप्रपात प्रपातगिरी। नारायणपुर जिले के पर्यटन स्थल में अबुझमाड़ पर्वत श्रृंखलायें।

भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का स्थान महत्वपूर्ण है। बस्तर से डोंगरगढ़ और देवभोग से लेकर सरगुजा तक विभिन्न रूप में बने मंदिर हमारे इतिहास और पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। वही मैकल सिहावा और रामगिरि की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल महानदी, शिवनाथ इन्द्रावती, हसदो जोक एवं खारून नदियों की कल-कल ध्वनियों से गुंजायमान मनोहारी व रमणीय स्वविकसित पर्यटन स्थलों के रूप में उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के साथ-साथ यहां के कई विशाल औद्योगिक केन्द्र बरबस ही पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती हैं।

पर्यटन संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पर्यटन की संभावनाओं एवं नियोजित विकास हेतु तकनीकी विशेषज्ञों के सलाह से एक पर्यटन पैकेज तैयार किया गया है। जिसके तहत यहां से होकर एक राष्ट्रीय पर्यटन परिपथ तथा तीन पर्यटन वृत्त प्रस्तावित किये गये हैं। जो निम्न हैं—

**राष्ट्रीय पर्यटन परिपथ (11 दिवसीय )-** यह नई दिल्ली से शुरू होकर जबलपुर कान्हा कवर्धा, रायपुर, राजिम तथा जगदलपुर होते हुए विशाखापटनम और वहां से पुनः दिल्ली

में जाकर समाप्त होगा।

**पर्यटन वृत्त क्र. एक (2-3 दिवसीय)-** यह रायपुर से शुरू होकर राजीम चम्पारण आरंग, बारनवापारा सिरपुर शिवरीनारायण खरौद मल्हार तालाग्राम, भोरमदेव, तथा भिलाई होते हुए रायपुर में समाप्त होगा।

**पर्यटन वृत्त क्र. दो (तीन दिवसीय)-** इरायपुर से बस्तर की वादियों का सैर सपाटा-रायपुर, जबलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ तथा तालाग्राम होते हुए पुनः रायपुर वापस जा सकता है।

**पर्यटन वृत्त क्र. तीन (दो दिवसीय )-** इसके अंतर्गत दंतेवाड़ा तथा तीरथगढ़ के आस-पास के प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कर रात्रीकालीन विश्राम जगदलपुर अथवा चित्रकूट स्थित विश्राम गृह में किया जा सकता है।

उपयुक्त प्रस्तावित राष्ट्रीय पर्यटन परिपथ एवं पर्यटन वृत्त से छत्तीसगढ़ को देश के पर्यटन मानचित्र के एक नयी पहचान मिलने की प्रबल संभावनाये है। इससे देश-विदेश के सैलानी भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे।

**बस्तर संभाग में पर्यटन की समस्याएँ-** वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य का दण्डकारण्य अतीत में कहलाने वाला यह क्षेत्र बस्तर संभाग अपने अतीत के वैभव से प्राचीन सभ्यताओं से अपने गौरवमयी इतिहास होने के बावजूद पर्यटन के क्षेत्र में वह मुकाम नहीं पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए। यहां हमने पिछले अध्यायों में देखा है। कि यहां के प्रत्येक जिलों में पर्यटन के पर्याप्त स्थान उपलब्ध है परन्तु बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से यहां पर्यटकों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है। किसी भी स्थान के भौगोलिक वातावरण, जलवायु आदि ऐसे तत्व हैं जो मानव को एक से दूसरे स्थान जाने में प्रभावित करती है परन्तु यह कारक इस क्षेत्र में लागू नहीं होता है। यहां का वातावरण पठारी क्षेत्र होने के कारण मानव अनुकूल है। दूरस्थ क्षेत्र अति घने जंगलों से आच्छादित है। जनसंख्या आदिवासी क्षेत्रों में विरल होने के कारण यातायात के साधनों का उचित विकास नहीं हो पा रहा है।

इस क्षेत्र में दो प्रकार के लोग निवास करते हैं। पहले प्रकार में वह लोग आते हैं जो यहां के मूल निवासी हैं-ग्रामीण हैं आदिवासी हैं। जो दूर दराज अति घने जंगलों के क्षेत्र में रहते हैं। ये सुविधा विहीन होते हैं। न वे शिक्षित होते हैं और न ही सम्पन्न होते हैं। वे पूरी तरह से जंगल पर आश्रित होते हैं। दूसरी प्रकार की जनसंख्या वह है जो बाहर से आकर यहां बसे हुए हैं। ये सम्पन्न एवं शिक्षित होते हैं। इनके बसने का मूल उद्देश्य आदिवासियों से जंगल की कीमती चीजे पानी के मोल पर खरीदते हैं और शहरों में ऊंचे दाम पर बेचते हैं। यह लोग कस्बों एवं शहरों में निवास करते हैं। इनके पास यातायात हेतु साधन उपलब्ध रहता है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बस्तर में शासन की बहुत सारी योजनाएँ एवं साथ ही साथ यहां स्वयंसेवी संस्थाएँ काम कर रही हैं। आदिवासी इलाकों में शासन के द्वारा आदिवासियों की शिक्षा एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु बहुतायत कार्य हो रहे हैं। परन्तु हमारा बस्तर संभाग अपने भौगोलिक परिवेश के कारण जिसमें घने जंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

पर्यटन स्रोत को मुख्यतः रूप से आंतरिक एवं बाह्य नामक दो भागों में विभक्त

किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बाह्य मनोरंजन संसाधन कमेटी ने पर्यटन स्रोत को निम्न भागों में वर्गीकृत किया है-

- अत्यधिक घने मनोरंजन स्थल।
- सामान्य बाह्य मनोरंजन स्थल।
- प्राकृतिक वातावरण स्थल।
- अनुपम प्राकृतिक स्थल।
- प्राचीन स्थल।
- ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, इत्यादि।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- Sen. A.K. Tourism in India
- Sen. A.K. Successful tourism management
- Sethi P. Successful Tourism management
- Rai H.C. Hill tourism
- Bhatia Ak. Tourism Development
- JHAS.M. Tourism marketing
- Bhatia Ak Tourism management & marketing
- Bhatia AK International tourism - fundamental practice
- Sarkar A. K. Action plan and priorities in tourism Department
- Sarkar AK. Indian tourism - Economic planning and strategy
- रामचरित्र मानस - तुलसीदास, लवकुश कांड
- सतनाम पंथ धर्म ग्रंथ
- कबीर पंथ धर्म ग्रंथ
- डॉ. रमेन्द्र मिश्रा छत्तीसगढ़ का इतिहास



**Centre for Research Studies  
Rewa-486001 (M.P.) India**

Registered Under M.P. Society Registration Act,  
1973, Reg. No. 1802, Year-1997  
[www.researchjournal.in](http://www.researchjournal.in)

